ISSN 0974-7265

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

Special Issue 2009

Flash

Editor in Chief
Dr. Rishikesh Singh

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

Special Issue, 2009

Editor in Chief

Dr. Rishikesh Singh

Published by

Flash Publication

Gonda (U. P.)

For

INDIAN LABORATORY OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

All rights reserved. No part of this publication including its style and presentation, may be reproduced, stored in a retrieval system are transmitted in any form or by any means- electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written concern of "Indian Laboratory of Social Sciences and Societies".

View expressed in research papers are personal opinions of all contributors.

Special Issue, 2009

International Standard Serial Number: 0974-7265

Prints -1000 copies.

Reprints - 500 copies.

Not for sale. Only for academic use .

Edited by: **Dr. RishiKesh Singh**, Director, **" Indian Laboratory of Social Sciences and Societies. "**
Mob. 09415458974

DTP By: Gopi Nath,Gonda, U.P., Mob.9005856561.

Published By: Flash Publication

Basant Vihar, Janaki Nagar Colony,

Baharaich Road, Near-Cold Storage, Gonda-271003 (U. P.)

Mob.: 07309951938.

Editorial

I feel a deep sense of pleasure in presenting the Special Issue, 2009 of “Indian Journal of Social Sciences and Societies” before you. This Journal is published by Flash Publication, Gonda (U. P.) for “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies” a research institute. The purpose of the Laboratory is “latest research in social sciences and societies and it shall attempt to achieve this purpose by Organizing Workshops, Seminars, Debates, Exhibitions and Publication of a journal”. This journal is an attempt in a achieving the purpose of the Laboratory.

There are so many research journals of various disciplines containing the research papers of only one concerned discipline and not of others. But this type of journals does not satisfy the requirements of Interdisciplinary Approach which is world-wide tendency in the study and researches in recent years. This journal is an attempt to satisfy such said requirements. It is based on Interdisciplinary Approach and it contains the research papers from various disciplines namely Political Science, Sociology, Education, Economics, Psychology, Geography, Military Science, Art Subjects, Commerce, Spiritual Sciences and Natural Sciences etc. with a view to represent perfectness and wholeness of knowledge in the field of research.

I can 't part without acknowledging the wholehearted co-operation and steadfast devotion, I received from the members of Governing body, Executive body, Editorial board, Refereed Board, Advisory council of “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies” and above all from the honest researchers who sent their papers for publication and got them published here in.

I hope with firm belief that this volume will draw the attention and appreciation of learned scholars of various disciplines and the journal will, considerably, be prompting and promoting the latest researches in the field of study as a whole.

Positive and constructive suggestions are hereby heartedly invited.

(Dr. RishiKesh Singh)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	षोध पत्र	षोधार्थी	पृश्ठ
1.	Social Political and Familial Issues in Sean 'o Casey ' S Dublin Triology	Jay Praksash Tiwari	1 – 5
2.	The Drevative Trends In Poetic Drama	Triloki Nath Shukla	6 – 7
3.	Globalization and its impact on the World Economic Development	Shipra Singh	8 – 10
4.	Ground Water Quality of Munnsiff Colony of Deoria District	Sarika Tripathi	11 – 13
5.	V.P. Singh and Social Justice in India	Ambikesh Pratap Singh	14 – 16
6.	An Evaluative study of Information services in Agricultural University	Sudheer Singh	17 – 18
7.	The Development of the concept of Social Justice	Dr. Rishikesh Singh	19 – 20
8.	आई0 एस0 आई0 का संगठनात्मक स्वरूप : एक विवेचना	अनुराग तिवारी	21 – 23
9.	महाराष्ट्र में राजनीतिक चेतना के स्वर	अनुराग सिंह	24 – 25
10.	आधुनिक शिक्षा एवम् डॉ0 कलाम की आकांक्षा	नन्हे सिंह	26 – 28
11.	दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की प्रासंगिकता	ओम प्रकाश यादव	29 – 30
12.	लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज के महत्व का विश्लेषण	गिरीश कुमार सिंह	31 – 33
13.	डॉ0 कृपा राम त्रिपाठी की रचनाओ में नारी विषयक अधुनातन सन्दर्भ	विष्णु शंकर तिवारी	34 – 36
14.	भारत में ग्रामीण विकास के इतिहास के विभिन्न चरण	डॉ0 ए0 के0 मिश्रा पीयूष कुमार	37 – 40
15.	भारत अमेरिका सम्बन्धों का भारत पर प्रभाव	अनिल कुमार सिंह	41 – 43
16.	दण्डनीति एवं त्रिवर्ग का सम्बन्ध	अवध कुमारी सिंह	44 – 46
17.	भारतीय संविधान में उपबन्धित आपातकालीन शक्तियों का औचित्य	इन्द्र कुमार चतुर्वेदी	47 – 51
18.	आतंकवाद और महिलाएं	कुँअर राजेश प्रताप सिंह	52 – 53
19.	दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग	राजलक्ष्मी सिंह	54 – 55
20.	जनसंख्या प्रव्रजन से समस्याएं	राम विनोद यादव	56 – 57
21.	स्वाधीनता आन्दोलन में चौरी–चौरा का महत्व	शिशिर द्विवेदी	58 – 60
22.	विविध काव्य सम्प्रदायों की दृष्टि में सूरदास जी का भाव चिन्तन	रमेश चन्द्र त्रिपाठी	61 – 64
23.	बाल श्रम की अवधारणा एवं इसके कारण	धर्मप्रकाश	65 – 67
24.	भारतीय सुरक्षा के परिवेश में मिजोरम की स्त्रातेजिक स्थिति	कुँअर दिनकर प्रताप सिंह	68 – 69
25.	उदारीकरण के पश्चात् बैंकिग क्षेत्र की चुनौतियां (राष्ट्रीयकृत बैंका के विशेष सन्दर्भ में)	माधवी सिंह डॉ0 विनायक कुमार तिवारी	70 – 72
26.	वर्तमान भारत में समाजवाद की स्थिति (जयप्रकाश नारायण के विचारो के आलोक में)	पूजा सिंह	73 – 75
27.	डॉ0 अम्बेडकर की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा : एक अवलोकन	संजय कुमार त्रिपाठी	76 – 78
28.	21वीं शताब्दी में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन	सुधीर सिंह	79 – 81
29.	नागार्जुन के काव्य में लोक–चेतना	इन्द्रसेन डॉ0 दमयन्ती तिवारी	82 – 85
30.	डॉ0 राधाकृष्णन एवम् डॉ0 कलाम के शिक्षा के उद्देश्य एवं उसकी प्रासंगिकता	नन्हें सिंह	86 – 88
31.	कबीर की भक्ति का लोकोपयोग	माला	89 – 92
32.	गांधीजी और ग्रामीण विकास	नम्रता शर्मा	91 – 92
33.	लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण	गीता रानी यादव	93 – 94

*****

Social, Political and Familial Issues in Sean O' Casey's Dublin Triology

Jay Prakash Tiwari*

Sean O' Casey's Dublin Triology Consist; *The Shadow of a Gunman (1923) Juno and the Paycock (1924) and The Plough and the stars (1926)*. These are the Plays of the first Phase of his dramatic career. These Plays are also known as O'Casey's Abbey Plays. These Plays on the one hand Portray the squaled environment of the Dublin Slum tenements inhabited by the labour class people, while in the other, they explore the psychic sources of the characters who respond to their existential reality in a particular manner. The plays Prima facia may appear simpler but they are truely speaking considerably complex because they are of an amalgam of variety of dramatic devices drawn from conventional, shakespearen and modern european tradition.

The shadow of a Gunman O'casey's first acted play was premiered at the Abbey on 12th April 1923 and was enthusiastically recieved and appreciated by the audience for its truthful presentation of life in the Dublin Slums, during the period of "Troubles". Before THE SHODOW OF A GUNMAN he had sent three plays to the Abbey Theatre all of which were rejected. The artistic advance of The Shadow of a Gunman over the plays presented earlier is that here the story of the play cannot be narrated as a coherently progressing series of events relating to particular character. It may me narrated with reference to Donald Davoren, Seumas shield, Minnie powel or Maguire as the pivotal point. All the stories relating to these characters though disparate in nature and direction are artistcally interwoven into a complex dramatic tapestry which is a refutation of the opinions of many acritic that the play is written with in the tradition of Ibsen.

The Play set in a room in a tenement in Hilljoy square, Dublin. It describes a pseudo-poet, Donal Devour who lives with his pedlar friend seumas Shields, in the same room. He cannot compose a poem in the company of idle talkers. People from other rooms are regular visitors. There appears another person, Maguire only to go at once leaving a bag behind. Then the landlord, Mr. Mulligan, comes in for rent. When these people depart, Minnie Powell a pretty girl, enters to get a little milk to colors her tea. She loves Davoren whom she thinks to be a gunman and poet. The poet likes her company better than that of his neighbours. Their pleasing talk is disturbed by the intrusion of the bragging Tommy Owens, Mrs. Henderson and Mr. Gallagher, residents of and adjoining tenement. They also believe the poet to be gunman. Night has set in. There is no peace which Davoren is seeking for composing poems. Mrs. Grison comes with a complaint that her husband has not returned from the snugs. She is followed by the boastful Mr. Grigson himself. Minutes later the Black and Tans raid the house. The bag left behind by Maguire is found to contain bombs. Minnie Powell takes away the bag into her own room to save Davoren whom she loves. She is found in possession of bombs and is shot while trying to escape.

The characters of the play-all drawn from the lowest rung of the social strata-are leading a life of impoverishment. The social issues concerning their existence are mostly related to the lack of adequate means of livilihood. Seumas is single but he cannot earn enough even to pay for the rent of his one-room tenement and tries to counteract the threat of his ejectment by his affrontery which is couched , in a lively manner, in the cover of his half-digested knowledge of law, landlord Davoren has no job and is like Joxer in Juno and the Paycock, a parasite on the reduced circumstances of Seumas'existence.Minnie Powel who

* **Reasearch Scholar, Dr. R.M.L Avadh University, Faizabad, U.P.**

has "an easy confidence" and gained "a force and an assurance beyond her years" has come out of the world of her destitute existence with full confidence and courage to manage her life. Minnie's contact with Davoren helps the lazy poet grow into a hero,like Christy in Synge's The Playboy of the Western World. He "becomes susceptible to the attractiveness of Minnie and feeds her illusion about himself as much as he nourishes his illusion of heroism about himself." In the manner of Shakespeare's Othello, he exploits Minnie's Republican idealism by impressing upon her his heroism*: "I'll admit one does be little nervous at first,but a fellow gets used to it after a bit, till at last, a gunman throws a bomb carelessly as a schoolboy throws a snowball."*[1] Like Davoren Tommy Owens too is bibulous as other characters are. Only Maguire and Minnie Powell use as much language as is necessary and they alone are the persons of action in the play. *"The empty Linguistic virtuosity of all the other characters are only a pointer to the general chaos in the life outside the temement because of the "Troubles."*[2]

The Shadow of a Gunman is an anti-war play. It shows bewilederment and horror at one section of the community trying to treat the other in a violent fashion. It deals with war of independence; but it has nothing to do with the glorification of war. The philosophy of the author is to make life safe from danger. Seumas Shields represents O' Casey's views on the guerrilla war between the Irish Republican Army and the British forces when he says;' *"The country is gone mad. Instead of Counting their beads now they're coutin'bullets;' Their Hail Marys and paternosters are burstin' bombs- burstin' bombs, an' the rattle of machine-guns; petrol is their holy water; their Mass is a burnin' their creed is, I believe in the gun almighty, maker of heaen an' earth-an' it's all for 'the glory o'God an' the honour o' Ireland"*.[3] The author thought like Seumas Shields that Britishers had no right to be in Ireland. But it was also a fact that the British Empire would not crumble by shooting an occasional Tommy at the corner of an occasional street. The play depicts a terrible time. The unfortunate country of Ireland has to face untold miseries.

JUNO AND THE PAYCOCK, a realizing one in compliance with the advice of W.B.Yeats that he should write of life_that he knew very intimately. This is a Dublin play having for its background the Civil War Between the Irishmen who supported to free State and the Republicans who; supported independence for the whole of Ireland. The play centers round the Boyle family the inmates of which are ensnared by incidents of their own creation over which they have no hold at all. They are poor inhabitants of the tenements rooted to the soil of Ireland. Their ways of life are not likely to undergo any change. Jack Boyle spares for him facing all opposition from his wife, Juno Boyle who is a very hard working and weather-beaten woman and who keeps the home fire burning for the whole family. Their daughter, Mary remains at home because she is on strike. Their son, Johnny has been made invalid in the Easter Rising. The family possesses nothing to fall back upon on account of financial bankruptcy when the news of an unexpected legacy is brought to family by Bentham, a school teacher to whom Mary becomes attached after rejecting the advances of Jerry Devine, a labour leader and braggart. In prospect of getting a handsome legacy, the family goes in for decorating the tenement dwelling by making purchases of costly furniture. But evil days loom large very soon. Mary because pregnant and is abandoned by her suitor, Bentham. The will of legacy comes to naught. The family is involved in heavy debts. Johnny is shot dead. Juno and Mary go away from the house. Captain Boyle is left in a drunken state unaware of his son's death, his daughter's flight and his wife's departure. He attributes these mishaps to a state of disorder which the world of Juno and the Paycock is passing through.

The play is made immortal by the character of Juno who bears the brunt of the entire problem of the family with fortitude. She is forty-five years of age showing the_look of harassed anxiety, blending with an expression of mechanical resistance. She has been killing herself by working hard for the family worrying all the time what her children would do without her. She tidies up the room, serves her invalid son, goes to the doctor for treatment of pragnant Mary, makes purchases of furniture and gramophone talks to the outsiders likes Bentham coming to her house, and even directs her husband to take off the moleskin trousers

and put on a coller and tie to smarten up a bit. Her prayer in the third act of the play beginning with *"Mother O' God, have pity on us all."*[4] is one of the most devastating moments of modern drama in the words of Robert Hogan. This agonizing prayer is not only the utterance of the mother of mankind. *It is this prayer which inspired Lady Gregory to remark that this is one of the evenings at the Abbey that makes me glad to have been born.*[5] Juno prays *to the Sacred Heart of Jesus to take away our hearts of stone, and give us hearts of flesh* when she sees all around the terrible play of futility, of irony, humour and tragedy. In this war many innocent lives have been lost. There is young Dougherty's husband with his leg off. Mrs. Traver's son was blown up by a mine. Mrs. Mannin lost one of her sons in ambush and poor Mrs. Tancred's only child was done away with bullets. Juno Boyle makes common cause with all of them and becomes universal mother. She is calm and stic like Mrs. Casside, the dramatist's own mother who has served as a living model for her.

Juno and the Paycock is a fame play on account of "*the briliance of the comedy, and the inimitability of the characterization"*[5] as rightly observed by Robert Hogan. The world is ironically comic. He enjoys his people no less for their follies because they play their natural role and the audiences enjoy them.

The last play of O' Casey's Dublin trilogy, namely The Plough and the Stars, is his most successful dramatic composition. The impersonal theme of the background political story is more subtly integrated with the personal, domestic and human drama of the play than it has been done elsewhere in any other play. When the play was first performed in Dublin in February, 1926 it was acclaimed internationally as a great dramatic achievement and up to date remains O' Casey's most performed play. As has been the case with most of the O'Casey's major plays, here, too, the critical responses, although favourable, emphasised contrary technical novelities of O'Casey. A.E. Malone For example, the most vocal of O'Casey's contemporary critics praised the play for its undisguised *"photographic realism."* Within a month of the play's first premiere a contemporary dramatist's discerning appraisal is as follows;

…as a realist O' Casey is an imposter… His dialogue is becoming a series of world-poem in dialect; his plots are disappearing and giving place to a form of undisguised expressionism under the stress of a genius that is much too insistent and far too pregnant with meaning to be bound by the four dismal walls of orthodox realism.[7]

O'Casey in the present play uses the devices of various dramatic conventions-Greek, Elizabethan and contemporary to present his vision of humanity caught in an inescapable dilemma at critical moment in its history. Since the vision is vast, the dramaturgical spectrum is, of necessity, complex and subtle. The earlier Dublin plays deal primarily with crisis in the lives of individuals and families, War or 'Troubles' constitutes the background and accentuates the sufferings of a few individuals. The main source of suffering remains man's selfishness, cowardice and his 'stupidity'. The divine or the supernatural is completely withdrawn from human affairs and their place sometimes is taken by political,social or religious forces and systems. The Plough and the stars explores crisis in the lives of a large group of people collectively as will as those in the nation's life itself. This is why instead of an individual as a protagonist O'Casey has used here a collective hero, and an expansive chronicle-structure with episodic arrangement of action. The dramatist has used here the anecdotal technique of Ezra Pound's "Cantos" and the device of "reflexive reference" used by James Joyce in his Ulysses to achieve deliberate disconnectedness in his plot so that he could achieve the freedom required to present a panaroma of such varied nature hue.

The Plough the action begins in a tenement room, then moves out into a public house; then it retracts into the street and then into a cramped attic room and finally ends in a prison. Characters are individualised in regard to their personal dilemmas, but are merged into a group existence in their common sufferings and in their profound humanity. The characters are grouped and regrouped as " *the marerial of the play is shaken-up as in a Kaleidoscope and rearranged in new patterns."*[8] The patterns partake of both Brechtian "alienation" and Beckettian absurdist devices of *"mastery knock-abouts." Inconsequential argument, verbal*

non-communication and silence as language. To this can be added the chekhovian technique which O'Casey admired most."[9] Heinz Kosok has perceptively remarked thus which applies to the other Dublin plays of O'Casey:

Instead of one hero there is a group of central characters who initiate a number of equally important actions. These present divergent aspects of the same theme and at the end converge in a synthesis from which the play's central theme emerges."[10]

The Plough, as the title suggests, presents a tension between idealism and realism, symbolised by the Stars and the Plough respectively. The epigraph to the play-"*To the gay laugh of my mother at the gate of the grave"*- points to the eventual affirmative view of life amidst poverty, disease, suffering, hostility of impersonal forces and above all man's selfishness, cowardice, hypocrisy and vanity. The main thematic concern of the play is mankind and war, though developed as a separate theme, it is only a secondary concern, constituting what Eliot has called the 'outer drama' of the play. The play shows the terrible impact of the noncombatant victims of war and their sufferings at all levels, social, familial and emotional.

O'Casey's unique Falstaffian creation, full of humanity and good humour, though not connected with any of the plots directly. The play has a number of stories strung together. They are Nora-Clitheroe plot, Mrs. Gogan and her ailing child's plot, Bessie Burgess' story, Rosie's story,- all dealing with the issues of struggling for survival. The story of the patriots is developed independently but is interlinked with the stories of the domestic drama of the play.

All these contradictory feelings are most cleverly presented in The Plough. In his portrayal of individuals O'Casey is consistently indulagent and understanding. But in his presentation of the social. Religious and economic issues he is scathingly unsparing. The apathy of the Government to the health care of people is presented in The Hall of Healing where the ailing patients go to die rather than to be cured. Similarly, in Kathleen Listens in the governance of the country has been left to the indifferent and callous persons who remain unmindful of the true plight of their suffering citizens.

David Krause has called the Dublin plays a tragi-comic trilogy communicating the anti-heoic vision of life. This appears to be a correct observation because all the three Dublin plays deal almost with the same theme containing the same vision of life. The Black and Tans war is the subject-matter of The Shadow of a Gunman, the civil war of Juno and the Paycock and the Easter Rising war of The Plough and the Stars. These are war dramas demostrating anti-war philosophy of the playwright. The author, inspired as he is by a love of life, is very much against war. A poet and a pedlar are involved in war in The Shadow, The whole Boyle families and the massacre of innocent people. All the three Dublin plays are set in tenement houses occupied by poor people of the working class. Seumas shields, Tommy Owens, Mrs. Henderson, Minnie Powell, Fluther Good, the covey, Nora clitheroe, Jack clitheroe, Peter Flynn, and origson and Juno Boyle are all like member of the same family. They inherit a common tradition and a similar way of living life in which drinking is a pastime and snug is place of meeting and entertainment and tall talks. They come to blows in these snugs and are brought to terms again by peace-makers. In the three Dublin plays the playwright presents a world in which *'emotions seem to have had no education and the moral sense no training'*[11] except in a few like charles Bentham and Donal Davoren the latter of whom is a paltroon and the former a hyprocrite. All others are left to instinct and to nature and we get an impression that O'Casey has put forth in these plays a word as honestly assessed as that of Dickens if more limited in scope than his. The skirmishes between Juno and Boyle, the quarrel between Mrs. Gogan and Bessie Burgess, the row between the covey and peter Flynn, the emotional tension generated between covey and Fluther over saving the honour of a prostitute, the insistence on the type of men that he is by Tommy owens, and the pseudo-patriotism of seumas shields are all *' the clash and jostle of untamed and undisciplined forces in communities that have strong passion but few traditions and fewer standards with which to meet the test war and revolution'*[12]

Among these untamed people some like Bessie Burgess, Fluther Good, Minnie Powell, and Juno show spontaneous generosity, courage, and nobility operating with out any inducement of reward and gain. The author has given a penetrating and sensitive observation of these characters without sentiment and prejudice understanding them realistically from his own experience. Such sympathetic and realistie studies of the lives of the poor people of London had been given by shaw and Galsworthy as well but in dramas in which the chief characters are taken from other stratas of life. These Dublin plays written by a slum dweller about the slum dwellers and for the audience that is formed of them. P.S. O'Hegarty has rightly remarked that' *During the last thirty years of its existence, the audience of the Abbey Theatre was chiefly a small assembly of selected few who went to see the gunman but remained satisfied with Mr. Yeat's thrilling version of Oedipus.*'[13] O'Casey turned up with the Dublin plays bringing in the people who were not famous but more often themselves. It is a fact that the Abbey Theatre was established by Yeats and Lady Gregory, but it was synge and O'Casey who virtually gave a shape to it to suit their own genius and their plays represent the highest achievements of the Irish Dramatic movement.

All three plays are bound together by war, its violence and tragic disruptiveness. O'Casey's humane response, his passion for honest dealing and clear thindking on the national question-as revealed in his courageous defence of The Plough after the riots at the Abbey- underpins the Dublin plays and suffuses them with pity, anger and sorrow.

References

1- The Collected Plays of Sean o' casey vol.1 P-110.
2- Bernice Shrank "you don't say no more" Language and the problem of communication in "The shadow of Gunman" in Harold Bloom ed. Seen o'casey chelsee House Publisher Newyork 1987. P.77.
3- Collected Plays Vol.1.
4- Ibid.
5- Lady Gregory's Journals, 1916-30 ed. Lennox Robinson (Newyork Macmillan 1963).
6- Robert Hogan, ed. Feather's from the Green Crow (London Macmillan 1963).
7- Denis Johnston," O'Casey: An Appreciation" Daily Telegraph, 11 March 1926. P.15.
8- Ibid.
9- Maik Hamburgher,"Anti-Illusionism and the use of song in the Early Plays of sean o'casey 'R.G. Lowery, ed. O'Casey Annual no. 2(1983) P.8.
10- O'casey the dramatist Colin sonthe, Gerrards cross, Bucks 1985) P.71.
11- Sean O'Casey's collected Plays Vol.1
12- Ibid.
13- Una Ellis Fermor; The Irish Dramatic Movement (London : Methuen 1964).

*****

The Drevative Trends In Poetic Drama

Triloki Nath Shukla*

The Derivative Trends in Poetic Drama are John Masefield's Derivative plays 'Pure'? Their features deriving themes and traditions from the age old stories, Myths and legends has been a favorite practice of a many poetic dramatist. Among the verse dramatist of the Eighteen Nineties, Robert Bridges and Phillips had looked backward to inspiration from the Greek, Elizabethan and Spanish writer. The Victorian dramatist (dramatist by courtesy?), Browning, Tennyson and Swinburne had tried to do so in the romantic tradition-through with a limited success. Greek Myths have been a source of inspiration to many. Robert Bridges and Thomas-sturge, Moore, among others where greatly attracted to them. In his Prometheus, The Fire Giver (1883), Bridge Tried to achieve that fusion Geek, attainment and the Christian ideal; it is composed in austere blank verse with choric interludes. Bridge called it a mask in the Greek manner: yet he seems to have hesitated between a mere 'reconstruction' of the lost first part of the Aeschy-lean, trilogy and a fresh, individual interpretation of the Myth, and as a consequence the piece is neither the one nor the other; nor is it a true message. I the conception of a such fusion on gets reflected in the prophecy of the semi-chours: **'**For God who shall rule mankind from deathless skies…………...**'** Beside Bridge faithfully keeps to the from of the Greek play as regards chorus and a very limited cast. Though the present day readers likely to be attracted more by the poetry of Prometheus, even his poetic diction has a Mileunicring. The opening lines : For height Olympus and the cathedral court where mighty Zeus our angry king confirm the fate decree I come, have a distinct Miltonic note.

Bridge's use of stichomythia. It is also in a tradition of the classical drama. Bridge' Demeter-taking its grist from a legendry them deals with the story of Persephone. The story of Persephone being carried off to hades, the sorrow of her Mother Demeter, and the restoration of the daughter on certain conditions-which gives a symbolic inter-presentation of the four seasons-has been used by many writers-among them, Milton, Hardware, keats and Struge Moore's Psyche in Heads is modeled on the Japanese Not play So also, in the classical tradition, Demeter has the chorus that consoles Demeter-a true symbol of motherhood.

1. In the (sencan) dialogue long speeches tend to alternate with passages of a kind of battle dour-and-shuttlecock quality, wherein two character thrust and parry through some 50 or 60 staccato lines………… such dialogue, the so called stichomythia, based on the Greek but made, exaggerated, played it part too, in the creation of the Elizabethan tragic style.

2. The chorus of ocean nymphs at first, praises in beauties of Sicily and sings of the joys of spring. But when Persephone is carried off by Hades, the chorus laments the loss, preparing the audience to receive the sorrow stricken Demeter. A year later the chorus welcome sheer and offers garlands-thus stressing the under-lying, idea of myth. When Demeter's daughter is restored to her, Bridge seems to relate the story to the Christian doctrine of Resurrection. His Achilles in Scyros is also Greek-inspired. Technically the scenes, in which Ulysses overhears the conversation of Desdemona and Achilles, and disguises' himself as a pedlar are no doubt Shakespearean-character-Miranda.

Some fine passage of poetry are put in the mouth of Ferdinand is stabbed, the ghost of Ferdinand, the presence of Almeh by the side of Ferdinand's body (as also her determination to die); all are Shakespeare in nature It is not possible to give a complete account of the

* **Reasearch Scholar, Dr. R.M.L Avadh University, Faizabad, U.P.**

derivative plays of Bridges or of other play wrights: we will confine ourselves to the discussion of those play which suggest or invite comparison, with the derivative plays of John Masefield.

Phillips, like many of his contemporaries, seeks inspiration from historical and legendry subjects. Biblical themes, as that of Herod-engage the verse-dramatists of the period. Sturge Moore, for one, starts his career as a dramatist with Mariamne, which pinpoints the conflict between Mariamne and Herod. Likewise, Philips Harold-based on the legendary story of Herod with its rich association-contains a description of Mariamne.' Rising like a black pine out ending wheat, 'of 'committing beauty to earth,' and eyes that bring upon us endless thought: all suggestive yet simple utterness. The verse rhetoric comes to Phillips from Marlowe's 'Mighty Line' through the romantic poets of the nineteenth century. His blank verse is at best, derivative. Other plays of Philips which has legendary trappings are: Ulysses, Sin of David, Nero, Nero's mother and Lole, His well know play-paolo and France is also in the Greek and Shakespearean traditions. Drama is charged with poetry to hold the audience spell-bound. As we have noticed earlier, public's drug shop in the play reminds us of the apothecary's shop in Shakespeare's Romio and Juliet.

The Faust legend has also exercised the emagination of numerous dramatists through ages-for its dramatic tension and allegorical significance. Philips wrote faustes in collaboration with comnus carr who in turn, derived much of his dramatic material from Arthurian legend and the story of Tristan. Both Philips and Comyns Carr believed in recreating the verse-drama of the past. Although Faust was branded a 'New Version of Goeth's Faust,' it reminds one of Marlowe's Doctor Faustus. The scene in the play is set on a range of mountains between Heaven and Earth. Mephistopheles Makes a wager with rebel to win the soul of Faust. The play has shakespears' touches. The effect of the last scene, depicting Faust (his soul beterrayed away to the Devil), become intensely tragic with the introduction or the witches and cauldrons-some-thing which remains us of Shakespeare's Macbeth. Similarly the central situations in Pietro of siena is deliberately modeled on the suggested sacrifice of Isabella's honour to save Claudio in Shakespeare's Measure of Measure. It has in additions, echoes of Maurice Mauter Linck's Monna Vanna, specially in respect of her Willingness to be seduced by drinzivalle-who promises not to destroy Pisa. Again the theatrical opening of the play invites comparison with Shakespeare's Jullius Ceasar-shouts of an approaching multitude growing louder from off-stage. The revenges theme of the play derives from the Senacan tradition. In The King, Phillips gears the classical form to a Jacobean theme-incest, which is treated in the greek tradition. Even the death of lovers is handled with Greek restraint.

References

- The Fire Giver –Prometheus (1883).
- S.C.Chew & R.D.Alt fe –the Nineteenth centaury and Ofter (1789-1939) volume IV Edition 11 Routnedge and kegan Pvt.Ltd. London (1967).
- The World Drama Harrap (1958).

*****

Globalization and its Impacts on the World Economic Development

Shipra Singh*

Abstract : The question whether the Globalization is beneficial for the World or harmful, is still unsolved and very controversial. Besides all of its disadvantages, it is an accepted reality that globalization is expanding very rapidly throughout the world. This paper is an attempt to find out what is the true sense of Globalization? How it is affecting the International Trade, FDI, and Economic Developments of overall word? This paper is mainly focusing on measuring how the Globalization is affecting the fastest growing industries of World.

Key Words : Globalization, Economic Development of World, Fastest Growing Industries of World.

Introduction : Have you ever noticed that how close the different nations of the world are, in this era? If you visit a Super Store of Dubai, you will find all the commodities, imported from other countries. Only some commodities are there that are actually manufactured in United Arab Emirates. You will find the Electronic items made in Malaysia. Mobile phones made in India. Food items as fruits, rice etc is imported from Pakistan. This situation is not only limited to UAE, but the whole world is facing the same scenario. Volume of goods, services and investments is transferring the national borders very rapidly. Now a day approximately $1.5 billion foreign exchange transactions are taking place daily. Statistics show that approximately $8.9 trillion of goods are transacted across borders and $2.10 trillion of services are provided across the borders (Hill, 2009).

Globalization : As far as the definition of Globalization is concerned, it is still a controversial topic. So far there is no consensus on a single definition of Globalization between all disciplines of life. Economics focuses on transfer of goods, services and funds in overall world. Political Science focuses on the role of UNO, WTO, GATT and similar kind of International Institutions. Some other disciplines such as anthropology and sociology concentrate on the interconnectivity of different cultures. In nut shell we can say globalization can be applied is a movement, a phenomenon and a force. And the scope of the globalization is increasing as the time is passing (Euro Stat, 2007). One most common definition of globalization states that Globalization is a process of integrating different world economies. Globalization is integration among the people, government and companies of different countries (Rothenberg, 2003).

The primary purpose of this paper to find out; how the Globalization is affecting the Economic Development of World? The concept of economic development refers to the process of improvement in the economic opportunities, and quality of human lives; and reduction in the poverty. Better health facilities, better education, clean environment and better utilization of resources are the important components of Economic Development. Moreover the justified distribution of goods and services is also the part of economic development. A good distribution network that includes the good transportation system results in not only better delivery of goods and services but the improvement of labours mobility (Henderson, 2007). According to (Bell, 1987), “Economic Development is a field of economics which is related to the process of development. It not only focuses on ways of enhancing structural change and economic growth but also improving the potential of the mass of the population; for instance, through education, health and workplace conditions”.

Globalization has changed the picture of World Economy, by increasing the cross-border trade, exchanges of currency, free flow of Capital, movement of people and flow of

* **Reasearch Scholar, Dr. R.M.L Avadh University, Faizabad, U.P.**

information. Globalization has introduced the concept of border-less and integrated world economy. Globalization has given a new thought to the businesses worldwide. A lot of Strategic changes have been occurred in the businesses. Now target market for businesses is not only their home land, but the overall world (Intriligator, 2003). World Economy is composed of many sectors. Globalization has affected each sector of world Economy, directly or indirectly. To discuss each and every sector in one research paper is quiet impossible. So we will focus only on the major sectors of the world economy. Literature Review What, Why and How Globalization is? A lot of work has been done in the past on globalization but its effects on the economic development have not been discussed in detail. Globalization is not a new concept. In past people use to travel to other places for gaining control on others lands, for finding out the better living style, for finding out the new places and to earn profits by selling in different regions. These activities were carried out even thousands of years before. But it is said that the earliest form of Globalization was started from Greek, Roman, Egyptian, and Babylonian Empires. In the regime of Mongols, the famous Silk Road connected the Central Asia and Europe (Wikipedia, 2011). Statistics indicates that Globalization is expanding very rapidly World Wide. Data gathered from WTO shows that economy of the world is expanding since 1950. Till 2004, the volume of merchandise traded has expanded about 7.5 times (Farrell, 2007). According to one Author Globalization refers to the Political, Economical, Social and Technological links in different countries (Hamilton & Webster, 2009). Globalization is a contested concept that refers to shrinkage of time and space (Steger, 2009). According to another definition “globalization is the diminution or elimination of state-enforced restrictions on exchanges across borders and the increasingly integrated and complex global system of production and exchange that has emerged as a result (Palmer, 2002)." Apart from those mentioned above, many more definitions can be found in the literature.

Economic Development and its different aspects : Economic development refers to the improvements in quality of human life. According to a widely acceptable definition, Economic Development means the changes in local economies’ capacity of wealth creation (Kane & Sand, 1988). According to traditional view, Economic Development refers to the Economic System that might be a mean to increase the absolute size of, for instance, capital or annual production regardless to the size of population but in the modern sense, economic development is used in relation to the movement in real income per head and to potential in this respect (Robbins, 1968).

How Globalization is affecting the World Economic Development? : Effects of globalization can be discussed in the following different ways: Global Markets. According to (Hill, 2009) Global Market refers to the “Merging of Historically Distinct and separate National Markets into one huge global market place.” With the expansions of global markets liberalize the economic activities of exchange of goods and funds. Removal of Cross-Border Trades barriers has made formation of Global Markets more feasible. International institutions some of the forces in the world are in the favor of a government that governs the entire world. Now the institutions like United Nations Organization, International Monetary Fund, World Trade Organization and World Bank are near to the concepts of those groups because they are regulating the relationship between different countries and governing issues of Justice, Human relations or political factors (IMF Center, 2005). As the primary purpose of WTO is to unionize the world trading system. Till 2005 148 countries were the members of WTO. The primary purpose of IMF is to regulate the world monetary system. United Nation Organization’s primary purpose to bring the piece in all over the World, about 191 countries is the members of UNO (Hill, 2009). Changes in World Trade picture before the phase of Globalization, United States of America was dominant in world export. After the advent of globalization, Germany, Japan, South Korea and China have seriously challenged the position of America. (Hill, 2009) Changes in Foreign Direct investment Foreign Direct Investment is considered as signification indicator of economic development. According to (Salvotore, 1998) investment in form of lands, capital good, inventories and factories are the

real investments. Direct investment is in shape of when one firm is controlling a firm or establishing a subsidiary. Foreign direct investment must be strong enough to control parent company and foreign host company. Control means that parent firm must own at least 10% stock of subsidiary. Lower than this limit of shares are considered as portfolio investment (International Monetary Fund (IMF), 2008). Global FDI Inflow, average 2005-2007 (Billion of Dollars). Corporation Changes in the present global competitive environment it is a necessary to use the information technology innovatively and skillfully. Globalization has increased the trend of Multi National Companies in all over the world. Before the Globalization phase USA was dominant in MNCs. But after the expansion of globalization trend, many different nations entered in the race of MNCs. In 1973 share of US in MNCs was about 48.5% and in 2002 it was 28%. Technological Effects By the development of technologies specifically related to Telecom as internet, telephones, wireless technologies, undersea fibbers, a global technological infrastructure has been developed so information can be moved more smoothly across the borders. Laws regarding Copyrights, patents and international agreements can be easily applied. Through information technology, awareness and application of criminal laws have become easier. Frauds in International Trade and in society can be easily detected (Gondola, 2005).

As mentioned above that the major effect of globalization is in the shape of expansion of trade and investment. It is evident that poverty rate has decreased in the regions, where investment and trade is expanding. If we consider the different examples of countries then we can prove our point of view. India is a country where the FDI is increasing rapidly and as a result poverty rate is declining. Mexico has overcome the Macroeconomics crisis better than its neighbours. Similarly Zambia, Columbia and Poland have gained a lot by falling of prices (Harrison, 2006). (International Monetary Fund, 2007)

Affect on Employment : After the advent of globalization, it was an apprehension that the job will shift to developing countries form developed and advanced countries. But Supporters argue that this shift will result in the long term benefit to the country. Critics argue that Globalization will result in inequalities and insecurity about the Jobs. And will ultimately causes the changes in employment structure and labour demand will fall.

Industrial Effects : Globalization has also affected the Industrial sector of the world. Now in this era of globalization, the focus of industries is to produce foreign commodities and to facilitate the consumers in all over the World. For Example, Coca Cola produces the beverages according to the taste that is acceptable in all over the world.

Cultural Changes : Through the development of Globalization world is getting into an identical culture that is understood by every nation, we may call it intermixing of the cultures. People of world especially people of rich countries are getting less conscious about their nations cultures and they have started emerging in world culture. Globalization has resulted in increasing the diversity and boosting telecom and tourism sector of the world (Nigam, 2009).

Environmental Effects : On the one hand globalization has resulted in making the man more interested toward its planet in which he is living and its ecology i.e. its environment through the technological advancements. But on the other hand it is considered that with the growth of Transport has resulted in destruction of Ozone layer and many species on the earth. For the economic development every country has to pass from the dirty stage of industrialization which results in the extraction of poisonous material and harmful wastes that are dangerous for the human's health. But it is considered that these things are necessary to come along with the developments in living standards of humans (Nigam, 2009). But in spite all these adverse facts; Globalization has become an unavoidable necessity for Economic Development.

*****

Ground Water Quality Of Munnsiff Colony Of Deoria District

Sarika Tripathi*

ABSTRACT : The paper presents a case-study on the influence of environmental parameters on ground water quality of Munsiff Colony of Deoria District .Ground water samples were taken from hand pumps from three depths i.e. 10-12 meter, 20-25 meter and 30-35 meter. The study revealed significant changes of water quality during three different depths. A device to remove pathogens has also been suggested.

INTRODUCTION : Deoria district is located between 26 ° 6' and 27° 8' north latitude to 83° 29' and 84° 26' east longitude. Most of the population suffers from waterborne diseases, like amoebiasis worm infection, typhoid diarrhea, dysentery and other intenstinal infections. A possible cause for this might be polluted ground water, which may be the outcome of unsystematic and unscientific disposal of effluents from industrial units and civic system.

MATERIALS AND METHODS : To evaluate the extent of ground water pollution, a number of physico-chemical and biological parameters were determined by standard techniques by APHA(1992) and Trivedy and Goel (1986) and compared with standard permissible values assigned by WHO . p^H was determined by p^H immediately after collecting the sample . Total coliforms and faecal coliforms were estimated by tube fermentation technique.

A new single parameter called "Water Quality Index (WQI)", which takes into account the effect of all the parameters was also evaluated. WQI, alone, is quite capable of evaluating the suitability of a water sample for a particular use like domestic, industrial or agricultural.

RESULTS AND DISCUSSION : In this case, samples were taken from hand-pumps from three depths and some important physical, chemical and biological parameters along with WQI were evaluated and results are given in table 1.

The results show that total hardness total alkalinity, sulphate and chloride moderately increase with increase in depth suggesting more dissolution of these as we move greater depths. Nitrate and fluoride remain more or less suggesting that the rocks containing these ions are much less. Water in this region is slightly alkaline as suggested by pH values, Concentration of iron decreased with increase in depths and its Concentration was well above the limits provided by WHO. Total coliforms and faecal coliforms also decreased with increase in depth as expected. These pathogens are maximum in first strata (10-12 meter) and lowest in third strata (30-35 meter).

Table 1 – Parameters of ground water

S. No.	Parameters	S_1(10-12 meter) depth	S_2(20-25 meter) depth	S_3(30-35 meter) depth	WHO Permissible Limit
1.	Ph	7.7	7.9	8.00	8.2
2.	Total Hardness (mg/L)	135	162	178	500
3.	Total alkalinity (mg/L)	265	290	305	120
4.	Sulphate (mg/L)	135	169	105	400
5.	Chloride (mg/L)	135	160	175	600
6.	Nitrate (mg/L)	2.92	2.98	2.98	45
7.	Fluoride (mg/L)	0.45	0.46	0.45	1.5
8.	Iron (mg/L)	1.8	1.2	1.4	1.0
9.	Total Coliforms (TC/100ml)	95	67	44	0
10.	Faecal Coliforms (Fc/100ml)	10	5	2	0

* **Reasearch Scholar, Dr. R.M.L Avadh University, Faizabad, U.P.**

Table 2 – q_i and W values in relation to WHO water quality index

WHO						
	S_1		S_2		S_3	
	q_i	w	q_i	w	q_i	W
pH	53.33	0.2181	62.66	0.2181	66.66	0.2181
TH	28	0.0037	33	0.0037	36	0.037
TA	225	0.01545	245	0.01545	257	0.01545
Sulphate	3.5	0.00463	4.25	0.00463	5	0.00463
Chloride	23.33	0.00309	27.5	0.00309	30	0.00309
Nitrate	6.48	0.0412	6.62	0.0412	6.62	0.0412
Fluoride	30	1.236	30.6	1.236	30	1.236
Iron	180	1.854	120	1.854	140	1.854
TC	∞	∞	∞	∞	∞	∞
FC	∞	∞	∞	∞	∞	∞
						$\sum w=3.37617$

TC and FC should not present in potable water.

A water quality index relates a group of water quality parameters to a common scale and combines them into a single number in accordence with a chosen method of computation. The WQI was calculated by considering 8 important physico-chemical paramaters using WHO standards by the following formula :

$$\mathrm{WQI} = \sum_{i=1}^{8} \mathbf{q_i}\ \mathrm{W_i} \,/ \sum_{\mathrm{i}=1}^{8} \mathrm{w_i}$$

Where Wi is unit-weight factor and -- $W_i = K/S_i$

Where k is proportionality constant and S_1 is the standard value of i^{th} parameter .

The W_1 for all 8 chosen parameters with standard values q_i is determined as follows –

$Q_i = 100(V_{i\,-}V_{io}) / S_{i\,-}V_{io}$

Where –

Q_i = Quality rating for the n^{th} quality parameter

V_i = Estimated value of the n^{th} parameter at a given sample site (point)

S_i = Standard permissible value of the n^{th} parameter

V_{io} = Ideal value of the n^{th} parameter for pure water .

All the ideal values (V_{iO}) are taken as zero for water except for pH = 7.0 , DO = 14.6 mg/l .

Table-3 WQI values in relation to WHO :-

Sample	WQI as per WHO standard
S_1	114.43
S_2	82.4
S_3	93.52

Table – 4 WQI values and water quality

S.No.	WQI	Status	Possible use of water
1	0-25	Excellent	All purposes like potable, industrial, agricultural
2	26-50	Good	Domestic and agricultural
3	51-75	Fair	Agricultural and industrial
4	76-100	Poor	Agricultural
5	101-125	Very Poor	Not much possible for agricultural

6	126-150 and above	Worst	Can be used only after proper treatment

On comparing table 3 and 4 it was found that quality of ground water in is on the borderline of fair to very poor , therefore , it is not fit for human consumption until it is properly treated to remove the pollutants , although it can be used for agricultural and industrial purposes .

REMEDIAL MEASURES TO REMOVE BIOLOGICAL PARAMETERS

It has been tried to remove the biological parameters by a novel method, which was quite satisfactory and simple as described below –

The sample was slowly filtered through a fine bed of freshly precipitated silver chloride in a sintered funnel. The filtered sample was analysed for total coliforms and faecal coliforms and a significant reduction in population of both the coliforms was observed as shown in table – 5

Table -5 Reduction in total coliforms and faecal coliform

Sample	% Reduction in total Coliforms	% Reduction in faecal coliforms
S_1	78	85
S_2	75	84
S_3	75	84

A possible reason for the reduction in the biological pathogens is due to antibacterial pathogens action of silver cations which are present in very low concentration because AgCl is sparingly soluble in water thereby releasing very low amount of silver cations in the filtered sample during filtration process. The chloride content has been negligibly increased in filtered filtered sample and is well within permissible limits.

REFERENCES

- APHA 1992, Standard Method of Examination of Water and Waste water. American Public Health Association Washington, DC .
- Chatterji, C. and Raziuddinn M. 2002. Determination of water quality index (WQI) of a degraded river in Asansol industrial area. P.O. Raniganj, District Burdwan, West Bengal, Nature Environment and Pollution Technology .1 (2), 181-189 .
- Devi O.J. and Belagali, S.L. 2005. Water quality assessment from different districts of southern Karnataka. Nature Environment and pollution Technology 4 (4) 589-596 .

*****

V.P.Singh and Social Justice In India

Ambikesh Pratap Singh*

Mandal Commission Report and V.P. Singh's acceptance of it is one of the most thorough and devastating critiques of that infamous set of recommendations. Basically, the report recommended that fifty percent of the posts in the government sector should be reserved on the basis of caste and should be given to those who, by definition, are unqualified to hold those positions. According to Mandal, 27 percent of all posts in the government must be reserved for members from the "Other Backward Classes" and that those OBC candidates recruited on the basis of merit should not be adjusted against the OBC quota of 27 percent, that they should not be adjusted against the 22.5 percent reserved for Scheduled Castes and Tribes, that the quota was to be applied not only at the time of recruitment but also "to promotion at all levels", and that if a sufficient number of those sub-standard OBCs were not available to fill the posts during a particular year, the unfilled margin should be carried forward for three years. To top it all, Mandal also recommended that the government set up separate financial institutions to cater to these OBCs, that the government also advise state governments to do so, that it set up a separate Backward Classes Development Corporation, that separate ministries be created to administer OBC affairs, and that development programs, on the lines already in place for the Scheduled Castes and Tribes, be financed by the Central Government.

Using methods that would get an undergraduate student writing a social science paper an "F" grade, Mandal determined that 52 percent of the total population of India belonged to the OBC category! The first Backward Classes Commission set up in 1953 had identified 2,399 castes as backward. Mandal, criticizing the methodology used by that Commission, goes ahead and adopts it anyway and on top of that assumes that the rate of growth of each caste was identical since 1931 when the last such caste based census was taken. Thus the mythical figure that more than half of India's population was backward, plus of course that 22.5 percent which were the Scheduled Castes and Tribes. So, 75 percent of Indians were "backward", and the best way to help them is give them government jobs for which they were not qualified! Case closed.

Mandal Commission to identify the backward caste groups and points out how poorly they were constructed and administered. I am not going to dwell on those details which makes for some hair-raising and depressing reading. Anyway, after the administration of this bad survey instrument Mandal came up with a list of 3,743 castes which were backward. These 3,743 castes were just Hindus. There were others from other religious groups that Mandal said he was looking for and would publish the results. All this in the year 1990.

Constitution of India does not provide for the reservation of seats either in education or in the government for "other backward castes". The relevant Articles are as follows:-

Article 16 (1) : There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

Article 16 (4) : Nothing in this Article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward classes of citizens which in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.

There is no mention of backward "castes". Moreover, even Article 46 that guarantees the promotion of the educational and economic interests of the Scheduled Castes and Tribes is circumscribed by Article 335 that the claims by those groups "shall be taken into

* **Reasearch Scholar, Dr. R.M.L Avadh University, Faizabad, U.P.**

Consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration". However, Mandal switches castes with classes, and the "maintenance of efficiency of administration" is dumped unceremoniously. The Supreme Court of India in M.R. Balaji v. State of Mysore had opined that caste is not class, and though caste could be identified for assessing backwardness it was backwardness that should be primarily identified. But Mandal simply ignores it all. So now government's reservation policy had basically shut the doors for education and employment to the upper castes because reservation is now claimed as a "birth right" by the many caste groups that now have enjoyed the fruits of Mandal's and other such commissions' labors.

What has happened is this, and which is evident in the distribution of tickets by political parties during elections, and the appointment of ministers into the cabinet by a party after it has won the elections: find out the percentage of caste members in the particular region/state or constituency and give the ticket to the person from the majority caste. Similarly, distribute the ministerships, chairmanships, and other goodies according to such percentages. ".

The blood curdling details of reservations in colleges of engineering and medicine are straight out of a horror movie. In a report that of the 20,000 who wrote the exams for the 700 seats available in Kerala medical colleges, a "forward caste" candidate had to rank 412 or higher to get a seat, an Ezhava "backward caste" candidate had to rank 1605 or higher, a Muslim OBC 1752 or higher, a Latin Catholic 2653 or higher, a scheduled caste candidate 4409 or higher, and a scheduled tribe candidate 14,246 or higher! Watch out for those Kerala doctors.

At the prestigious Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, the backward castes, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates do not even have to score a minimum marks to enter the institute. A candidate who has scored even ten percent in the exams get to be a student. The wonders that are the Indian system of reservations, but it is not only that these unqualified candidates get to enter college, even professional colleges, but what happens when they get absorbed into the government services. In Uttar Pradesh, for example, a doctor belonging to one of the backward castes was appointed Chief Medical Officer of a large city superseding 1,500 doctors!

These last two examples may give the readers a taste for the really bizarre that emerges under the system of reservations: In Ahmedabad a backward caste employee got two promotions in one day. In Delhi, a person who joined the government in 1957 was superseded by a woman who was born in 1966.

V.P. Singh accepted the Mandal Commission Report and so added to the misery of the nation. V.P. Singh promulgated the Mandal recommendations not out of conviction but he wanted to be acclaimed as the "messiah of the backward castes" and he said would implement the Mandal Commission recommendations.

A bewildering mix of myopia, amnesia and prejudice explains the absence of VP Singh from the names upon whom myriad politicians want the Indian state to bestow the Bharat Ratna. From Atal Bihari Vajpayee to Ram Manohar Lohia to Karpoori Thakur, they all figured on the wish-list of politicians wishing to have their heroes honoured, just as cricketer Sachin Tendulkar and scientist CNR Rao were recently.

Yet nobody thought of canvassing for V.P. Singh, not even those who gained enormously from his decision to implement the Mandal Commission recommendations. For a clutch of OBC and regional leaders straddling the political arena, the floating of his name for the Bharat Ratna would have been a belated token of appreciation befitting the man whose fifth death anniversary falls on 27 November. Belated because even his death had largely gone unnoticed, reeling as the nation had then been under the cowardly and grisly attack of terrorists on Mumbai.

It is time to reclaim Singh from the fog of forgetfulness shrouding the collective memory, to credit him for restructuring Indian politics in dramatic ways. In forgetting him the Indian society betrays the prejudices lurking below its veneer of progressivism: for the upper

castes, he is a traitor, who can never be forgiven for undermining their hegemony despite belonging to them. For the subaltern caste groups, he can't be their hero because, well, he was simply not one of them, an OBC or a Dalit.

Much of this OBC consolidation was to ultimately splinter. Yet the emerging OBC leaders resorted to new electoral permutations and combinations to create majorities in their respective states, in the process becoming the 'little leaders' who still wield tremendous clout at the Centre. From Nitish Kumar to Lalu Prasad to Mulayam Singh Yadav, they are veritably the children of Mandal who broke the electoral stranglehold of the Congress and prevented the BJP from substituting it.

Contemporary political narratives portray Singh as a cynical politician, claiming that he implemented Mandal to rally the OBC members of his party, Janata Dal, to thwart the challenge to his leadership from Devi Lal. Yet a scouring of the archives tells another story – through the months preceding the 1989 general election Singh campaigned on the social justice plank, and explicitly expressed his intention to implement Mandal.

Here are two of the many instances on which Singh talked of introducing reservation for the OBCs. On 16 June 1989, Singh said in Delhi that his attempts to prevent a split in the Opposition vote won't be at the expense of compromising on the policy of the Janata Dal. "Fair share to weaker sections and minorities in the development of the country… there can be no compromise on them," he said, going on to tell the audience that he planned to implement Mandal.

V.P. Singh finessed his idea of social justice even better in the years he was no longer in electoral politics. But it is true V.P.Singh was sensitive, even in his youth, to be inclined to the philosophy of social justice. In yet another obituary in The Telegraph, former West Bengal finance minister Ashok Mitra describes the scene from the Uttar Pradesh of 1950s, of talukdars donating their land to Vinoba Bhave's bhoodan movement. Mitra writes, "On several occasions, the donated land…either happened to be disputed property, with pending court proceedings, or belonged to someone else. One talukdar stood out in this dubious crowd. He was the young Raja of Manda, Vishwanath Pratap Singh, not yet quite out of his twenties. He gifted away most of his land, land that genuinely belonged to him. His compeer would, behind his back, make fun of his naivete."

Obviously, the Congress or the BJP can't be expected to name Singh for the Bharat Ratna, for it was he who undermined the hegemony of the former and countered the latter's pet project of turning Hindu society into a homogenous monolith. But what is astounding is that politicians who are the children of Mandal could have forgotten him. You can't but think it is because Singh did not belong to their caste, underlining the extent to which the idea of social justice has become warped.

REFERENCES

- Shourie (1992). *The State as Charade: V.P. Singh, Chandra Shekhar and the rest*. New Delhi: ASA Publications.
- Constitution of India.
- Rajni Kothari, *Caste in India*.

*****

An Evaluative Study of Information Services in Agriculture University

Sudheer Singh*

INTRODUCTION : Agriculture Information system and services are the keys to the development of agriculture, agriculture education, research and agriculture axletrees education in India. One of the main objectives of agriculture University libraries in India is to process, organics and disseminate the much needed agriculture information the users. The agriculture information services are rendered by agriculture four agriculture University libraries to the agriculture scientists, academic staff, students and policy makers, industrialists, field workers, the farmers and other users in the state of Uttar Pradesh. The changing agriculture scenario and rapid development of agriculture science and technology, the importance of agriculture information service is vital for the progress of agriculture education and development in the country.

It has been, therefore, necessary to study, analyze and examine the information services agriculture University libraries in U.P. and draw a conclusion that there are four agriculture universities in U.P. in which libraries are functioning. They are NDUA&T, Faizabad– Estern region, CSAUA&T, Kanpur- Central region, SVBPUA & T, Meerut- Western region and SHIATS, Allahabad - Southern region.

1. INFORMATION SERVICES : The nature of information services in agriculture University libraries varies according to the infrastructure, collection development, financial and human services of the University. Agriculture University libraries render the followings important services to the users Documentaries Service, CAS, SD, Indexing and abstracting services, Inter library loan services, Translation Services, Referral services, Extension services, Reprographic services, Internet services, CD-ROM data services, OPAC, E-mail services, E- reference services and Content of periodical Services.

2. AGRICULTURE INFORMATION SERVICE A NEED : The economics policy of India defends upon agriculture. Production of crops depends on the weather contrives, soil, marketing and potentialities, which require a research oriented study and learning. University libraries help them in their research by providing a learning atmosphere and making available necessary resources.

There are gap between farmers and scientists, which require needful help from lab-to land and most innovative system of information. The published literature on agriculture and allied sciences is scattered in variety of documents in print and non-print form. CD-ROM data base, multimedia are available for users. Thus, the widely dispersed agriculture information puts the users of the agriculture information scientists of heterogeneous nature of the students, academicians, researchers, extreme workers, policy makers, agro-industrialists and forming community.

Agriculture University libraries are providing library services in changing environment and repackage the information from the generation point to discuss service stage and render such information to agriculture scientists.

3. INFORMATION SERVICES IN U.P. : The services of Agriculture University libraries have been divided into two parts that is manually and computerized verified through the method of questionnaire and findings are as under-

*** Reasearch Scholar, U.P. R.T.Open University, Allahabad, U.P.**

Table3.a. Manual information services rendered

Sr. No.	Information Services	NDUA&T	CSAUA&T	SVBPUA&T	SHIATS
1.	Documentation Services	Yes	Yes	Yes	Yes
2.	CAS	Yes	Yes	Yes	Yes
3.	SDI services	Yes	Yes	Yes	Yes
4.	ILL services	x	x	x	x
5.	Reprographic services	Yes	Yes	Yes	Yes

Source: Questionnaire. Yes – Services available. × - services not available

Total services : Documentation services, CAS, SDI, ILL Services and Reprographic Services.

From the table 3.a it has been observed that all the four agriculture Universities are providing all services. Only ILL Services has not rendered by all the four agriculture Universities.

Table3.b. Computerized information Services rendered

Sr. No.	Services	NDUA&T	CSAUA&T	SVBPUA&T	SHIATS
1.	Internet Services	Yes	Yes	Yes	Yes
2.	E-mail Services	Yes	Yes	Yes	Yes
3.	CD-ROM database Services	Yes	Yes	Yes	Yes
4.	COPSAT services	×	×	×	Yes
	Total Services	3	3	3	4

Questionnaire: Yes – Services available. × - services not available

4. Findings : The following important findings have been noted-

1. The majority of the respondents use the internet for study and research purposes and to access information quickly.
2. E-mail and www were the most used services in the library.
3. Most of the users prefer Google's search engine to search for information.
4. Most users face some problems, such as lack of knowledge of important service and system handling as they come from rural areas.
5. Advanced searching is only used by small number of respondents.
6. A large number of internet users were not satisfied with the infra-structure facilities available.
7. Maintenance of computers is not satisfactory which affect the user service.
8. Non-availability of electricity or other media has put the services hampered.
9. A large majority of users were not fully satisfied with library services except SVBPUA&T (Meerut) where human resources not more pains taking and services are not of standards.

An effective and efficient information system (Library, Documentation and information Center) is increasingly considered as an indispensable infrastructural facility for Agriculture University Libraries of U.P the information system (Library) exists as a second line system for university. University users i.e., scientists, research workers etc. the Agricultural university library is the information centers and they sour develop all new technologies to serve its clientele and coordinate them is their research and studies, i.e. a research oriented library service, a dissemination information services and a user awareness programs.

The library has also to perform the basic function in order to ensure initiation and perpetuation of the information flow process in identification of knowledge, generation of innovation, processing for utilization, e-mail services, CD-ROM database services, COPSAT services and no services.

From the analysis, it has been observed that internet; e-mail, CD-ROM services and COPSAT Services are provided by all agriculture Universities except, NDUA&T, CSAUA&T, and SVBPUA&T which are not providing COPSAT services only.

*****

The Development of the Concept of Social justice

Dr. Rishikesh Singh*

Social justice is "justice in terms of the distribution of wealth, opportunities, and privileges within a society"· Classically, Justice referred to ensuring that individuals both fulfilled their societal roles**,** and received what was due from society. "Social justice" is generally used to refer to a set of institutions which will enable people to lead a fulfilling life and be active contributors to their community. The goal of social justice is generally the same as human development.

While the concept of social justice can be traced through Ancient and Renaissance philosophy, such as Socrates, Thomas Aquinas, Spinoza and Thomas Paine, the term "social justice" only became used explicitly from the 1840. A Jesuit priest named Luigi Taparelli is typically credited with coining the term, and it spread during there volutions of 1848 with the work of Antonio Rosmini-Serbati. In the late industrial revolution, progressive American legal scholars began to use the term more, particularly Louis Brandeis and Roscoe Pound. From the early 20th century it was also embedded in international law and institutions, starting with the Treaty of Versailles 1919. The preamble to establish the International Labour Organization recalled that "universal and lasting peace can be established only if it is based upon social justice." In the later 20th century, social justice was made central to the philosophy of the social contract, primarily by John Rawls in A Theory of Justice (1971). In 1993, the Vienna Declaration and Programme of Action treats social justice as a purpose of the human rights education. The term "social justice" was seen by the U.N. "as a substitute for the protection of human rights.

The different concepts of justice, as discussed in ancient Western philosophy, were typically centered upon the community. Plato wrote in The Republic that it would be an ideal state that "every member of the community must be assigned to the class for which he finds himself best fitted." Aristotle believed rights existed only between free people, and the law should take "account in the first instance of relations of inequality in which individuals are treated in proportion to their worth and only secondarily of relations of equality." The Letter to the Ephesians attributed to Paul states that everyone should be bound to do his duty in the class where they were born. Reflecting this time when slavery and subjugation of women was typical, ancient views of justice tended to reflect the rigid class systems that still prevailed. On the other hand, for the privileged groups, strong concepts of fairness and the community existed. Distributive justice was said by Aristotle to require that people were distributed goods and assets according to their merit. In Plato's dialogue Crito Socrates is attributed developing the idea of a social contract, whereby people ought to follow the rules of a society, and accept its burdens, because they have lived to accept its benefits. During the Middle Ages, religious scholars particularly, such as Thomas Aquinas continued discussion of justice in various ways, but ultimately connected to being a good citizen for the purpose of serving God.

After the Renaissance and Reformation, the modern concept of social justice, as developing human potential, began to emerge through the work of a series of authors specialy Baruch Spinoza and Thomas Pen. The first modern usage of the specific term "social justice" is typically attributed to Catholic thinkers from the 1840, including to the Jesuit Luigi Taparelli in Civiltà Cattolica, based on the work of St. Thomas Aquinas. He argued that rival capitalist and socialist theories, based on subjective Cartesian thinking, undermined the unity

*** Assistant Professor, Political Science, L.B.S.P.G.College, Gonda, U.P. & Editor in Chief, Indian Jounal of Social Sciences and Societies.**

of society present in Thomistic metaphysics as neither were sufficiently concerned with moral philosophy. Writing in 1861, the influential British philosopher, politician and economist, John Stuart Mill stated in Utilitarianism his view that "Society should treat all equally well who have deserved equally well of it, that is, who have deserved equally well absolutely. This is the highest abstract standard of social and distributive justice; towards which all institutions, and the efforts of all virtuous citizens, should be made in the utmost degree to converge." In the later 19th and early 20th century, social justice became an important theme in American political and legal philosophy, particularly with John Dewey,Roscoe Pound and Louis Brandeis. One of the prime concerns was the Lochner era decisions of the US Supreme Court to strike down legislation passed by state governments and the Federal government for social and economic improvement, such as the eight hour day or the right to join a trade union. After the First World War, the founding document of the International Labour Organization took up the same terminology in its preamble, stating that "peace can be established only if it is based on social justice". From this point, discussion of social justice entered into mainstream legal and academic discourse. In the late 20th century, a number of liberal and conservative thinkers, notably Friedrich von Hayek rejected the concept by stating that it did not mean anything, or meant too many things. However the concept remained highly influential, particularly with its promotion by philosophers such as John Rawls. Political philosopher John Rawls draws on the utilitarian insights of Bentham and Mill, the social contract ideas of John Locke, and the categorical imperative ideas of Kant. According to Rawls, the basic liberties that every good society should guarantee are - Freedom of thought; Liberty of conscience as it affects social relationships on the grounds of religion, philosophy, and morality; Political liberties as, representative democratic institutions, freedom of speech and the press, and freedom of assembly; Freedom of association; Freedoms necessary for the liberty and integrity of the person and Rights and liberties covered by the rule of law.

The concept of social justice has come under criticism from a variety of perspectives. Many authors criticize the idea that there exists an objective standard of social justice. Moral relativists deny that there is any kind of objective standard for justice in general. Non-cognitivists, moral skeptics, moral nihilists, and most logical positivists deny the epistemic possibility of objective notions of justice. Political realists believe that any ideal of social justice is ultimately a mere justification for the status quo. Many other people accept some of the basic principles of social justice, such as the idea that all human beings have a basic level of value, but disagree with the elaborate conclusions that may or may not follow from this. On the other hand, some scholars reject the very idea of social justice as meaningless, religious, self-contradictory, and ideological, believing that to realize any degree of social justice is unfeasible, and that the attempt to do so must destroy all liberty. Perhaps the most complete rejection of the concept of social justice comes from Friedrich Hayek.

Lastly I want to say, Social injustices occur when there is a preventable difference in health states among a population of people. These social injustices take on the form of health inequities when negative health states such as malnourishment, and infectious diseases are more prevalent among an impoverished nation. These negative health states can often be prevented by providing social and economic structures such as Primary Healthcare which ensure the general population has equal access to health care services regardless of income level, gender, education or any other stratifying factor. Integrating social justice to health inherently reflects the social determinants of health model without discounting the role of the bio-medical model. The Vienna Declaration and Programme of Action affirm that "Human rights education should include peace, democracy, development and social justice, as set forth ininternational and regional human rights instruments, in order to achieve common understanding and awareness with a view to strengthening universal commitment to human rights."

*****

आई0 एस0 आई0 का संगठनात्मक स्वरूप : एक विवेचना

अनुराग तिवारी*

अभिसूचना संस्थाएं प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अनिवार्य अभिकरण माने जाते है। अभिसूचना अभिकरणों का उपयोग राज्य अपनी आंतरिक और विदेशनीति का संचालन करने और विरोधियों का दमन करने के लिए भी करते है। विभिन्न राष्ट्रो जैसे सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, चीन, ईरान, जर्मनी आदि के सूचना अभिकरणों का लम्बा आपराधिक इतिहास है। मनु और कौटिल्य ने भी गुप्तचर व्यवस्था पर बहुत बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार दूत के भेष में गुप्तचरों को शत्रु सेना में भेजकर भेद उत्पन्न करें और उनके रहस्यों को जानने का प्रयास करें।[1]

भारत और पाकिस्तान दोनों को ब्रिटिश साम्राज्य की एक सुव्यवस्थित अभिसूचना प्रणाली उत्तराधिकार में मिली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CIB) भारत में ब्रिटिश अभिसूचना की उच्चतम संस्था थी, जिसमें केवल अंग्रेज और प्रायः विश्वसनीय मुस्लिम अधिकारी होते थे। 1947 में इस संस्था का विभाजन हुआ तो गुलाम मोहम्मद जो सी0आई0बी0 के एक सीनियर अधिकारी थे। पाकिस्तान अभिसूचना व्यूरो (PIB) में चले गये और भोलानाथ मलिक इंटेलीजेन्स ब्यूरो (IB) के चीफ बनाये गए। गुलाम मोहम्मद और इसकन्दर मिर्जा के सैनिक नौकरशाही गठजोड़ ने जिन्ना की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पाकिस्तान की अवधारणा का अपहरण कर लिया। 27–28 अक्टूबर 1958 को अयूबखान ने बड़े नाटकीय ढंग से इसकन्दर मिर्जा का तख्ता पटल दिया[2] इस घटना ने पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास सदा के बदल कर रख दिया।

PIB के जन्म के साथ ही इसे भारत विरोध की दीक्षा दे दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारियों और नौकरशाही ने जिन्ना को भलीभांति समझा दिया था कि कश्मीर का पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए क्या महत्व है? जिन्ना ने अपनी गुप्तचर प्रणाली का उपयोग कबाइलियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें हथियार बंद करने के लिए करना शुरू कर दिया। सैनिक अभिसूचना तंत्र और PIB ने इस दायित्व का निर्वहन बड़े उत्साह और कुशलता के साथ किया।

जिन्ना को पूरी तरह से समझ में आ गया था कि पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था और सुरक्षा बलों को अत्यन्त कुशल और सक्षम बनाया जाय। उनके और उनके अनुयायियों ने PIB का संगठन 1947 में स्थपित अमरीकी जासूसी संस्था CIA की शैली में करना शुरू किया जिससे पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने योग्य भूमिका का निर्वाह करने में वह सक्षम हो सके।[3]

ISI निदेशालय की स्थापना एक केन्द्रीय समन्वयकारी अभिसूचना तंत्र के रूप में 1948 में पाकिस्तानी सेना के उपप्रमुख मेजर जनरल कार्थोन के द्वारा की गई थी। कश्मीर युद्ध के परिणाम स्वरूप सैनिक अधिकारियों का यह निश्चित दृष्टिकोण था कि राजनीतिक नेताओं ने इस अभियान का संचालन गलत ढंग से किया। उन्होंने जनरल अकबर का पूरा समर्थन नहीं किया और न ही जनरल रियाज के नेतृत्व में पंजाब बाउड्री फोर्स का कश्मीर अभियान में उपयोग किया गया[4] और इस प्रकार PIB को ISI में बदलने का निर्णय कार्थोन, रियाज और कुछ अन्य अधिकारियों ने किया। लेकिन ISI के इतिहास में जनरल गुलाम जिलानी खान की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने ISI को न केवल विश्व की सबसे खतरनाक जासूसी संस्था बना दिया बल्कि पाकिस्तान का लोकतंत्र भी ISI के पंजे में जकड़ गया।

ISI का पहला डाइरेक्टर ब्रिगेडियर शाहिद हमीद को बनाया गया। आरम्भ में इसके डाइरेक्टर ब्रिगेडियर या जनरल मेजर होते थे। कुछ वर्षों बाद इसके डाइरेक्टर लेफ्टीनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होने लगे । ISI में लगभग 60% लोग सैनिक अधिकारी होते है। यह पाकिस्तान की सर्वोपरि गुप्तचर संस्था है। राजनीतिक सत्ता पर भी इसका प्रभुत्व रहता है। यह सिर्फ सूचनाएं एकत्र करने कार्य नही करती बल्कि विदेशों में विध्वंसात्मक कार्यों का भी क्रियान्वयन करती है। पाकिस्तान के राजनीतिक सैनिक आन्तरिक और वाह्य सुरक्षात्मक तथा काउंटर इंटलीजेन्स की जिम्मेदारी ISI की है। सेना के तीनों इंटेलीजेन्स डाइरेक्ट्रेट की जिम्मेदारी ISI की है। सेना के तीनों इंटेलीजेन्स डाइरेक्ट्रेट के कार्यकलाप मे तालमेल बैठाना भी ISI का कार्य है।[5] जनरल अयूबखान और याहिया खान के समय ISI की ताकत बहुत बढ गई लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में 1970 के चुनाव में ISI की भूमिका से भुट्टो संतुष्ट नहीं थे, इसलिये उनके समय में ISI के महत्व को झटका लगा। जनरल जिया के 1977 में सत्ता में आने के साथ ही ISI ने अपनी खोई हुयी प्रतिष्ठा

*** शोध छात्र, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उ0 प्र0।**

पुनः प्राप्त कर ली। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के विरूद्ध जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सोवियत कार्यवाही का प्रतिरोध करने का दायित्य सौंपा तब से ISI के प्रभुत्व में निरन्तर वृद्धि होने लगी। आई0एस0आई0 ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर भारत में अव्यवस्था फैलाने के लिए 'के–1' 'के–2' और 'के–3' नाम से षड़यन्त्र बनाया, जिसका नाम पाकिस्तान के सर्वोच्च पर्वत शिखर के–2 के नाम पर रखा गया था। पाकिस्तान की गुप्तचर संस्थाओं ने भारत के अपराधियों की एक सूची तैयार की उनसे सम्पर्क कर उन्हें सहायता और धनराशि देने की योजना बनाई। आई0एस0आई0 के अधिकारियों ने उन्हें प्रेरणा और प्रशिक्षण देकर भारत के विभिन्न भागों में फैलाने का निश्चय किया। इन सब छोटे–2 दलों को प्रचुर मात्रा में धन और सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई। शुरू में छोटे–2 दलों में काम करने वाले लोग पाकिस्तान से भेजे गये थे, बाद में भटके हुए सिक्ख युवक भी आई0एस0आई0 की कार्यवाहियों में आ मिले। इसके साथ ही कश्मीर में अलगाववादी आन्दोलन शुरू कराने की योजना भी 'के–2' का हीं अंग थी। तब से इस आपरेशन की सफलता के लिए पाकिस्तान इण्टेलीजेन्स एजेन्सियों ने भरपूर प्रयास किया है।

पूर्वोत्तर भारत के लिए प्लान 'के–3' रचा गया। ढाका में आई0एस0आई0 के एक कर्नल को इस योजना को कार्यरूप देने के लिए नियुक्त किया गया। उसने नागा आतंकवादियों, मणिपुर की 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी' के षड़यन्त्रकारियों और कुक्कियों को जिनके गांव बांग्लादेश के चिट्टगांव की पहाड़ियों में थे, शामिल किया। पूर्वोत्तर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का उद्देश्य यही है कि यहाँ की बिगड़ती कानून व्यवस्था देखकर भारत सरकार विवश हो जाए और कश्मीर में आतंकवादियों के विरूद्ध कार्यवाही कर रही सेना को वहां से हटाकर पूर्वोत्तर में भेजा जाए ताकि कश्मीर के आतंकवादियों पर से दबाव कम हो जाए।

इस प्रकार भारत में सक्रिय विभिन्न अलगाववादी ताकतों एवं आतंकवादी संगठनों का विदेशी शक्तियों से सम्बन्ध स्थापित हो जाने से उन्हें प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्र एवं धन आदि प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। जहाँ एक ओर पंजाब व कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान सहायता कर रहा है, वहीं उल्फा व नागालैण्ड के आतंकवादियों को चीन, वर्मा, व बांग्लादेश से सहायता मिल रही है।

ISI के संगठन में सर्वोच्च अधिकारी डाइरेक्टर जनरल होता है। डाइरेक्टर जनरल की सहायता के लिये तीन डिप्टी डाइरेक्टर जनरल होते है–

1. DIG Political
2. DDG External

और तीसरे DDG को कोई अलग नाम नहीं दिया गया है। इन तीनों DDG के अन्तर्गत ISI को नौ यूनिटों मे ंबांटा गया है–

1. **ज्वाइंट इंटेलीजेन्स ब्यूरो**–यह ISI संगठन का सबसे बड़ा अंग है। इसके अंतर्गत 5 सहायक निदेशक होते है। जिनका काम छात्र, श्रमिक, राजनीतिक दल, आतंकवाद का अवरोध और VIP सुरक्षा देखना है। इसके अन्तर्गत विशेषज्ञों का एक अलग विभाग है जो भारत, कम्युनिस्ट देश, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के देशों को देखता है और अफगानिस्तान में कार्यवाही का संचालन करता है।

2- **ज्वाइंट काउंटर इंटेलीजेन्स**– यह काउंटर इंटलीजेंस का कार्य करता हैं पाकिस्तान में विदेशी एजेन्टो की कार्यवाही, विदेशी दूतावासों की गतिविधियों पर नजर रखता है। इसका मुख्य कार्य मध्यपूर्व दक्षिण एशिया के देश, चीन, अफगानिस्तान, मुस्लिम देशों तथा सोवियत संघ से अलग हुये गणराज्यों में आपरेशन चलाना तथा जासूसी करना है। यह ISI के लोगों पर भी निगाह रखता है।

3- **ज्वाइंट इंटेलीजेन्स सिग्नल** (JIS)– इसका कार्य जासूसी, सैनिक और आतंकवादी कार्यवाहियों के लिये विभिन्न संगठनों के मध्य संचार तन्त्र की व्यवस्था करना है।

4- **ज्वाइंट इंटेलीजेंस टेक्नीकल**– यह ISI को आपरेशन्स के लिये तकनीकी और यान्त्रिक सुविधायें उपलब्ध कराता है।

5- **ज्वाइंट इंटेलीजेन्स नार्थ** (J.I.N.)–इसका कार्य कश्मीर में आतंकवादी गुटो के आपरेशन में सहायता पहुंचाना है। इसकी कार्यसूची में घुसपैठ, हथियार उपलब्ध कराना, आतंकवादियों की भर्ती, प्रशिक्षण करना उन्हें धन उपलब्ध कराना और कट्टरपंथी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना है।

6. **ज्वाइंट इंटेलीजेन्स मिसलेनियस** (J.I.M.)- इसका काम यूरोप, अमेरिका और पूर्वी मध्य एशिया के देशों में सीधे ISI मुख्यालय से अपने एजेन्टों द्वारा आपरेशन चलाने है। इसकी कार्यसूची में भारत में जासूसी करना तथा प्रशिक्षित आतंकवादियों को सीमा पार कराना और उन्हें निर्देशित करना भी है।

7. **ज्वाइंट इंटेलीजेन्स** (ISFI)– इसका काम विदेशों में पाक दूतावास में नियुक्त मिलेट्री अटैची के सम्पर्क में रहना और उनसे जासूसी करवाना है।

8. **ज्वाइंट इंटलीजेन्स फाइनेंस** (JIF)– यह ISI का सेंट्रल कमाण्ड है। स्टाफ प्रबन्धन व्यवस्था सम्बन्धित

सारी नीतियों का निर्धारण यही करता है।

9. **ज्वाइंट इंटलीजेन्सए क्स** (JIX)– यह ISI का सचिवालय है।[6]

इन विभागों के अलावा ISI एकेडमी जो आई0एस0आई0 के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण करता है तथा मिलेट्री लियेजन सेक्शन (MLS) भी शामिल है। जो विस्फोटक सामग्री की देखभाल करता है।

सन्दर्भ

1. कौटिल्यीय अर्थशास्त्र, दशम अधिकरण, षष्ठ अध्याय, श्लोक 53.
2. फ्रांम प्लासी टू पाकिस्तान, हुमायुं मिर्जा, यूनाइटेड प्रेस आफ अमेरिका, 1999, पृ0 230.
3. Inter services Intelligence - Maloy Krishna Dhar- Shree dhar edited by Pakistan after 9/11 p. 91.
4. ISI का आंतक, राम नरेश प्रसाद सिंह, पृ0 44.
5. आई0एस0आई0 का आतंक– राम नरेश प्रसाद सिंह, पृ0 44 .
6. जिहाद और आतंक : डा0 कृष्ण कुमार रत्तू, बुक एनक्लेव जयपुर 2002, पृ0 206.

*****

महाराष्ट्र में राजनीतिक चेतना के स्वर

अनुराग सिंह*

सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से 19वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों तक दक्षिण पश्चिम समुद्र तटीय क्षेत्र का इतिहास मराठों के उत्कर्ष–अपकर्ष का इतिहास रहा। मराठा साम्राज्य का प्रारम्भिक काल ''हिन्दू पद पादशाही'' को आदर्श की प्रस्थापना को लेकर मुगलों से होने वाले तीव्र संघषों का काल रहा जब कि दूसरा काल पेशावाओं के अधिपत्य के प्रभाव के साथ अंग्रेजी सत्ता के प्रतिष्ठापन का काल रहा। पेशवा अथवा प्रधानमंत्री का पद शिवाजी की मंत्रिपरिषद, जिसे अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता है, का सर्वप्रमुख पद था किन्तु पेशवाओं का उत्कर्ष साहू के ब्राहमण पेशवा बाला जी विश्वनाथ के साथ प्रारम्भ होता है।

1857 के प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नाना साहब ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष आत्म समर्पण से इन्कार कर दिया और घोषणा की कि ''मुझमें और तुममें तब तक युद्ध चलेगा जब तक कि मुझमें जीवन का अंश शेष है, चाहे मैं मारा जाऊं, कैद होऊं या फांसी पर चढ़ा दिया जाऊं चाहे जो कुछ भी करू, मैं तलवार कभी नहीं छोड़ूंगा''[1] इसके बाद वे नेपाल के जंगलों में हमेशा के लिए लुप्त हो गये। इस प्रकार से मराठा इतिहास का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि मुख्यतः इसके दो पक्ष थे–जिसमें से प्रथम पक्ष तो अपने हितों व स्वार्थो की अनुपूर्ति तथा संरक्षण हेतु अंग्रेजों की शरण में जाने से नहीं हिचकिचाता था और दूसरा पक्ष पूर्णतः राष्ट्रवादी था। लोकमान्य तिलक पेशवाओं की सम्भवतः दूसरी राष्ट्रवादी विचारधारा के उत्तराधिकारी थे।

भारतीयों को शिक्षित करने तथा उनमें राजनीतिक चेतना का अविर्भाव करने में शिक्षा के साथ समाचार पत्रों ने उल्लेखनीय योगदान दिया यद्यपि भारत में समाचार पत्रों के युग का सूत्रपात 1780 ई0 में जेम्स आगस्टस हिक्की के बंगाल गजट' (कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर) के प्रशासन के साथ हुआ किन्तु 19वीं श0 में अखबारों के क्षेत्र में भारत मे क्रान्ति आ गयी। बम्बई में भी त्वरित गति से बंगाल का अनुसरण करते हुए 1789 में ''बम्बई हैरल्ड'' 1791 में ''बम्बई गजट'' गुजराती समाचार प्रेस (फर्दून जी मर्जवार) रास्तगोफ्तार (दादा भाई नैरोजी) (1877) सत्य शोधक समाज (ज्योतिबाफुले) का मुख्य पत्र था, जिसका सम्पादन कृष्ण राव मालेकर करते थे ''1881 में मराठा (अंग्रेजी) तथा केसरी (मराठी) पत्रों का सम्पादन तिलक करते थे, जो पत्रकारिता को व्यवसाय नहीं वरन राजनीतिक–सामाजिक' चेतना के प्रसार का माध्यम मानते थे। 1877–78 में मराठी पत्रों पर टिप्पणी करते हुए प्रेसीडेन्सी की रिपोर्ट में कहा गया था कि बम्बई के पत्रों का लहजा उदार है किन्तु पूना के पत्र निरन्तर सरकार के विरोध में लिखे रहे क्योकि इनमें लिखने का आमतत्व यह था कि अंग्रेज अत्याचार और चालाकी से समृद्धि के शिखर पर पहुंचे और पद्दलित लोगो का कर्तव्य है कि वे उठ खड़े हो और हिन्दुओं की जन्मभूमि से निकाल बाहर करें।[2]

अतः सम्पूर्ण समाज में सामाजिक धार्मिक चेतना के अभ्युद्य के स्वाभाविक परिणाम के रूप में राजनीतिक चेतना के स्वर भी उच्चारित होने लगे। देश के अन्य भागों के ही समान महाराष्ट्र में भी दो स्वरूप दृष्टिगत होते है–प्रथम रूप में, वह पाश्चात्य से अधिक प्रभावित था जिसका पक्ष पोषण, ज्योतिबा फुले, दादा भाई नैरोजी, पंडिता रामाबाई, गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रमुख विद्वान तथा ब्रम्ह समाज, प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, आर्य महिला समाज, सत्य शोधक समाज, जैसी प्रमुख संस्थाए भारतीय जबकि द्वितीय स्वरूप में–स्वचेतना, स्वसंस्कृति, स्वधर्म के प्रति तीव्र अनुराग होने के कारण उन क्षेत्रों का तार्किक तथा भारतीय मानदण्डों के अनुरूप पुनर्निरीक्षण, पुर्नमुल्यांकन की प्रवृत्ति बलवती थी इसके अन्तर्गत–स्वामीदयानन्द सरस्वती, तिलक जैसे अनन्य देशभक्त आते हैं। इन विचारकों तथा कर्मपूजकों ने सम्पूर्ण महाराष्ट्र को नवचेतना, नवस्फूर्ति से अभिभूत करके नव जागरण के लिए प्रेरित किया। वस्तुतः तिलक का जीवन इतिहास तत्कालीन महाराष्ट्र और भारत राष्ट्र का इतिहास रहा।

लोकमान्य तिलक ने अपने पत्रों ''मराठा केसरी'' के माध्यम से जन शिक्षा के पुनीत कार्य का पूर्ण निष्ठा के साथ निष्पादन किया, जिसके लिए उन्हें तीन बार जेल भी जाना पड़ा तिलक के इन्हीं पत्रों से ब्रिटिश सरकार इतनी भयभीत थी कि वह सदैव ही तिलक को सार्वजनिक जीवन से दूर करने के लिए प्रयासरत रहती थी। तिलक ने 1896–97 के अकाल, 1893 में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगों के समय अतुलनीय साहस तथा प्रेम का परिचय देते हुए निष्पक्ष रूप से जनता के बीच रहकर कार्य किया। लोकमान्य न केवल महाराष्ट्र अपितु सम्पूर्ण भारत के ऐसे प्रथम जननेता थे, जिन्होंने भारतीय विमुक्ति सघर्ष से सम्पूर्ण जनमानस को सम्बद्ध करने पर जोर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को राजनीतिक रूप से चैतन्य बनाने के लिए तथा उनमें अपने अतीत के प्रति सम्मान भाव जाग्रत करके आत्म गौरव के भाव से सृजन के लिए गणपति उत्सव (1893) तथा शिवाजी उत्सव (1895) में शुरूआत की जो न केवल महाराष्ट्र अपितु भारत के दूरस्थ भागों में उल्लास पूर्वक मनाया जाने लगा।

*** शोध छात्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ,उ0प्र0।**

तिलक इतने दृढी और अविचल व्यक्तित्व के धनी थे कि अपने छः वर्षो के कारावास के दौरान इन्होंने गीता के मर्म का रहस्योद्घाटन किया विषम परिस्थितियों में इनका आत्मबल अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ हो जाता था। यही इनके चरित्र का सार है। 1914 में माण्डले कारावास से विमुक्ति के बाद से होमरूल लीग आन्दोलन के माध्यम से पुनः राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण के कार्य में संलग्न हो गये। इस बार इन्होंने प्रत्युत्तरीय सहयोग के रूप में एक नवीन अस्त्र को प्रयुक्त किया। यह तिलक की यथार्थवादिता एवं व्यवहारिकता का प्रमाण 1918 में उन्हें दिल्ली काग्रेस का अध्यक्ष चुना गया किन्तु वेलेन्टाइन शिराल के केस के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड जाने के कारण वे पद को सुशोभित नहीं कर सके यद्यपि तिलक शिराल केस हार गये किन्तु रवीन्द्र नाथ टैगोर ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा—यह नितान्त उचित था कि—मोक्षदायिनी गंगा के निर्मल, पावन जल को पवित्रता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य के प्रकाश न कि अन्धकार उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नही होती क्योंकि यह स्वतः प्रमाणित है।

1 अगस्त 1920 में तिलक के देहावसान में सम्पूर्ण भारत को स्वराज्य प्राप्ति के लिए एक अमर सन्देश दिया इसी दिन से असहयोग आन्दोल के प्रारम्भ नें यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता ने तिलक के स्वराज्य के सन्देश को पूर्व हृदय से आत्मसात कर लिया। तिलक के जीवन के अन्तिम क्षणों में कांग्रेस ने वही स्वरूप ग्रहण कर लिया जिसके लिए तिलक को "ब्रेकर ऑफ कांग्रेस" कहा गया था जबकि स्पष्ट है कि वास्तव में वे न केवल "मेकर ऑफ द कांग्रेस" ही बल्कि भारत के राष्ट्र निर्माता भी थे।

महाराष्ट की इन प्रवृत्तियों का प्रभाव भारत के दूसरे हिस्सों में भी पड़ा, बंगाल में अरविन्द घोष, विपिन चन्द्रपाल तथा पंजाब में लाला लाजपतराय ने इन्ही विचारों को प्रोत्साहित किया। उल्लेखनीय है कि तिलक ने महाराष्ट्र में जिस स्वदेशी, स्वधर्म के स्वराज्य, स्वसंस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया उनमें उनसे भारतीय नवजागरण को वास्तविक अर्थो में पुर्नजागरण का स्वरूप प्रदान किया उससे अनुप्रेरित होकर न केवल महाराष्ट्र अपितु संम्पूर्ण भारतीय जनमानस उद्वेलित हो उठा।

इस तरह स्पष्ट है कि यातायात संचार, समाचार पत्र, विभिन्न सामाजिक धार्मिक आन्दोलन, संस्थाओं व संगठनों ने तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार और प्रमुख समाज सुधारकों को राष्ट्रवादियों के अथक प्रयत्नों से महाराष्ट्र तथा बंगाल ने बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दो दशकों तक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की दशा और दिशा के निर्धारण में केन्द्रीय भूमिका का निर्वहन किया।

सन्दर्भ

1. ताराचन्दः भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास (दूसरा खण्ड) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली 1969, पृ0सं0—100
2. ताराचन्दः भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास—पृ0सं0 402

*****

आधुनिक शिक्षा एवम् डॉ0 कलाम की आकांक्षा

नन्हे सिंह*
वन्दना सिंह**

मानव शिशु पृथ्वी का सर्वाधिक असहाय प्राणी है। बच्चे की उद्भावक, उन्नायक संरक्षक व प्रथम सहायक माँ ही है। पिता को नैसर्गिक रूप से द्वितीय सहायक व संरक्षक का दायित्व प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि माता–पिता बच्चे की दो प्रथम पुस्तकें हैं। माँ को गोद से विद्यालय आँगन की यात्रा के मध्य उसकी मुलाकात शिक्षक से होती है और शिशु शिक्षक के अंक का आनन्द उपभोग करता है, जहाँ उसे लालन और ताड़न दोनों साथ–साथ प्राप्त होते हैं। अन्जान को इंसान बनाने का दुरूह कार्य यही शिक्षक करता है और शिक्षा के माध्यम से करता है। कार्य की महत्ता को देखते हुए डॉ0 कलाम ने उल्लेख किया कि, ''माता–पिता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक तीनों बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, तो इसके बाद जीवन में शायद ही कोई इनको डिगा पाये।''[1] वसुधा के अन्यान्य प्राणी पशु पैदा होते हैं और पशुवत बने रहते हैं अर्थात् यथावत् पैदा होते हैं, तथावत् बने रहते हैं जैसे 'पशु' पशु की तरह जन्म लेता है आजीवन पशुवत् बना रहता है किन्तु मनुष्य पैदा नहीं होता बनाया जाता है, इसीलिए डॉ0 एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है कि ''व्यक्ति विशेष में छिपी उसकी सृजनात्मकता को बाहर निकालना एवम् निखारना ही शिक्षा है। जब सृजनात्मकता और ईमानदारी परस्पर मिलेंगे तो ऐसे आदर्श नागरिकों का निर्माण होगा, जो अपने जीवन की हर चुनौती का बहादुरी से सामना कर सकेंगे।''[2]

डॉ0 कलाम ने शिक्षा को आन्तरिक प्रसुप्त शक्तियों एवं क्षमताओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया स्वीकारा है। अतः स्पष्ट है कि डॉ0 कलाम का शिक्षा सम्बन्धी विचार महात्मा गांधी का अनुगमनकारी प्रतीत होता है। महात्मा गांधी का शिक्षा सम्बन्धी विचार दृष्टव्य है कि, ''बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास।''[3]

इस प्रकार शिक्षा को शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास में आबद्ध किया है। महात्मा गांधी ने शिक्षा की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए उल्लेख किया है कि, ''शिक्षा काई साध्य वस्तु नहीं बल्कि साधन है और जिस शिक्षा से हम चरित्रवान बन सकें, वही शिक्षा सच्ची मानी जा सकती है।''[4]

इस प्रकार स्पष्ट है कि वास्तविक शिक्षा की परिधि में मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास वांछित है। हमारी शिक्षा समग्र, सर्वांगीण एवम् सन्तुलित विकास तभी कर सकती है जब मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, शास्त्रीय सभी गुणों का विकास सम्यक हो।

इन गुणों से परिपूर्ण शिक्षा ही आदर्श नागरिक श्रेष्ठ, दार्शनिक, उत्तम वैज्ञानिक, उत्कृष्ट शिल्पकार, महान चित्रकार, श्रेष्ठतम् नीतिज्ञ एवं सर्वोत्तम नेतृत्व तैयार कर सकती है।

उत्तम नागरिक तैयार करने हेतु समयानुरूप बदलाव को भी स्वीकारना होगा। 'परिवर्तन प्रकृति का ध्रुव सत्य है।' परिवर्तन के आगोश में प्रकृति का प्रत्येक तत्व एवं तथ्य है, इसने अपना प्रभाव आदर्श तथा मूल्यों पर भी डाला है। इसलिए शैक्षिक आदर्श, मूल्य, प्रतिमान एवम् उद्देश्यों में भी बदलाव परिलक्षित होता है। बदलते मूल्य, प्रतिमानों, आदर्शों तथा आवश्यकताओं की पूरक शिक्षा ही आधुनिक शिक्षा है।

आधुनिक शिक्षा में व्यावहारिकता, वैज्ञानिक दृष्टि, विकासपरक मूल्य, आधुनिक भाव बोध तथा अत्यधिक तार्किकता के दर्शन होते हैं। मानव जाति को कम्प्यूटर और क्लोनयुग का दर्शन, जनमानस में अंधविश्वास की न्यूनता तथा अखिल जगत में अतिशीघ्र पहुँच तथा निकट लाना तथा अत्यल्प ग्राम में परिवर्तन का श्रेय आधुनिक शिक्षा को है। शिक्षा को परिवर्तित परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए, इसी आधुनिक शिक्षा के सन्दर्भ में डॉ0 एपीजे अब्दुल कलाम के विचार दृष्टव्य हैं कि ''हमारी शिक्षा प्रणाली को वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन में अपनी भागीदारी निशानी चाहिए, यही विश्व में हमारी प्रतिस्पर्धा की क्षमता का आधार होगा।''[5]

डॉ0 कलाम की आधुनिक शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की ओर संकेत करती है। इस शिक्षा में ज्ञान का उपयोग व्यावहारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। यह शिक्षा व्यावहारिकता से परिपूर्ण, छात्र हितोपयोगी, जीवनोपयोगी, समाज हितकारी होने के कारण विवेकहीनता का शिकार होने से रक्षा कर सकती है। ''डॉ0 कलाम ने सामयिक माँग पर निर्निमेष दृष्टि रखते हुए उल्लेख किया है कि, ''विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा जीवन मूल्यों पर आधारित और सोद्देश्य होना चाहिए।''[6]

*** शोध छात्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ,उ0प्र0**
****सहायक अध्यापिका, पू0 मा0 विद्यालय–बाराबंकी, उ0 प्र0।**

प्रौद्योगिकी एवम् संचार के इस युग में शिक्षा का अर्थ मात्र ज्ञानार्जन नहीं, प्रत्युत व्यावसायिक दक्षता से है, व्यावसायिक कुशलता, प्रौद्योगिकी शिक्षा से ही सम्भव है। आज शिक्षा में कम्प्यूटर, नेट, आडियो विजुअल की माँग बढ़ी है। आधुनिक युग व्यक्तित्व के पूर्ण विकास हेतु केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि सृजनात्मकता में वृद्धि करने वाली शिक्षा वांछित है, जो उसकी प्रतिभा एवं रूचि के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराये व्यावहारिकता से परिपूर्ण होते हुए स्वयं करके सीखने का सुअवसर दें। उक्त तथ्यों के आलोक में एपीजे अब्दुल कलाम के चिन्तन का अवलोकन आवश्यक हो जाता है कि, ''वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और वास्तविक जीवन में सम्बन्ध होना चाहिए। वास्तविक जीवन में आ रहे बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में निरन्तर बदलाव किया जा रहा है, ताकि ऐसे विद्यार्थियों को तैयार किया जाय। जिनमें अन्वेषण तथा अनुसंधान क्षमता, रचनात्मकता तथा नवीनता हो, वे नई–नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में समर्थ हों तथा उनमें उद्यमी एवं नैतिक नेतृत्व क्षमता हो। जीवन को वास्तविकताओं का सामना करने के लिए इन सभी क्षमताओं का होना जरूरी है।''[7]

डॉ0 कलाम ने आधुनिक शिक्षा से ऐसे नागरिकों की परिकल्पना व आकांक्षा की है जो प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी हो तथा अपनी विद्वता का सही तरीके से उपयोग कर सके। इस सन्दर्भ में डॉ0 कलाम ने उल्लेख किया है कि ''हमने अभी तक जो ज्ञान और जानकारी अर्जित की है, इक्कीसवीं सदी में उसे प्रबन्धन और मानवीय मूल्यों से जोड़ने की आवश्यकता है।[8]

मानव इतिहास एक ऐसे कालावधि से गुजर रहा है, जब शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के प्रभावशाली 'शस्त्रास्त्र' के रूप में प्रयोग करना सर्वाधिक समीचीन हैं। इसी स्वीकारते हुए कलाम के विचार समय की माँग में प्रथम स्थानस्थ है कि, ''इक्कीसवीं शताब्दी में एक नये समाज का आविर्भाव हो रहा है, जहाँ पूँजी और श्रम के बदले ज्ञान की प्रधानता होगी। वर्तमान शिक्षा पद्धति को नई सहस्त्राब्दी में उन्हें बौद्धिक कार्यकर्त्ता बनाना है।''[9]

भारत 2020 अभिनव समाज का युग होगा जिनमें पैसा और परिश्रम के बजाय ज्ञान की प्रधानता सर्वस्वीकार्य होगी। इसी के अनुरूप भावी भारत के 'भरत' का ढालना होगा। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने समय की माँग का पूर्वानुमान करते हुए उद्गार व्यक्त किया था कि, ''बच्चे की शिक्षा को अपने ज्ञान तक सीमित न रखें क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है।''

रवीन्द्रनाथ टैगोर के कालजयी वाक्यों की सार्थकता को देखते हुए डॉ0 कलाम ने लिखा है कि ''यदि सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली सृजनशील बना दें और रूझान तथा क्षमता के आधार पर सभी युवकों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध करा सकें। जिससे पढ़ाई शुरू करने से लेकर रोजगार पाने का सम्पूर्ण अवधि के दौरान चेहरे पर मुस्कराहट बनी रहे।''[10] राष्ट्र की असल सम्पत्ति नागरिक है। नागरिकों का चिन्तन राष्ट्र को नवआयाम दे सकता है, इसे स्वीकारते हुए कलाम ने लिखा है कि, ''भारत एक अरब लोगों का राष्ट्र है। किसी राष्ट्र की प्रगति उसकी जनता के चिन्तन पर निर्भर होती है। उसका चिन्तन ही उसके कार्यों में प्रतिफलित होती है। भारत को एक अरब जन के राष्ट्र के रूप में चिन्तन करना चाहिए। उसके युवा मस्तिष्क नया चिन्तन करें – समृद्धि का चिन्तन।''[11]

इस प्रकार डॉ0 कलाम ने आधुनिक शिक्षा से ऐसे नागरिकों की परिकल्पना की है, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नैतिकता के अनुगामी बौद्धिक रूप से दक्ष भावात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक उत्कर्षपरक हो। जो समाज, राज्य एवं राष्ट्र को नयी दिशा दे सके।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि डॉ0 कलाम की आधुनिक शिक्षा में पूरी शिक्षा प्रणाली छात्रों में अनुसंधान और जिज्ञासा, सृजनशीलता और नवीनता, उच्च स्तरीय तकनीकी के उपयोग की क्षमता, उद्यमशीलता एवं नैतिक नेतृत्व में नव संतुलन कर एक संचेतना पैदा की है, जिससे छात्रों में सीमारहित महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो, जिससे वे नवचिंतन के साथ नवमार्ग की यात्रा शुरू करें, जिसकी गतिशीलता स्वयं की समृद्धि के साथ–साथ जीवन मूल्यों को भी फौलादी (इस्पाती), सुरक्षा दे सके तथा क्षतियुक्त प्रतिष्ठा वाले भारत की पुनः श्रेष्ठता स्थापित हो। विकास का प्रवाह ऐसा हो जो मौलिक आवश्यकताओं की शीघ्र पूर्ति कर सके तथा पारस्परिक सहृदयता में अप्रत्याशित वृद्धि हो। भारत महान का उद्घोष अवनि और अम्बर तल में गुंजायमान हो और भारत पुनः जगत् गुरू के गौरवपूर्ण पद पर पुनः प्रतिस्थापित हो।

सन्दर्भ

1. ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, 'हम होंगे कामयाब', प्रभात प्रकाशन, 4/19, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002, संस्करण–प्रथम 2006, अनुवाद – श्री शुभंकर मिश्र, पृष्ठ–13.
2. ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, 'हम होंगे कामयाब', प्रभात प्रकाशन, 4/19, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002, संस्करण–प्रथम 2006, अनुवाद – श्री शुभंकर मिश्र, पृष्ठ–27.
3. प्रो0 सत्यमूर्ति, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन, अýण प्रकाशन, ई–54, मान सरोवर पार्क शाहदरा, दिल्ली–110032, संस्करण–2007, पृष्ठ–24.
4. गांधी जी, शिक्षा की समस्या, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–14, पुनमुर्द्रण–1958, पृष्ठ–3.
5. डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, अरूण के0 तिवारी : 'विजयी भव' प्रभात पेपर बैंक्स, 4/19, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002, संस्करण–2008, अनुवाद, श्री अखिलेश, पृष्ठ–27.

6. ए पी जे अब्दुल कलाम, 'अदम्य साहस', राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006, संस्करण–2006, अनुवादक – श्री ओ0पी0 झा, पृष्ठ–50.
7. ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, भारत की आवाज, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006, संस्करण–2010, अनुवादक – महेन्द्र कुलश्रेष्ठ, पृष्ठ–64.
8. ए पी जे अब्दुल कलाम, 'अदम्य साहस', राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006, संस्करण–2006, अनुवादक – श्री ओ0पी0 झा, पृष्ठ–54.
9. ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, वाई0 सुन्दरराजन, महाशक्ति भारत, प्रभात प्रकाशन, 4/19, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002, संस्करण–2005, अनुवाद – सचिन सिंहल, पृष्ठ–88.
10. ए पी जे अब्दुल कलाम, 'अदम्य साहस', राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006, संस्करण–2006, अनुवादक – श्री ओ0पी0 झा, पृष्ठ–45.
11. डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, वाई0 सुन्दर राजन, 'भारत 2020', राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006, संस्करण–2004, अनुवाद–हरिमोहन शर्मा, पृष्ठ–304.

*****

दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की प्रासंगिकता

ओम प्रकाश यादव*

पारस्परिक लाभ के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय सहयोग की भावना ने पिछले कुछ दशकों में जोर पकड़ा है और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठनों को एक प्रभावी मंच के रूप में स्वीकार किया है। इस सन्दर्भ में दक्षिण एशिया के देश के पास ऐसा कोई मंच नहीं था, जिसके माध्यम से वे आवसी सहयोग के द्वारा अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का निदान मिल बैठकर ढूंढ़ सकें। यद्यपि यह सत्य है कि दो या उससे अधिक देशों की समस्याएं एक जैसी नहीं हो सकती और न ही उनके निदान के लिए कोई एक मापदण्ड अपनाया जा सकता है, किन्तु क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग का आधार यदि उस क्षेत्र के लोगों की आशाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप हो तथा किसी भी ऐसे संगठन को संस्था का रूप देते समय यदि उस क्षेत्र के लोगों की आशाओं एवं अपेक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तो सम्भव है कि संगठन ऐसे संगठनों में सम्मिलित देश एक–दूसरें की समस्याओं का कोई उपयोगी निदान निकाल सकें। भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया के सात देशों, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालद्वीव ने मिलकर पारस्परिक सम्बन्धों को सूधारने क्षेत्रीय समसयाओं के समाधान तथा मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग एवं सह–अस्तित्व के उद्देश्य से प्रेरित होकर नये रास्ते तलाशने का सामूहिक प्रयास किया है जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन – **'सार्क'** अथवा **'दक्षेस'** का जन्म हुआ। 14वे शिखर सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान को सार्क के सदस्य देशों में सम्मिलित कर इसके दायरे को और विस्तृत रूप दिया गया है।[1]

दक्षिण एशिया का अवधारणा की उत्पत्ति प्राचीन नहीं हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक राजनीतिज्ञ 'दक्षिण वर्ती एशिया' (South Asia) शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए करते थे जिसे वर्तमान दक्षिणी एवं दक्षिण–पूर्वी एशिया का प्रादेशिक सम्मिलन कहा जा सकता है। फिर भी दक्षिण एशियाई प्रदेश की सीमा का कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं है। सामान्यतः कुछ लोग इसमें केवल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालद्वीव को सम्मिलित करते हैं, जबकि दूसरे लोग इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार (वर्मा) को भी सम्मिलित करते हैं, तथापि अफगानिस्तान को इसमें शामिल कर लिया गया है।[2]

भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से दक्षिणी एशिया एक अद्भुत रूप से विविधता पूर्ण क्षेत्र है। इस प्रदेश के देश, क्षेत्र और जनसंख्या, भाषा और धर्म एक दूसरे से भिन्न है। भारत इस प्रदेश का सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल आक्सफोर्ड स्टूडेन्टस एटलस 2009 के अनुसार 3287263 वर्ग किमी0 तथा जनसंख्या 1 अरब 2 करोड़ 80 लाख है।[3]

यह एक बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधर्मी देश है। संविधान की आठवीं अनुसूचीं में 22 भाषाओं की सूची दी गयी है।[4] जिनमें हिन्दी और उर्दू मुख्य है, यहां हिन्दी संघ का राजभाषा है तथा अंग्रेजी सहायक राजभाषा है। हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध मुख्य धर्म हैं। शासन, संघवाद और संसदात्मक लोकतन्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित है।

पाकिस्तान दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आक्सफोर्ड स्टूडेन्ट एटलस 2009 के अनुसार इसका क्षेत्रफल 8,80,254 वर्ग किमी0 तथा जनसंख्या 15 करोड़ 31 लाख है। पाकिस्तान का अधिकारिक धर्म इस्लाम और भाषा उर्दू है।[5] पंजाबों, सिन्धी, पश्तो और बलूची अन्य भाषाएं हैं।

अफगानिस्तान तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल आक्सफोर्ड स्टूडेन्ट एटलस के अनुसार 6,45,508 वर्ग किमी0 तथा जनसंख्या 2 करोड़ 50 लाख है। यहां की प्रमुख भाषा डारी (पर्शियन) और पश्तो है।[6] यहां कई नस्ल के लोग रहते हैं। जिनमें पश्तून (पठान या अफगान) बससे अधिक हैं, इसके अलावा उज्बेक, ताजिक, तुर्कमेन और हजारा शामिल है।

बांग्लादेश चौथा सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 1,42,615 वर्ग किमी0 तथा जनसंख्या 13 करोड़ 89 लाख है। यहां की प्रमुख भाषा बंगाली और चमका है। 5 प्रतिशत जनंसख्या इस्लाम धर्मावलम्बी है। हिन्दू मुख्य अल्प संख्यक धर्म है। पाकिस्तान में 1988 से और बांग्लादेश में 1991 से संसदात्मक प्रणाली है।[7]

नेपाल, भारत के उत्तर में स्थित है इसका क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किमी0 तथा जनसंख्या 2 करोड़ 58 लाख है। यहां की मुख्य भाषा नेपाली है तथा अन्य भाषाएं मैथिली और भोजपुरी हैं। अन्तिम दो हिन्दी की बोलियों है, नेपाल का प्रमुख धर्म हिन्दू 90 प्रतिशत, बौद्ध धर्म 7 प्रतिशत एवं इस्लाम आदि हैं, भूटान नेपाल के पूर्व में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 46,500 वर्ग किमी0 तथा जनसंख्या 21 करोड़ है। इसकी प्रमुख भाषा जोन्टावा और लोत्साम है, यहां का मुख्य धर्म बौद्ध और हिन्दू है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किमी0 तथा जनसंख्या 2 करोड़ 13 लाख है।[8]

श्रीलंका की मुख्य भाषा सिंहल, तमिल और इंग्लिश है। यहां का मुख्य धर्म बौद्ध, हिन्दू, इसाई और मुस्लिम है। मालदीव भारत के दक्षिण–पश्चिम और श्रीलंका के पश्चिम में हिन्द महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। इसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किमी0 तथा जनसंख्या 2 लाख 98 हजार है।[9]

*** शोध छात्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ,उ0प्र0**

15वीं शताब्दी तक एशियाई शक्तियां प्रबल थी परन्तु पन्द्रहवीं शताब्दी के पश्चात् पश्चिमी शक्तियों ने तेजी से सम्पूर्ण दक्षिणी एशिया सहित एशिया महाद्वीप के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ज्ञान के पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रान्ति, राष्ट्र राज्यों के उदय, उच्चतर शस्त्रास्त्र और युद्ध रणनीति ने पश्चिमी शक्तियों को श्रेष्ठतर बना दिया, जबकि यहां इन सब कारकों का अभाव था जो एशिया के विशाल जन समूहों की नपसुंकता का कारण था।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक दक्षिणी एशिया सहित एशिया का अधिकांश भाग पश्चिम की अधीनता में आ गया परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका एशियाई देशों ने पश्चिमी दासता के जुए को उतार फेंका। अब वे राजनीतिक यप् से स्वतन्त्र हैं परन्तु आर्थिक रूप से दुर्बल हैं तथा अभी तक विश्व की राजीनतिक अर्थव्यवस्था में एक प्रभावशाली भूमिका को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहें हैं।

सार्क देशों के सदस्य अपने राष्ट्रों के चमुर्दिक विकास के लिए दक्षिण एशिया सहयोग संगठन की स्थापना की इसके अन्तर्गत सार्क संगठन अलग–अलग विभाग स्थापित किये गये, जिनमें प्रथमतः मन्त्रि परिषद बनाया गया इसमें बैठक 6 महीने में एक बार होती है। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर यह बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। संघ की नीति निर्धारित करना समस्त हितों के मुद्दे के बारे में निर्णय करना, सहयोग के लिए क्षेत्र आदि मन्त्रि परिषद के कार्यो में शामिल है, द्वितीय स्थायी समिति है यह सदस्य देशों के मन्त्रियों की इस समित होती है इसकी बैठक वर्ष में दो बार अनिवार्य है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर कभी भी हो सकती है, सहयोग में कार्यक्रमों का प्रबन्ध करना नए क्षेत्रों की पहचान इस समिति के मुख्य कार्य हैं। तृतीय तकनीकी समिति इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं वे अपने–अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम लागू करने तथा सामन्जस्य बनाए रखने उनके देखभाल करने के लिए उत्तरदायी है ये समितियां स्वीकृत क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र और सम्भावनाओं का पता लगाती है, चतुर्थ–सार्क की स्थापना द्वितीय सार्क (बंगलौर) के 16 जनवरी, 1987 को की गयी, सचित के अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, महासचिव का पद सदस्यों को बारी–बारी से प्रदान किया जाता है, भागों मे विभक्त और प्रत्येक भाग के अध्यक्ष को निदेशक कहा जाता है।

इस प्रकार सार्क की स्थापना से न केवल इन राष्ट्रों का आर्थिक विकास हुआ बल्कि जो सदियों में पश्चिमी देशों के अधीनता का दंश झेल रहे थे जिस कारण इन देशों के विकास में गिरावट आई थी, वे अब विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हुए काला एकता मूल में बंध गए है।

सन्दर्भ

1. समसामिकी वार्षिकी 2007–2008, विवाह मनोरमा प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ 73।
2. समसामिकी वार्षिकी 2007–2008, विवाद मनोरमा प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ 73।
3. Oxford students atlas for India, Oxford University Press 2009, Page no.105.
4. भारत का संविधान, प्रयाग पुस्तक सदन इलाहाबाद संस्करण 208, पृष्ठ 230।
5. क्रानिकल ईअर बुक 2004, क्रानिकल पब्लिकेशन प्रा0 (लि0), पृष्ठ 764।
6. क्रानिकल ईअर बुक 2004, क्रानिकल पब्लिकेशन प्रा0 (लि0), पृष्ठ 750।
7. Oxford students atlas for India, Oxford University Press 2009, Page no.105.
8. Oxford students atlas for India, Oxford University Press 2009, Page no.105.
9. क्रानिकल ईअर बुक 2004, क्रानिकल पब्लिकेशन प्रा0 (लि0), पृष्ठ 767।

*****

लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज के महत्व का विश्लेषण

गिरीश कुमार सिंह*

आधुनिक राज्यों में स्थानीय शासन का बड़ा महत्व न होने के कारण कल्याणकारी राज्य के उदय होने में है। आज के राज्य 'पुलिस राज्य' न होकर 'कल्याणकारी राज्य' बनने की कोशिश में है, इसलिए बच्चे के जन्म से लेकर उसे युवक होने व मृत्यु तक विभिन्न क्षेत्रों में राज्य उसके लिए अपनी सेवा जुटाता है। परन्तु वे कार्य केवल एक स्थान से संचालित नहीं किये जा सकते है सामान्यतः यह कार्य दो या तीन स्तरों से चलाये जाते हैं। यह दो या तीन स्तर किसी राज्य की शासन प्रणाली के अनुसार निश्चित होते हैं। संघ शासन में राज्यों या प्रान्तों को संविधान द्वारा केन्द्र की ही तरह शक्तियां प्राप्त होती है, उनका स्वतन्त्र अस्तित्व होता है और वे केन्द्र के एजेण्ट मात्र नहीं होते हैं। स्थानीय शासन केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करता है और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी भी होता है।

पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय शासन की महत्ता में बहुत वृद्धि हुई है। स्थानीय शासन प्रजातन्त्र की आत्मा के रूप में स्थान ले चुका है। लार्ड ब्राइस ने लिखा है कि 'प्रजातन्त्र की सफलता के लिए स्थानीय शासन सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है।[1] निःसन्देह नागरिकों को प्रजातन्त्र का प्रशिक्षण सर्वप्रथम इन्हीं स्थानीय शासन की संस्थाओं से मिलता है। यदि नागरिक इन संस्थाओं से प्राथमिक अनुभव व ज्ञान प्राप्त न करें तो प्रान्तीय व केन्द्रीय शासन के क्षेत्र में वे सफल नहीं हो सकते हैं। फ्रांस के दार्शनिक डी0 टॉकविले ने स्थानीय शासन के महत्व के सम्बन्ध में लिखा है कि 'नागरिकों कीर स्थानीय सभा में स्वतन्त्र राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति है। नगर–सभाएं स्वतन्त्रता के लिए इतनी आवश्यक है, जितनी की प्रारम्भिक पाठशालाएं विज्ञान के लिए स्थानीय सभाएं स्वतन्त्रा को लोगों तक पहुंचाती है, वे उनको दिखाती है कि स्वतन्त्रता का आनन्द किस प्रकार उठाया जाए। एक राष्ट्र भले ही स्वतन्त्र सरकार की पद्धति को स्थापित कर ले, परन्तु स्थानीय संस्थाओं के बिना इनमें स्वतन्त्रता की भावना नहीं आ सकती है।[2]

संक्षेप में स्थानीय शासन की महत्ता निम्नलिखित कारणों से है :–

1. स्थानीय शासन का प्रजातन्त्र का आधार है।[3]
2. **प्रशासकीय प्रशिक्षण** – विधायकों व दूसरे प्रशासकों का यही से प्रशिक्षण प्रारम्भ होता है।[4] लास्की के शब्दों में 'स्थानीय शासन सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है।'
3. **राजनीतिक और नागरिक प्रशिक्षण** – अनेक विचारकों ने स्थानीय सरकार को प्रजातन्त्र के लिए 'बीजारोपण का स्थान' ठीक कहा है क्योंकि इससे जनता को राजीनतिक प्रशिक्षण मिलात है। ब्राइस के शब्दों में 'जो भी हो गांव के मामलो में सार्वजनिक सेवा, सक्रियता और सत्यनिष्ठा सीख लेता है, वह अपनी मातृभूमि के प्रति नागरकि के कर्तव्यों का पहला पाठ पढ़ लेता है।'[5]
4. स्थानीय शासन समाज के लोगों के दृष्टिकोण को उदार बनाता है।
5. स्थानीय शासन से आर्थिक बचत भी होती है, क्योंकि स्थानीय लोग कम व्यय पर अधिक सेवाएं देते हैं। अनेक कर्मचारी अवैतनिक भी होते हैं।[6]
6. केन्द्र का भार हल्का होता है।[7] 'स्थानीय शासन की संस्थाएं केन्द्र को मिर्गी से ओर प्रान्तीय सरकार को लकवा से बचाती हैं।
7. स्थानीय शासन से प्रशासन की कार्य कुशलता बढ़ती है, उन्हे अपनी समस्याओं का अधिक ज्ञान रहता है।[8]
8. इस स्थानीय शासन से, शासन को, जनता का सहयोग मिलता है। जनता के सहयोग से प्रजातन्त्र अपने रूप में यथार्थ रूप में प्रकट हो सकता है।[9]

जिन देशों में लोकतान्त्रिक शासन–प्रणाली है, उनमें स्थानीय सरकार की व्यवस्था उत्तम कार्य कर रही है। बहुत सारे देशों का यह अनुभव है कि स्थानिक समस्त मामले अन्ततः उचित रूप से संगठित स्थानीय शासन प्रणाली द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रशासित किए जाते हैं। स्थानीय शासन का अर्थ स्थानिक कार्य–कलापों का वहां के रहने वाले लोगों द्वारा नियम और प्रशासन का है। वे लोग प्रतिनिधि निकायों के सदस्य होते है तो निकाय मुख्यतः निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होते हैं। डी0 टॉकवीले का कथन है कि 'नागरिकों की ये स्थानीय संस्थाएं स्वतन्त्र राष्ट्रों की शक्ति की निर्माण करती है। विज्ञान की विज्ञान की शिक्षा के लिए जो महत्व प्राइमरी स्कूलों का है कि वही स्वाधीनता का पाठ पढ़ाने के लिए पंचायत सभाओं का है। ये सभाएं जनता के स्वाधीनता प्राप्त कराती हैं और मनुष्यों को शिक्षा

*** शोध छात्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ,उ0प्र0**

देती हैं कि कैसे स्वतन्त्रता का उपयोग करना चाहिए एवं कैसे उसका आनन्द उठाना चाहिए कोई भी राष्ट्र स्वतन्त्र सरकार की प्रणाली की स्थापना कर सकता है।' किन्तु पंचायत व्यवस्थाओं की भावना बिना उसे स्वाधीनता की भावना से प्राप्त नहीं हो सकती है, स्थानीय संस्थाएं स्वशासन की दिशा में प्रशिक्षण केन्द्र का काम करती हैं और यहां पर प्राप्त किया हुआ अनुभव और ज्ञान केन्द्रीय सरकार के विस्तृत क्षेत्र में सर्वोत्तम ढ़ंग से प्रयोग किया जा सकता है। लास्की का कथन है कि 'स्थानीय शासन की संस्था शासन के किसी भी अन्य भाग की अपेक्षा सम्भवतः अधिक ऊंची मात्रा में शिक्षादायक हैं। यह नागरिकों में नागरिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का बोध उत्पन्न करती हैं, उनमें सामान्य हितों के सामान्य प्रशासन की भावना भरती हैं।' ब्राइस का मत है कि 'जो कोई भी व्यक्ति गांव के काम–काजों के विषय में सार्वजनिक–भावना वाला, क्रियाशील और ईमानदार बनना सीख लेता है उसी व्यक्ति ने किसी बड़े देश के नागरिक के आवश्यक कर्तव्य के पाठ को पढ़ लिया है। आगे चलकर ब्राइस कहते है कि 'स्थानीय संस्थाएं न केवल दूसरों के लिए काम करने हेतु प्रशिक्षित करती हैं अपितु अन्यों के साथ प्रभावपूर्वक ढ़ंग से काम करने का भी प्रशिक्षण देती हैं। नागरिकों के अन्दर लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक सामान्यज्ञान, सत्संगतता, निर्णय और संगमसत्मकता, संयम के गुण, अनुग्रह और सामाजिक निर्भरता आदि अनेक गुणों का विकास हो जाता है।[10]

लास्की का विचार है कि जिस स्थान में हम रहते हैं, वहां के निवासी 'हमें उन सभी समस्याओं से अधिक अच्छी तरह अवगत करा सकते हैं जो हमें गहराई से प्रभावित करती है किन्तु दूसरों को नहीं।[11] केन्द्रीय सरकार को इन समस्याओं की जानकारी नहीं होती है। वह इनका समाधान कैसे कर सकती हैं ? वह स्वाभाविक रूप से 'स्थानीय नागरिकों के विचारों और भावनाओं को समझने में असमर्भ रहने के कारण सफलतापूर्वक सथानयी शासन का संचालन नहीं कर सकती।'[12]

स्थानीय समस्याओं का समुचित समाधान स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही सम्भव है। केन्द्रीय सरकार स्थानीय समस्याओं को ठीक तरह से नहीं समझ सकती और लालफीताशाही के कारण उन्हें ठीक से नहीं सुलझा सकती। केन्द्रीय सरकार बहरहाली सरकार होने के कारण उन लोगों के जिनकें ऊपर या नियन्त्रण स्थापित करना चाहती है, लगाव या उत्तरदायित्व को उत्तेजना प्रदान करने में असफल रहती हैं।' यह उन लोगों के रोष तो पैदा कर सकती परन्तु नागरिकों से रचनात्मक समर्थन को प्राप्त नहीं कर सकती।' यह हम सबको मालूम ही है कि अपनी सामान्य सलाह से खोजा गया हल हमकों अधिक मात्रा में सन्तुष्ट करने वाले होता है उसकी अपेक्षा कि वह हल हमारे से अन्यों द्वारा खोजा जाए।[13]

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार का लक्ष्य एक रूपता का होता है और भिन्न रूपों का मिश्रण नहीं। स्थानीय समस्याओं के लिए भिन्न रूप आवश्यक है क्योंकि वह स्थान–विशेष की आवश्यकताओं की दृष्टि से विशिष्ट होती है। एक रूपता लाना प्रायः अधिक सस्ता कार्य है, क्योंकि यह काम सदा ही अधिक सरल रहा है कि एक हल बना दिया जाए और उसको सब पर लागू कर दिया जाए इसकी अपेक्षा कि विभिन्न प्रकार के हल खोजे जाएं और उन्हें एक–एक करके लागू किया जाए।'[14] परन्तु एकरूपता हमारी समस्त समस्याओं के लिए यान्त्रिक हल है। किसी विशेष स्थान की समस्याओं की प्रकृति एक स्तर पर स्थिर रहती हैं। उनमें तो प्रत्येक का हल पृथक्–पृथक् और उनकी अवस्थाओं के अनुसार किया जाना चाहिए।[15]

स्थानीय सरकार का उद्देश्य सरकार विषयक कृत्यों का विभाजन है और इस भांति केन्द्रीय सरकार के भार को हल्का करना है यदि केन्द्रीय सरकार पर काम का अत्यधिक भार है, तो वह अयोग्य बन जाती है और वह आलस्य और अधिक व्यव के साथ कार्य करेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोग्यतापूर्वक करेगी। एक नौकरशाही सरकार योग्य सरकार स्वशासन का स्थान नहीं ले सकती। तद्नुसार इस बात के लिए आग्रह किया जाता है कि जब तक स्थानीय निकायों को क्रियाशील शक्तियों से युक्त नहीं किया जायेगा, 'केन्द्रीय सत्ता न केवल समस्त स्थानीय उपक्रम का गला घोंट देगी अपितु उस स्थानिक ज्ञान के अच्छे स्त्रोत और स्थानीय लगाव का भी नाश कर देगी जिसके अभाव से वह अपने कृत्य नहीं कर सकेगी।' अतः कुशलता और उत्तरदायित्व के लिए स्थानीय शासन आवश्यक है। सन् 1948 में भारत के स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्रियों की एक कान्फ्रेंस में प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूजी ने कहा था, 'किसी भी सच्ची लोकतन्त्र प्रणाली का आधार स्वशासन है और होना भी चाहिए। हमें ऊपरी स्तर पर ही लोकतन्त्र के विषय में सोचने की आदत हो गई हम निचले स्तर पर ऐसा नहीं करते। लोकतन्त्र शिखर पर तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है तक निचले स्तर पर उसकी नींव नहीं रखी जाती है।'[16]

पुनः स्थानीय सरकार का महत्व यह भी है कि स्थानीय सरकार द्वारा बचत भी होती है। स्थानीय अधिकारी स्थानीय रूप से अर्जित किए गए कोषों से स्थानीय कृत्यों को पूर्ण करते हैं, न्याय इस बात की मांग करता है कि जो सेवाएं अति विशिष्ट रूप में अथवा मुख्य रूप में किसी ऐसी जन संख्या को प्रदान की जाएं जो किसी जिले के अन्तर्गत रहती हो, तो उन सेवाओं के लिए वहां की जनता को ही मूल्य चुकाना चाहिए ऐसी सेवाओं का भार उन लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए, जिन्हें उनसे कोई लाभ नहीं होता। चूंकि जिले के अधिवासियों को स्थानीय सेवाओं के लिए मूल्य चुकाना होता है, इसलिए उन सेवाओं पर समुचित नियन्त्रण की उनकी मांग भी स्वाभाविक है।[17] इसके तीन परिणाम होते है। प्रथमतः स्थानीय निकायों के कार्य में भाग लेने से लोगों के अन्दर उनके सामान्य कामकाजों में परस्पर लगाव की भावना विकसित होती है और उन्हें दूसरों के लिए कुशलतापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रशिक्षण भी मिल जाता है।

द्वितीयतः स्थानीय कार्य कलापों के प्रबन्धक लोग उन कार्यो का प्रबन्ध अधिक कुशलता से करेंगे ताकि वे उन कार्यों पर होने वाले व्यय को कम कर सकें और स्वयं अधिक करों के भार से बच सकें।

अन्ततः उत्तरदायित्व को अधिक से अधिक फैला कर यह आत्म–सहाय और आत्म निर्भरता की भावना को प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार स्थानीय शासन की संख्या सच्ची नागरिकता की उपलब्धि में अत्यधिक उत्कर्ष की वस्तु हैं।

वस्तुतः प्रत्येक प्रगतिशील राज्य के कल्याणकारी उद्देश्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन स्थानीय सरकार का अत्यधिक विकास है। व्यक्तिगत प्रश्नों का समाधान करने के लिए कल्याणकारी सेवाओं के कुशलता की आवश्यकता होती है। स्थानीय संस्थाएं लोगों के बिल्कुल निकट होती हैं। लोगों को उनके बारे में पूरी जानकारी होती है। ये संस्थाएं प्रतिनिधिक भी होती हैं। इस अवस्था में ये संस्थाएं लोगों के लिए बहुत हितकारी को सकती है, राज्य को सामाजिक कल्याण के लिए अपना सर्वाधिक प्रभावशाली साधन इन संस्थाओं में दिखाई दिया है।[18]

सन्दर्भ

1. माडर्न डेमोक्रेसी, वाइस वैल्यूम, पी0 पी0 पृष्ठ 148–49।
2. नारायण इकबाल, राजनीतिशास्त्र के मूल सिद्धान्त, रतन प्रकाशन मन्दिर–आगरा, पृष्ठ 103।
3. नारायण इकबाल, राजनीतिशास्त्र के मूल सिद्धान्त, रतन प्रकाशन मन्दिर–आगरा, पृष्ठ 104।
4. नारायण इकबाल, राजनीतिशास्त्र के मूल सिद्धान्त, रतन प्रकाशन मन्दिर–आगरा, पृष्ठ 103।
5. माडर्न डेमोक्रेसी, वाइस वैल्यूम–1, पी0 पी0 पृष्ठ 149।
6. नारायण इकबाल, राजनीतिशास्त्र के मूल सिद्धान्त, रतन प्रकाशन मन्दिर–आगरा, पृष्ठ 105।
7. नारायण इकबाल, राजनीतिशास्त्र के मूल सिद्धान्त, रतन प्रकाशन मन्दिर–आगरा, पृष्ठ 105।
8. नारायण इकबाल, राजनीतिशास्त्र के मूल सिद्धान्त, रतन प्रकाशन मन्दिर–आगरा, पृष्ठ 102।
9. नारायण इकबाल, राजनीतिशास्त्र के मूल सिद्धान्त, रतन प्रकाशन मन्दिर–आगरा, पृष्ठ 102।
10. माडर्न डेमोक्रेसी क्राइम, वाल्यूम–1, पी0 पी0, पृष्ठ 149।
11. ए ग्रामर ऑफ पालिटिक्स, लास्की एच0 जे0, पृष्ठ 410।
12. ए ग्रामर ऑफ पालिटिक्स, लास्की एच0 जे0, पृष्ठ 412।
13. कपूर अनूप चन्द्र, मिश्र कृष्णकान्त, राजनीति विज्ञान, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ 456।
14. ए ग्रामर ऑफ पालिटिक्स, लास्की एच0 जे0, पृष्ठ 413।
15. कपूर अनूप चन्द्र, मिश्र कृष्णकान्त, राजनीति विज्ञान, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ 456।
16. ए ग्रामर ऑफ पालिटिक्स, लास्की एच0 जे0, पृष्ठ 413।
17. कपूर अनूप चन्द्र, मिश्र कृष्णकान्त, राजनीति विज्ञान, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ 456।
18. कपूर अनूप चन्द्र, मिश्र कृष्णकान्त, राजनीति विज्ञान, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ 457।

*****

डॉ0 कृपाराम त्रिपाठी की रचनाओं में नारी विषयक अधुनातन सन्दर्भ

विष्णु शंकर तिवारी*

संस्कृत साहित्य का इतिहास कितना प्राचीन वृहत् एवं विशद है, यह सर्वविदित है। संस्कृत साहित्य मे नारी विषयक विचार कदाचित् सर्वाधिक मात्रा में एवं उत्कृष्टतम् स्थिति में प्राप्त होते हैं। नारी का जो स्वरूप कालिदास के काव्यों में उपलब्ध होता है उसे लेकर डॉ0 कृपाराम त्रिपाठी 'अभिराम' ने महाकाव्य, नाटक, खण्डकाव्य, गीतिकाव्य और मुक्तकों की रचना करके आधुनिक संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया है। उनकी रचनाओं में नारी का सन्दर्भ विविध रूपों मे प्राप्त होता है। पार्वती, सीता, कौसल्या, इत्यादि प्रसिद्ध नारी पात्रों की भूमिकाओं को प्रस्तुत करने के साथ–साथ 'अभिराम' कवि ने कैकेयी, मन्थरा एवं शूर्पणखा जैसी स्त्री पात्रों का सन्दर्भ आने पर अपनी अधुनातन अवधारणाओं का सार्थक बनाने का प्रशस्य प्रयास किया है।

'मध्यमरामचरितम्' अभिराम द्वारा प्रणीत सात अंको वाला नाटक है। इसमें राम वनवास से माण्डकर्णि ऋषि के मोक्ष तक की कथा वर्णित है। इस नाटक का आधार श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण तथा श्रीरामचरितमानस है। इस नाटक की समस्त कथा दो देवदूतों सम्भूति और विभूति के संवाद के रूप में उपस्थापित है। सम्भूति, विभूति, प्रियौदन नतोदर, लम्बकर्ण, सुव्रत और प्रियव्रत सात पात्र कवि कल्पित है शेष सभी पात्र प्रख्यात इतिवृत्त वाले हैं। कवि के नये पात्रों की कल्पना के कुछ नाट्य प्रयोजन है। इस नाटक में नारी चिन्तन अनेक स्थलों में परिलक्षित होता है । जैसे प्रथम अंक में मन्थरा के रूप में कवि ने नारी का कूटनीति निपुण रूप प्रस्तुत किया है जो कैकेयी की महत्वाकांक्षा को उद्दीप्त कर विवश कर देता है कि वह अपने पुत्र के लिए दशरथ से राम का वनवास मांगा ले। मंथरा कैकेयी से कहती है, रानी क्या आपको महाराज की मंशा और अपने दुर्भाग्य की शुरूआत के बारे में कुछ ज्ञात होता है। कल महाराज कौसल्या के बेटे राम का राज्यासन पर अभिषेक करने वाले हैं।[1] कैकेयी द्वारा इस पर खुश होने पर पुनः मन्थरा द्वारा कहा गया कि आपके बेटे के साथ यह साजिश की जा रही है।[2] परन्तु कैकेयी इसके बाद भी कहती है कि मंथरा इस समाचार के लिए मैं तुम्हें मोती की माला पुरस्कार दे रही हूं।[3] इससे कैकेयी का राम के प्रति पुत्रवत स्नेह उद्घाटित होता है। पुनः मंथरा द्वारा राम के राज्याभिषेक को साजिश बताने पर कैकेयी ने उसे डांटते हुए कहा कि राम राजा हों अथवा मेरे पुत्र इसमें क्या भेद है। दोनों मेरी दो आंखों के समान हैं।[4]

लोकहित की भावना से ओत प्रोत कैकेयी के माध्यम से कवि कहता है कि नारी कल्याण का निमित्त है। अभिराम ने देवदूत विभूति द्वारा कैकेयी के विषय में कहलवाया है कि यह केकय नंदनी भी धन्य है जो साधु सामज की रक्षा तथा राक्षसों के नाश का निमित्त बन रही है। लोकहित के लिए राम का वनवास हो तथा साधु भरत राज्य का शासन करे ये दोनों ही तो अभीष्ट हैं।[5] पुनः विभूति कहता है कि महात्मा भरत की माता को छोड़कर इतना बड़ा त्याग कौन कर ही सकता है कि अपना सर्वनाश करके एवं अपकीर्ति पाकर भी लोकहित की भावना रखे।[6]

कवि ने अपने पात्र कैकेयी के द्वारा महिलाओं की वाकपटुता और तार्किकता के गुणों में सम्पन्न होना दर्शाया है। भरत का राज्याभिषेक एवं राम का वनवास मांगने के समय कैकेयी दशरथ से कहती है कि ये दोनों वर आपकी कीर्ति को धवल करने वाले होंगे। अदेय वस्तु को भी देकर आपके पूर्वजों ने कुल की कीर्ति को बढ़ाया है तथा अपने वचन मिथ्या नहीं होने दिये हैं, उन्हीं पर इच्वाकुवंश टिका हुआ है।[7]

जब अभिराम जी कैकेयी की भूमिका को चित्रित करते है स्त्री के महत्वाकांक्षा एवं संतान विषयक आकांक्षाओं का पक्ष उपस्थित होता है। कैकेयी की दशरथ से वर प्राप्ति के बाद कवि विभूति द्वारा कैकेयी की भर्त्सना करता हुआ कहता है कि लोगों द्वारा स्त्री का अबला कहा जाना मिथ्या कथन है वस्तुतः स्त्री सबला होती हैं क्योंकि उसके मोहपाश में राजा से विरक्त तक बहुतों का विनाश होकर आते देखा जाता है।[8]

कवि जब नारी के पारिवारिक संत्रास एवं यंत्रणाओं से पूरिपूर्ण जीवन को प्रस्तुत करता है तो नारी के जीवन का एक पक्ष हमारे समझ आता है। कवि की दृष्टि अशिक्षा देहज आदि समस्याओं पर भी गयी है। तृतीय अंक में प्रियौदन पात्र द्वारा निषादराज से संवाद के प्रसंग में एक ग्रामीण स्त्री की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि यह गांव की नवोढ़ा अपने पति के मात–पिता द्वारा बहुत प्रताड़ित की गयी है और पुनः इस पर टिप्पणी करता हुआ वह कहता है कि अशिक्षा के कारण समाज स्त्रियों के लिए नरक बन गया है।[9] पुरूषों की तरह स्त्रियों को भी समान शिक्षा प्रदान करके ही समाज समृद्ध हो सकता है यह प्रियौदन तथा नतोदर के माध्यम से कहलवाया गया है कि यदि पुरूष के समान ही सभी स्त्रियों को भी शिक्षा मिले और वे अनेक क्षेत्रों में पुरूष के समान कार्यरत हो तो निश्चित ही समाम में सुख–समृद्धि

*** शोध छात्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ,उ0प्र0**

में वृद्धि होगी।[10] कवि का मान्यता है कि स्त्री अशिक्षित होती है तो वह अपने अधिकार नहीं जान पाती है। यह घर में प्रताड़ित होती है, माता–पिता भी उसे संरक्षण नहीं देते। वह ससुराल से निकाली जा सकती है। अशिक्षा से नारी का जीवन नरकीय बन जाता है। शिक्षित नारी की महत्वाकांक्षा को जो एक दोष मानते हैं वे प्रगतिशील समाज में बाधक हैं। स्त्रियां पुरूष के समान शिक्षित हो जाये तो विविध क्षेत्रों में सामाजिक सौख्य बढ़ेगा।[11]

आधुनिक समाज में सामाजिक सौहार्द के केन्द्र बिन्दु परिवार नामक इकाई की समरसता बनााये रखने में स्त्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अद्यतन समाज बारम्बार यह तथ्य प्रकट करता है कि बहुधा पारिवारिक सम्बन्धों के टूटने का मौलिक कारण किसी न किसी रूपों में हुआ करती है इस तथ्य का प्रमाण संस्कृत साहित्य के दो महत्वपूर्ण महाकाव्यों रामायण और महाभारत में भी कैकेयी और दौपद्री नाम के स्त्री पात्रों द्वारा प्राप्त होता है। उपर्युक्त मिथकीय चरित्रों को ध्यान में रखते हुए महाकाव्यों का परम्परा के अनुपालन में समस्त अनिवार्य धर्मो के साथ कवि ने इस काव्य में सीता के चरित्र द्वारा सामाजिक सौमनस्य एवं पारिवारिक एकता के भाव को पुष्ट करते हुए सीता के मुख से कहलवाया है कि हे नाथ! ये बहन उर्मिला के प्रिय आपके छोटे भ्राता लक्ष्मण माता की गोद में छोड़कर वन में भटक रहे हैं। माता ने इन कोमल तथा सुकुमार अंगो वाले भैया लक्ष्मण को आपके पास धरोहर रख छोड़ा है जिन्हें कुमुद की कला की भांति आपको खिलाये रखना चाहिए।[12]

पर्यावरण असंतुलन इस समय समाज की ज्वलन्त समस्या है। सीता का राम के प्रति कथन है कि हे नाथ! वनों तथा वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए राजाओं को सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए।[13] इस प्रकार यहां सीता के मुख से कवि की पर्यावरण की चिन्ता मुखर होती है।

इस नाटक में पुनः कवि यह प्रस्तुत कर रहा हे कि स्त्री और पुरूष से ही यह समाज पूर्णता प्राप्त करता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिन में जगमग हो जाता है किन्तु रात को रजत रूप प्राप्त करने के लिए चन्द्रमा की आवश्यकता होती है ठीक इसी प्रकार समाज की जीवन की जीवन्तता और रचनात्मकता को निसर्ग सिद्ध बनाये रखने में पुरूष एवं स्त्री दोनो बराबर भाग स्वीकारना पड़ता है। अभिराम द्वारा अपने नाटक में राम के द्वारा सीता के वन की सुन्दरता को देखने के लिए अनुमति लेने की घटना इस तथ्य का रहस्योद्घाटन करती है[14] कि समाज को आगे बढ़ने के लिए स्त्री को साथ लेकर चलना पड़ेगा और विभिन्न अवसरों पर उसकी राय से हमारी श्रीवृद्धि होगी।

सप्तम अंक में देवांगनाओं का प्रसंग आया है,[15] जिसमें समाज के नारी विषयक कतिपय परम्परागत मनोभावों को प्रकट करने का अवसर उपस्ति हुआ है। इस घटना में देवराज इन्द्र द्वारा भेजी गयी जंभा, रंभा, कुहू, कम्रा और मल्लिका देवांगनायें मांडकर्णि को अभिभूत करने का प्रयास करती हैं वे तपस्वी मांडकर्णि के मन को निरन्तर अपने नृत्यों से जीते रहती है।[16] अगस्त्य आदि मुनिवरों के माण्डकर्णि को मोहपाश से मुक्त करने का निवेदन करने पर जुहू पर विशेष अभिभूत माण्डकर्णि राम की कृपा से मुक्त हो गये। इस पर जुहू ने माण्डकर्णि की तरह राम को संतति प्रेम से वंचित रहने तथा अपने समान सीता का भी अकेले जल में प्रसव करने का श्राप दिया।[17] इस घटना में कवि द्वारा दर्शाया यगा है कि स्त्री के रूप एवं कला कौशल को किसी को धोखा देने व छलने लिए प्रयोग किया जा सकता है। अप्सराओं के माध्यम राजर्षि माण्डकर्णि को अभिभूत करना स्पष्ट निदर्शन है। इस प्रसंग से कवि का अभिप्राय यह है कि नारी के प्रति किया गया उसका प्रिय राम जैसे महापुरूष को भी उसका परिणाम भोगने के लिए बाध्य कर देता है। राम के उत्तरचरित में सीता निर्वासन की संगति बैठाने में यह जुहू माण्डकर्णि प्रसंग चाभी की तरह काम करता है। जुहू के श्राप की घटना कवि की अपनी परिकल्पना है।

युद्ध क्षेत्र में भी नारी की कुशलता का प्रतिपादन नाटककार द्वारा हुआ है। तृतीय अंक में विभूति के माध्यम से कवि कहता है कि कैकेयी वीरांगना भी थी।[18] केकयनरेश ने महाराज दशरथ से इस अनुबन्ध के साथ विवाह किया था कि आप युद्ध के लिए जाएंगे, कैकेयी को साथ ले जाएंगें।[19] इस घटना का अपने नाटक में उल्लेख किया करके नारियां सेना आदि विविध क्षेत्रों में कार्य करें कवि ने यह सहमति दर्शायी है । शूर्पणखा के प्रसंग[20] के माध्यम से नाटककार ने अपनी नारी जीवन के एक पक्ष को प्रस्तुत करके कई संदेश देने का लक्ष्य बनाया है किसी स्त्री का अपमान करना बहुत बड़े दुष्परिणाम का कारण हो सकता है।

इस प्रकार अभिराम कवि ने इस महनीय नाट्य कृति 'मध्यमरामचरितम्' के माध्यम से नारी जीवन के परम्परागत् एवं समकालीन सभी आयामों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

कविवर अभिराम द्वारा रचित **'कालिदासायनम्'** काव्य मनोरम भावपूर्ण और सरस है। इस काव्य में 100 श्लोक हैं। प्रस्तुत काव्य में कवि कहता है कि सर्पिणी अपने बच्चों को पैदा करते ही खा जाती है और इसीलिए उसे पुत्रों को खाने वाली कहकर उसकी निन्दा की जाती है। आज बहुत से मां–बाप अपनी गर्भस्थ कन्या शिशु की हत्या करने में प्रवृत्त होकर निन्दित हो रहे हैं।[21] केवल निन्दा होने से आज का मानव भ्रूणहत्या जैसे अपराध से पीछे नहीं हट रहा है। कविवर ऐसे व्यक्ति को समाज में अलग–अलग करके इस अपराध से रोकने की बात पर बल देते हैं। इस लज्जास्पद एवं अक्षम्य कन्या भ्रूण हत्या जैसे समाज में व्याप्त बुराई के प्रति चेतना जागृत करने का प्रयास किया है।[22] यह एक उपलक्षण मात्र है। ऐसी किसी भी बुराई का निराकरण कवि का अभिप्राय है।

अभिराम द्वारा प्रमाणित **'तरंगदूतम'** एक दूतकाव्य है जिसमें नायक–नायिका के जीवन के एक अशं को लेकर काव्य रचना की गयी है। इसमे नायक–नायिका के परस्पर प्रेम–भावना का वर्णन सन्देश भेजने वाली के द्वारा कम

रचनाकार द्वारा अधिक मुखर हुआ है।[23] इस दूतकाव्य की नायिका 'कला' लंका के राजा विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री है तथा नायक विभन्यु अविन्ध्य का कल्पित पुत्र है जो घर से दूर रामेश्वरम में प्रवास कर रहा है। प्रस्तुत गीतिकाव्य में कवि द्वारा कुछ अनूठी और नवीन उद्‌भावना की गयी है जैसे लंका में रावण द्वारा जानकी को भवन में न रखकर अशोक वन में रखने की व्यवस्था सीता के प्रति रावण के आदर भाव को परिलक्षित करता है। कवि लिखता है कि रावण ने जो जनक नन्दनी को किसी प्रसाद या देवालय में न रखकर अशोक वाटिका में रखा वह उनको अपमानित करने की दृष्टि से नहीं बल्कि पूजा की भावना से रखा था।[24] प्रस्तुत कल्पना कवि के नारी के प्रति आदर को प्रकट करता है।

'कुटजकुसुमाञ्जलि' अभिराम कवि की एक अन्य काव्य रचना है जो 1991 में प्रकाशित है और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत है। इसमें 18 स्तम्ब है। तृतीय स्तम्ब में नारी विषयक चिन्तन प्रस्तुत हुआ है। नारी किसी प्रकार मातृकुल एवं पितृकुल की मर्यादाओं का निर्वहन करती है और अपने सरल स्वभाव से जगत का कल्याण करती है। दिन–रात परिश्रम करना अपना सौभाग्य समझती है। वह समाज के द्वारा आदरणीय है।[25] इस ओर कवि का प्रेरणास्पद संकेत है।

'रघुकुल कथा बल्ली' अभिराम द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें इक्कीस सर्ग हैं। इस महाकाव्य के चर्तुदश सर्ग में महाराजा धुरथ के स्वर्गवास होने के उपरान्त पुत्र सुधर्मा के व्यस्क होने तक महारानी पद्‌मा स्वयं शासन चलाती है। इस सर्ग में परम्परागत समाज में स्त्री को शासक के रूप में न सह पाने की प्रवृत्ति और एक स्त्री के ऐसी दुःस्थिति में भी धैर्य और कौशल से काम लेने को रेखांकित किया गया है। स्त्री उस समय भी शासन में ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर सकती थी यह इस सर्ग की घटनाओं से प्रमाणित होता है।[27]

इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉ0 कृपा राम त्रिपाठी की रचनायें भले ही प्राचीन कथावस्तु पर आधारित हैं परन्तु उनमें अधुनातन नारी सन्दर्भ विविध रूपों में प्राप्त होता है।

सन्दर्भ

1. मध्यमरामचरितम् पृ0 1–20.
2. मध्यमरामचरितम् पृ0 1–21.
3. मध्यमरामचरितम् पृ0 1–20.
4. मध्यमरामचरितम् पृ0 1–22.
5. मध्यमरामचरितम् पृ0 1–29.
6. मध्यमरामचरितम् पृ0 1–30.
7. मध्यमरामचरितम् पृ0 1–43.
8. मध्यमरामचरितम् पृ0 1–51.52.
9. मध्यमरामचरितम् पृ0 3–26,27.
10. मध्यमरामचरितम् पृ0 3–28, 29, 30.
11. मध्यमरामचरितम् पृ0 3–32.
12. मध्यमरामचरितम् पृ0 5–5.
13. मध्यमरामचरितम् पृ0 5–29.
14. मध्यमरामचरितम् पृ0 5–37.
15. मध्यमरामचरितम् पृ0 7–33.
16. मध्यमरामचरितम् पृ0 7–34.
17. मध्यमरामचरितम् पृ0 7–36, 37 38, 45.
18. मध्यमरामचरितम् पृ0 3–3.
19. मध्यमरामचरितम् पृ0 3–4.
20. मध्यमरामचरितम् पृ0 5–61.
21. कालिदासायनम् पृ0 31.
22. वही पृ0 32.
23. शोध प्रबन्ध, श्री नारायण तिवारी, पृ0 362.
24. तरंगदूतम्, श्लोक 47.
25. कुटजकुसुमांजलि, पृ0 3–1.
26. वही, पृ0 3–12.
27. रघुकुल कथावल्ली, चतुर्दश सर्ग.

*****

भारत में ग्रामीण विकास के इतिहास के विभिन्न चरण

डॉ0 ए0 के0 मिश्रा*
पीयूष कुमार**

भारत में ग्रामीण विकास के इतिहास को संक्षिप्त रूप मे 1947 के पूर्व से 2000 तक के बीच निम्नलिखित चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है :–

प्रथम चरण में ग्रामीण विकास : 1947 से पूर्व

स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व ग्रामीण विकास के इतिहास को प्रथम चरण में रखा गया है। वर्ष 1947 से पहले का इतिहास काफी लम्बा है। यहाँ पर इस चरण के मुख्य पहलुओं को लिया गया है। चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, अलाउद्दीन खिलजी, ब्रिटिश काल की घटनाएँ इसके प्रमुख अंग है।

(क) चन्द्रगुप्त मौर्य– चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये। इसके द्वारा जलाशयों का निर्माण किया गया, जिसमें सुदर्शन झील प्रमुख है। इसके अलावा चन्द्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र (पटना) से तक्षशिला तक जी0टी0 रोड का निर्माण कराया।

(ख) सम्राट अशोक– महान् सम्राट अशोक ने भी ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रयास किये तथा अनेकानेक सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया। इसके लिये उसने जलाशय, सराय, सड़कें आदि सामाजिक सुविधाओं का विकास किया। सम्राट अशोक ने ग्रामीण विकास हेतु शिक्षा को विशेष महत्व दिया। अतः उसके शासन काल में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार भी किया गया।

(ग) अलाउद्दीन खिलजी– अलाउद्दीन खिलजी ने देश में पहली बार मण्डी व्यवस्था को लागू किया ताकि ग्रामीण किसानों को उसने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। उसने गरीब किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कीमतों पर उचित नियन्त्रण रखा। इसके द्वारा जी0टी0 रोड पर जगह–जगह नई मण्डियों की स्थापना की गयी। इसके अलावा खिलजी ने ग्रामीण विकास हेतु अनेक उपाय किये। बाद की अवधि में शेरशाह सूरी तथा अकबर ने भी ग्रामीण विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। अकबर ने कृषि भूमि की सही माप हेतु जरीब (Zarib) प्रथा शुरू की।

(घ) ब्रिटिश काल में ग्रामीण विकासः अंग्रजों ने भारत की कृषिजन्य अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, परन्तु इसका लक्ष्य उत्पादन को बढ़ाकर भारतीय कृषि का सुधार या उससे सम्बद्ध लोगों की सुख–सुविधा एवं सम्पन्नता सुनिश्चित करना नहीं था। इसका उद्देश्य कृषि से उपलब्ध राजस्व को स्वयं प्राप्त करना था और भारतीय कृषि को ऐसी स्थिति में खड़ा कर देना था, जिससे वह विवश होकर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था (Colonial Economy) में दबी हुई एवं निश्चित भूमिका निभा सके। मुगलकालीन व्यवस्था में भारतीय किसानों का इतना अधिक शोषण नहीं था, जितना अंग्रेजों के शासन काल में हुआ। ''आईन–ए–अकबरी'' के अनुसार मुगल शासन में बादशाह एवं रैयत के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। मुगल भू–राजस्व व्यवस्था के केन्द्र में रैयतवाड़ी प्रथा ही थी। अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब तथा आलमगीर द्वितीय ने किसानों की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा नही किया। मुगल शासन काल में किसानों के नजराने के रूप में राज्य की अपनी भूमि उपज का कुछ अंश देना होता था, लेकिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रारम्भ से ही भू–राजस्व मे लगातार कमर तोड़ करने की नीति अपनाईं ।

द्वितीय चरण में ग्रामीण विकास : 1947–65

सन् 1947 में देश आजाद हुआ। इसके बाद ग्रामीण विकास एवं किसानों के हितों के लिए ठोस प्रयास किये गये। अनेक राज्यों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को नवजीवन दिया। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को तेजी से अपनाया गया। इसके लिए गाँवों में सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना की गयी। पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए अनेक स्थानों पर विशेष कार्यक्रम अपनाये गये। गाँवों में विद्युत, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा ग्रामीण औद्योगीकरण सहित अनेक परियोजनाएँ बनायी गयीं। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ग्रामीण विकास के लिए निम्नांकित कार्यक्रमो को मुख्य रूप से अपनाया गया–

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1952
2. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम, 1958
3. पंचायतीराज व्यवस्था, 1959
4. सद्यन कृषि जिला कार्यक्रम, 1960

* रीडर, वाणिज्य विभाग, का. सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या, फ़ैज़ाबाद, उ0प्र0।
** शोध छात्र, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फ़ैज़ाबाद,उ0 प्र0।

5. पर्वतीय क्षेत्र का विकास कार्यक्रम, 1962
6. जनजातीय क्षेत्र का विकास कार्यक्रम, 1964
7. सद्यन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, 1965
8. उन्नत बीज कार्यक्रम, 1965
9. सद्यन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 1965

चूँकि महात्मा गाँधी ने ग्रामीण विकास हेतु अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। अतः भारत में नियोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की शुरूआत गाँधीजी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर, 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से की गयी। अतः सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य ग्रामों का सर्वागीण विकास करना है, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी आदि जटिल समस्याओं को दूर करने के साथ–साथ गाँवों में उपरिव्यय सुविधाओं, जैसे– शिक्षा, संचार, पेयजल, स्वास्थ्य, परिवहन आदि का विकास करना है। इन कार्यक्रमो की विस्तारपूर्वक चर्चा आगे की जायेगी।

सन् 1952 के पश्चात् ग्रामीण विकास हेतु प्रमुख कार्यक्रम सन् 1959 में पंचायती राज प्रणाली के रूप में अपनाया गया। सन् 1957 में प्रस्तुत बलवन्त राय मेहता समिति की रिर्पोट में पचायती राज प्रणाली के गठन का सुझाव दिया गया जिसमें स्थानीय स्व–शासन के सिद्धान्त पर आधारित लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का रूप विद्यमान है।

पंचायती राज प्रणाली को अपनाने का प्रमुख उद्देश्य विगत वर्षो में सृजित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को ग्रामीणों को सौंप कर उन्हें गति प्रदान करना रहा है। आज सम्पूर्ण देश में एकस्तरीय, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय, जैसे– ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद पंचायती राज्य संस्थाएँ विद्यमान है। पंचायती राज संस्थाओं के बाद जिला सद्यन कृषि कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र तथा ट्राईबल क्षेत्र विकास कार्यक्रम बनाये गये जिसके अन्त में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हरित–क्रांति के रूप में उन्नत किस्म के बीज कार्यक्रम को अपनाया गया है।

तृतीय चरण में ग्रामीण विकास : 1966–1978

तृतीय चरण में तीन वार्षिक योजनाएँ 1966–67, 1967–68 तथा 1968–69 के अलावा चौथी एवं पाँचवी पंचवर्षीय योजनाएँ शामिल है। इस अवधि में ग्रामीण विकास हेतु निम्नांकित कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया–

1. लघु कृषक विकास अभिकरण (S.F.D.A.) 1969
2. सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक अभिकरण, (M.F.A.L.A.) 1969
3. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (D.A.P.) 1974–75
4. ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, 1971
5. ग्रामीण रोजगार हेतु कैश कार्यक्रम, 1971
6. पायलट परियोजना (पायलट सघन ग्रामीण रोजगार परियोजना), 1972
7. रोजगार गारंटी कार्यक्रम, 1982
8. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1974
9. बीस सूत्रीय कार्यक्रम, 1975
10. "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम, 1977
11. अन्त्योदय योजना, 1977
12. मरूभूमि विकास कार्यक्रम, 1977
13. कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम, 1978
14. जिला उद्योग केन्द्र, 1978

ग्रामीण विकास के तृतीय चरण के प्रारम्भिक वर्षो के लद्यु एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि मजदूरों के लिए कार्यक्रम तैयार किए गये ताकि इस वर्ग के गतिशील अर्थव्यवस्था के प्रवाह के साथ–साथ आगे बढाया जा सके। इस चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगारपरक विशेष कार्यक्रम चालू किये गये। ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की सिफारिश पर 1969 में एस0 एफ0 डी0 ए0 तथा एम0एफ0ए0एल0ए0 कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया। लघु कृषक विकास अभिकरण (S.F.D.A.) के तहत छोटे किसानों को सिंचाई, बीज, उर्वरक तथा ऋण सुविधाएँ प्रदान की गई। दिये गये ऋणों में पच्चीस प्रतिशत भाग नुदान के रुप में मिला था। 2 अक्टूबर,1980 से एस0एफ0डी0ए0 कार्यक्रम को एकीकृत ग्राम विकास योजना में शामिल कर दिया गया।

वर्ष 1969 में ही सीमान्त कृषक एंव कृषक मजदूर अभिकरण की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य सीमान्त किसानों एवं कृषि श्रमिकों को गैर–कृषि क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के साधन उपलब्ध कराना रहा है। इसके अलावा वर्ष 1977 में काम के बदले अनाज योजना को अपनाया गया। इसी वर्ष अन्त्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया। अन्त्योदय कार्यक्रम गाँधीजी के अनुसरण पर अपनाया गया। अन्त्योदय से तात्पर्य अन्तिम व्यक्ति को ऊपर उठाना है अर्थात सबसे गरीब की आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक स्थिति में सुधार लाना है। इस दिशा में महात्मा गाँधी द्वारा किया गया। कार्य सराहनीय एवं वास्वविक था। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को लगाने के उद्देश्य 1978 में जिला उद्योग

केन्द्र की स्थापना की गयी। इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रोजगार–परक उद्योगों की जानकारी देना तथा स्थानीय संसाधनों के आधार पर लोगो को लघु एवं कुटीर उद्योग खोलने हेतु प्रोत्साहित करना रहा है।

चतुर्थ चरण में ग्रामीण विकास : 1978–2000

भारत में ग्रामीण विकास का चौथा चरण वर्ष 1978–79 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2000 तक का है। इस दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एक नई दिशा प्राप्त हुई। सरकार ने वर्ष 1978 में प्रायोगिक रूप में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम को देश के गिने–चुने 2300 विकास खण्डों मे चलाया गया। बाद में इसमें वृद्धि कर इसे सभी 5011 विकास खण्डों में चलाया गया। 2 अक्टूबर, 1980 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। इस चरण में ग्रामीण विकास हेतु प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्यक्रम आयोजित हुए–

1. एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, 1978
2. ट्राईसेम कार्यक्रम, 1979
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 1980
4. ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, 1982
5. विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम, 1983
6. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, 1983
7. जवाहर रोजगार योजना, 1989
8. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु नयी स्व–रोजगार योजना, 1990
9. नेहरू रोजगार योजना
10. भूमि सुधार कार्यक्रम
11. अकालग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम
12. रोजगार गारन्टी कार्यक्रम
13. मजदूरी रोजगार कार्यक्रम।

वर्ष 1978 में ग्रामीण एवं शहरी निर्धनता दूर करने के लिए एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के प्रारम्भ के पश्चात् ग्रामीण युवा वर्ग के लिए ट्राइसेम (TRYSEM : Training of Rural Youth for self-employment) कार्यक्रम अपनाया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार ग्रामीण युवा वर्ग को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें स्व–रोजगार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को मिटाने के साथ–साथ बेरोजगारी को भी कम किया जा सके। इसके पश्चात् 1980 में ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले निर्माण कार्यो में स्थानीय श्रम को प्राथमिकता देकर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को पूरे देश में अपनाया गया । ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों की खस्ता हालत को देखते हुए वर्ष 1982 में डी0 डब्ल्यू0 सी0 आर0 ए0 कार्यक्रम महिलाओं एवं बच्चों में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने तथा उन्हें स्वस्थ जीवन देने के रूप में आरम्भ किया गया।

वर्ष 1983 में ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (R.L.E.G.P.) प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को औसत साल भर में 100 दिन का रोजगार दिया गया। इसमें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में वरीयता दी गई। एन0आर0ई0पी0 तथा आर0एल0ई0जी0पी0 कार्यक्रमों की समीक्षा करने के पश्चात् यह पाया गया कि इन कार्यक्रमों में लगाये गये धन का बहुत थोड़ा भाग वास्तविक लाभार्थी तक पहुँच पाया है। शेष धनराशि मध्यस्थों के बीच में खर्च हो गयी। इस त्रुटि को कम करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने अप्रैल 1989 में एन0आर0ई0पी0 तथा आर0एल0ई0जी0पी0 कार्यक्रमों को मिलाकर जवाहर रोजगार कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया जिसके प्रमुख रूप से दो लक्ष्य रखे गये–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा करना।
2. सामुदायिक उत्पादक परिसम्पत्ति का निर्माण करना।

इस योजना मे गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवार के एक सदस्य को कम से कम सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 30 प्रतिशत भाग महिलाओं के लिए आरक्षित अर्थात् कुल लाभार्थियों में से 30 प्रतिशत लाभार्थी महिला होगीं। इस योजना के खर्च का 80 प्रतिशत केन्द्र तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी। इस योजना के प्रारम्भ के दो वर्षो (1989–91) में लगभग 5045 करोड़ रूपये खर्च किए गये। भारत सरकार ने 24 सितम्बर, 1990 को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नये अवसर जुटाने तथा गरीब विद्यार्थियों को वजीफे के रूप में नई स्व–रोजगार योजना प्रारम्भ की गई, जिसमें प्रतिवर्ष एक लाख रोजगार के अवसर प्रदान किये गये तथा 70 हजार विद्यार्थियों के लिए वजीफों की व्यवस्था की गईं।

इस प्रकार ग्रामीण विकास हेतु अपनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों का समग्र अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास हेतु संगठित एंव नियोजित कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं में सम्भव हो पाया है। यद्यपि स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रयास किए थे, लेकिन शासन की बागडोर

अंग्रेजी सरकार के हाथों में रहने से इस दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् इन नेताओं ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पंचायती राज के रूप में ग्रामीण विकास हेतु प्रयास प्रारम्भ कर दिए। इसके बाद लगातार ग्रामीण विकास हेतु अनेक कार्यक्रम तैयार किए गये। विगत नौ पंचवर्षीय तथा अनेक वार्षिक योजनाओं के दौरान ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्य किए गए जिनमें हमें काफी कुछ सफलता मिली। यह सही है कि योजना में निर्धारित व्यय का बहुत कम भाग (20 प्रतिशत) वास्तविक लाभार्थी तक पहुँच पाया है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन आया है। गाँवों में सिचाई, बिजली, पेयजल, स्वास्थय, शिक्षा, सड़क आदि सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है।

सन्दर्भ

- अतुल कोहली : दि स्टेट एण्ड पावर्टी इन इण्डिया, दि पालिटिक्स ऑफ रिफामर्स,, कैम्ब्रिज चूनीवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज, 1907
- अली अशरफ ''उत्तर प्रदेश में पंचायती संस्थाएं'' , स्टडी ऑफ पंचायती राज इन स्टेट ऑफ इण्डिय, कान्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी, नई दिल्ली 1994
- अल्डरकर, हेटोल्ड एफ0 लोकल गर्वनमेण्ट इन डवलपिंग कन्ट्रीज न्यूयार्क एम0सी0ग्रा0 हिल बुक कम्पनी 1964
- अर्थवेवेद, दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली
- आई0एस0एस0 : रिपोर्ट आफ ए पैनल डिस्कशन आन कान्स्टीट्यूशन (72वां एमेंडमेट) बिल 1991 दि पंचायवस नई दिल्ली 1991
- ई एम0एस0 : नम्बूदरीपाद : पालिटिकल पार्टीज एण्ड पंचायतीराज दि इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाल्यूम 6 अंक 4 अक्टूबर– दिसम्बर 1962
- कश्यप सुभाष गुप्त विश्वप्रकाश 'राजनीति कोश' राज कमल प्रकाशन दिल्ली 1971
- कौशिश सुशीला पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पालिटिक्स नई दिल्ली आई0ए0 डब्लू एस0 एण्ड विकास 1983
- क्वांटेड इन मैटस किलर्वज, दि पंचायतराज ऑफ इण्डिया नई दिल्ली
- कृष्णानन एम0जी0 पंचायतीराज इन इण्डिया आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स 807 विजय बिल्डिंग ओ0पी0पी0 लोहा मण्डी जयपुर
- कोठारी रजनी डिसेन्ट्रलाइजेशन दि रियल इशू सेमिनार नं0 360 अगस्त 1989

*****

भारत–अमेरिका सम्बन्धों का भारत पर प्रभाव

अनिल कुमार सिंह*

भारत एक अरब से ज्यादा आबादी वाला देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी, कम से कम 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत के सातत्य के साथ बना हुआ है। भारत विश्व की गिनी–चुनी टेक्नोलॉजी शक्ति भी है। सूचना और संचार महाशक्ति के रूप में भारत उभरा है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भी भारत महान संभावनाओं वाला देश है। भारत एक जिम्मेदार परिपक्व और विवेकवान परमाणु शक्ति भी है। भारत की सैन्य शक्ति शांतिप्रिय और गैर राजनीतिक है। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक बड़ी बात यह है कि भारत ने अपने पिछले 5000 साल के इतिहास में कमी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। इसी पृष्ठभूमि के चलते अमेरिका भारत को अपना सच्चा साथी मानता है, जिसका भारत–अमेरिका के सम्बन्धों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।[1]

अपनी आजादी की आधी सदी की ज्यादातर अवधि में भारत ने अमेरिका के साथ दूरी बनाए रखी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने गुट–निरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने में मदद की, जिसे अमेरिकी विदेश नीति के विरोध के रूप में परिभाषित किया गया। नेहरू ने सोवियत संघ के साथ गठजोड़ किया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। भारत ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमले का समर्थन भी किया। भारत लगभग आधी सदी से एक लोकतांत्रिक देश रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था ने वैश्विक पूँजीवाद के लिए अपने दरवाजे बंद रखे। भारत ने ऐसे किसी भी कारण पर गौर नहीं किया, जिनके चलते वह अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ अपने सम्बन्ध बनाता। पिछले 15 वर्षो में जबसे भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार शेष विश्व के लिए खोले हैं, तबसे उसकी विदेश नीति का रूझान गुट निरपेक्ष आंदोलन से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गया। इस बदलाव का एक संकेत बीते अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी में देखने को मिला, जिससे अधिकांश विकसित देशों को चौंका दिया। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय समुदाय के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम की आलोचना के पक्ष में वोट दिया।

भारत के रूख में बदलाव की एक बड़ी वजह यह है कि वह 1998 में किये गये परमाणु परीक्षणों के बाद अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से छुटकारा पाना चाहता था। परमाणु शक्ति संपन्न देशों के समूह ने भारत के खिलाफ विभिन्न प्रतिबंध लगाकर उसे अलग–थलग कर दिया था। इस वजह से अब भारत के पास अपने बिजलीघरों के लिए पर्याप्त ईधन नहीं है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुश प्रशासन के साथ समझौता किया। इसके तहत भारत अपने सैनिक और नागरिक परमाणु कार्यक्रमों को अलग–अलग करेगा और नागरिक कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की इजाजत देगा। इसके बदले में अमेरिका भारत को संवेदनशील प्रौद्योगिकी का निर्यात आसान बनाएगा और अपने साथी देशों से प्रतिबंध खत्म करने के लिए कहेगा। चार्ल्स ग्रान्ट ने ठीक ही कहा कि अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन चाहेंगे कि प्रौद्योगिकी आपूर्ति करने वाला यह समूह प्रतिबंध उठा ले। इसलिए भारत को अमेरिका के साथ नजदीकियां बनाए रखना लाजमी है।[2]

रूस–चीन की दोस्ती ने भी अमेरिका को भारत के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुतिन ने अपने अनुभव से महसूस किया कि पश्चिम के देश खासकर अमेरिका रूस को गरीब और भूखा देश समझाता है, इसीलिए उसके साथ समय–समय पर अपमानजनक व्यवहार करता है। पुतिन ने यह भी महसूस किया कि चीन दुनिया में उभरता हुआ एक अत्यन्त ही मजबूत देश है, अतः उन्होंने चीन से आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धों को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसी बीच रूस और चीन ने 'संघाई कोऑपरेशन ओर्गेनाईजशेन' की, जिसे संक्षेप में 'एस0सी0ओ0 (SCO) कहते हैं, स्थापना की, जिसमें रूस और चीन के अलावा पड़ोसी देश कजाकिस्तान और तजाकिस्तान इसके सदस्य बने। परिणामस्वरूप अपने आर्थिक विकास में चीन ने रूस के अलावा इन देशों की भी मदद ली। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका और पश्चिम के देशों का विरोध करना शुरू किया। इसलिए इसके दबाव स्वरूप अमेरिका ने भारत की तरफ अपना रूख किया ताकि इस गठबन्धन का प्रभाव कम किया जा सके।[3] अमेरिका से मित्रता के कारण ही चीन भारत को अपना सामरिक प्रतिद्वन्दी मानने लगा है। यदि भारत की आर्थिक प्रगति जारी रही तो आर्थिक क्षेत्र में भी यह स्थिति आने वाली है।[4]

भारत के दक्षिण एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने का चीन विरोध कर रहा है। पाकिस्तान को फौजी और परमाणु मदद, म्यांमार की जमीन पर चीनी अड्डे तथा म्यांमार को शक्तिशाली हथियार बेचने व दान में देने की नीति, नेपाल में चीनी प्रभाव बढ़ाने के प्रयास इसके ज्वलेत उदाहरण है। भारत–अमेरिका परमाणु सौदे का चीन ने पुरजोर विरोध किया। चीन नहीं चाहता कि भारत–अमेरिका के रिश्तों में गुणात्मक सुधार हो।

*** शोध छात्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ,उ0प्र0**

चीन हमेशा इस बात से चिंतित रहा है कि भारत बड़ी शक्तियों से गठबंधन कर उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। पिछली सदी के पांचवें दशक में चीन इस बात से परेशान था कि भारत के अमेरिका के साथ दोस्ताना सम्बन्ध है। छठे से नौवें दशक तक उसकी चिंता सोवियत संघ से भारत की नजदीकी को लेकर थी। अब वह इस बात को लेकर सशंकित है कि अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ भारत जुड़ रहा है। चीन को लगता है कि भारत शक्ति संतुलन की राजनीति कर रहा है। जैसा कि शीतयुद्ध के दौरान वह खुद कर चुका है।

चीन की चिंता की एक बड़ी वजह यह भी है कि कहीं अमेरिका, यूरोप और जापान से नजदीकी के कारण भारत विश्व भर में उपभोक्ता वस्तुओं का वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता न बन बैठे। यही कारण है कि चीन ने संसाधनों से भरपूर मुसलिम देशों से मित्रता बढ़ानी शुरू की है। अमेरिका और रूस के साथ भारत के परमाणु करार से घबराया चीन अब इस्लामी देशों के सहारे एशिया में अपनी बादशाहत बनाए रखना चाहता है।[5]

समूह–चार के दो देश भारत व जापान न केवल चीन के पड़ोसी है बल्कि एशिया की राजनीति में ये दो देश ऐसे हैं जो उसके प्रभाव को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। जापान के साथ उसके (चीन) के ऐतिहासिक कारणों से सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं तो भारत को वह प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है। इसी तरह फ्रांस का सहसंयोजक होना इस बात का प्रतीक है कि उसकी लगातार कोशिश अमेरिका के प्रभाव को कम करने की रही है। फ्रांस यह अच्छी तरह समझाता है कि विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत समेत उन देशों के आ जाने के बाद अमेरिका का प्रभाव का कम होना और विश्व धीरे–धीरे एक ध्रुवीय व्यवस्था के स्थान पर बहुध्रुवीय व्यवस्था में तब्दील हो सकता है। एक और जहां अमेरिका जापान को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने के लिए उत्सुक है वहीं चीन उसका घोर विरोधी है। जहाँ तक भारत को मिलने वाले अमेरिकी समर्थन का प्रश्न है तो वह भारत को चीन के मुकाबले एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में देखता है किन्तु इसके बदल वह कई तरह के आश्वासन भी मांग सकता है मसलन सुरक्षा के मामलों में अमेरिकी हितों का समर्थन व व्यापारिक रियायतें आदि।[6]

हमें यह सोचने की जरूरत है कि अमेरिका ने भारत को परमाणु सन्धि क्यों प्रस्तावित किया। यदि भारत की स्थिति आज भी वैसी ही होती जैसी, 50–60 और 70 दशक में भी अर्थात् जब वह विदेश से खाद्यान्न मंगाता था, विदेशी सहायता पर निर्भर था और साढ़े तीन प्रतिशत की विकास दर के साथ प्रगति कर रहा था तो दुनिया ने भारत पर इस तरह ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई होती।

इसके विपरीत आज भारत एक शक्तिशाली देश है, जिसकी विकास की रफ्तार 8 प्रतिशत के करीब है और जो दुनिया के चार या पांच सबसे बड़े बाजारों में शामिल हो चुका है। यह मुख्य कारण है कि अमेरिका के साथ–साथ दुनिया के बड़े देश भारत में रूचि ले रहे हैं। विकास की यही रफ्तार उसी जी–8 में भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में ले आई है जो विश्व के आठ सबसे बड़े औद्योगिक देशों का संगठन है। विश्व के बड़े औद्योगिक देश भारत की आर्थिक प्रगति से लाभान्वित होना चाहते हैं। इसके साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि एशिया में कोई ऐसी महाशक्ति उभरे जो चीन की ताकत के लिए संतुलन का कार्य करें। परिस्थितियों में आये इसी बदलाव के कारण अमेरिका और दूसरे बड़े देश भारत के साथ जनदीकी रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित हुए है न कि इसलिए कि उनके व्यवहार में कोई तब्दीली आ गई है।[7]

2001 में जम्मू कश्मीर एसेम्बली और भारतीय संसद पर आतंकवादी आक्रमण के पश्चात् पाकिस्तान ओर भारत एक–दूसरे के विरूद्ध सेनाएं खड़ी कर दी थीं। अमेरिका के ही दबाव में युद्ध टला था।[8]

1998 में आणविक विस्फोट के पश्चात अमेरिका ने जो प्रतिबन्ध लगाये थे, उन्हें हटाया US. India defence policy grant का गठन किया गया जिसने अपनी पहली ही मीटिंग में सामरिक साझेदारी का निर्णय लिया और इस निर्णय को क्रियान्वित करते हुए साझा सैन्य ट्रेनिंग तथा रक्षा सामानों की आपूर्ति शुरू की। आज की सेना आधुनिकतम हथियारों से लैस है।

सन् 2004 में भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी के अगले गदम (Next Step in the Strategic Parthership) नाम का एक समझौता हुआ जिसमें सुरक्षा से सम्बन्धित उन तमाम पहलुओं का उल्लेख किया गया जिनमें आगे काम करना और साथ ही अमेरिका ने भारत को एक 21वीं शताब्दी की महान विश्व–शक्ति बनाने का वचन दिया।[9] आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई के दौरान अमेरिका का यह प्रयास रहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध न हो क्योंकि उससे वे केवल ओसामा को खोजने में दिक्कत होगी बल्कि भयानक सर्वविनाशकारी विश्वयुद्ध छिड़ जायेगा।[10] भारतीय महासागर में अमेरिकी सेनाओं की उपस्थिति से भारत को आवश्यकता पड़ने पर आसानी से मदद मिल सकती है।[11] इससे भारत अपनी सुरक्षा के विषय में अब अधिक आश्वस्त और तनावमुक्त है।

इस प्रकार भारत–अमेरिका सम्बन्धों का भारत की विदेश नीति, व्यापार, कृषि, शिक्षा, रक्षा, सहित तमाम क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसका ही प्रभाव है कि आज भारत को विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त हो रहा है, जो भारत को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। निश्चित रूप से इससे 21वीं सदी में उभरते बहु–ध्रुवीय विश्व में भारत एक महत्वपूर्ण धुरी बनकर उभर रहा है–ऐसी धुरी जिसकी उपेक्षा कोई राज्य या राज्य समूह नहीं कर सकता है।

सन्दर्भ

1. दीनानाथ मित्र, सुरक्षा परिषद में हमारी दावेदारी, दैनिक जागरण, 24 सितम्बर 2004
2. हिन्दुस्तान, संपादकीय, 26 जनवरी 2006
3. डॉ0 गौरीशंकर राजहंस, रूस–चीन की दोस्ती अमेरिका के लिए सिरदर्द, आज, 12 मई 2009
4. Vinod Saxena, US-China India Relationship: in Sekher Basu Roy, P- 160
5. अरूण कुमार, चीन की कूटनीति से सावधान, अमर उजाला, 16 फरवरी 2009
6. जनसत्ता एक्सप्रेस, संपादकीय, 11 जून 2005
7. के0 सुब्रहमण्यम, दुनिया के साथ भारत का नाता, दैनिक जागरण, 7 अगस्त 2006
8. R.R. Mukherjee, India-US relations in sekher basu roy (ed.) India and Amerika Futur portends P-19
9. वही, पृ0 19
10. विनोद सक्सेना, पूर्वोक्त पृ0 164
11. विनोद सक्सेना, वही, पृ0 168

*****

दण्डनीति एवं त्रिवर्ग का सम्बन्ध

अवध कुमारी सिंह*

दण्डनीति की उत्पत्ति कब हुई, प्रामाणिक रूप से यह बताना कठिन कार्य है। उपाख्यानों तथा कथाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय का शास्त्रीय अध्ययन एवं चिन्तन वैदिक युग की समाप्ति के पश्चात् हुआ। विद्वानों का विचार है कि आन्वीक्षकी, त्रयी तथा वार्ता को मानवीय उपयोग हेतु सुव्यवस्थित करने के लिए दण्ड को परमावश्यक माना गया था और दण्ड का सम्यक प्रयोग का ज्ञान जिस विधा से होता था, वही दण्डनीति थी। डी.आर. भण्डारकर ने भी यह स्पष्ट किया कि आचार्य कौटिल्य से पूर्व भी दण्डनीति विषयक प्रचुर साहित्य था। जैसे – मनु तथा शुक्र द्वारा प्रतिपादित चार विचारधाराएं थीं। इनके अतरिक्त भारद्वाज, विशालाक्ष, पाराशर, पाराशर पुत्र पिशुनाचार्य; नारदद्ध, कौणापदंत; भीष्म, वातव्याधि तथा बाहुदंती; महेन्द्र द्वारा रचित राजतंत्र सम्बन्धी ग्रंथ भी थे, इसका संदर्भ मात्र कौटिल्य में हीं नहीं अपितु महाभारत के शांतिपर्व के 55वें अध्याय में भी उपलब्ध है। अतः कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में दण्डनीति की उत्पत्ति ईसापूर्व 700 वर्ष पहले ही हो चुकी थी।

महाभारत में दण्डनीति –

महाभारत के शांतिपर्व में चार विधाओं का उल्लेख है – आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता एवं दण्डनीति इन सभी की उत्पत्ति एक साथ मानी गयी है। सृष्टि के प्रारम्भ में मानव सुखी एवं शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। लोगों की आसुरी प्रवृत्तियाँ सुसुप्तावस्था में थी। कालान्तर में आसुरी प्रवृत्तियाँ जागृत हो गयीं, जिसके फलस्वरूप जीवन कलहपूर्ण तथा यातनामय हो गया तथा समाज में मत्स्यन्याय की स्थिति आ गयी। इससे मुक्ति हेतु लोगों ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने लोक कल्याण हेतु एक लाख अध्यायों से युक्त एक बृहदाकार ग्रंथ की रचना की तथा तद्नुसार आचरण करने का निर्देश दिया। जिससे मत्स्यन्याय तथा आचरण स्थिति से मुक्ति पाकर सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवनयापन कर सके। ब्रह्मा द्वारा रचित ग्रंथ दण्डनीति प्रधान था। चूंकि संसार का सुचारू रूप से संचालन दण्डनीति के अधीन है अतः यह ग्रंथ दण्डनीति शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चूंकि ब्रह्मा द्वारा रचित दण्डनीति विषयक ग्रंथ विशाल आकार का था, अतः विशालाक्ष भगवान शिव ने सर्वप्रथम दस हजार श्लोकों में संक्षिप्त किया, पुनः बाहुदत्त; इन्द्र ने पांच हजार श्लोकों में वृहस्पति ने तीन हजार तथा आचार्य शुक्र ने एक हजार श्लोकों में संक्षिप्त किया। अतः महाभारत से स्पष्ट होता है कि दण्डनीति की उत्पत्ति सृष्टि रचना के कुछ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात् हुई।

अर्थशास्त्र में दण्डनीति –

कौटिल्य के काल तक अर्थशास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके थे, परन्तु कौटिल्य का पूर्ववर्ती एतद् विषयक कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कौटिल्य का भी विचार यही है कि दण्ड के सम्यक् प्रयोग को ही दण्डनीति कहते हैं। इनके अनुसार अर्थशास्त्र अप्राप्त को प्राप्त कराने वाली प्राप्त अर्थ की रक्षा करनेवाली, रक्षित अर्थ की वृद्धि करने वाली, वृद्धि प्राप्त अर्थ को वृद्धों एवं पूज्यों की सेवा हेतु व्यय में समर्थ बनाने वाली विद्या है। समस्त लोक यात्रा इस दण्ड के अधीन मानी गयी है। अतः स्पष्ट है कि कौटिल्य प्रणीत 'अर्थशास्त्र' के अनुसार दण्डनीति की उत्पत्ति आन्वीक्षकी, त्रयी तथा वार्ता के साथ हुई है।

नीतिशास्त्र में दण्डनीति –

नीतिशास्त्र साहित्य में शुक्रनीतिसार प्रतिनिधि ग्रंथ है। शुक्र मानवीय कल्याण हेतु मात्र एक ही विधा दण्डनीति को मान्यता प्रदान करने वाले अग्रणी विचारक है। शुक्रनीति में दण्डनीति को नीतिशास्त्र कहा गया है। इसके अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने शुक्र को नीतिशास्त्र का उपदेश दिया। ब्रह्मा द्वारा प्रदान किये गये नीतिशास्त्र को शुक्राचार्य ने विद्वान ऋषियों को दिया। उस समय नीतिशास्त्र के श्लोकों की संख्या एक करोड़ थी। शुक्रनीति के अनुसार इस नीति का अभ्यास करने से लोकशासन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। यह नीतिशास्त्र धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि का प्रमुख कारण है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है, कि दण्डनीति की उत्पत्ति आदि काल में हुई है तथा आदि प्रणेता स्वयं ब्रह्म हैं।

धर्मशास्त्रों में दण्डनीति की उत्पत्ति–

धर्मशास्त्र का उद्देश्य विभिन्न धर्मों की व्याख्या करना तथा मानव के इहलौकिक एवं पारलौकिक सुख–शान्ति हेतु प्रयत्न करना है। परन्तु इसकी प्राप्ति में सर्वाधिक बाधा मानव प्रकृति है, मनुष्य में सुर व असुर दोनों प्रवृत्तियाँ होती है। आसुरी प्रवृत्तियों की अधिकता के कारण मानव धर्म से अलग होकर अधर्म की ओर प्रवृत हो जाता है। इसके फलस्वरूप समाज मे अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न होती है और मत्स्य न्याय प्रारम्भ हो जाता है। मानव के इस

*** शोध छात्रा, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ,उ0प्र0**

पतन को रोकने के लिए दण्ड का विधान किया जाता है। दण्ड मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियों का दमन एवं उसे धर्मानुकूल जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार दण्ड के पूर्ण व सम्यक् प्रयोग के विधिवत ज्ञान हेतु दण्डनीति का प्रयोग हुआ। मनु का मत है कि सम्पूर्ण मानव जाति का कल्याण स्वधर्म पालन में है। परन्तु समाज में ऐसे मनुष्य भी रहते हैं, जिसमें धर्म परायणता का अभाव होता है। ऐसे अधर्मी को स्वधर्म पालन के लिए दण्ड के द्वारा ही बाध्य किया जा सकता है। अतः दण्ड की व्यवस्था का समाज में होना आवश्यक है। मनु का कथन है कि दण्ड का सृजन स्वयं ईश्वर ने किया है। असम्यक् प्रयोग करने से प्राणिमात्र का नाश होता है। अतः दण्ड के सम्यक् प्रयोग हेतु ही दण्डनीति का निर्माण किया गया है, इस प्रकार मनु के अनुसार धर्म एवं दण्ड की उत्पत्ति एक साथ हुई।

नारद स्मृति मे भी मनु को धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता स्वीकार किया गया है, अतः धर्मशास्त्रके साथ ही दण्डनीति की उत्पत्ति मानी गयी है, मनु का विचार है कि दण्ड ही सम्पूर्ण प्रजा पर शासन करता है, दण्ड सबकी रक्षा करता है तथा सबके सो जाने पर दण्ड ही जागता है। दण्ड भय से लोग चोरी नहीं करते एवं विद्वान लोग दण्ड को ही धर्म मानते हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य को राज्य रूप में रहने के लिए दण्ड अनिवार्य है। यह लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। दूसरे शब्दों में धर्म प्रचार का साधन दण्ड ही है। मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि दण्ड देवता के रूप में अपनी काली आवृत्ति एवं शक्तिमय नेत्रों से पापियों का विनाश करताहै तथा निर्दोष लोगों को शान्ति एवं सुरक्षा प्रदान करता है जिस राज्य में दण्ड देवता भ्रमण करते हैं, प्रजा कष्ट की अनुभूति नहीं करती है तथा राजा पूर्णतः अपनी स्थिति का सुख भोगता है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शुक्र एवं मनु दोनों ने दण्ड की महत्ता को स्वीकार किया है तथा शासन–प्रशासन को चलाने में इसकी अनिवार्यता व्यक्त की है।

दण्डनीति एवं त्रिवर्ग का सम्बन्ध –

दण्डनीति एवं त्रिवर्ग के पारस्परिक सम्बन्धों पर विद्वानों ने विशेष ध्यान अब तक नहीं दिया है। वास्तव में दण्डनीति की अवधारणा को तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होती है, जब तक कि त्रिवर्ग से इसके सम्बन्ध को स्पष्ट न किया जाये। दण्डनीति विज्ञान एवं त्रिवर्ग का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध इसी से स्पष्ट हो जाता है कि धर्मसूत्र में दण्डनीति को त्रिवर्ग विद्या कहा गया है। दूसरे शब्दों में दण्डनीति जीवन के तीनों पुरूषार्थों; धर्म, अर्थ एवं कामद्ध के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। सम्पूर्ण राजधर्म का प्रमुख कार्य इन पुरूषार्थों की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना बताया गया है। त्रिवर्ग मे धर्म, अर्थ एवं काम आते हैं, जिसमे वृहस्पति नीतिसार के अनुसार धर्म सर्वाधिक महत्व का है। धर्म एक ऐसा शब्द है, जिसका सदैव विभिन्न प्रकार से आह्वान किया गया है तथा अनेक प्रकार से इसका उपदेश दिया गया है। धर्म एक अनुशासन पर आधारित है। इस धर्म में ही व्यक्ति एवं समाज धर्म एवं दर्शन तथा इहलोक एवं परलोक में मनुष्य एवं परमात्मा का मिलन होता है, इस प्रकार धर्म समाज का संयोजक प्रेम का बंधन तथा परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। अतः धर्मरूपी पौधे का पोषण सर्तकता से करना चाहिए, क्योंकि इसी से समस्त कार्यों का उद्भव होता है।

महाभारत में स्पष्टतः कहा गया है कि जो राजा अर्थ एवं काम से वंचित रहता है परन्तु धर्मयुक्त होता है, दीर्घकाल तक राज्य करता है। दण्डनीति की लगाम अथवा हाथीके अंकुश के समान है, जो समाज के चारों वर्णों को धर्मानुकूल आचरण करते रहने के लिए बाध्य करती है। राजा को युग निर्माता स्वीकार करते हुए कहा गया है कि राजा अपने सत्कर्मों से कलियुग को कृतयुग बना सकता है, भीष्म ने कहा है कि राजा ही युग है। सामयिक एवं निष्पक्ष न्याय ही धर्म है, तथा धर्म का मूल है। धर्म का प्रतिफल देवत्व एवं स्वर्ग प्राप्ति अर्थ का योग प्राप्ति, काम की संतुष्टि प्राप्ति है तथा मोक्ष इन तीनों के बन्धनों से मुक्ति की प्राप्ति है। इस प्रकार महाभारतकार का मत है कि जीवन में त्रिवर्ग की प्राप्ति में ऐसा स्वस्थ प्रतिबंध होना चाहिए, कि अंततोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हो सके। दूसरे शब्दों में त्रिवर्ग की प्राप्ति एवं आध्यात्मिक स्तर में समुचित समन्वय तथा ऐक्य का होना नितांत आवश्यक है। जो राजा धर्म तथा अर्थ का परित्याग कर मात्र काम की ही प्राप्ति में लीन रहता है, वह विनाश को प्राप्त होता है तथा उसकी ज्ञान शक्ति समाप्त हो जाती है, ऐसे राजा के राज्य में दुष्ट व्यक्तियों की प्रचुरता होती है तथा राज्य अनेक प्रकार से विपत्तिग्रस्त रहता है। अतः राजा को अपने राज्य में पूर्वजों द्वारा अनुसारित धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए। यदि सूक्ष्म रूप से दृष्टि डाली जाये तो ज्ञात होगा कि महाभारत के प्रत्येक पर्व में त्रिवर्ग के सम्बन्ध में कुछ न कुछ वर्णित है। सभापर्व के पंचम अध्याय में नारद मुनि ने युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए धर्म, अर्थ एवं काम को परस्पर संयुक्त माना है। महात्मा विदुर के अनुसार राज्य की भांति ही त्रिवर्ग का स्रोत धर्म है। महाभारत के शांति पर्व के एक प्रसंग में अर्थ के महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर शोक संतृप्त युधिष्ठिर जब राज्य का परित्याग कर वन जाना चाहते हैं तो अर्जुन ने उन्हें समझाते हुए कहा है कि अर्थ ही धन तथा काम का साधन है तथा अतंतोगत्वा इसी के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अर्थ के अभाव में जीवन जीने योग्य नहीं होता है, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में तालाब सूखकर व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार अर्थ रूपी जल के अभाव के कारण संसार में मनुष्य सर्वथा अयोग्य बन जाता है। समाज का विकास एवं कल्याण अर्थ पर ही निर्भर है।

मनु एवं शुक्र दोनों ने त्रिवर्ग धर्म, अर्थ एवं काम की महत्ता स्वीकार की है। मनु काविचार है कि धर्म, अर्थ एवं काम तीनों अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं, धर्म की अवज्ञा से विपत्ति आती है। अतः अनेक कठिनाइयों में रहते हुए भी धर्म विरूद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अर्थ एवं काम के उन साधनों का जो धर्म विरूद्ध

हों, परित्याग कर देना चाहिए। मनु के अनुसार राजा को दिन के मध्य अथवा रात्रि में अपने मंत्रियों एवं पुरोहितों से परामर्श कर धर्म, अर्थ एवं काम के अनुसार ही न्याय–प्रशासन के संचालन का प्रयत्न करना चाहिए।

शुक्र का विचार है कि नीतिशास्त्र त्रिवर्ग का मूल है, जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। अतः राजा को धर्म, अर्थ एवं काम से जुड़ी हुई नीति का अध्ययन करते रहना चाहिए इससे ज्ञानी राजा शत्रु जयी बनता है तथा इसी से वह अपनी प्रजा के सुख का कारण बनता है। शुक्र ने नहुष एवं वेन राजा का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि नीति विरूद्ध आचारण के कारण ही वे नरकगामी बने।

इनके अतिरिक्त कौटिल्य, वात्सायन आदि विचारकों ने भी त्रिवर्ग के महत्व को स्वीकार करते हुए इनके आपसी सम्बन्धों को प्रमुखता दी है। कौटिल्य ने त्रिवर्ग को जीवन के तीन उद्देश्य स्वीकार करते हुए कहा कि इनमे अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हैं। अतः जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु धर्म, अर्थ एवं काम का समान महत्व है। यदि कोई व्यक्ति इनमें से मात्र किसी एक पर केन्द्रित होकर अन्य दोनों की उपेक्षा करता है तो उसे जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं होगी, कौटिल्य का मत है कि काम की प्राप्ति इस प्रकार करनी चाहिए कि धर्म एवं अर्थ प्राप्ति के मार्ग में बाधा न आ सके। अर्थ को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि धर्म तथा काम अर्थ से ही उत्पन्न होते हैं। वात्सायन का भी यही मत है कि राजा के लिए अर्थ का धर्म एवं काम की अपेक्षा अधिक महत्व है क्योंकि अर्थ द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था की जाती है, तथा देश के शासन का सुचारू रूप से संचालन होता है।

कामंदक का विचार है कि दण्ड के सम्यक् प्रयोग से ही त्रिवर्ग की वास्तविक रूप से प्राप्ति की जा सकती है। इनके अनुसार मानव जीवन के तीनों पुरुषार्थों का विकास होता रहता है।

कामंदक की टीका करते हुए शंकराचार्य ने लिखा है कि धर्म अनेक जन्म जनमान्तरों में संकलित एवं परिपोषित प्रयास का फल होता है तथा अर्थ का उदय इसी से होता है। अतः अर्थ के अभाव में ये कोई भी सुख सम्भव नहीं है, समुचित काम के अभाव में प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं हो सकती। द्वेष एवं घृणा काम के विरूद्ध है। निष्कर्षतः कामंदक ने स्पष्ट किया है कि त्रिवर्ग में किसी एक की अति हानिकारक है, त्रिवर्ग के महत्व को स्वीकारते हुए उनका कहना है कि धर्म का अतिक्रमण काम व अर्थ को नष्ट कर देता है और अतंतोगत्वा धर्म भी समाप्त हो जाता है। इसलिए कामंदक ने अत्यधिक दान एवं तप की संस्तुति नहीं की है। अर्थ के अति को भी वर्जित किया है। काम में अधिक लिप्सा तथा अर्थ का अनुचित प्रयोग जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समाप्त कर देगा।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय चितंन में त्रिवर्ग के सम्बन्ध में दो विचारधाराओं का प्रचलन रहा है, एक धर्म को सर्वप्रधान स्वीकार करती है, दूसरी अर्थ को प्रधान स्वीकारते हुए भी धर्म विरोधी नहीं है। परन्तु निष्कर्षतः यही स्पष्ट होता है कि धर्म, अर्थ एवं काम का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है, इसको मनु, शुक्र सहित सभी विचारकों ने स्वीकार किया है। त्रिवर्ग की निर्वाध वृद्धि हेतु प्रभावशील एवं सम्यक् दण्ड व्यवस्था नितांत अनिवार्य है। अतः राज्य को; दण्डनीति को ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिए कि समुचित रूप से त्रिवर्ग की प्राप्ति होती रहे, तथा राज्य में सुख एवं समृद्धि की वृद्धि होती रहे। संक्षेप में त्रिवर्ग की समुचित प्राप्ति दण्डनीति के सम्यक् संचालन पर ही निर्भर है।

*****

भारतीय संविधान में उपबंधित आपातकालीन शक्तियों का औचित्य

इन्द्र कुमार चर्तुवेदी*

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में यूनान के प्राचीन नगर राज्यों की उत्पत्ति के समय से ही आपातकाल राजव्यवस्था का अनिवार्य अंग रहा है। आपातकाल सामान्यतया उतने रूपों में हो सकता है, जितने रूपों में मनुष्य की समस्यायें हो सकती हैं। इस हेतु लगभग समस्त लोकतांत्रिक देशों में आपातकालीन प्राविधानों की व्यवस्था होती है।

भारतीय संविधान में भी इसी आशय के उपबंध का वर्णन अनुच्छेद–352 से अनुच्छेद–360 तक किया गया है। भारतीय संविधान का कोई भी भाग इतना अधिक आलोचना का विषय नहीं रहा, जितना की भाग 18, जिसमें कि आपात उपबन्धों का वर्णन है। संविधान सभा में भी इन उपबन्धो पर अत्यधिक चर्चा हुई थी। संविधान सभा के कई प्रमुख सदस्यों ने इन उपबन्धों का विरोध किया था। उनका विचार था कि ये उपबन्ध लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर सकते हैं, इसके बावजूद अधिकांश सदस्यों ने इन उपबन्धों का समर्थन किया और परिणाम स्वरूप संविधान में इसे स्थान मिला।

विगत 67 वर्षों में हमने यह देखा है कि इन आपात उपबंधों का कई बार विरोध हो चुका है तथा साथ ही सैकड़ों बार दुरूपयोग भी हुआ है। कई ऐसे ज्वलंत उदाहरण मौजूद है जिसमें सत्ताधारी दल के द्वारा संविधान के उपबन्धों तथा परम्पराओं को दरकिनार करके राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। कई बार रातों–रात बहुमत वाली सरकार को बर्खास्त करके विपक्षी दल के नेता को अथवा बागी नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी गयी तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार के ऐसे कृत्य को असंवैधानिक घोषित किया गया। सन् 1975 में अनुच्छेद–352 के अन्तर्गत की गयी 'आन्तरिक अशांति' के आधार पर आपात उद्घोषणा आपात उपबन्ध के दुरूपयोग का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि आपात उपबन्धों का एक समग्र अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जाय तथा पता लगाने का प्रयास किया जाय कि किन ढंगों से इन उपबंधों का सुचारू संचालन किया जाये, जिससे राज्य का लोकतांत्रिक ढांचा भी बरकरार रहे और जनता के अधिकार भी सुरक्षित रह सके। संविधान के इन आपातकालीन प्रावधानों या राष्ट्रपति की इन संकटकालीन शक्तियों का 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान जिस प्रकार से दुरूपयोग किया गया उससे इन प्राविधानों के विरूद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होना नितान्त स्वाभाविक था। परिणामस्वरूप आम चुनावों कांग्रेस (आई) को हराकर जनता पार्टी सत्ता में आई। सन् 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी संविधान के आपातकालीन प्राविधानों में ऐसे परिवर्तन करने के लिए वचनबद्ध थी, जिससे वर्तमान या भविष्य के शासक वर्ग द्वारा इन प्रावधानों का दुरूपयोग न किया जा सके। अतः 44वें संवैधानिक संशोधन (अप्रैल, 1979) द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई और इस संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्राविधानों की स्थिति निम्नवत् हैं :–

(क). युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से सम्बन्धित संकटकालीन व्यवस्था – मूल संविधान के अनुच्छेद–352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शान्ति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है तो यथार्थ रूप में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता था। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह दो माह तक लागू रहती और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन जब तक उसे लागू रखना चाहता, लागू रख सकता था। 44 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अग्र व्यवस्थाएं की गई है, जिससे शासक वर्ग के द्वारा इन संकटकालीन शक्तियों का दुरूपयोग न किया जा सके। **प्रथम,** राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल तभी घोषित किया जा सकेगा, जबकि मंत्रिमण्डल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। **द्वितीय,** इस प्रकार का आपातकाल अब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आन्तरिक अशान्ति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। **तृतीय,** राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा किए जाने के एक माह के अन्दर संसद के विशेष बहुमत (पृथक–पृथक संसद के दोनो सदनो के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यो के दो तिहाई बहुमत) से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। **चतुर्थ,** लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी। **पंचम,** 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किए गए 38 वें संविधान संशोधन को भी रद्द कर दिया गया, जिसमें व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा 352वें अनुच्छेद के अन्तर्गत की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती

*** शोध छात्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ,उ0प्र0**

नहीं दी जा सकेगी। इस प्रकार अब राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई आपातकाल की घोषणा को **'न्याय योग्य'** बना दिया गया है अर्थात् अब आपातकालीन घोषणा को सम्बन्धित न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। **षष्ठम्**, मूल संविधान में व्यवस्था थी कि अनुच्छेद–352 के अधीन संकटकाल की घोषणा पूरे देश के लिए ही की जा सकती थी, देश के केवल किसी एक या कुछ भागों के लिए नहीं। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद–352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश के लिए या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए की जा सकती है। 42वें संवैधानिक संशोधन की इस व्यवस्था को बनाए रखा गया है।

(ख). राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने पर – संविधान के अनुसार संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक अशांति से रक्षा करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए। अनुच्छेद–356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसा संकट घोषित करने की विधि वही है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। मूल संविधान के अनुसार संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस अवधि को एक वर्ष कर दिया गया था, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस अवधि को पुनः 6 माह कर दिया गया है। 44वें संवैधानिक संशोधन से पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि तीन वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में यह परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के एक वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा, जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद–352 के अन्तर्गत संकटकाल लागू हो अथवा चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना सम्भव नहीं है।

(ग). वित्तीय संकट से सम्बन्धित आपात उद्घोषणा – अनुच्छेद–360 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही प्रक्रिया निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है। अब तक अनुच्छेद–360 के अर्न्तगत आपातकाल के घोषणा की नौबत नहीं आई है।

संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन

भारतीय संविधान के निर्माण के समय से ही राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों की आलोचना होती रही है। संविधान सभा के सदस्यों और अन्य संविधान वेत्ताओं दोनों के ही द्वारा इस सम्बन्ध में आशंकायें व्यक्त की गयी है। जिस दिन ये उपबन्ध पारित हुए, उस दिन भी हरि विष्णु कामथ ने संविधान सभा में कहा था ''यह शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करें।'' इसी प्रकार के0 टी0 शाह ने संविधानसभा में कहा था ''ये उपबन्ध प्रक्रियात्मक एवं पश्चात्गामी अध्याय का शानदार उपसंहार तथा सर्वोच्च गौरव है। इन उपबन्धों पर दो विचारधाराओं का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। केन्द्र के हाथों में इकाइयों के विरूद्ध विशेष सत्ता प्रदान करना तथा जनता के विरूद्ध शासन को शक्तिशाली बनाना।'' इस अध्याय के उपबन्धों का भली–भांति अध्ययन करने के बाद तथा इसके प्रत्येक अनुच्छेद में दी गयी सत्ता की समीक्षा करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में लोकतंत्र तथा स्वाधीनता का नाम ही बाकी बचेगा।'' संविधान के आपात उपबन्धों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है :–

1. **शासन के संघात्मक स्वरूप के समाप्ति की आशंका होना–** संविधान द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है लेकिन संविधान के ये संकटकालीन उपबन्ध संघात्मक शासन व्यवस्था का आधारभूत स्वरूप ही समाप्त कर देते है। संवैधानिक तन्त्र की विफलता के समय राज्य सरकार लगभग समाप्त ही हो जाती है और उसकी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अंशतः या पूर्णतः निलम्बित ही हो जाती है। इसी प्रकार युद्धकालीन या वित्तीय संकट में राज्य सरकारों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण अत्यधिक बढ़ जाता है। परिणामतः राज्य सरकार का स्वरूप एक ऐसा अभिकर्ता जैसा हो जाता है, जिसका कार्य संघीय सरकार के आदेशों का पालन करना भर हो। इन संकटकालीन उपबन्धों के कारण ही श्री टी0टी0 कृष्णामाचारी ने संविधानसभा में कहा था कि ''भारतीय संविधान साधारण काल में संघात्मक तथा युद्ध एवं संकटकालीन परिस्थितियों में एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है।''[1]

2. **राष्ट्रपति के अधिनायक बनने की सम्भावना–** संविधान सभा के अनेक सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के इन अधिकारों की तुलना जर्मनी के बाइमर गणतंत्र के संविधान (1919) के अनुच्छेद–48 से की गई है, जिसका लाभ उठाकर हिटलर एक तानाशाह बनने में सफल हुआ था। आलोचकों का मानना है कि संविधान के अनुसार संकट की स्थिति का सबसे बड़ा निर्णायक राष्ट्रपति ही है और राष्ट्रपति के द्वारा संसद से पूछे बिना भी संकटकालीन घोषणा एक माह के लिए लागू की जा सकती है। एक माह की इस अवधि में यह मंत्रिमण्डल को पदच्युत करके तथा लोकसभा को भंग करके लगभग 06 या 07 माह तक मनमाना शासन कर ही सकता है। अतः आलोचकों का विचार है कि भारत में भी एक महत्वाकांक्षी सत्तालोभी राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का दुरूपयोग कर एक अधिनायक बन सकता है।

3. **शक्तियों का राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दुरूपयोग सम्भव होना–** अनुच्छेद–356 के अन्तर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संकटकालीन घोषणा का जो प्राविधान किया गया है उसके सम्बन्ध में प्रारम्भ

से ही भय प्रकट किया गया है कि केन्द्र का शासक दल राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य में विरोधी दलों के सरकारों का दमन कर सकता है। 1959 में केरल के साम्यवादी मंत्रिमण्डल को जिस प्रकार से पदच्युत किया गया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार की आशंका व भय निराधार नहीं है। कुछ अन्य राज्यों में लागू किये गये संकटकाल के पीछे भी अप्रत्यक्ष रूप में यह भावना देखी जा सकती है। 1967 में चतुर्थ आम चुनाव के बाद जो राजनीतिक स्थिति सामने आई उसके बाद राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उ0प्र0,बिहार, हरियाणा, और पंजाब आदि में संवैधानिक संकट की घोषणा की गई, उसके सम्बन्ध में यह आरोप लगाया जाता है कि केन्द्र के शासक दल द्वारा अपने दलीय हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार के संकटकाल की घोषणा की गयी। मार्च, 1967 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में इस प्रकार की आशंका बहुत कुछ सीमा तक सत्य भी है। 1977 तथा 1980 में जिस प्रकार से 9 राज्यों की विधानसभा भंग की गई उससे भी इस आशंका को बल मिलता है कि अनुच्छेद–356 का राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दुरूपयोग किया जा सकता है। अक्टूबर 1997 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेंश भण्डारी की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद–356 के तहत केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश के पुनर्विचार के लिए लौटा कर राष्ट्रपति के0आर0 नारायणन् ने न केवल एक वैध राज्य सरकार को बचा लिया बल्कि संविधान की रक्षा का दायित्व भी निभाया। सितम्बर 1998 में राष्ट्रपति के0आर0 नारायणन् ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने से इंकार कर दिया। इससे पूर्व 22 सितंबर 1998 के बिहार के राज्यपाल सुन्दर सिंह भण्डारी की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रपति से सिफारिश की थी कि वे बिहार की राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे और राज्य विधानसभा को स्थगित कर दें। राष्ट्रपति ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के बिहार सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश पर पुनः विचार करने के लिए कहा। राष्ट्रपति की भावना का सम्मान करते हुए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का विचार त्याग दिया। वस्तुतः राष्ट्रपति ने यह इंगित किया था कि बोम्मई के मामले में दिये गये उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य को चेतावनी नहीं दी गई थी अतः वे केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की सिफारिश मानने के लिए असमर्थ थे। यद्यपि 12 फरवरी, 1999 को बिहार में पुनः राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया गया जब रणवीर शेखा के सदस्यों द्वारा 12 दलितों की निर्मम हत्या कर दी गयी। राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया लेकिन बोम्मई के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार विधानसभा को भंग नहीं किया गया। लोकसभा द्वारा बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणा का अनुमोदन हो गया। लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत था जिसने उसका विरोध करने का निर्णय लिया। फलतः सरकार ने उद्घोषणा को राज्यसभा में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया और 12 मार्च 1999 को उद्घोषणा को वापस ले लिया।

डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद–356 के दुरूपयोग की संभावना पर टिप्पणी करते हुए संविधान सभा में कहा था कि ''मैं इस बात से पूरी तरह इंकार नहीं कर सकता कि इन उपबंधों का दुरूपयोग राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है।''[2] डॉ0 अम्बेडकर की आशंका निराधार नहीं थी और कुछ उदाहरणों में अनुच्छेद–356 के दुरूपयोग को दृष्टि में रखते हुए प्रो0 के0वी0 राव का कहना है कि ''इसमें संदेह नहीं है कि हमारे संविधान में अधिक असंघीय लक्षण है, लेकिन इस अनुच्छेद–356 को उनमें सर्वोपरि कहा जा सकता है।'' वास्तव में संविधान निर्माताओं ने जिसे विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किया जाने वाले ''अभयदीप'' के रूप में उल्लेख किया, व्यवहार में केन्द्रीय सरकार ने उसे विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को उखाड़ फेकने का साधन बना लिया है।

4. **राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता के समाप्ति की संभावना–** संकटकाल में केन्द्रीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को व्यापक वित्तीय अधिकार दिये गये है। राज्यों का वित्तीय स्थायित्व रखने के लिए राष्ट्रपति राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार के आदेश दे सकता है। इस सम्बन्ध में ह्रदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि ''राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को वित्तीय आपात सम्बन्धी उपबन्धों से बड़ा धक्का पहुँचेगा।''

5. **मौलिक अधिकार का अर्थहीन हो जाना–** संकटकालीन उपबन्धों के विरूद्ध सबसे बड़ी आलोचना यह की जाती है कि ये उपबन्ध संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देगें। अमेरिका, इंग्लैण्ड, कनाडा, आयरलैण्ड, स्विटजरलैंण्ड और आस्ट्रेलिया आदि अनेक अन्य राज्यों के संविधान द्वारा कार्यपालिका को नागरिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं को प्रतिबन्धित करने की इतनी व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है जितनी कि भारतीय संविधान द्वारा, इसी कारण संविधान सभा के अनेक प्रमुख सदस्यों ने अनुच्छेद–358 और अनुच्छेद–259 की कटु आलोचना की और उन्हें शासन तंत्र के लिए घातक बताया। कामथ के शब्दों में ''मौलिक अधिकारों की गौरवपूर्ण स्वीकृति पर यह महान नकारात्मकता की मेंहराव'' चढ़ी हुई है। इसी प्रकार संविधान सभा के एक दूसरे सदस्य शिब्बनलाल सक्सेना ने अनुच्छेद–359 की आलोचना करते हुए कहा था कि ''जब हम लोग जेल में थे, तब युद्ध होने के बावजूद भी विदेशी सरकार ने हमें केन्द्रीय प्रत्यक्षीकरण से वंचित करना उचित नहीं समझा था। अतः यदि अब राष्ट्रपति के इस अधिकार को समाप्त करने की शक्ति दी जाती है तो यह संविधान पर एक धब्बा होगा। अतः संविधान में इसे स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।''

इन सबके अतिरिक्त राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों या संविधान के आपातकालीन प्राविधानों के सम्बन्ध में आलोचना यह की जाती है कि व्यवहार में आपातकालीन प्राविधानों का प्रयोग संविधान निर्माताओं की आशा और इच्छा के अनुकूल नहीं रहा है। ''संविधान सभा वाद–विवाद'' के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माता यह कभी नहीं

सोचते थे कि संकट कालीन शक्तियों का प्रयोग इतने लम्बे समय के लिए और बार–बार किया जायेगा। डॉ0 अम्बेडकर ने तो आशा व्यक्त की थी कि इन व्यवस्थाओं को कभी भी कार्यरूप में परिणत नहीं किया जायेगा, कहने की आवश्यकता नहीं कि व्यवहार में शासन का आचरण संविधान निर्माताओं की आशा के प्रतिकूल रहा है। व्यवहार में प्रथम प्रकार का आपातकाल अनावश्यक रूप से लम्बे समय के लिए सन् 1962 से 1968 और सन् 1971 से मार्च 1977 तक लागू किया गया और अनुच्छेद–356 के आधार पर कुछ मामलों में मनमानें तौर पर और कुछ मामलों में अनावश्यक रूप से लम्बे समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

आपातकालीन शक्तियों का औचित्य

यद्यपि संकटकालीन उपबन्धों की आलोचना में सत्य का पर्याप्त अंश प्रतीत होता है, लेकिन ये आलोचनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार की आलोचनाओं में व्यावहारिक दृष्टिकोण को भुला दिया गया है। इस बात से कदापि इंकार नहीं किया जा सकता कि आपातकालीन उपबन्धों का अपना औचित्य है तथा आपात स्थिति में ये अत्यधिक उपयोगी भी है। इनकी उपयोगिता को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है :–

(1). **राष्ट्र की सुरक्षा हेतु केन्द्र को उपयुक्त शक्तियां प्राप्त होना आवश्यक–** वास्तव में संविधान के समस्त उपबन्ध सामान्य परिस्थितियों के लिए ही नहीं बल्कि विशेष परिस्थितियों के लिए भी है और यह बात लगभग निर्विवाद है कि संकटकाल में व्यक्ति की पूर्ण राजभक्ति की अधिकारिणी केन्द्रीय सरकार हो सकती है। डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में, ''इसमें सन्देह नहीं कि जनता के विशाल बहुमत की राय में संकटकाल में नागरिकों की राजभक्ति केन्द्र में होनी चाहिए, न कि अवयवी एककों में। केन्द्र एक सामान्य उद्देश्य के लिए सारे देश के सार्वजनिक हित के लिए कार्य कर सकता है। संकटकाल में केन्द्र को सर्वोपरि शक्तियां देने का यही औचित्य है।'' भारत में केन्द्रीय सरकार के पर्याप्त शक्तिशाली बनने की आवश्यकता अनुभव करते हुए लन्दन टाइम्स ने लिखा था, ''पृथक्कारी प्रभावों से संरक्षण के लिए तथा विस्तृत रूप से कार्यकुशलता में विभिन्न संघीभूत इकाईयों से निपटने के लिए भारतीय संघ का केन्द्र शक्तिशाली होना चाहिए।'' भारतीय संविधान में संकटकालीन उपबन्धों की व्यवस्था कर संविधान के संघात्मक स्वरूप को नष्ट नहीं किया गया है वरन् अमरीका और कनाडा के देशों के अनुभवों का लाभ उठाकर संघात्मक शासन की दुर्बलता को दूर करने का सफल प्रयास किया गया है।

(2). **राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है–** इस आधार पर संकटकालीन उपबन्धों की आलोचना करना कि इनके आधार पर राष्ट्रपति तानाशाह बन जायेगा, वास्तव में उचित नहीं है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कोई भी राष्ट्रपति अधिनायक बनने का प्रयास करेगा, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक इसी प्रकार कोई प्रधानमंत्री या कैबिनेट भी उन उपबन्धों के आधार पर अधिनायक बनने में सफल नहीं हो सकता है क्योंकि जैसा कि टी0टी0 कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में कहा था ''अगर कार्यपालिका अपनी कार्यपालिका शक्तियों का दुरूपयोग करती है तो संसद उसे सबक दे सकती है।''

(3). **अनुच्छेद–356 के आधार पर राज्यों में साधारणतया स्थायी सरकारों का निर्माण**– संविधान निर्माताओं ने यह भी स्वीकार किया था कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण उत्पन्न संकट दलगत हित के आधार पर दुरूपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे ''आवश्यक बुराई'' के रूप में अपनाना अनिवार्य था, अन्यथा संविधान निर्माण के सारे प्रयास अंततः निरर्थक हो जाते। यद्यपि आलोचकों का कहना है कि कई राज्यों में राष्ट्रपति का शासन कांग्रेस दलों के हितों के रक्षार्थ तथा विरोधी दलों को कुचलने के लिए लागू किया गया, लेकिन विवेकपूर्ण अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि साधारणतया इस शक्ति का प्रयोग राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए किया जाता है। डॉ. एम0वी0 पायली के शब्दों में ''अनुच्छेद–356 के प्रयोग से सम्बन्धित सभी मामलों में आपात उद्घोषणा के रूप में केन्द्रीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप संकटकाल की समाप्ति पर स्थिर मंत्रिमण्डल की स्थापन करना संभव हो सका।''[3] फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि 1959 में केरल राज्य में की गयी संकटकाल की घोषणा, 1967 के आम चुनाव के बाद राजस्थान राज्य में किया गया व्यवस्थापिका का स्थगन, 1989 में कर्नाटक, 1990 में असम, 1991 में तमिलनाडु, 1992 में नागालैण्ड तथा दिसम्बर, 1992 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तथा राजस्थान में विधानसभाओं को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करना पूर्णतया निष्पक्ष राजनीति का उदाहरण नहीं कहा जा सकता है। यही बात 1973 में उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में की गई राष्ट्रपति शासन की घोषणा के सम्बन्ध में कही जा सकती है। अतः ऐसे सभी संभव उपायों पर विचार किया जाना चाहिए जिससे अनुच्छेद–356 द्वारा प्रदत्त शक्ति के दुरूपयोग को रोका जा सके।

(4). **आर्थिक संकट का सामना करने हेतु वित्तीय आपात की व्यवस्था आवश्यक–** वित्तीय संकट सम्बन्धी उपबन्धों के विषय में कहा जा सकता है कि ये उपबन्ध तत्कालीन परिस्थितियों तथा अन्य संघ राज्यों की देन है। 1930 के आर्थिक संकट से उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने के लिए अमरीकी कांग्रेस ने 1933 में ''राष्ट्रीय पुनर्लाभ अधिनियम'' पारित किया गया था, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये। भारतीय संविधान निर्माताओं ने आर्थिक संकट से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए उचित प्राविधानों की व्यवस्था पर विवेक और व्यवहारिकता का ही परिचय दिया है।

(5). **व्यक्ति की स्वतन्त्रता और राज्य की सुरक्षा में सामन्जस्य आवश्यक–** जहाँ तक संकटकालीन घोषणा के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों के स्थगन का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में संविधान निर्माताओं के सम्मुख व्यक्ति की स्वतन्त्रता और राज्य की सुरक्षा एवं राज्य के अन्तर्गत व्यवस्था के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित करने की समस्या थी और संकटकाल में मौलिक अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था कर एक सन्तुलित मार्ग अपनाने का ही प्रयत्न किया गया है। व्यक्ति की दृष्टि से मौलिक अधिकारो का स्थगन चाहे जितना ही अनुचित क्यों न हो, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से संकटकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन कुछ सीमा तक आवश्यक ही है। व्यवहार में संकटकाल में मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अब तक केवल दो बार (1962 तथा 1975 की आपातकाल घोषणा के अन्तर्गत) मौलिक अधिकारो को स्थगित किया गया है और इस घोषणा के अन्तर्गत भी सभी मौलिक अधिकारों को नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित केवल कुछ अनुच्छेदों जैसे– 14, 19, 20, 21, और 22 को ही निलम्बित किया गया। दिसम्बर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किये जाने पर अनुच्छेद–352 के अधीन संकटकाल की जो घोषणा की गयी, उसमें नवम्बर 1974 तक राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को स्थगित नहीं किया गया। 26 दिसम्बर 1974 को राष्ट्रपति द्वारा यह आदेश अवश्य जारी किया गया कि केवल तस्कर विरोधी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के मौलिक अधिकार 06 माह की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे और उनके द्वारा स्वयं को बन्दी बनाये जाने के विरूद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकेगी। 1975 की संकटकालीन घोषणा के अन्तर्गत अवश्य ही अनुच्छेद–14, 19, 21 और 22 द्वारा प्रदान किये गये मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। अनुच्छेद–356 के अन्तर्गत राज्यों में अब तक जो भी संकटकालीन घोषणायें की गयीं, उनमें मौलिक अधिकार निलम्बित नहीं किये गये हैं।

संविधान में दिये गये इन संकटकालीन उपबन्धों का अरूचिकर होना नितान्त स्वाभाविक है, किन्तु साथ ही यह स्वीकार करना होगा कि ये उपबन्ध नवजात राष्ट्र की स्वतन्त्रता, एकता और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक है। टी0टी0 कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में ठीक ही कहा था ''संकटकालीन उपबन्धों को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि इन उपबन्धों कि बिना संविधान निर्माण के हमारे सभी प्रयत्न ही अन्ततः असफल हो जायेगें।''[4] निष्कर्ष रूप में अमरनन्दी के इन शब्दों को अपनाया जा सकता है, ''यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय संकटों का सामना करने के लिए केन्द्रीय कार्यपालिका को प्रदान की गयी शक्तियां एक भरी हुई बन्दूक की भांति है, जिसका उपयोग नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए भी किया जा सकता है और उन्हें समाप्त करने के लिए भी। अतः इस बन्दूक का प्रयोग अत्यधिक सावधानी से किया जाना चाहिए।''[5]

संदर्भ

1. टी0टी0 कृष्णमाचारी – भारतीय संविधानसभा में वाद–विवाद
2. डा0 अम्बेडकर–सी0ए0डी0 वाल्यूम–9, पृष्ठ–177
3. एम0वी0 पाइली–भारत में संवैधानिक सरकार, पृष्ठ–650
4. डा0 अम्बेडकर–सी0ए0डी0 वाल्यूम–9, पृष्ठ–235
5. अमर मंदी–भारत का संविधान, पृष्ठ–146

*****

आतंकवाद और महिलाएं

कुँवर राजेश प्रताप सिंह*

ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें महिलायें अक्सर आतंकवाद का शिकार होती रही हैं। लेकिन 1970 के आस–पास यह देखा गया कि आतंकवादी गतिविधियो में महिलाओं ने हिस्सा लिया। पिछले कुछ वर्षो में महिलाओं ने आत्मघाती हिस्सो में भागीदारी की है। इस प्रकार की गतिविधियों से आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों ने चिन्ता जाहिर की है क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य में आतंकवादी हमलों में महिलाओं की मुख्य भूमिका होगी। 1970 के आसपास से आतंकवादी संगठनो में महिलाओं की भूमिका बदली है। 1980 के आसपास इनका इस्तेमाल हल्के कार्यों के लिए होता था लेकिन 1980 के दशक के मध्य से उन्होंने स्पष्ट अग्रगामी भूमिकायें निभायीं। आतंकवाद में महिलाओं की यह भूमिका उनकी पिछली पारम्परिक भूमिकाओं से अलग है और ज्यादा खतरनाक है।

महिलाओं के आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने के बहुत से कारण है। महिलाओं के आत्मघाती दस्ते के रूप में कार्य करने के कई मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और समाजशास्त्रीय कारण हैं जिनके चलते वे इन गतिविधियों में हिस्सेदारी करती हैं। इसलिए आवश्यक है इन कारणों को जाना जाय और उन्हें दृष्टिगत रखते हुए ऐसी नीतियाँ अपनायी जायें जिनसे महिलाओं की आतंकवाद में भागीदारी कम और समाप्त हो सकें।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में महिला आतंकवादियों का अध्ययन बहुत कम हुआ है। उनकी इस प्रकार की भागीदारी के संदर्भ भी इतिहास में कम ही मिलते है। आम तौर पर इस बात के उदाहरण तो मिलते है कि महिलाओं ने अपराधिक कार्यो में भागीदारी की है किन्तु आतंकी गतिविधियों में उनका प्रवेश बहुत पुराना नहीं है। आतंकवादी गुट महिलाओं का प्रयोग आत्मघाती बमों और अग्रगामी लड़ाकुओं के रूप में करते हैं। इस प्रकार महिला आतंकियो की भूमिका हल्के फुल्के कार्यों से क्रूर कार्यों की ओर बढ़ी है। Gunawardena के नवीनतम शोध इन कारणों की ओर प्रकाश डालते है जिनके चलते महिलायें आतंकी गतिविधियों में भाग लेती हैं।

Herrera and Porch 2008, Gunawardena 2006, Khan 2006, Becker, 1981 के अनुसार यह कारण विचारधारात्मक, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक होते हैं। इन कारकों को समझने के लिए आवश्यक है कि हम आतंकवाद में महिलाओं की बदलती भूमिका का अध्ययन करें। यह बदलाव नीति निर्माताओं और स्त्रीवादी विचारकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से आतंकी संगठनों में और उनके अपने वृहत्तर समाज में इस तरह गतिविधियों के विकास को समझा जा सकता है। 1980 के दशक से पहले महिलाओं की भूमिका सहायकों की थी जो आतंकियों की नियुक्ति करती थी और उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता पहुँचाती थी लेकिन बाद में उनकी गतिविधियाँ आक्रामक भूमिकाओं में दिखायी देती है। कम्यूनिस्ट संगठनों ने महिलाओं को पुरूषो के बराबर ही माना है। इन कम्युनिस्ट संगठनो में 1980 के पूर्व भी महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका दिखायी देती है, जैसे Baader meinhoff gang, Fusako shigenobu, JRA, shinning path peru, FARC (Graham, 2008).

राष्ट्रवादी संगठनों में भी महिला शक्ति का इस्तेमाल शुरू हुआ। इन संगठनों में महिलाओं की भागीदारी 1970–80 के बीच बढ़ी है। इनकी भूमिका सहायकों से लेकर सीधी सैनिक गतिविधियों तक बढ़ी है। LTTE ने 1980 के मध्य में महिलाओं का इस्तेमाल सीधे अभियानों में करना शुरू किया और नब्बे के दशक में उनका इस्तेमाल आत्मघाती बमों के रूप में होने लगा। ऐसा माना जाता कि LTTE में 30 से 40 प्रतिशत तक महिलायें है।

दूसरी और धार्मिक संगठनो में महिलाओं की बदलती भूमिका ज्यादा स्पष्ट है। अपने प्रारम्भिक दौर में यह धार्मिक संगठन महिलाओं को सहायक भूमिका में ही रखते थे, लेकिन इन संगठनो ने 1980 के दशक से महिलाओं की वृहत्तर भूमिका को युद्ध के मोर्चे पर ले गये। इसी दौर में धार्मिक संगठनो ने इनका इस्तेमाल आत्मघाती बमों के रूप में किया। सेक्युलर समूहों ने भी महिलाओं का आत्मघाती बमों के रूप में इस्तेमाल किया। 1990 के दशक मे चेचेन अलगाववादियों ने महिलाओं का इस प्रकार इस्तेमाल किया। यह ध्यान देने की बात है फिलीस्तीन में इस्लामिक संगठनो ने महिलाओं का आत्मघाती बमों के रूप में इस्तेमाल 2002 के आसपास किया।

इस प्रकार हम इस तथ्य पर पहुँचते है कि विभिन्न देश महिलाओं के आत्मघाती बमों के रूप में इस्तेमाल होने के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकें। सेक्युलर सीरियन सोशल नेशनलिस्ट पार्टी ने पहली महिला आत्मघाती बाम्बर का इस्तेमाल 1985 में किया था जिसे ''ब्रिज आफ द साऊथ'' कहा गया उसने इजरायली रक्षा सेना को लेबनान में निशाना बनाया था जिसमें पाँच सैनिक मारे गये ।

इसके बाद विभिन्न समूहों ने इस बात का अनुकरण किया। नस्लवादी राष्ट्रवादी संगठन LTTE ने महिलाओं को अपने दल में स्थान दिया और ब्लैक टाइगर के नाम से पहचाने जाने वाली आत्मघाती स्कवैड का गठन किया।

*** कुन्ज भारती, कटरा, बस्ती, उ0प्र0 पि0 272001.**

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गाँधी इसी प्रकार के हमले में मारे गये। जिसमें Thenmozhi Rajaratnam ने आत्मघाती बाम्बर के रूप में इस्तेमाल किया जिसे धनु नाम से जाना जाता है। नब्बे के दशक के अन्त में और 2000 के दशक में बहुत से संगठनो ने महिलाओं का इस प्रकार से इस्तेमाल करना शुरू किया; Davis, 2006, schweitzer, 2006) यहाँ तक कि धार्मिक संगठनो ने भी इन महिला आत्मघाती बाम्बरो का इस्तेमाल करना शुरू किया जो पहले ऐसा करने से हिचकती थी। स्ज्ज्म जैसे राष्ट्रवादी संगठनो ने मुख्य रूप से महिला आत्मघाती बाम्बरो का इस्तेमाल किया। आतंकवादी संगठनो को आत्मघाती बाम्बरो के रूप में स्त्री कार्यकत्रियों की आवश्यकता होती है। 'हमास के अभियानों में महिलाओं की भागीदारी का तथ्य Iz a Dinal - Kassam brigades के विकास में महत्वपूर्ण है। पुरूष लड़ाको को अभियानों में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शत्रुओं के विरूद्ध संघर्ष में यह एक नया विकास था। पवित्र युद्ध में मुस्लिम पुरूषो और महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य थी।''

शेख अहमद यासीन द्वारा दिया गया यह वक्तव्य 14 जनवरी, 2004 में एक महिला आत्मघाती बाम्बर के इस्तेमाल के बाद आया। हमास के इस आध्यात्मिक नेता ने 2002 में महिला आत्मघाती बाम्बर के इस्तेमाल की निन्दा की थी। जब फतह नाम के संगठन ने ऐसा किया था। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जिन इस्लामिक संगठनो ने महिलाओं का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया था वे अपनी नीतियाँ बदल रहे थे।

2000 के दशक के अंतिम वर्षो में अलकायदा द्वारा महिला आत्मघाती बाम्बरो का इस्तेमाल इराक में बढ़ाया गया (NIVA, 2008). कुछ विद्वानों का मानना है, स्त्री स्वतंत्रता का अभाव धार्मिक असहिष्णुता अफगानिस्तान जैसे पिछड़े देशों में स्त्रियों के आत्मघाती बाम्बर के रूप में इस्तेमाल के मार्ग में सहायक नहीं है लेकिन इराक के ही पिछड़े क्षेत्रो में महिला आत्मघाती दस्तों का इस्तेमाल हुआ है (Eisenstadt & White 2005). इस तथ्य से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि स्त्रियों का आत्मघाती बम्बर के रूप में इस्तेमाल चिन्ता का विषय होना चाहिए। क्योंकि भविष्य में इस प्रकार के प्रयोग बढ़ सकते है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते है कि महिलाओं के आतंकवाद में शामिल होने के आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारण है। विभिन्न संगठनो में यह अलग–अलग हो सकते है। उदाहरण के लिए LTTE में राष्ट्रवादी कारणों से स्त्रियाँ सम्मिलित होती है लेकिन धार्मिक संगठनो में तमाम व्यक्तिगत कारक भी काम करते है। इन कारणो के अतिरिक्त इन संगठनो और समाजो ने स्त्रियों का शोषण किया है और इस दिशा में जाने पर मजबूर किया है।

यह एक विचित्र बात है कि फिलीस्तीन, भारत और श्रीलंका जैसे पुरूष वर्चस्व वाले समाजो में इन महिलाओं का आतंकवादी संगठनों में प्रयोग अधिक हुआ है। इस तुलना में सभ्य समाज में ऐसा कम होता है। यह विडम्बना है कि पुरूष वर्चस्व के समाज में महिलायें आतंकवाद की ओर अधिक जाती है और आत्मघाती बाम्बर बनती है जबकि आतंकवादी संगठनो में महिला पुरूष के बीच समानता होती है।

इन लैगिंग असमानताओं के बाद भी तमाम आतंकवादी संगठनो में महिलायें पुरूषो से अधिक या बराबर होती है। यह देखा गया है कि आतंकी संगठनो में लैगिंग समानता बहुत अधिक होती है। यह महिलाओं के आतंकी संगठनो में शामिल होने का बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि उन्हें वहाँ ज्यादा महत्व दिया जाता है।

संदर्भ

- Becker, J (1981). Case study of Federal Germany. Contemporary Terror - studies in sub - state violence (PP 122-137) London : The Macmillan Press Ltd.
- Davis, J (2006). Women and Radical Islamic Terrorism : Planners, Perpetrators, Patrons? Strategic Data link, (136). Ontario: The Canadian Institute of Strategic Studies.
- Graham, s (2008). Mother and Slaughter: A comparative analysis of the female terrorist in the LRA and FARC. African politics : Beyond the third wave of democratization.
- Gunawardena, A (2006). Female black tigers : A different breed of cat? Female Suicide Bombers : Dying for equality? (PP 81-90)
- Regular, A. (2004, January 15). Hamas leader: Jihad is an imperative for women too.
- Khan, A (2006, August 15). Stories of Women Naxals.
- Schweitzer, y. (2006 a). Female Suicide Bombers: Dying for equality? (PP 1 - 12). Tel Aviv : The Jaffee Center for strategic studies.
- Herrera, N & Porch, D. (2008). 'Like going to a fiesta' - The role of female fighters small wars & insurgencies, 19 (4), 609-634.
- NIVA,S (2008, Aug. 11) Behind the surge in Iraqi Women Suicide Bomber.

*****

दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग

राजलक्ष्मी सिंह*

संसार के सभी विभिन्न भागों में क्षेत्रीय सहयोग संगठनों की स्थापाना से दक्षिण एशिया के देशों को अपने उत्पादों के निर्यात में नई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। इसलिए दक्षिण एशियाई वरेण्य व्यापार समझौते पर, 11 अप्रैल, 1993 को ढाका शिखर सम्मेलन के अवसर पर सदस्य देशों के मन्त्रियों ने हस्ताक्षर किए थे। वरेण्य व्यापार समझौते के लिए पहल दिसम्बर 1991 के कोलम्बो शिखर सम्मेलन में की गई थी। वरेण्य समझौते में सार्क क्षेत्र के सब से कम विकसित देशों के पक्ष में व्यापार को बढ़ावा देने का प्रावधान है।

काठमाण्डू में 1994 में हुई एक क्षेत्रीय कार्य गोष्ठी में साप्टा की प्रमुख विशेषताओं का निश्चय किया गया। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं : (क) साप्टा को प्रभावी बनाने के लिए उन उत्पादों पर रियायते दी जाये जिनके व्यापार की अधिक सामर्थ्य हो। (ख) कुछ सामान्य रियायतों पर एक मानक या मात्रा तैयार किया जाय, (ग) साप्टा की उपयोगिता तभी वास्तविक होगी जब दक्षिण एशिया के देशों को बहुराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के आधीन जितनी सुविधाएं मिलती हैं, साप्टा में उनसे अधिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। (घ) यह भी आवश्यक है कि साप्टा के प्रभावी होने के लिये सीमा शुल्क के अतिरिक्त अन्य जो बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जाये, इनमें परिवहन रूकावटी को दूर करना तथा जहाॅं जहाजरानी सेवाएं नही हैं वहां उन्हें आरम्भ करना शामिल होना चाहिए, तथा (ड़) वरीयता के आधार पर सहयोग के लिए साप्टा की संरचना में सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाये।

इस बीच यह आवश्यक था कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में वरेण्य समझौते को प्रभावी रूप में लागू किया जाय। दिसम्बर 1995 के नई दिल्ली सम्मेलन में सभी देशों ने एक दूसरे को उन वस्तुओं की सूचियां सौंपी जिनमें वे वस्तुए उल्लिखित थीं जो कि वरीयता के आधार पर व्यापार के लिए उपलब्ध होगी। भारत ने 106 वस्तुओं की सूची प्रस्तुत की जिनको सार्क क्षेत्र के देशों में वरेण्य व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन पर शुल्क में रियायतों की व्यवस्था होगी। भारत की यह सूची पाकिस्तान की सूची से लगभग तीन गुनी बडी है क्योंकि उसमें केवल 35 वस्तुएं उल्लिखित थीं। नेपाल ने 14, मालदीव ने 17, भूटान ने 7 और बाग्लादेश ने 12 वस्तुओं की सूचियां प्रस्तुत की । इन वस्तुओं का दक्षिण एशिया में वरीयता के आधार पर रियायती सीमा शुल्क के अनुसार व्यापार होगा। साफ्टा समझौतों को दक्षेस के 12वें शिखर सम्मेलन (इस्लामाबाद) में 2004 में स्वीकार किया गया था और इसे 1 जुलाई 2006 को लागू किया गया। परन्तु साप्टा के देशों के सम्मुख दो मुख्य कठिनाइयां थी।

इनमें एक समस्या तो व्यापार असंतुलन को ठीक करने की है, इसके लिए भारत सभी साफ्टा सदस्यों के सम्बंध में संवेदी सूची के अन्तर्गत 20 प्रतिशत तक टैरिफ घटाने की अपनी बचनबद्धता को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प है। यह साफ्टा की महत्वपूर्ण अपेक्षा को पूरा करने के साथ ही अर्थव्यवस्था के आर्थिक एकीकरण के मार्ग में आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बावजूद भारत का सार्क देशों के साथ व्यापार मात्र 13 बिलियन डॉलर है और जिसमें भारत तथा पाकिस्तान के बीच यह व्यापार करीब 1.6 अरब डॉलर है, जबकि वैश्विक व्यापार 600 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। सार्क देशों में बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान जैसे कम विकासशील देशों के बीच वैध व्यापार की तुलना में अनधिकृत व्यापार दस गुना अधिक होता है। वर्तमान समय में बांग्लादेश भारत से चार अरब डॉलर का माल खरीदता है, जबकि बेचता सिर्फ 40 करोड़ डॉलर का है, इससे स्पष्ट है कि बांग्लादेश की तुलना में भारत के सम्बंध में यह स्थिति लाभ की है। इसलिए सार्क देशों के मध्य व्यापार में तेजी लाना मौजूदा वैश्विक संकट के दौर में तथा जनसंख्या विस्फोट, भूख, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद जैसी एक समान चुनौतियों से जूझ रहे सार्क देशों के लिए निश्चित तौर पर ''रामबाण'' का काम करेगा क्योंकि विश्व के एक तिहाई गरीब तथा इसके आधे अशिक्षित दक्षिण एशिया में ही रहते हैं।

दूसरी समस्या सीमा शुल्क के अतिरिक्त आवागमन के मार्ग की बाधाओं जैसी रूकावटों को दूर करने से सम्बद्ध है। पिछले दशक के दौरान आये दक्षेस घोषणापत्रों में बार–बार यह कहा गया है कि जब तक सभी देशों के बीच आधुनिक परिवहन और संचार तंत्र तैयार नहीं किया जायेगा तब तक दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकता स्थापित नहीं हो सकती। ऐसे किसी भी ढॉचे को तैयार करने के साथ–साथ तेज और किफायती सीमापार सेवाओं का मुहैया कराया जाना भी आवश्यक है और ये सेवाएँ वस्तुओं और जनता दोनों के स्तर पर होनी चाहिए। अगर दो देशों की सीमाओं के बीच स्तरीय राजमार्ग बना भी दियें जायॅ तब भी वे तब तक निरर्थक होंगे जब तक कि उत्पादों और आम जनता के आवागमन में देरी और परेशानी का क्रम जारी रहेगा जैसे कोलम्बो से काठमाण्डू जाने वाले नेपाली नागरिक

*** शोध छात्रा, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ,उ0प्र0**

भारतीय हवाई अड्डों से गुजरने के बजाय कतर की राह से जाना पसंद करते हैं। ऐसा आने जाने के माध्यमों की कमी के कारण नहीं है बल्कि इसलिए क्योंकि भारतीय हवाई अड्डों से पारगमन का अनुभव सुखद नहीं होता। वर्ष 2008 की दक्षेस बैठक में वर्ष 2010–20 के दशक को 'अन्तर्क्षेत्रीय संचार का दशक' घोषित किया गया था।

क्षेत्रीय स्तर पर संचार की व्यवस्था कायम न हो पाने का एक कारण तो यह है कि भारत समेत प्रत्येक सदस्य देश अपने इलाके से होने वाले पारगमन को राजनीतिक छूट अथवा पड़ोसी मुल्क के साथ मोल–तोल के जरिए के रूप में देखता है। पाकिस्तान भारत को अपनी जमीन के रास्ते अफगानिस्तान में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा। बांग्लादेश भारत को पूर्वात्तर जाने की राह नहीं देना चाहता और यहॉ तक कि नेपाल भारत को चीन के लिए राह मुहैया कराने को तैयार नहीं है, जबकि भारत का उसके साथ व्यापार और पारगमन सम्बंधी समझौता हो चुका है। भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और पारगमन के मामले में उसका रूख भी कुछ खास बेहतर नहीं है और वह पारगमन को ताकतवर हथियार समझने की मानसिकता से ग्रस्त है। इसलिए वह भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपसी व्यापार के लिए पारगमन सुविधा नहीं देगा । नेपाल को उसने केवल कोलकाता तक की भीड़ भरी सड़क और रेल यातायात के इस्तेमाल की अनुमति दे रखी है। जब तक पारगमन सुविधा को राजनीतिक हथियार समझने की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं होगी।

भू–क्षेत्र की दृष्टि से और इसकी विस्तृत सीमाएं होने से भारत के साथ अधिकतर दक्षेस क्षेत्र के देशों की सीमाएं मिलती है अगर भारत सुरक्षात्मक उपायों को अपनाकर इन देशों को आने–जाने की अनुमति दे देता तो दक्षिण एशिया में एक नया राजनीतिक परिदृश्य बनेगा इसके साथ ही वह दक्षेस देशों को माल ढुलाई की सुविधा देने को तैयार है तो अपनी पसन्द का रास्ता तरीका और बन्दरगाह इत्यादि चुन सकते है, अगर यह तरीका व्यवहारिक रूप में कायम होगा तो भारत और उसके सभी पड़ोसी देशों कम विदेशी व्यापार को देखते हुए भारत के परिवहन बुनियादी ढ़ाचे पर बहुत बोझ नहीं पड़ेगा और इसके फायदे अनेक होंगे। सुरक्षा सम्बंधी चिन्ताओं का निराकरण करने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाया जा सकता, सीमाओं की चौकसी और भारत की आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंटेनरों की बार कोडिंग और होलोग्राम सील का प्रयोग, ज्यादा आवागमन वाली सीमाओं पर स्कैनरों का इस्तेमाल और कम्प्यूटरीकृत सीमा शुल्क और आव्रजन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के अलावा जब दो अन्य देश परस्पर व्यापार करने के लिए माल की आवाजाही करते हैं तो भारत की सीमाओं का उपयोग करने के बदले कुछ शुल्क लिया जा सकता है।

इन इलाकों से नियमित तौर पर भारी पैमाने पर ऐसा कारोबार होता है जो अवैध तरीके से संचालित होता है जिसमें स्थानीय अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी जुड़ा है। एक ओर जहां हम वैधानिक रूप से इन गतिविधियों को सीमित किये हुए हैं, वहीं छिपे स्वरूप में ये गतिविधियां खूब फल–फूल रहीं हैं। हमें ऐसे दक्षिण एशिया का सृजन करना होगा जहां दक्षेस के सदस्य देशों में परस्पर विश्वास का वातावरण हो और सीमाओं से परे वस्तुओं, लोगों और विचारों का अबाध प्रवाह होता रहे। सार्क की पिछली चार शिखर बैठकों की घोषणाओं में साफ्टा के दायरे को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य उसमें सेवाओं के व्यापार को शामिल करना, परिवहन और संचार सम्पर्कों को मजबूत बनाना, सार्क सोशल चार्टर में विशिष्ट उद्देश्यों को हासिल करने के लिये क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहल करना, पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना तथा क्षेत्रीय पर्यावरण संधि–पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना तथा क्षेत्रीय पर्यावरण संधि की रूपरेखा तैयार करना, आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिये अतिरिक्त प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि करना, बीजा नियमों में ढील देकर एक दूसरे की जनता के बीच सम्पर्क को प्रोत्साहित करना था ।

निश्चित तौर पर इन प्रयासों से सार्क अपने उस वास्तविक स्वरूप में सामने आयेगा जिसकी कल्पना इसके गठन के समय की गई थी और यह संगठन इस क्षेत्र की खुशहाली तथा समृद्धि के साथ–साथ वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगा।

सन्दर्भ

- चोपड़ा सुरेन्द्र, पाकिस्तान : कानफलिक्ट एण्ड कॉपरेशन, ईयर बुक ऑन इण्डियाज फॉरेन पालिसी, नई दिल्ली, 1986।
- ठाकुर, रमेश, दॉ पालिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स ऑव इंडियाज फॉरेन पालिसी, दिल्ली, 1994.
- थपलियाल संगीता, ट्रिटी ऑन शेयरिंग ऑव दॉ गंगा एट फरक्का, स्ट्रेटेजिक ऐनेलिसिस, 1997।
- थॉमस, जी0सी0 , साउथ एशियन स्कोरिटी इन दॉ नाईनटिन नाइनटीज, लन्दन, 1993.
- दत्त, वी0 पी0 इंडियाज फॉरेन पालिसी, नई दिल्ली, 1987.
- दुआ, एच0 के0 रीजनल रियलटीज, दि इण्डियाज एक्सप्रेस नई दिल्ली, 1983.

*****

जनसंख्या प्रवजन से समस्याएं

राम विनोद यादव*

किसी जनसंख्या केन्द्र से लोंगों की निकटता की माप को उस केन्द्र का अभिगम्यता विभव कहते है इससे सामान्य अभिगम्यता अर्थात पहुँचने की क्षमता का और लोगों के दूरी तक प्रभाव का ज्ञान होता है जैसे–जैसे केन्द्र से दूरी बढ़ती जाती है उतनी ही अभिगम्यता और प्रभाव कम होते जाते है।

भारत की जनसंख्या में तीव्रगति से ज्यामितीय वृद्धि हो रही है जैसेः–2, 4, 8, 16, 32, 64 और साधनों की वृद्धि गणितीय क्रम में हो रही है जैसेः–1, 2, 3, 4, 5, 6। भारत के विभिन्न भागों में जनसंख्या का घनत्व भिन्न–भिन्न है। उन भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है जहाँ पर उद्योग धन्धों की स्थापना हुई है। इसका खुला हुआ रूप महानगरों में देखने को मिलता है जैसेः– बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ आदि। इसी क्रम में हमारा अध्ययन क्षेत्र जनपद बहराइच औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ अनेक औद्योगिक इकाइयाँ काम कर रही हैं, जिसके कारण यहाँ देश के विभिन्न भागों से लोग आकर बसे है। इसलिए यहाँ अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म हुआ है।

नगरों के विकास के साथ–साथ वहाँ अनेक ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनकी कभी पहले उन्हें चिन्ता तक न थी। उदाहरण के लिए जलापूर्ति, नगरों की सफाई, यातायात व्यवस्था, आवश्यक उपयोगी सुविधाएँ आदि। जैसे–2 नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, वैसे–वैसे इन सुविधाओं को और अधिक जुटाने की आवश्यकता बढ़ती जाती है। बड़ें–बड़े नगरों में सामाजिक बुराइयां विकराल रूप धारण कर लेती है। इनमें गन्दी बस्तियों, निवास स्थानों का अभाव, बेरोजगारों की समस्या तथा स्वास्थ्य सेवाओं में कमी पायी जाती है। जनसंख्या का प्रवजन उस स्थान पर अधिक होता है जहाँ सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जब जनसंख्या अत्यधिक केन्द्रित हो जाती है तब अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।

खाद्यान्न की समस्याः–जनसंख्या प्रवजन से खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

आवास की समस्याः– हमारी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस अनुपात में संसाधन नही विकसित हो पा रहे है क्षेत्रफल यथावत है इसलिए चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हर स्थान पर आवास की कमी हो गयी है। अगर मकान बना भी है तो परिवार की संख्या की दृष्टि से बहुत छोटे है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में 2609 व्यक्तियों के आवास सम्बन्धी सूचनायें साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एकत्र की गयी है और यह जानने का प्रयास किया गया है कि इन व्यक्तियों की आवास सम्बन्धी समस्याएं किस प्रकार की है। पर्यावरण प्रदूषण (ध्वनि, वायु, जल की समस्या) जनसंख्या प्रवजन के संक्रेन्द्रित होने से प्रदूषण सम्बन्धी समस्या आती है। जहाँ उद्योग स्थापित है वहाँ वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण वृहत पैमाने पर फैल रहा है। अध्ययन क्षेत्र के व्यक्तियों में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या अधिक होने के नाते लोगों में श्वांस सम्बन्धी बीमारियॉ फैल रही है और उद्योगों द्वारा निकलने वाला अमोनिया और नाइट्रोजन जल प्रदूषण की समस्या पैदा कर रहा है।

स्वास्थ्य की समस्याः– प्रवासित जनसंख्या से स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि अध्ययन क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सफाई की है। लोग गाँव में ही कूड़ा– करकट का ढ़ेर लगा देते है। जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक नगरों से बहने वाली नदियां प्रायः मलमूत्र तथा कारखानों के कूड़े–करकट से प्लावित रहती है। यहाँ तक की नगर के सभी भागों में पर्याप्त स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। स्वंय मनुष्य अपने घरों को अच्छी प्रकार साफ नहीं कर पाते है। यहीं कारण है कि नगरों में सम्पूर्ण वर्ष कहीं न कहीं, बिमारियां तथा कभी– कभी महामारियां फैलाती रहती है। नगरों में से चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है यदि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है तो भी आम लोग उन्हें आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते है। औद्योगिक नगरों की वायु अशुद्ध रहती है। हमारे देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रहीं है। उस अनुपात में संसाधनों का विकास नहीं हो रहा है। एक ऑकड़े के अनुसार जनसंख्या दबाव के कारण देश में संसाधनों को इतना जबरदस्त अभाव हो गया है कि करीब

25 प्रतिशत बच्चे दस्त की वजह से मर जाते है। प्रति हजार 111 बच्चे पाँच वर्ष की उम्र से पहले दम तोड़ देते है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्ध 2609 व्यक्तियों का अध्ययन करके स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या को जानने का प्रयास किया गया है। अधिकांश लोग प्रदूषण की अस्वास्थ्यकर स्थित से प्रभावित है।

मलिन बस्तियों का निर्माणः–जलसंख्या प्रवजन से मलिन बस्तियों का उदय होता है। भारत के नगरों में रहने वाला हर पांचवा व्यक्ति गंदी बस्ती में रहता है एक अनुमान के अनुसार बम्बई में 38, कलकत्ता में 33 व दिल्ली में 22 प्रतिशत जनसंख्या पुर्नवास बस्तियों में रहने लगी है। बी0 एम0 सिन्हा ने अपने एक लेख Between Slums and symlios में बताया

*** शोध छात्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ,उ0प्र0।**

है कि दिल्ली की 50 लाख जनसंख्या अमानवीय परिस्थितियों में रह रही है। नगर में रहने के स्थान पर रोजगार केन्द्र बन गये है। इस प्रकृति ने गन्दी बस्तियों को प्रोत्साहन दिया है। यह बस्तियाँ भौतिक दृष्टि से नगर को अमानवीय बना देती है। सम्मानजनक जीवनयापन सुविधा के अभाव में जनसंख्या का बढ़ता हुआ संकेन्द्रण सामाजिक व नैतिक मोरचे पर भी अमानवीय परिस्थितियों को जन्म देता है।

रोजगार की समस्याः–औद्योगकि विकास के परिणाम स्वरूप पुराने उद्योगों का विघटन होता है। रोजगार के तलाश में शहरों की ओर स्थनान्तरित होना पड़ता है। भारत वर्ष औद्योगीकरण के पूर्वारम्भ में हीं ग्रामीण कुटीर उद्योगों का पतन हुआ तथा इन उद्योगों में लगे व्यक्तियों को रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरित होना पड़ा। लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या का प्रव्रजन हुआ उस अनुपात में रोजगारों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई तथा शहरों में भी रोजगार की समस्या पैदा हो गयी हैं। एक तरफ छोटे उद्योगों का विनाश हुआ और दूसरी तरफ जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है। हमारे देश की जनसंख्या एक अरब के ऊपर है। हमारी 44 प्रतिशत भूमि ऐसी है जिसे कृषि योग्य बनाना सम्भव नहीं है इस तरह कृषि में और अधिक रोजगार बढ़ाना असम्भव सा है। यदि हमारी आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही हो तो हमें हर वर्ष 40 लाख लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था करनी होगी। जबकि संगठित क्षेत्र में रोजगार मे वृद्धि एक प्रतिशत प्रतिवर्ष तक सिमट गयी है और असंगठित क्षेत्र तो और संकुचित हो रहा है।

Reference

- Demko,G.I.Etal : Population Geoqraphy-A Reader.
  Gosal,G.S.(Ed.) : Population Geoqraphy - Vol.1,2,3,4,5.
- Usher,A.P. : The History Of Population And Settlement Eurasia Geoqraphical, Review Vol.20,1930.

*****

स्वाधीनता आन्दोलन में चौरी–चौरा का महत्व

शिशिर द्विवेदी*

काँग्रेस द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन वैसे तो गोरखपुर जनपद में 1920 ई0 में ही अपनी जड़े जमा चुका था। किन्तु 8 जनवरी, 1921 ई0 में महात्मा गाँधी के गोरखपुर आगमन ने तथा उनके द्वारा चौरीचौरा के मैदान में सम्बोधन ने कार्यकर्त्ताओं में एक नई उर्जा का संचार कर दिया। फलतः व्यापक स्तर पर कार्यकर्ताओं की भर्ती का अभियान चलाया गया। अकेले गोरखपुर जनपद में 15000 वालण्टियरों की भर्ती की गई। वालण्टियर रात्रि कालीन गश्त के साथ–साथ नुक्कड़ सभाओं और जुलूसों का भी आयोजन करते थे। यहीं नहीं ये शराब और ताड़ी की दुकानों पर धरना देने, विदेशी कपड़ों तथा सामानों की होली जलाने का कार्य पूरे जोश खरोश से करते थे। ''किसान सभा या 'एका' आन्दोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। इसका आरम्भ एक सुसंगठित स्वयंसेवी दस्ते द्वारा अनाज की बढ़ती हुई कीमतों और शराब की बिक्री के विरोध में स्थानीय बाजार में धरना देने से हुआ। स्वयं गाँधी जी ने स्वीकार किया था कि भड़काने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान है।''[1] परिणाम स्वरूप खादी का प्रचलन बढ़ने लगा, ठीक उसी समय साम्राज्य के सलाहकारों ने 'प्रिन्स ऑफ वेल्स' की भारत यात्रा को अमलीजामा पहनाया, उन्होंने सोचा था कि ऐसा करने से भारतीय, आन्दोलन से विमुख होकर 'प्रिन्स ऑफ वेल्स' की स्वागत तैयारी में लग जायेगें किन्तु उन्हें निराश होना पड़ा, जब 'प्रिन्स ऑफ वेल्स' का स्वागत वीरान सड़कों और बंद बाजारों ने किया।

ऐसे ही समय में गोरखपुर जनपद स्थित एक छोटा सा गाँव चौरी–चौरा समाचारों की सुर्खियों में आया। यह एक ऐसा स्थान था, जहाँ विदेशी सामानों का कोई खरीदार ही नहीं था।

1 फरवरी, 1922 ई0 को चौरी–चौरा थाने के बड़े दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने दल–बल के साथ पहुँच वालन्टियरों की खुलेआम पिटाई प्रारम्भ कर दी। प्रतिक्रिया स्वरूप डुमरी में 4 फरवरी को वालन्टियर्स की एक सभा बुलाई गयी जिसे स्थानीय नेताओं ने सम्बोधित किया और वहीं से एक जुलूस चौरी–चौरा के लिये चल पड़ा। थाने पर पहुँच कर यह जुलूस रूक और इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार का स्पष्टीकरण थानाध्यक्ष से माँगा। कुछ शांतिप्रिय और प्रबुद्ध व्यक्तियों की मध्यस्थता से जुलूस शंतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ गया। जुलूस थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा था कि पिछले हिस्से में भगदड़ मच गयी, शोर–शराबे के साथ क्रन्दन सुनाई पड़ने लगा। स्पष्ट था कि पुलिस कर्मियों द्वारा सत्याग्राहियों पर प्रहार किया गया था। प्रतिक्रिया स्वरूप जुलूस लौट पड़ा और पुलिस पर पथराव करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिसजनों ने गोलियाँ चलाई और 260 लोग वहीं शहीद हो गये। पुलिस की गोलियाँ तब रूकीं जब उनके सब कारतूस समाप्त हो गये। वालन्टियर्स का ध्यैर्य टूट चुका था, उनकी आँखों के सामने उनके अपने साथियों का रक्त रंजित मृत शरीर पड़े थे कुछ लूह–लुहान दर्द से तड़प रहे थे। यह सब देख–सुन सत्याग्रही भी आक्रोशित हो उठे और पुलिस वालों को बाहर निकलने के लिए ललकारा, डरकर पुलिस वालों ने स्वयं को थाने में बन्द कर लिया, उग्र जुलूस ने थाने में आग लगा दी परिणामस्वरूप 23 पुलिसकर्मी जिन्दा जल कर राख हो गये।

इसके बाद एक बार फिर पुलिस का तांडव शुरू हुआ। चौरी–चौरा और आस–पास के लोगों के मकान और खेत जलाए गये। कुल 232 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गये जिसमें 226 मामलों को सेशन को सुपुर्द किया गया। दो सत्याग्राहियों की मुकदमें के दौरान मृत्यु हो गयी, 172 को सताये–मौत सुनाई गयी। जिन्हें हम आज भी देशभक्त के रूप में याद करते हैं जिनका पुलिस अभिलेखों में दंगाई के रूप में उल्लेख है। सत्र न्यायालय के इस फैसले के विरूद्ध पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर करके सत्याग्राहियों के पक्ष में जोर–शोर से अपील की, परिणाम स्वरूप साक्ष्य न मिलने के कारण 38 लोग को बरी कर दिया गया। 14 लोगों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। बाकी 19 लोगों को मौत की सजा दी गयी, शेष बचे वालन्टियर्स को तीन से आठ साल तक की सजा दी गयी। यह ऐतिहासिक फैसला 30 अप्रैल, 1923 को ग्रीष्म बुडमीयर्स और टी0सी0 पीगॉट खण्ड पीठ द्वारा सुनााया गया। दुर्भाग्य यह कि जिन 38 लोगों को मौत की सजा सुनायी गयी उनके बारे में कहा गया कि पत्रावली पर मिले साक्ष्य इन्हें किसी तरह से अपराधी नहीं सिद्ध करते, किन्तु फिर भी ब्रिटिश हुकूमत के विश्वसनीय जजों द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाई गयी। यही दोहरा मापदण्ड ही तो ब्रिटिश सरकार की पहचान है।'' यह बड़ी लज्जा की बात है कि 22 पुलिसकर्मियों की जान के बदले 172 जाने लेने का प्रयास का राष्ट्रीय स्तर पर कोई विरोध नहीं किया गया। जो विरोध हुआ वह भी एम0एन0 राय की प्रवासी कम्युनिस्ट

* शोध छात्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ,उ0प्र0

पत्रिका 'बैन्गार्ड' और 'कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल' की कार्यकारिणी द्वारा किया गया। आज भी चौरीचौरा में पुलिस स्मारक तो खड़ा है किन्तु किसान शहीदों के सम्मान में कोई स्मारक नहीं है।''[2]

भारतीय क्रान्तिकारियों ने इस अदम्य उत्साह और अंग्रेजों के बर्बरता पूर्ण कृत्य को, आजादी के आन्दोलन के इतिहास में एक परित्यक्त अध्याय के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारे राष्ट्रीय इतिहास का यह एक लावारिस पन्ना है, जिसे महात्मा गाँधी ने न केवल 'चौरी–चौरा' का अपराध बताकर किनारा कर लिया बल्कि इसे कलंकित भी कर दिया। ''चौरी–चौरा की घटना के बाद गाँधीजी द्वारा अचानक और एकपक्षीय रूप से सम्पूर्ण आन्दोलन को वापस ले लेने के निर्णय से लगभग 'सभी प्रमुख काँग्रेसी नेता' क्षुब्ध हुए थे और स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी तो अधिक क्षुब्ध थी।''[3] क्योंकि 'असहयोग आन्दोलन' को इसी कांड के कारण स्थगित करना पड़ा था, इसी कलंक के नाते इतनी बड़ी घटना का कभी सामाजिक अथवा राजनैतिक विश्लेषण नहीं हो सका। ''16 फरवरी, 1922 के 'यंग इण्डिया' में अपनी सफाई में गाँधीजी ने दो तर्क प्रस्तुत किये। उन्होंने अहिंसा में अपनी दृढ़ निष्ठा को भावपूर्ण ढंग से दोहराया। आन्दोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक यंत्रणा पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ।[4] आन्दोलन की वापसी की पुष्टि करने वाले कार्यकारिणी के 12 फरवरी के प्रस्ताव की सात धाराओं में से दो में इस बात पर जोर दिया गया कि ''जमींदारों को आश्वासन दिया जाय कि काँग्रेसी आन्दोलन का इरादा किसी प्रकार से उनके वैध अधिकारों पर आक्रमण करना नहीं है ......।''[5] यह हमारी स्मृतियों में कैद एक ऐसी घटना है जिसमें बहुत से भारतीयों को पीट–पीट कर मार डाला गया।

गोरखपुर जिला जेल से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक साल तक चलने वाले इस मुकदमें में बहस और सुनवाई के दौरान लगातार यह बात सामने आती रही कि यह घटना काँग्रेस की वालन्टिर्स के 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' का नतीजा थी, मगर कांग्रेस इसे गुण्डों का कृत्य बताकर पल्ला झाड़ती रही। 1957 ई0 में तत्कालीन कलक्टर के ओ0एस0डी0 ने लीगल डिपार्टमेन्ट को लिखकर बताया कि दस्तावेजों में चौरीचौरा की घटना के राजनीतिक होने का कोई प्रमाण नहीं है। यह हमारा और हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि चौरीचौरा कांड में जलकर मरे 23 पुलिस वालों की स्मृति में पार्क तो बनाया गया, किन्तु इन शहीदों की याद में लम्बे समय तक कोई स्मारक नहीं था, जो बाद में राजीव गाँधी के समय में बना। 1972 ई0 तक को चौरीचौरा काण्ड का कोई महत्व ही नहीं था, 50 साल बाद उसे 'राष्ट्रीय आन्दोलन में गोरखपुर का योगदान' नाम से शामिल किया गया।

इस कांड से सम्बन्धित एक मुख्य नाम द्वारका गोसाईं का है। यह एक ऐसा अकेला चरित्र है जो 1937 ई0 में काँग्रेस की सरकार बनने के बाद खुद को राजनीतिक बंदी मानकर रिहा किये जाने की माँग करता रहा। आगरा जेल से बाकायदा गोविन्द बल्लभ पंत को पत्र लिखकर अन्य राजनीतिक बन्दियों की तरह रिहा किये जाने की माँग करता रहा, जबकि बाकी अन्य कैदी इस अपराध बोध में जीते रहे कि उन्होंने गाँधीजी के इच्छा और आदर्शों के विपरीत जाकर एक वारदात को अंजाम दिया है सजा काटते रहे, किसी तरह की आवाज भी नहीं उठाई।

गदर को अंजाम देने वाले ज्यादातर सिपाही पूर्वी उत्तर प्रदेश के इसी क्षेत्रों से ही थे। गदर के समय में यह क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील हो उठा था, अनेक छोटी बड़ी रियासतों और जमींदारों ने बगावत का बिगुल फूँक दिया था। गोरखपुर और उसके आस–पास के इलाके में चौरीचौरा काण्ड से जुड़ी न जाने कितनी कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं जिनमें अंग्रेजो के अत्याचारों का स्थानीय नायकों और शहीदों का गुणगान भरा पड़ा है। चौरी–चौरा काँड में अहम् भूमिका निभाने वाला गाँव डुमरी, जो बंधू सिंह की रियासत था, उन्हें 1857 ई0 में अंग्रेजों ने तरकलुआ नामक स्थान पर फाँसी दे दी थी। अंग्रेजो के गदर की बगावत को तो दबा दिया किन्तु चिन्गारी सुलगती रही।

गाँधी जी की बालेमियाँ के मैदान में एक सभा हुयी जिससे मुंशी प्रेमचन्द्र और रघुपति सहाय गोरखपुरी दोनों ही बहुत प्रभावित हुए। मुंशी प्रेमचन्द्र जी ने तो अपनी सरकारी मास्टर की नौकरी छोड़ दी और असहयोग आन्दोलन के समर्थन में आ गये थे। गाँधी की इस यात्रा का संदेश समाज के अलग–अलग वर्गो में अलग–अलग ढंग से स्वीकार किया गया।

वास्तव में इतिहास की उपेक्षा का नहीं अपितु शोध का विषय है। यदि इतिहास तोड़ा–मरोड़ा जाता है अथवा उसे नष्ट किया जाता है तो वह आगे आने वाली पीढ़ियों और नस्लों को नष्ट कर देता है। लिहाज़ा आज चौरी–चौरा भी चीख–चीक्ष कर अपने साथ न्याय और निरपेक्ष विश्लेषण की मांग कर रहा है। यही विश्लेषण उन तमाम सच्चाइयों को सामने लायेगा जो अब तक दब कर रह गये हैं। उसी से यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह बगावत वास्तव में अंग्रेजों के खिलाफ थी अथवा तत्कालीन व्यवस्था के। उस व्यवस्था के खिलाफ जिसका ढाँचा मूलतः जमींदारी व्यवस्था पर खड़ा था। जिस बाजार में शराब बंदी और विदेशी कपड़ों की बिक्री रोकने के लिए वालटिन्सियर्स का जत्था जा रहा था, उस बाजार पर कब्जा, इलाके के राजपूत जमींदार का था, जमींदार ब्राह्मण मुनीम ने थानेदार गुत्तेश्वर सिंह को तीन दिन पहले ही बुलाकर वालिन्टयर्स की बदमाशियों को रोकने की गुजारिश की थी। इतिहासकार मानते है कि यदि थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने 1 फरवरी को भगवान अहीर को लाठियों से पीटा न होता, तो शायद 4 फरवरी को यह घटना न घटती।

इस तरह यदि विचार करके देखा जाए तो भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में चौरीचौरा काण्ड एक धूमकेतु की तरह उदय होता है और अपने पीछे ढेर से प्रश्न छोड़ जाता है। जिसका उत्तर इतिहासकारों को खोजना है।

इस काण्ड ने यह सिद्ध कर दिया था कि अब कांग्रेस माइक्रोस्कोपी की माईनारिटी नहीं रह गयी है बल्कि इसका संदेश सुदूर ग्रामों में रहने वाले किसान मजदूर हस्तशिल्पी, दुकानदार, व्यापारी और कर्मचारियों तक पहुँच चुका है, चौरीचौरा की घटना ने सिद्ध कर दिया है कि गरीब गूँगे और गँवार कहे जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में पारंगत हो चुके हैं, उनमें साहस, बलिदान और दया का प्रतिकर करने की अदम्य इच्छा शक्ति जाग्रत हो चुकी है। अब उसे रोका नहीं जा सकता।

संदर्भ

1. आधुनिक भारत (1885–1947) पृ0–244, सुमित कुमार
2. आधुनिक भारत (1885–1947) पृ0–245, सुमित कुमार
3. ऐन आटोबायोग्राफी पृ0 82, जवाहर लाल नेहरू
4. आधुनिक भारत (1885–1947) पृ0–245, सुमित कुमार
5. (सं0–7) इण्डिया टूडे पृ0 सं0–290

*****

विविध काव्य सम्प्रदायों की दृष्टि में सूरदास जी का भाव चित्रण

रमेश चन्द्र त्रिपाठी*

काव्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से, काव्य शास्त्रीय विद्वानों ने, इसे दो पक्षों में विभाजित किया है–अनुभूति पक्ष एवं अभिव्यक्ति पक्ष। काव्य के इन्हीं दो पार्श्वों को भाव एवं कलापक्ष अथवा काव्य की आत्मा एवं शरीर की संज्ञा प्रदान की गयी है। दोनों ही पक्ष परस्परावलम्बी होने के कारण समान महत्व के है परन्तु सामान्य रूप से आत्मा की शरीर की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। आत्मा के अभाव में जीवित शरीर की सत्ता संभव नहीं हो सकती। अशरीरी आत्मा भी अपने अव्यक्त रूप में सामान्य अनुभव अथवा ज्ञान का विषय तो नही बन सकती, परन्तु उसकी सत्ता के विषय में भारतीय दर्शन आश्वस्त है।

काव्य की मूल शक्ति के प्रश्न पर विचार करते हुये विभिन्न साहित्य शास्त्रियों ने विविध सिद्धान्तों की स्थापना की है। भारतीय आचार्यों ने रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य में से किसी एक को काव्य की आत्मा का स्थान प्रदान किया है और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में यह स्थान अनुकृति, औचित्य, अलंकृति, औदात्य एवं कल्पना आदि तत्वों में से किसी एक को दिया गया है। वास्तव में काव्य की आत्मा विषयक समस्त सिद्धान्त काव्य के विभिन्न अंगों की ही ओर संकेत करते हैं और किसी सफल काव्य की रचना में इन समस्त तत्वों का समुचित मात्रा में समावेश आवश्यक है। अलंकार रीति, ध्वनि आदि तत्व असीम भावानन्द की दृष्टि से सहायक साधन रूप में ही स्वीकृत किये जा सकते है।

साहित्यिक मानदंड के आधार पर भाव–प्रधान साहित्य को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। काव्य के सहयोगी तत्व विचार एवं कल्पना का महत्व केवल भाव प्रकाशन के सहायक रूप में ही स्वीकार किया गया है। भारतीय काव्यशास्त्र में रस–सिद्धान्त के अन्तर्गत भावों को विशेष महत्व प्रदान किया गया एवं भाव के विभिन्न रूप–स्थायी एवं संचारी का विश्लेषणात्मक अध्ययन हुआ।

ध्वनि सम्प्रदाय की दृष्टि से सूर काव्य में अनुभूत्यात्मक दृष्टिकोण का प्राधान्य है। उसमें संवेदना तथा कला का अभूतपूर्व संगम हुआ है, इसलिये अभिव्यंग्य विषय की दृष्टि से उसमें रस–ध्वनि की प्रधानता है। यद्यपि महाकवि सूर के काव्य में अलंकार एवं वस्तु विधान का भी अभाव नहीं है, परन्तु इन सब का समावेश रस–ध्वनि के ही अन्तर्गत कर दिया गया है, क्योंकि अलंकार विधान एवं वस्तुगत वर्णन की भी मूल उद्देश्य किसी न किसी भाव को ध्वनित करना ही होता है। सूरदास जी ने अलंकारों का प्रयोग भावचित्रण के अतिरिक्त रूपचित्रण के लिये भी किया है परन्तु उनके रूप चित्रण कोरे वस्तुचित्र नहीं है, उनमें भी सौन्दर्य के अनुभूत्यात्मक पक्ष का ही चित्रण प्रधान रहा है। रूप जन्य आकर्षण दर्शक के मन में जिन संवेदनात्मक अनुभूतियों को उद्बुध करता है उनकी मनोवैज्ञानिक विश्वसनीयता एवं सबल प्रभावशीलता को उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के उद्देश्य से सूरसागर में अतीव सुन्दर, आकर्षक, अलौकिक स्वरूप का विधान किया गया है और कला–निपुण सूर का अलंकार विधान इस क्षेत्र में उसका सहायक हुआ है। जहाँ एक ओर शब्दालंकारों ने इस सौन्दर्य चित्रण को नाद–तत्व मंडित करते हुये सहज स्वाभाविक आकर्षण से मंडित कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कल्पना प्रेरित अप्रस्तुत विधान ने उस अव्यक्त तत्व को निश्चित आकार प्रदान करने में सहायता की है। इस प्रकार प्रस्तुत किया गया रूपचित्र अपने आप में कोई वस्तुगत महत्व नहीं रखता है। वह किसी न किसी भाव का आलम्बन अवश्य होता है। एक ओर माता यशोदा का ममत्व भरा हृदय उस सौन्दर्य पर निछावर है तो दूसरी ओर प्रणयभावानुरक्त गोपियों का तो सर्वस्व ही लुट गया है। भक्त सूर का रूपासक्त मन तो जुगुल–रस–निधि–स्वरूप के दर्शन करके और कुछ देखना ही नहीं चाहता है।

आत्माभिव्यंजन के प्रायः दो प्रकार होते है। या तो कवि अपनी भावनाओं को सीधे–सीधे अभिव्यक्त कर देता है जैसा सूरदास जी ने विनय के पदों में किया है या वह अपनी भावनाओं का आरोपण किसी अन्य वस्तु अथवा व्यक्ति पर करता हुआ उनके प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण का मार्ग अपनाता है। काव्यशास्त्रीय कसौटी के अनुसार भावों की प्रत्यक्षाभिव्यक्ति की अपेक्षा अप्रत्यक्षानुभूति में काव्य सौन्दर्य की मात्रा अधिक होती है। सूर के भक्तिभाव की जो अभिव्यक्ति विनय के पदों में हुयी है वह उतनी काव्यात्मक नहीं बन पड़ी है जितनी वह अभिव्यक्ति जो गोपीभाव अथवा राधाभाव के माध्यम से हुई है। सूर के आराध्य कृष्ण का समस्त रूप वर्णन एवं लीला वर्णन भक्त हृदय की अनुरक्ति को ही ध्वनित करता है। सम्पूर्ण काव्य भक्त हृदय के ही विविध भाव, विचार एवं अवस्था के द्योतक है।

कृष्ण प्रेमानुरागिनी गोपियों के भाव–चित्र भक्त हृदय की अनन्यता एवं तल्लीनता के द्योतक है। उनका मुरली के प्रति ईर्ष्याभाव उस प्रगाढ़ प्रणयानुरक्ति को ध्वनित करता है जो प्रेमी एवं प्रियतम के मध्य किसी प्रकार का व्यवधान नहीं सहन कर सकती है। मुरली ने गोपाल को अपने वश में कर लिया है। न जाने कौन सी मोहनी डाल कर उनका अंग–संग भरमा लिया है। मुरली के रंगराते श्याम उसे कभी भी अपने से वियुक्त नहीं करते। इस समस्त ईर्ष्या पूर्ण

*** सहायक अध्यापक, गोपीनाथ लक्ष्मणदास रस्तोगी इण्टर कालेज, लखनऊ,उ0प्र0।**

कथन में से गोपियों की अतृप्य अभिलाषाएँ एवं कृष्ण सान्निध्य की अदम्य लालसा ही ध्वनित हो रही है। श्याम किसी के वश में हो जायें तो गोपियों का कलेजा इसीलिये कसकने लगता है क्योंकि उससे उनके प्रियतम मिलन में बाधा होती है। प्रणय जन्य ईर्ष्या के कारण गोपियाँ किसी न किसी प्रकार मुरली को कृष्ण से अलग कर ही देना चाहती है। फिर चाहे मुरली की चोरी ही क्यों न करनी पड़े :–

सखी री मुरली लीजै चोरि।
जिनि गुपाली कीन्हें अपने बस, प्रीति सबनि की तोरि।।
सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरि।।

ईर्ष्या भाव के आवरण में छुपी गयी प्रिय विरह जन्य वेदना "प्रीति सबनि की तोरि" में ध्वनित हो रही है। कृष्ण तो अनेक प्रेमी हृदयों के आराध्य है, यदि मुरली भी उन कृष्णानुरक्त गोपिकाओं में से एक होती है तो कष्ट का कोई कारण नहीं था, परन्तु वह तो कृष्ण के प्रेम पर एकाधिकार स्थापित कर बैठी है, उसने और सबको दूर कर दिया है। गोपियों का निरादर करती हुयी अकेले ही उस अधर माधुर्य का आस्वादन कर रही है जिसमें सबका हिस्सा है। इस प्रकार के उपालम्भ गोपियों के मन में व्याप्त कृष्ण अधर रस पान की उत्कृष्ण अभिलाषा के व्यंजक है।

विरही हृदय की अनुभूतियों की व्यंजना के लिये सूरदास जी ने प्राकृतिक पदार्थों का भी माध्यम अपनाया है। चन्द्रमा, पपीहा, मधुकर आदि के प्रति गोपियों के व्यंग्य उनके अन्तर में निहित गंभीर वेदना को ध्वनित करने में सहायक हुये है।

नेत्रों के प्रति गोपियों की झुझलाहट में भी उनके हृदय में व्याप्त कृष्ण प्रेम की अनन्यता, गंभीरता एवं उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली उन्मत दशा ही व्यंजित होती है। प्रिय संयोग के समय भी जो नेत्र कभी रूप दर्शन से तृप्त नहीं होते उनकी विरहकालीन व्यथा का चित्रण सहज नहीं। नेत्रों की रूपासक्ति एवं अतृप्ति के बहाने गोपियों के संयोगकालीन प्रेम की सघनता का परिचय मिलता है। एक तो दो ही नेत्र, वे भी पलक झपकने के कारण निरन्तर रूप दर्शन में समर्थ नहीं है और प्रेमाश्रु भर आने के कारण स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। नेत्रों की परवशता एवं व्याकुलता में गोपियों का ही हृदय प्रतिबिम्बित हो रहा है :–

बार बार छवि देख्योई चाहत,
साथी निमिष मिले है येऊ।
ते तौ ओट करत छिनु ही छिनु
देखत ही भरि आवत येऊ।

नेत्र हृदय के दर्पण होते है, इसलिये गोपियों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभूतियां भी उनके नेत्रों में झलक उठी है। कृष्णानुराग जन्य आनन्द व अन्य समस्त कामनाओं को शान्त कर दिया है। यह कहने के लिये गोपियां अपनी दशा का वर्णन करने के स्थान कहती हैं कि जब मन हरण हरि को देखा, इन नेत्रों की समस्त सुख– दुखों का विस्मरण हो गया है :–

जा दिन ते हरि दृष्टि परे री
ता दिन तै मेरे इन नैननि,
दुख सुख सब बिसरे री।

सूरसागर में रसात्मकता की निष्पत्ति के लिये व्यंगार्थ का भावपूर्ण समावेश प्रचुर मात्रा में हुआ है। बहुत से पद ऐसे हैं जिनका वाच्यार्थ ग्रहण करने से कोई काव्यात्मक विशेषता नहीं दिखाई देती। प्रस्तुत अर्थ अप्रस्तुत प्रतीयमान अर्थ को ध्वनित करता हुआ भी उससे पूरी तरह भिन्न और कभी कभी तो विरोधी भी प्रतीत होता है। कुब्जा की प्रशंसा सम्बन्धी पद इसी कोटि के हैं। दासी कुब्जा ने समस्त स्त्री जाति के प्रति कृष्ण के निष्ठुर व्यवहार का बदला चुका लिया है :–

बरू उन कुविजा भलौ कियो
सुनि सुनि समाचार ये मधुकर,
अधिक जुड़ात हियो।

परन्तु प्रतीयमान अर्थ कुछ और ही है। दासी शब्द कुब्जा की निम्नस्थिति का द्योतक है। अधिक जुड़ात हियौ में अभिव्यक्त संतोष भी वास्तविक नहीं है।

वक्रोक्ति की दृष्टि से सूर काव्य में भाव एवं कलापक्ष का ऐसा संतुलित समन्वय हुआ है जहां एक ओर कलाजन्य चमत्कार ने भावोत्कर्ष में सहायता प्रदान की है वहां दूसरी ओर भावपक्ष ने कलापक्ष का केवल वाह्य चमक दमक से युक्त मिथ्या आडम्बर बनने से बचा लिया है। सूर की कला ने किसी मूल्यहीन पदार्थ को नक्काशी करके चमकाने का प्रयास नहीं किया है। उनका भाव एवं कला समन्वय तो वह मणि–कांचन संयोग है, जिसमें यह भी निर्णय करना कठिन है कि प्रस्तुत विषय का सौन्दर्य एवं मूल्य किस पक्ष पर निर्भर है। सूर के सहृदयता समन्वित वाग्वैदग्ध्य ने उसकी भाव प्रेषणीयता को द्विगुणित कर दिया है।

माखन चोरी प्रसंग में बालक कृष्ण का वाक्चातुर्य रसोद्रेक में सहायक हुआ है। प्रत्युत्पन्नमति बालक की बहानेबाजी ब्रज गोपिकाओं के मन को मोहित कर लेती है, पुत्र पर क्रोध करने के लिये उद्यत माता यशोदा उन्हें हंस कर गले से लगा लेती है :—

देखि तुही सींके पर भाजन, ऊँचे धनि लटकायौ।
हौं जु कहत नान्हें कर अपनै, मैं कैसें करि पायौ।
मुख दधि पोछि बुद्धि इक कीन्हीं, दोना पीठि दुरायौ।
डारि सांटि मुसुकाई जसोदा, स्यामहिं कंठ लगायौ।

राधा कृष्ण प्रणय प्रसंग का आरम्भ वचन वक्रता से ही होता है। अपने वाक् कौशल की सहायता से रसिक सिरोमणि ने भोली राधिका को बातों में ही बहका लिया और नैन—नैन के मिलने से पड़ने वाली ठगौरी प्रथम स्नेह बन गई। मुरली प्रसंग में उक्ति चमत्कार गोपियों के ईर्ष्या भाव के प्रभावशाली चित्रांकन में सहायक हुआ है। कृष्णानुरक्त गोपिकाओं का मुरली को सौत कहना उसके खोखलेपन का उल्लेख करके उसकी सारहीनता की ओर संकेत करना ईर्ष्या जन्य खीझ को व्यंजित करने में सहायक हुआ है। यथा—

मुरली हम कहुँ सौति भई
कहा धरै वह बांस सांस की,
आस निरास भई।

भ्रमर गीत प्रसंग में कभी भ्रमर को और कभी उद्धव को लक्ष्य बना कर किये गये व्यंग्य और विनोद, कृष्ण की व्याज निन्दा एवं समस्त श्याम वर्ण के प्राणियों के प्रति कटूक्ति सम्बन्धी पद, उक्ति वैचित्य के भावपूर्ण उदाहरण है।

सूरकाव्य में प्रयुक्त आनुप्रासिक ध्वन्यात्मकता वर्ण्यविन्यास वक्रता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण के घुंघरू झनकारते नृत्य चित्र, दावानल का हुंकारता आगे बढ़ता भयानक रूप, ब्रज पर बज्र गिराते प्रलयकालीन मेघों की भयंकरता आदि विषय उपयुक्त नाद व्यंजक वर्णों की सहायता से स्पष्ट हो गये है। यमक अलंकार सम्बन्धी भिन्नार्थक आवृत्तियां भी अपने लाक्षणिक प्रयोग के आधार पर भाव चित्रण में सहायक हुई है। यथा——

लोचन जल कागद मसि मिलि कै,
है गई स्याम, स्याम की पाती।

उपर्युक्त पंक्तियों में यमक की सहायता से ब्रज गोपिकाओं की अनयन्यता एवं तन्यमता का प्रभावपूर्ण अभिव्यक्तीकरण हुआ है।

सूर काव्य में पद पूर्वार्ध वक्रता सम्बन्धी समस्त उपभेदों के उदाहरण मिलते है। पद वैचित्र्य के अन्तर्गत शब्दों के परम्परागत अर्थ से भिन्न प्रयोग हुये हैं जैसे वैद शब्द का प्रयोग आनन्द प्रदायक व्यक्ति के रूप में वैद मिल्यौ कुबिजा कौं नीकौ, कृष्ण के विभिन्न पर्याय सम्बोधनों का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग है। जैसेः—

''काहे को गोपी नाथ कहावत।
जो मधुकर वै स्याम हमारे, क्यों न इहॉ लौं आवत।''

उपचार वक्रता की दृष्टि से प्रेम दृष्टि पर पराग का, हंसी पर प्रकाश का आरोप हुआ है तथा विशेषण वक्रता की दृष्टि से उपयुक्त विशेषण का प्रयेाग अभीष्ट अर्थ की चमत्कारिक अभिव्यक्ति के लिये किया गया है—

बहिरौ सुनै, मूक पुन बोलै,
रंक चलै सिर छत्र धराई।
सूरदास स्वामी करूनामय
बार बार बन्दौं तिहि पाई।।

उपर्युक्त पंक्तियों में स्वामी का करूणामय विशेषण उनके द्वारा की गयी कृपा को स्वाभाविकता से परिपूर्ण कर देता है। ''रूप रेख—गुन—जाति जुगति—बिनु, निरालम्ब कित धावै'' लिग वैचित्र्य वक्रता के उदाहरण स्वरूप प्रेमातिशयता एवं सम्मान की व्यंजना करने के उद्देश्य से स्त्री लिंग बैठक का प्रयोग पुल्लिंग में किया गया है। ''अति आदर सौं बैठक दीन्हो।'' काव्य वैचित्र्य वक्रता सम्बन्धी पांचो रूपों के भी उदाहरण आन्तरिक भावनाओं की पुष्टि एवं प्रकाशन की दृष्टि से महत्वूर्ण है।

औचित्य की दृष्टि से काव्य के समस्त तत्वों का संतुलित समन्वय ही औचित्य है। जहॉ तक औचित्य का सम्बन्ध है, कोई भी आलोचना सम्प्रदाय इस तत्व की उपेक्षा नहीं कर सकता। समस्त आचार्यों ने किसी न किसी रूप में औचित्य की आवश्यकता को स्वीकार किया है। आचार्य क्षेमेन्द्र ने औचित्य को ही काव्य का मूल तत्व माना हैं औचित्य से उनका तात्पर्य सामन्जस्य से था। उत्तम काव्य के लिये यह आवश्यक समझा गया कि उसके प्रत्येक भाग में समन्वय तथा सामजन्स्य है।

आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है — ''लोक संघर्ष से उत्पन्न विभिन्न व्यापारों की योजना सूर का उद्देश्य नहीं है।'' उनकी रचना जीवन की अनेकरूपता की ओर नहीं गयी है—बाल क्रीड़ा प्रेम के रंग रहस्य और उसकी अतृप्य वासना तक ही रह गयी है। जीवन की गंभीर समस्याओं से तटस्थ रहने के कारण उसमें वह वस्तु गाम्भीर्य नहीं हैं जो गोस्वामी जी की रचनाओं में है।

सूरकाव्य में लोक संग्रह भावना के अभाव की ओर संकेत करते हुये उन्होंने लिखा है कि – जिस ओज और उत्साह से तुलसीदास जी ने मारीच, ताड़का, खर दूषण आदि के निपात का वर्णन किया है, उस ओज और उत्साह से सूरदास जी ने बकासुर, अधासुर और कंस आदि के वध और इन्द्र के गर्व मोचन का वर्णन नहीं किया है। कंस और उसके साथी असुर भी कृष्ण के शत्रु के रूप में ही सामने आते है, लोक शत्रु या लोक पीड़क के रूप में नहीं।''

इसका कारण यह है कि सूरदास जी ने विषयवस्तु के प्रसार की अपेक्षा गाम्भीर्य पर अधिक बल दिया है और अपने सीमित क्षेत्र में ही सहृदय कल्पना एवं चमत्कारपूर्ण उद्‌भावना शक्ति की सहायता से विविध मनोदशाओं के अत्यन्त हृदय ग्राही चित्र प्रस्तुत किये है। उनकी दृष्टि वाह्य जगत की अपेक्षा मानव के अन्तर्गत सम्बन्धी क्रिया कलापों पर ही अधिक रही है।

सूर को समाज से तटस्थ रखने में पुष्टिमार्गीय दार्शनिकता एवं माधुर्य भक्ति का भी प्रभाव रहा है। लीला प्रधान ऐकान्तिक साधना में आत्म–निवेदन की प्रधानता होती है। भक्त अपनी समस्त वृत्तियों को कृष्णार्पण करके निश्चिन्त हो जाता है। उसे इस दुखमय संसार को सुधारने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती।

अभिव्यक्ति पक्ष का औचित्य भी विषयानुकूलता की दृष्टि से स्वयं सिद्ध है। ब्रजबिहारी की लीलाओं का गायन करने के लिये ब्रज से अधिक उचित कोई और भाषा नहीं हो सकती थी और भक्ति–भावपूर्ण हृदय के आत्मनिवेदन के लिये गीति शैली से अधिक उपयुक्त शैली नहीं हो सकती थी। शास्त्रीय दृष्टि से भाषा में कहीं–कहीं छन्द की गति को नियमानुकूल बनाये रखने के लिये शब्दों की कुछ तोड़–मरोड़ अवश्य की गयी है, इसलिये कहीं–कहीं व्याकरण की दृष्टि से भी कुछ दोष मिल जाते है। परन्तु इनमें भाषा प्रेषणीयता में कोई अन्तर नहीं आया है।

भाव एवं कलापक्ष के अपूर्व समन्वय के सूरकाव्य को भावुक भक्त, सहृदय पाठक एवं रसिक संगीतज्ञों के लिये समान रूप से आकर्षक बना दिया है। उनकी शब्दचित्रण कला ने अर्न्तमन की अरूप भावनाओं को ऐसे प्रभावशाली रूप में चित्रित किया है कि कम से सजाये गये सूरसागर के पद समस्त कृष्ण कथा एवं उससे सम्बन्धित पात्रों की अन्तर्दशा का चित्रपट बन गये हैं। काव्य के समस्त तत्वों के उचित सामन्जस्य ने इन चित्रों को गत्यात्मक सौन्दर्य से युक्त कर दिया है और जिस प्रकार चल–चित्र–पट पर एक के बाद एके आने वाले चित्र चलचित्र बन जाते है, उसी प्रकार सूरसागर का एक–एक पद भी अनेक सूक्ष्म चित्रों से युक्त होने के कारण विविध मनोदशाओं का एक–एक पद भी अनेक सूक्ष्म चित्रों में समर्थ हुआ है।

इस प्रकार विविध काव्य सम्प्रदायों की दृष्टि से भी सूरदास जी की भाव चित्रण कला अपने काव्यशास्त्रीय रूप में अत्यन्त प्रभावशाली एवं प्रशंसनीय है।

सन्दर्भ

- **आधुनिक हिन्दी कविता में चित्र विधान**–डा0 रामायतन सिंह, भ्रमर नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, प्रथम संस्करण।
- **आलोचना इतिहास और सिद्धान्त**–एस0पी0 खत्री, राजकमल प्रकाशन दिल्ली, बम्बई प्रथम प्रकाशन।
- **आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प**–श्री कैलाश बाजपेई, आत्मा राम एण्ड सन्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 1963।
- **चिंतामणि**–आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 1964, इण्डियन प्रेस लि0, प्रयाग।
- **ब्रजभाषा के कृष्णभक्ति काव्य में अभिव्यंजना शिल्प**–डा0 सावित्री सिन्हा, नेशनल पब्लिशिंग हाल, दिसम्बर 1961।
- **बृजभाषा के कृष्णकाव्य में माधुर्य भक्ति**–डा0 स्वरूप नारायण, यंगमैन एण्ड कम्पनी, दिल्ली–6, प्रथम संस्करण, मई 1962।
- **भारतीय साधना और सूर**–साहित्य–डा0 मुंशी राम शर्मा 'सोम', आचार्य शुक्ल साधना सदन, कानपुर, द्वितीय संस्करण।

*****

बाल श्रम की अवधारणा एवं इसके कारण

धर्म प्रकाश*

बाल और श्रम अपने आप में निरीह एवं निरपवाद षब्द है किन्तु जब यह दोनों मिलकर बाल श्रम बन जाते है तो एक सामाजिक बुराई का रूप ले लेते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त बाल श्रम पर श्रमिक के अनुसार ''बालको की जनसंख्या का वह भाग आता है जो या तो वैतनिक या अवैतनिक कार्यो पर नियुक्त हो'' । बड़ौदा स्थित आपरेषन्स रिसर्च ग्रुप बाल मजदूरी को परिभाशित करता है कि ''कोई भी बालक या बालिका जिसकी आयु पॉच से पन्द्रह वर्श के बीच है और जिसे किसी ऐसे आय प्रदान करने वाले काम में लगाया गया हो जिसके बदले उसे मजदूरी दी जाती है अथवा नहीं दी जाती हो और जो दिन के किसी भी समय परिवार में अथवा परिवार से बाहर व्यस्त रहता हो, वह बाल मजदूर है''। बाल मजदूर निम्न क्षेत्र में अधिक पाये जाते हैं–

संगठित क्षेत्र – संगठित क्षेत्र का इस्तेमाल निजी क्षेत्र में बागान सहित उन गैर कृशि उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों, केन्द्र व राज्य सरकारों के अर्ध सरकारी उद्यमों, स्थाई निकायों के लिए किया जाता है जिनमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों। कुल श्रम बल में संगठित क्षेत्र का भाग मात्र 8७5 प्रतिषत है। संगठित क्षेत्र में कालीन बुनाई, दियासलाई, आतिषबाजी, हथकरघा, चमड़ा, कॉच, भवन निर्माण, पत्थर खदान, ताला उद्योग, रत्न उद्योग आदि हैं।

असंगठित क्षेत्र – असंगठित क्षेत्र की अवधारणा 1970 के दशक में आयी है इस क्षेत्र से तात्पर्य उन मजदूरों से है जो रोजगार के अस्थाई स्वरूप, अज्ञानता और निरक्षरता, छोटे तथा बिखरे प्रतिश्ठानों आदि कुछ कारणों से अपने साझा हितों के लिए स्वयं को संगठित नहीं कर पाये। राश्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन 1999.2000 के अनुसार कुल रोजगार में 91७5 प्रतिषत भाग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, इसके अर्न्तगत होटल, ढाबा, फैक्टरी व दुकान, आटो वर्कषाप, कोयला खदान, कचरा चुनना, अकबार बेचना, अभ्रक चुनना, कृशि कार्य, घर में नौकर का काम आदि कार्य आते हैं।

बाल श्रम के कारण – बाल श्रम या बाल मजदूरी एक ऐसी समस्या है जो अधिकांश विकासशील देशों में मौजूद है। बुनियादी तौर पर यह गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याओं का परिणाम है। ये समस्याएँ इन विकासशील देशों के समक्ष मौजूद है और इनका समाधान नहीं किया जा सका है। ये समस्याएँ इन विकासशील देशों के समक्ष मौजूद है और इनका समाधान नहीं किया जा सका है। इनके अतिरिक्त कुछ और भी निम्नलिखित कारण हैं जो बाल मजदूरी के बने रहने में योगदान देते हैं।

बेरोजगारी और गरीबी – भारत में बाल मजदूरी पर किए गए अधिकांश अध्ययनों से पता चलता है कि बाल मजदूरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज के गरीब तबकों से आता है। बाल मजदूरी के बने रहने के पीछे गरीबी महत्वपूर्ण कारण है। आर्थिक कठिनाइयों और दबावों के कारण अत्यंत गरीब परिवार अपने जिन्दा रहने के लिये जो युक्तियां अपनाते हैं, बाल–मजदूरी उसका एक अभिन्न हिस्सा बन जाती है।

निरक्षरता – बाल मजदूरी के बने रहने का एक और महत्वपूर्ण कारण है– निरक्षरता की उच्च दर। अनेक माँ–बाप शिक्षा–दीक्षा के अभाव में यह नहीं समझ पाते है कि शिक्षा का क्या महत्व है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं वे लोग बच्चों का काम पर लगाकर तुरन्त मिलने वाले आर्थिक लाभ को ज्यादा महत्व देते है। माँ–बाप की यह धारणा स्कूलों में बच्चों को भेजने, स्कूल में हाजिर रहने और मजदूर के रूप में रोजगार करने को काफी प्रभावित करती है। स्कूल भेजने की बजाय वे अपने बच्चों को काम पर भेजना ज्यादा जरूरी समझते है।

शिक्षा के सीमित अवसर – आज भी देश में अनेक हिस्सों में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर काफी सीमित तथा मंहगे है और प्रायः पहुंच से बाहर है। माँ–बाप अपने बच्चों को इसलिए भी काम पर भेजते हैं ताकि वे किसी–न–किसी तहर व्यस्त रहे और नए–नए कौशल सीख सकें और इस बहाने कुछ पैसा कमा सके। जो बच्चे काम करते है वे घर में आने वाली आय में उल्लेखनीय योगदान करते है क्योंकि बच्चों की आय का एक महत्वपूर्ण अंश आमतौर से परिवार के मुखिया के पास जमा हो जाता है। अपने साथ के दोस्तों को काम करते देखकर भी बच्चे फुटपाथो ंपर या और कहीं काम करने के लिए प्रेरित होते है।

परम्परागत कौशल में बच्चों को प्रशिक्षण देने के मामले में माँ–बाप की प्राथमिकता – जो परिवार परम्परागत शिल्प में शामिल हैं, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाकर औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने की बजाय परिवार की इस कला को सीखें और उसी में निपुणता हासिल करें। इनकी यह धारणा है कि परंपरागत कौशल से लैस हो जाने के बाद इन बच्चों को भविष्य में लाभदायक रोजगार मिल जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां परंपरागत क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है, यहां इन कामों में बच्चों को शामिल किया जाता है और इन क्षेत्रो में बाल मजदूरी के बने रहने का यही मुख्य कारण है।

*** शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, डॉ0 रा0म0लो0अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद ,उ0 प्र0**

लिंग सम्बन्धी भेदभाव – गरीब, परिवार, घर और बाहर दोनों जगह लड़कियों के श्रम पर बुरी तरह निर्भर रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि लड़कियाँ को कभी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता। यह भी देखनें में आता है कि जहां संसाधन सीमित है, वहां केवल लड़कों को ही स्कूल भेजा जाता है। कामगार के रूप में लड़कियों का प्रभुत्व होने के बावजूद सरकारी आंकड़ों में उन्हें बाल मजदूरो के रूप में भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता और इस प्रकार वे प्रायः 'अदृश्य' बाल मजदूरी बनी रहती है। इनके लिए बदतर स्थिति तब होती है, जब उन्हें वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर दिया जाता है और वे उत्पीड़न के सबसे घृणित स्वरूप को झेलती है।

मजबूरी में किया गया प्रवास – भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जब बेरोजगारी और अल्प–बेरोजगारी की स्थिति में सूखा, बाढ़, और अकाल जैसी कोई प्राकृतिक विपदा आती है तो गांवों से लोग शहर में समृद्ध इलाकों की तरफ रोजगार की तलाश में पलायन करने लगते हैं। वे इन इलाकों में ईट–भट्ठों, पत्थर खदानों, आदि में काम करने लगते है।

सामाजिक स्थिति – बाल मजदूरी को बढ़ावा देने में जाति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के प्रावधान के बावजूद तथाकथित निचली जातियों के बच्चे पिछड़े बने रहते है और मजदूरी तथा छोटे–मोटे काम करने के लिए विवश होते है। उदाहरण के तौर पर गांव में अनुसूचित जातियों के अधिकांश बच्चे सवर्ण, जातियों के घरों मे मवेशियों की देखभाल करते है।

बाजार की माँग – बाल मजदूरी बुनियादी तौर पर विभिन्न उद्यमों और उद्योगों की ओर से ऐसे मजदूरों की मांग का परिणाम है जो बच्चों को इसलिए अपने यहां रखते हैं क्योंकि वे विनीत और आज्ञाकारी होते हैं तथा उन्हें वयस्कों के मुकाबले सस्ती दर पर रखा जा सकता है। बाल मजदूरों को जरूरत न होने पर बिना किसी झंझट के हटाया जा सकता है। बच्चों को काम पर रखने के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा अथवा अन्य लाभों के संदर्भ में कोई दीर्घकालीन निवेश की जरूरत भी नहीं होती।

श्रम आधारित काम बनाम् नाजुक उँगलियाँ – जिन व्यवसायों में श्रमिकों के रूप में बच्चों को रखा जात है, उनमें से अधिकांश ऐसे व्यवसाय है जिसमें बहुत साधारण टेक्नालॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और जहां मजदूरों के लंबे समय तक काम करना पड़ता है। इस तरह की यूनिटों में मालिकों के लिए बच्चों पर नियंत्रण रखना आसान होता है और वो उनसे ज्यादा से ज्यादा काम ले पाते है। कालीन तथा माचिस जैसे उद्योगों में बच्चों के काम करने को प्रायः इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि उनके पास 'नाजुक उँगलियाँ है और वे बड़ी लगन से काम करते हैं।

उद्योगों का अनौपचारीकरण – असंगठित क्षेत्र की इकाईयां पर श्रम सम्बन्धी कानून लागू नहीं होते है। इस कारण, इन उद्योगों में बड़े पैमाने पर बच्चों को काम पर रखना आसान हो जाता है। भारत में बीड़ी, माचिस, आतिशबाजी, ताला, पीतल के बर्तन आदि जैसे बाल श्रम–सघन उद्योग मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के हिस्से है। इस क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से बाल श्रम के अधिकाधिक इस्तेमाल के बढ़ावा देता है।

कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन – मौजूदा कानूनों के दोषपूर्ण होने के अलावा कानूनों के लचर ढंग से अमल में लाने के कारण मालिको को बाल मजदूरी को बढ़ावा देने में मदद मिली है और उन्होंने शोषण के भीषणतम स्वरूपों का सहारा लिया है। आज भी अनेक उद्योगों में अपने माँ–बाप/अभिभावकों द्वारा कर्ज अथवा पैसों के बदले में मालिकों के पास गिरवी रख दिये जाते है। कर्ज पर ब्याज की दर इतनी ऊँची होती है कि भुगतान की जाने वाली राशि प्रतिवर्ष इकट्ठी होती रहती है। इस कारण कर्ज की अदायगी लगभग असंभव हो जाती है। और इस प्रकार माँ–बाप अपने बच्चों के सम्बद्ध मालिक के यहां गिरवी रखने के लिए बाध्य हो जाते है।

स्वयं बालक की आजीविका कमाने की भावना/बाध्यता – प्रारम्भिक आयु से ही एक निम्न वर्ग का बालक आर्थिक अभावों में जीवन यापन करता है। ऐसे में वह परिवार के अन्य सदस्यों की भांति शिक्षा के अवसरों की कल्पना भी नहीं कर सकता है। फलतः उसके अंदर स्वयं आजीविका कमाने की भावना जाग्रत होती है और वह अपने लिए रोजगार ढूंढ़ने के प्रयास करने लगता है। बालश्रम की समस्या तथा वयस्क श्रमिक के जीवन–यापन हेतु वेतन की समस्या एक–दूसरे से सम्बन्धित हैं। वयस्कों को प्राप्त होने वाला अपर्याप्त वेतन ही उनके बालकों को कुछ वेतन के बदले कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार माता–पिता की स्वयं की अर्जन शक्ति कम होने के कारण बालक को रोजगार हेतु जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

सेवायोजक द्वारा अनेक उत्पादक कार्यों में सस्ते श्रम के कारण बाल–श्रम को प्राथमिकता – सेवायोजक को अनेक उत्पादक कार्यों में बालक सस्ते पारिश्रमिक पर उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि उनके माता–पिता की अपेक्षा सेवायोजक बालकों को सेवायोजित करने में लाभ अनुभव करता है तथा बालकों के सेवायेाजन को वयस्कों की अपेक्षा प्राथमिकता देता है। ''बालश्रम इसलिए विद्यमान नहीं है कि बालक अधिक योग्यकर्ता होते हैं, बल्कि सेवायोजक को बालक वयस्कों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर उपलब्ध हो जाते हैं।

संयुक्त परिवारों का टूटना – भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहां परिवार के सभी सदस्य संयुक्त परिवार प्रथा के अनतर्गत मिलजुलकर कार्य करते थे और परिवार की आय में सहयोग करते थे। धीरे–धीरे संयुक्त परिवार टूटने लगे और लोगों का कृषि तथा पशुपालन जैसे कार्यों से मोहभंग होता गया तथा शहरीकरण एवं औद्योगिक कल–कारखानों के खुलने से उनमें श्रमिकों की मांग तेजी से बढ़ने लगी तो निर्धन वर्ग के अगणित बालक महानगरों मे कार्य की तलाश में आने लगे।

संरक्षक विहीन बालक – संरक्षक विहीनता अथवा अनाथ होने की स्थिति में बालक को अपने अस्तित्व हेतु कार्य संलग्न होने के लिए विवश होना पड़ता है। हमारे देश में अनेक बालश्रमिक ऐसे हैं जिनका कोई परिवारीजन या संरक्षक नहीं है जिसके संरक्षण में वह बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त कर सकें। ऐसे अनाथ बालकों को अपने जीवन निर्वाह हेतु रोजगार की तलाश में घर से निकलना पड़ता है।

पिता के दुर्व्यसन – कुछ बालकों के अभिभावक अनेक दुर्व्यसनों जैसे शराब पीना, जुआ खेलना तथा वेश्यावृत्ति इत्यादि के शिकार होते हैं। वे स्वयं अर्जित धन अपने परिवार के भरण–पोषण पर व्यय करने की अपेक्षा इन्हीं दुर्व्यसनों पर व्यय कर देते हैं। ऐसी पारिवारिक स्थिति में बालक को रोजगार के लिए निकलना पड़ता है।

शिक्षा में अरुचि के कारण कार्य की ओर रूझान – प्रारम्भिक आयु से बालकों को शिक्षा का वातावरण न मिल पाने के कारण उन्हें शिक्षा में अरुचि हो जाती है। एक सम्पन्न परिवार के बालक जो नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं तथा जिन्हें घर में भी शिक्षा का वातावरण मिलता है, की अपेक्षा निम्न परिवार के बालकों को विद्यालय में कठिनाई अनुभव होती है। फलस्वरूप वह वहां प्रसन्न नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में वह पढ़ाई के स्थान पर कार्य करने को वरीयता देते हैं। शहरी चकाचौंध तथा सेवायोजक द्वारा धन का लालच उन्हें शहरों की तरफ आकर्षित कर कम पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

संरक्षकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता – भारत में जनसंख्या के निम्न सामाजिक तथा आर्थिक वर्ग अशिक्षित हैं, वह केवल वर्तमान के बारे में सोचते हैं, भविष्य के लिए भी वह कभी नहीं सोचते हैं। अपने बालकों द्वारा अर्जित आय से उन्हें जो भी मिल जाता है उससे वह पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं।

सामाजिक सुरक्षा की अनिवार्यता – दैनिक जीवन में वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी, दुर्घटना अथवा मृत्यु आदि आकस्मिकताओं के कारण मनुष्य के समक्ष कभी भी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था बड़े कारखानों में तो किसी सीमा तक है किन्तु छोटे–छोटे व्यवसायों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। फलतः परिवार के मुखिया को अपने बालकों को कार्य पर भेजने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

इस शोधपत्र के निदर्ष में सम्पूर्ण कौशाम्बी जनपद के असंगठित क्षेत्र में श्रमरत बाल श्रमिको ही सम्मिलित किया गया है।

सन्दर्भ

- खुराना के0 सी0, बाल श्रम उन्मूलन राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय प्रयास, राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोयडा– 2001.
- भट्ट, के0 एन0, एन्टीग्रेटेड एरिया स्पेसीफिक एप्रोच अगेनेस्ट हजाराडस एण्ड एक्सप्लायटेटिव फार्म्स आफ चाइण्ड लेबर इन फिरोजाबाद, एन इवैल्युएशन रिपोर्ट प्रकाशन–गोविन्द बल्लभ पन्त सोशल साइन्स इस्टीट्यूट इलाहाबाद–2003.
- जैन, डा0 महाबीर, बाल श्रम पर रिसोर्स परसन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोयडा–2007.
- मदन, आर0 के0, भारतीय सामाजिक समस्यायें, विवेक प्रकाशन नई दिल्ली–2002.
- सक्सेना, आर0 सी0,: श्रम समस्यायें एवं समाज कल्याण, के0 नाथ एण्ड कम्पनी मेरठ–2007.
- शर्मा, सुभाष, भारत में बाल मजदूर, प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली–2007.
- बाल एवं बधुआ मजदूर, इग्नू द्वारा प्रकाशित–2005.
- भारत की जनगणना, भारत सरकार, नई दिल्ली–2001.
- योजना पत्रिका, 538 योजना भवन, नई दिल्ली, मई–2004, 2008.

*****

भारतीय सुरक्षा के परिवेश में मिजोरम की स्त्रातेजिक स्थिति

कुँवर दिनकर प्रताप सिंह*
डॉ0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह**

भारत के उत्तर–पूर्व के दक्षिणी कोने में वर्मा एवं बांगलादेश के मध्य स्थिति मिजोरम का स्त्रातिजीय दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्व है। बांगलादेश एवं वर्मा से मिजोरम की 970 कि0मी0 लम्बी सीमाएं लगी हुई हैं। इस प्रकार दो स्वतन्त्र राष्ट्रों बांगलादेश और वर्मा के मध्य भारत का यह क्षेत्र फंसा हुआ है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से थोड़ी सी असावधानी इस क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा के लिए अहितकारी हो सकती है। थोड़ी सी असावधानी के कारण पड़ोसी राष्ट्र चीन, बांगलादेश, तथा वर्मा इस क्षेत्र में अशान्ति के बीज बोकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। राजनीतिक उपेक्षा के चलते भारत का यह क्षेत्र अलगाव की स्थिति में पहुँच गया है। इस पहाड़ी क्षेत्र में अलगाव के और भी अनेक कारण हैं जिनमें संचार अव्यवस्था, भाषायी भिन्नता, रीति–रिवाज में भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, आदि प्रमुख कारण हैं। अभी तक मिजो लोग भारतीय संस्कृति और समाज की मुख्य धारा में समायोजित नहीं हो सके हैं। इस क्षेत्र में लम्बे समय से ईसाई मिशनरियां कार्यरत है और इन्होंने मिजो वासियों को प्रभावित किया है। तमाम कबीले ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। मिशनरियों के प्रभाव के कारण ही मिजो लोग राष्ट्रीय धारा से अलग भी हुए हैं।

मिजोरम भारत के पूर्वोत्तर दक्षिणी छोर पर स्थिति है। यह सीमान्त क्षेत्र पर्वत श्रृखंलाओं, घाटियों, पहाड़ी नदियों, दुर्गम रास्तों एवं घने जंगलों से युक्त है। पूर्व तथा दक्षिण में वर्मा तथा चीन की अराकान पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में बंग्लादेश की सीमा से लेकर भारत के असम, मणिपुर, त्रिपुरा प्रदेश के दक्षिण में अराकानयोमा पर्वत श्रृंखलाओं तक फैला हुआ है। असम के मिजो नामक पहाड़ी जिले को मिजोरम नाम देकर केन्द्र द्वारा शासित राज्यों की श्रेणी में स्थान दिया गया है। इसका क्षेत्रफल 21.087 कि0मी0 है। पहले इसे लुशाई पहाड़ी कहा जाता था मिजोरम में 6 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जो उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 4000 फीट है। मिजोरम की राजधानी ऐजल है। इसाई धर्म मानने वालों की संख्या 86 प्रतिशत तथा साक्षरता का प्रतिशत 63.3 है। मिजो जाति के लोग मंगोलियन जाति के माने जाते हैं जो उत्तरी वर्मा से 17वीं, 18 वीं शताब्दी में शान प्रान्त की पहाड़ियों पर आकर बसे, 1880–90 के दौरान ब्रिटिश सेनाओं से लगातार मुठभेड़ होने के पश्चात् अन्ततः 1891 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश शासित भारत में जोड़ लिया गया। सात वर्ष के बाद 1897 में इसे असम प्रान्त का एक जिला लुशाई हिल्स जनपद बना दिया गया। 1954 में भारतीय संसद द्वारा एक ऐक्ट पारित करके इसे मिजो हिल डिस्ट्रिक्स का नाम दिया गया। 1972 में केन्द्र शासित क्षेत्र घोषित होने के साथ ही इसको फिर एक नया नाम मिजोरम दिया गया। पूर्व काल में इसका नाम लुशाई पहाड़ी था लुशाई शब्द का अर्थ मानव मुंड का शिकार करने वाला है। मिजो सरदार लुशाई उपजाति के ही होते है। चकमा और लाखेर उपजाति को छोड़कर मिजोरम के समस्त लोग मिजो भाषा बोलते है। मिजो भाषा की अपनी लिपि न होने तथा शिक्षा का अधिकतर प्रसार ईसाई मिशनरियों द्वारा किये जाने के कारण, मिजो भाषियों ने रोमन लिपि को ही मिजो भाषा के लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया है।

भारत के स्वतन्त्र होने के बाद मिजो लोग अपने राज्य के लुसाई पहाड़ी जिला के स्थान पर मिजोरम कहना ही स्वीकार किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दुर्भाग्य बस भारत का विभाजन भी हुआ, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान अब बांगलादेश और वर्मा के मध्य यह क्षेत्र आर्थिक विकास में पिछड़ गया। मिजो हिल्स में प्रवेश के केवल दो मार्ग हैं– उत्तर में सिलचर तथा दक्षिण में चटगांव। भारत विभाजन के पश्चात दक्षिण में स्थित चटगांव वाला मार्ग बन्द हो गया। 1960 ई0 में असम सरकार ने असमिया भाषा को सबके लिए अनिवार्य कर दिया। इससे मिजो लोग क्रोधित हुए तथा अलवागाववादी प्रवृत्ति ने जन्म लिया। 1959–60 में लालडेंगा। अपनी कल्चर सोसायटी के नौजवान साथियों के साथ, एक नयी संस्था 'मिजो नेशनल फेमिन फ्रन्ट' गठित की। दो वर्ष के बाद 1962 में उन्होंने 'मिजो नेशनल फेमिन फ्रन्ट को मिजो नेशनल फ्रन्ट में बदल दिया। जिसका मुख्य लक्ष्य मिजो लोगों के लिए अलग राष्ट्र की स्थापना था। इसीलिए सन् 1963 ई0 के चुनाव में आल पार्टी हिल्स लीडर कान्फ्रेन्स ने एक पृथक हिल प्रदेश की मांग की और वृहद मिजोरम की अवधारणा पनपी। मणिपुर के चुराचांगपुर में सन् 1965 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें ''तीन दिन'' के विचार विमर्श के पश्चात् प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा मिजोरम राज्य प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया, जिसमें वे सभी क्षेत्र सम्मिलित थे जहाँ मिजी जाति के लोग रहते हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस प्रदेश का क्या प्रारूप होगा ? 2 मार्च 1966 ई0 मिजी पहाड़ी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह भड़क उठा विद्रोहियों ने ईसाई प्रशासन को कुण्ठित कर दिया सरकारी खजाने, शस्त्रागार को लूट लिया संचार व्यवस्था अस्त–व्यस्त कर दी गयी 25 मार्च 1966 ई0 को भारतीय वायुसेना और थल

*** शोध छात्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ,उ0प्र0।**

**** रीडर, सैन्य विज्ञान, गनपत सहाय महा0 सुलतानपुर ।**

सेना द्वारा सतर्क कार्यवाही कर सभी प्रमुख चौकियां और शहर सशस्त्र विद्रोही दलों के हाथ से छीन लिया गया किन्तु इस विद्रोह के बाद यह आवश्यक हो गया कि मिजोरम के भावी विकास पर पुनः मूल्यांकन किया जाय।

भारत के अन्य राज्यों के तुलना में यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस क्षेत्र का उसी संदर्भ में पुनः अवलोकन करें। सन् 1972 ई0 में इस राज्य में 20 प्रतिशत आबादी निर्धन रेखा के नीचे थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय एक हजार रूपया थी। किन्तु सन् 1975 में आय बढ़कर एक हजार तीन सौ तिरसठ रूपया हो गयी तथा 32 प्रतिशत लोग निर्धन रेखा के नीचे हो गये। ऐसी असन्तोषजनक प्रगति इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि आर्थिक विकास में गहरी असमानता है। यह असमानता मिजोरम जैसे अधिवासियों के क्षेत्र में खतरनाक सिद्ध हो सकती है। आज मिजोरम में ऐसी असमानता के कुप्रभाव स्पष्ट दिखायी पड़ते है। धनी और निर्धन लोगों के बीच खाईं चौड़ी होती जा रही है। यहां पर मध्यमवर्ग के लोगों का अभाव हैं शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के कारण एक नया वर्ग जिसे मध्यमवर्ग कह सकते हैं, उभर रहा है। यहां पर अस्थिरता का प्रभाव स्पष्ट है। आर्थिक दशा सुधारने के लिए आय कर से लोगों को मुक्त कर दिया गया था आयकर मुक्त योजना से समाज के अन्दर असमानता उत्पन्न कर दी। परिणाम स्वरूप वहां धनी एवं निर्धन वर्ग में असमानता है। विद्रोहियों के पीछे न तो आम जनता का हाथ है ओर न ही किसी लम्बे सशस्त्र युद्ध के लिए आवश्यक साधन ही है। यह ठीक है कि विद्रोहियों की सैन्यशक्ति नगण्य नहीं है, किन्तु उनकी क्षमता छिटपुट हिसांत्मक कार्यवाहियों तक ही सीमित है, कभी कहीं घात लगाकर और कभी छिपकर किसी को गोली का निशाना बना डालते हैं। मिजो विद्रोहियों के सामने एक भारी संकट है कि पृथकतावादी आन्दोलन के प्रति नई पीढ़ी उदासीन है। मिजोरम के भावी राजनीतिक विन्यास में सबसे ज्यादा गड़बड़ी पैदा करने वाली बात चीनी हस्तक्षेप है। विद्रोहियों को उससे मिलने वाली भौतिक सहायता, युद्धनीति संबन्धी सलाह और विचारधारा संबन्धी मार्ग दर्शन मिल रहा है। बांगलादेश ने विद्रोहियों को आने जाने वाले मार्गों को घुसपैठ के लिए खोल रखा है। इसलिए सीमा सुरक्षा दलों द्वारा सीमा पर कड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

मिजोरम में कुछ आन्तरिक पहलू भी है जिनसे भारत की अखण्डता और एकता प्रभावित होती है। जिनमें क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, जनजातीयता, जनजातीय विद्रोह गरीबी आदि महत्वपूर्ण है। इनका समाधान आवश्यक है क्यों कि समग्र युद्ध के युग में आज शत्रु सैनिक मोर्चो के साथ साथ असैनिक मोर्चो पर भी आक्रमण करता है। क्षेत्रीयवाद के अन्तर्गत विभिन्न भाषायी व क्षेत्रीय समुदाय राजनैतिक प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से स्वायत्ता की मांग करने वालों को वार्ता या समझौता से सन्तुष्ट करना आवश्यक है क्योंकि क्षेत्रीयवाद का उग्ररूप अन्ततः राष्ट्रीय विभाजन का कारण बनता है। यह क्षेत्रीयवाद भौगोलिक अनुरूपता सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण ही जन्म लेते हैं।

पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेश के अभ्युदय के बाद भाषावाद, साम्प्रदायिका तथा जनजातीय समस्या एक उग्ररूप ले रही है। नागा एवं मिजो विद्रोहियों के द्वारा की जा रही राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों से भारत का पूर्वोत्तर अशान्त है। अपने सामाजिक विकास हेतु मिजो विद्रोही पृथक राज्य की मांग कर रहा है इसे विदेशी ताकतों द्वारा विशेषकर चीन और बांग्लादेश प्रशिक्षण एवं समर्थन दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु यह आवश्यक है कि अलगाववाद एवं विद्रोह आदि की सम्भावनाओं पर प्रभावकारी अंकुश लगाया जाय इसके लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास करने, आर्थिक संतुलन को बनाये रखने तथा सम्प्रदायवाद को नियन्त्रित रखने की विशेष आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पर सरकार को गम्भीर एवं दूरदर्शितापूर्ण ठोस कदम उठाना चाहिए, अन्यथा आन्तरिक एकता एवं समृद्धि के अभाव में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखण्डता को बनाये रखना दुष्कर होगा।

*****

उदारीकरण के पश्चात बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियाँ (राष्ट्रीयकृत बैंकों के विशेष सन्दर्भ में)

माधवी सिंह*,
डॉ. विनायक कुमार तिवारी**,

वर्तमान के दौर में बैंकिंग गतिविधियों में काफी परिवर्तन देखने को मिले हैं। इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकिंग तथा बैकरों के प्रति जनता अत्यधिक सजग हो गई है। ग्राहकों की बैंक से अपेक्षायें तेजी से बढ़ी हैं। वर्तमान में बैंकों का लेन–देन तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवायें इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि निर्धारित समय में सेवा प्रदान कर बैंकों का ग्राहकों की अपेक्षाओं पर उतर पाना आसान नहीं रहा है। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे कार्य, जैसे पेन्शन भुगतान, कर संग्रहण आदि, जोकि पहले सरकारी विभागों द्वारा सम्पन्न किये जाते थे अब बैंकों के माध्यम से कराये जाने लगे हैं और यही कारण है कि बैंकों का सम्बन्ध हर आम–खास से पड़ने लगा है। बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसार ग्राहक सेवा सम्बन्धी शिकायतों में सरकारी बैंकों के 90 प्रतिशत से अधिक मामले पेंशन सम्बन्धी ही थी।

बैंकिंग क्रियाकलापों के बढ़े हुए भार को देखते हुए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी शाखायें तो तेजी से खोली परन्तु इन शाखाओं में आधुनिक तकनीक से युक्त आधारभूत ढांचे एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी से प्रशिक्षित स्टॉफ की कमी के कारण बैंकिंग सेवायें प्रदान करने में ये बैंक पिछड़ने लगे। विभिन्न बैंकिंग सेवायें जैसे बाहरी चेकों का संग्रहण, ऋण देने की प्रक्रिया, ड्राफ्ट जारी करना, खाता स्टेटमेन्ट आदि में लगी देरी के कारण ग्राहकों का एक बड़ा वर्ग राष्ट्रीयकृत बैंकों से निजी बैंकों की ओर रूख करने लगा। सरकार की उदारीकरण की नीति ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के समक्ष चुनौती को और बड़ा किया। उदारीकरण की नीति के परिणामस्वरूप 1991 के बाद देश में नये निजी एवं विदेशी बैंकों का उद्भव हुआ। इन निजी एवं विदेशी बैंकों में स्टॉफ की संख्या तो कम थी परन्तु इनका आधारभूत ढांचा आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस एवं स्टॉफ पूर्ण प्रशिक्षित था। इसका लाभ इन बैंकों को यह मिला कि इनके स्टॉफ पर होने वाल व्यय तो घट गया परन्तु इनकी कार्यक्षमता एवं ग्राहक सेवा बढ़ गयी।

उपर्युक्त संदर्भों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामने अपनी उपयोगिता एवं अस्तित्व को साबित करने की चुनौती और बड़ी हो गई। अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है यह एक नैसर्गिक नियम है वहीं प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी करना पड़ा। यह वो दौर था जिसमें कि किसी बैंक का अस्तित्व उसके नाम पर आधारित न होकर उसकी ग्राहक सेवा पर आधारित हो गया। इस दौर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी कार्य शैली में आमूलचूल परिवर्तन करने पड़े।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग अपेक्षाकृत देरी से शुरू हुआ तथा आधारभूत ढांचे के अभाव में इसकी विकास यात्रा भी धीमी रही। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय बैंकिंग उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में 15 से 20 साल पीछे रहा। विभिन्न बैंकिंग सेवायें जैसे जकदी आहरण, नकद जमा, ड्राफ्ट जमा करना आदि, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पहले से बेहतर एवं तेज हो गई। बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी के योगदान को निम्न बिन्दुओं के द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है :–

ग्राहक सेवा में सुधार हेतु ए.टी.एम. का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ए.टी.एम. के लगने से केवल ग्राहकों को ही सुविधा नहीं हुई परन्तु बैंकों को भी इस मायने में सुविधा हुई कि नकद भुगतान के लिए अब बैंकों की शाखाओं पर भीड़ घटने लगी, जिससे बैंक ग्राहकों को अन्य सेवायें तत्परता से उपलब्ध कराने लगे।

***शोध छात्रा, डॉ0 रा0 म0 लो0 अवध विश्वविद्यालय, फैलाबाद, उ.प्र.**
****रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, गनपत सहाय पी.जी. कालेज, सुल्तानपुर उ.प्र.**

सारणी 1

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ए.टी.एम. (मार्च 2005 के अंत में)

बैंक का नाम	मार्च 2005 के अंत में ए.टी.एम.			कुल शाखाओं में अपरोक्ष ATM%
	परोक्ष	अपरोक्ष	कुल	
राष्ट्रीयकृत बैंक	3205	1567	4772	4ण66
स्टेट बैंक समूह	1548	3672	5220	26ण88
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	800	441	1241	9ण78
निजी क्षेत्र के नये बैंक	1883	3729	5612	222ण31
विदेशी बैंक	218	579	797	239ण26

सारणी 2

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ए.टी.एम. (मार्च 2008 के अंत में)

बैंक समूह	आन साइट एटीएम	ऑफ साइट एटीएम	एटीएम की कुल संख्या	कुल एटीएम के प्रतिशत के प्रतिशत के अनुसार ऑफ साइट एटीएम
सरकारी क्षेत्र के बैंक	29795	19692	49487	39ण8
निजी क्षेत्र के बैंक	10648	13003	23651	55ण0
विदेशी बैंक	286	1081	1367	79ण1

उपर्युक्त सारणी 1 एवं 2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जहाँ 2005 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ए.टी.एम. की कुल संख्या 9992 थी वहीं 2008 में यह बढ़कर 49487 हो गयी। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के बैंकों की ए.टी.एम. संख्या जो 2005 में 6853 थी 2008 में बढ़कर 23651 हो गयी विदेशी बैंकों के ए.टी.एम. संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। 2005 यह संख्या जहां 797 वहीं 2008 में यह 1367 हो गयी। उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ए.टी.एम. संख्या में पिछले तीन वर्षों में लगभग 6 गुनी की वृद्धि दर्ज की गयी जबकि निजी बैंकों मं यह वृद्धि 4 गुनी हुई। विदेशी बैंक इस दौर में सबसे पीछे रह कर केवल दो गुनी वृद्धि दर्ज करा सके।

परन्तु इस नवीनतम तकनीक के सरकारी बैंकों द्वारा तेजी से अपनाने एवं उसमें असाधारण वृद्धि दर्ज कराने के बावजूद रोचक तथ्य यह है कि कुल ए.टी.एम. के प्रतिशत के अनुसार ऑफ साइट ए.टी.एम. के आंकड़े कुल ए.टी.एम. की संख्या के आंकड़ों के ठीक उलट हैं। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रयासों का जितना लाभ उन्हें मिला उससे कहीं अधिक लाभ विदेशी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को भी मिला।

शेयर्ड पेमेण्ट नेटवर्क सिस्टम एटीएम टर्मिनल नकदी काउण्टरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जोकि पूरे शहर में एक केन्द्रीय ईकाई के द्वारा संचालित होता है। इस नेटवर्क समूह में जो बैंक आते हैं वे अपने ग्राहकों को एक कार्ड प्रदान करते हैं जिस पर कि ग्राहक से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ जैसे कि कार्ड धारक का नाम, बैंक कोड, शाखा कोड, आदि अंकित होते हैं। एसपीएनएस के गठन का उद्देश्य ग्राहकों को 24 घण्टे 365 दिन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना होता है।

सारणी 3

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किये गये इलेक्ट्रॉनिक लेन–देनों का मूल्य

मूल्य (करोड़ में)		
एसीएस क्रेडिट	117613	181686
ईसीएस डेबिट	69524	73646
एनईएफटी	409507	939149
आरटीजीएस	39453359	48487234

निष्कर्ष : ग्राहक सेवा में सुधार एक सतत प्रक्रिया है तथा इसके पूर्णता का दावा कोई नहीं कर सकता। कितनी भी कोशिश कर ली जाय ग्राहक असन्तुष्टि के कुछ बिन्दु शेष रह जाते हैं ग्राहक सेवा का तात्पर्य मात्र शिष्टाचार, भौतिक सेवा तथा शाखा के लेआउट से नहीं है। ग्राहक सेवा न तो हार्डवेयर से, न ही साफ्टवेयर से, अपितु हयूमन वेयर से सुधरेगी। अतः हर कर्मचारी अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान कर सके इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को अच्छी अभिशासक के अलावा, स्टॉफ के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। ग्राहक सेवा में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम बैंकों का लक्ष्य नहीं होना चाहिए अपितु कार्यनिष्पादन को मान्यतादेना व उसके लिए पुरस्कृत करने की प्रणाली उपयुक्त रूप से लागू कर इसे व्यक्ति से संस्था के स्तर पर ले जाने की जरूरत है। यह सर्वविदित है कि ग्राहक सेवा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी की क्रान्तिकारी भूमिका रही है। वास्तव में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादातर बैंक पिछले दशक में प्रौद्योगिकी की उन्यनयन के एक दौर से होकर गुजर रहे हैं और वे कोर बैंकिंग साल्यूशन (सी.वी.एस.) प्लेटफार्म की ओर चले गये हैं, तथापि प्रौद्योगिकी से प्राप्त लाभ ग्राहकों के अपेक्षानुरूप अभी भी नहीं है। गति, लागत, सुविधा और बैंकिंग सेवाओं की क्षमता में उतना सुधार नहीं हुआ है जितना प्रौद्योगिकी से संभव हो सकता था। दुर्भाग्य से आइ.टी. को ठीक से लागू किया गया है जिसकी वजह से शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण बैंकों के स्तर पर आई.टी. रणनीति और परिदृष्टि कारोबारी प्रक्रिया की रिइंजीनियरिंग आदि की कमी है। बैंकों द्वारा इन पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान देकर ग्राहकों को संतुष्ट करना होगा।

सन्दर्भ

- Reserve Bank of India, Trends and Banking in India.
- State Bank of India, Annual Report. 2004-05
- The Journal of the Indian Institute of Bankers Various Issues.
- Trend and Progress of Banking in India, Annual Report 2007-08
- Reserve Bank of India, Monthly Bulletin, Various Issues.

Website Used

- www.bulletin.rbi.org.in
- www.notifics.rbi.org.in
- www.pr.rbi.org.in
- www.speeches.rbi.org.in

*****

वर्तमान भारत में समाजवाद की स्थिति : जय प्रकाश नारायण के विचारों के आलोक में

पूजा सिंह*

स्वतंत्र भारत में जनता का सबसे ज्यादा पर और सम्मान जिन दो नेताओं को मिला, वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण। दोनों में मौलिक अंतर यह रहा की जहां नेहरू हमेशा राजसत्ता के शिखर पर रहे, जयप्रकाश हमेशा अपने को राजसत्ता से अलग रखकर लोकसत्ता को मजबूत करने में लगे रहे। दअसल महात्मा गाँधी के बाद ऐसा करने वालों में वे एकमात्र व्यक्ति थे। जयप्रकाश जी के बारे मे कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों ने इन्हें पलायनवादी कहा है, तो कुछ की नजरों में उनके विचारों में तारतम्य नहीं है और वे कभी एक रास्ते पर नहीं चल पाए। ऐसे व्यक्तियों ने न तो उनके व्यक्तित्व को परखा और न ही उनके विचारों पर गौर किया है।

पलायनवाद का आरोप लगाने का एक मुख्य कारण यह है कि उन्होंने कभी कोई पद स्वीकार नहीं किया। ऐसा करने का एकमात्र कारण यह था कि वे सामाजिक परिवर्तन में सरकार की भूमिका को सीमित मानते थे। हालांकि महात्मा गाँधी की तरह उन्होंने संसदीय संस्था को वेश्या कहकर नहीं नकारा, लेकिन उन्होंने विकेन्द्रित आर्थिक विकास और ग्राम–स्वराज की अवधारणा पर बल दिया।

उनके जीवन में ऐसे अवसर कई बार आए जब वे सत्ता के शीर्ष पर जा सकते थे किन्तु कोई पद उन्हें कभी आकृष्ट नही कर पाया। स्वाधीनता प्राप्ति के तुरंत बाद गवर्नर–जनरल माउंटवेटन ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि उन्हें अपने मंत्रिमण्डल में कुछ युवाओं को शामिल करना चाहिए और उन्होंने विशेष रूप से जे. पी. के नाम का उल्लेख किया। सन् 1953 में पंडित नेहरू ने जयप्रकाश जी और उनके समाजवादी साथियों को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल मेंशामिल होने का आमंत्रण दिया था किन्तु जे. पी. ने सरकार में शामिल होने के लिए 14 शर्तें रखीं। उन्होंने कहा कि एक निश्चित कार्यक्रम पर सहमत हुए बिना वे मंत्री नही बनेंगे। वह सहमति हो नहीं पाई। जब अमेरिकी लेखक जॉन गुंटर 1950 दशक में भारत आए तो उन्होंने नेहरू का साक्षात्कार लेने के बाद उनसे पूछा कि उन्हें ;गुंटर काद्ध भारत में और किनसे मिलना चाहिए। गुंटर ने लिखा है कि नेहरू ने उन्हें जे. पी. से मिलने की सलाह दी और आगे कहा कि वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं।

दूसरा अवसर सन् 1962 मे ंआया जब चीनी आक्रमण के कारण तत्कालीन सरकार के विरूद्ध असंतोष था। राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने उनसे कहा, जे. पी. मेक रेडी टू टेक ओवर। कुछ सांसदों ने भी इस दिशा में पहल की। नेतृत्व परिवर्तन का समर्थन करने वालों की बैठक एक समाजवादी साथी पुरूषोत्तम त्रिकमदास के घर हुई और उनसे नेतृत्व स्वीकार करने का आग्रह किया गया। किन्तु जे. पी. ने इसे न केवल ठुकरा दिया बल्कि नेहरू से मिलकर उन्हें अपना समर्थन दिया। फिर सन् 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ नेताओं ने जयप्रकाश जी का नाम सुझाया। लालबहादुर शास्त्री ने कह कि यदि जे. पी. प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते है, तो वे अपना नाम वापस ले लेंगे। इस बार भी जे. पी. ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए कहा कि एक बार सत्ता से दूर होने के बाद फिर इससे सटना नहीं है। फिर सन् 1967 में राष्ट्रपति पद के लिए डा. राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी ने उनका नाम सुझाया। जे. पी. के नाम पर कई दलों और कांग्रेस के भी कुछ सदस्यों का समर्थन मिलने लगा था। लेकिन उन्होंने डा. जाकिर हुसैन के लिए अपने समर्थन की घोषणा कर दी। इन सबका मात्र एक कारण था लोकशक्ति में उनकों अटूट आस्था।

उनके विचारों में जिन्हें तारतम्य और सुसंगति नजर नहीं आती, उन्होंने कभी जयप्रकाश जी के विचारों के अंदर झांकने का प्रयास नहीं किया। वे राजनीतिज्ञ से ज्यादा सत्य के अनवेषक थे। सत्य को जानने की चेष्टा मे वे मार्क्सवाद से समाजवाद, गाँधीवाद, सर्वोदय आदि कई विचारधाराओं के प्रभाव में आए तथा कई आन्दोलन का नेतृत्व किया। लेकिन जैसे ही उन्हें लगाकि वह आन्दोलन सत्य और न्याय की मांगों पर खरा नही उतर रहा है, उन्होंने अपने को उससे अलग करने का साहस दिखाया। उनके एक अनन्य मित्र और सहयोगी श्री एस. एम. जोशी ने टिप्पणी की है। जयप्रकाश नारायण मेरे विचार में एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा एक शिक्षक थे वे सत्य अन्वेषक थे। जयप्रकाश तह तक ईमानदार थे और मैं उनके जीवन से अनेक घटनाओं का उदाहरण दे सकता हूँ जिससे पता चलेगा कि सत्य और सत्यवादिता का स्थान उनकी नजर में उन सभी सामान्य चीजों से काफी ऊपर था जिन्हें आप और मैं महत्वपूर्ण समझते हैं।

उनके हर काम तथा विचार मे सबसे ज्यादा जोर होता था जनता पर। लोकतंत्र में वे लोक को सर्वोपरि मानते थे और बाकी सभी चीजों को उसके बाद। इसी भावना से उपजी थी संपूर्ण क्रांति इसका वे ग्राम–'स्वराज' की कल्पना की ही तार्किक परिणति थी 'संपूर्ण क्रांति'। इसका उद्देश्य था सामाजिक संरचना को पूरी तरह बदलना क्योंकि उनके विचार में व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि बिना पूरी व्यवस्था बदले नैतिक और समतामूलक समाज का निर्माण नहीं

***शोध छात्रा, डॉ0 रा0 म0 लो0 अवध विश्वविद्यालय, फैलाबाद, उ.प्र.**

हो सकता था। जे. पी. ने सन् 1969 में ही लिखा था की अहिंसा सिर्फ कानून और व्यवस्था की वकालत या यथास्थितिवाद के लिए पर्दा ही नहीं थी बल्कि एक क्रांतिकारी दर्शन थी। यह दरअसल, एक संपूर्ण क्रांति का एक दर्शन है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक आचारों एवं मूल्यों का उतना ही समावेश है जितना आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का।

जयप्रकाश ने देश से कुछ मांगा नहीं सिर्फ दिया ही। इसलिए देश उनके नैतिक अधिकार को मानता था चंबल के खूंखार डकैतों को सरकार पकड़ नहीं सकी लेकिन जयप्रकाश की नैतिकता के वशीभूत होकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह की कई घटनाएं हैं कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर उनके पास आ जाता था। एक बार आनंदमार्गियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल उनके निवास पर इसलिए धरना दे रहा था कि उसके अपने नेता श्री पी. सी. सरकार से जेल में सामूहिक रूप से उनकी मुलाकात करवा दें। इसी प्रकार एक दिन दाऊदी बोहरा–समाज के लोग बड़ी संख्या में जे. पी. के पास आए कि उन्हीं के समाज के सुधारवादी लोगों से उनके रूढ़िवाद को जो खतरा पैदा हुआ है उससे वे उन्हें बचाएं। जे. पी. हर व्यक्ति कसमस्या से सरोकार रखते थे। बिहार आंदोलन के दौरान एक बार वे मुंगेर गए। दोपहर में वे गायब हो गए और किसी को पता नहीं था कि वे कहां गए हैं। बाद में पता चला कि स्थानीय वेश्याओं ने उन्हें आमंत्रित किया था जिन्हें संबोधित करने वे गए थे।

जे. पी. हमेशा समकालीन समस्याओं से जूझते रहे चाहे वह कश्मीर की समस्या हो या नागालैंड के उग्रवाद की मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड में नक्सलियों के आतंक की हो या बिहार के अकाल संकट की, बंग्लादेश या तिब्बत की हो या विश्व मे परमाणु युद्ध के बढ़ रहे खतरे की। जे. पी. एक साथ राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सहकारिता शिक्षा, मानवाधिकार तथा ज्वलंत समस्याओं पर मनन करते रहते थे।

हर समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण मानवीय होता था जो जाति, धर्म और राष्ट्र की सीमा से परे था। इस कारण कई बार उन्हें देशद्रोही तक कहा गया। दरअसल वे मूलतः मानवतावादी थे। मानव–मानव में कोई अंतर नहीं करते थे। उनका नौकर भी उनके बिछावन पर सो जाता था किन्तु उन्हें बुरा नहीं लगता था। उनके मित्रों और संबंधियों को इस पर आपत्ति होती थी लेकिन वे कहते थे कि वह भी तो आदमी ही हैं नौकर को हमेशा सहायक कहते थे नौकर नहीं। उनमें बच्चों की सी सरलता थी। मामूली सी बात पर खुश हो जाते और मामूली सी बात पर रूठ जाते।

वे अत्यंत भावुक स्वभाव के थे। एक–दो घटनाओं के जिक्र से उनकी संवेदनशीलता का पता चलता है। सन् 1959 में समाजवादी आंदोलन का रजत–जयंती सम्मेलन बंबई में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के पंडाल का नाम उनके एक घनिष्ठ मित्र युसुफ मेहर अली के नाम पर रखा गया था जिनकी मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। सम्मेलन मे जे. पी. को आशीर्वजन देने के लिए आमंत्रित किया गया। जब वे बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका गला भर आया और आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बहुत देर तक वे कुछ बोल नहीं पाए और सम्मेलन में शांति छाई रही।दूसरों की सुविधा को लेकर भी वे बहुत चिंतित रहते थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बताया कि वे जे. पी. से 1950 के दशक के प्रारंभ से जुड़े थे और वे उनसे मिलने उनके गांव जाया करते थे। जे. पी. अपने अतिथियों की खातिरदारी गर्मजोशी से करते थे और स्वयं उनके आराम की देखभाल करते थे शाम तक जब सभी सो जोते थे तो जे. पी. लालटेन लेकर हर कमरे में जाकर देखते थे कि सबको ठीक बिछावन तथा कंबल मिले हैं या नहीं। चंद्रशेखर ने एक दूसरी कहानी भी सुनाई। मोहम्मद मुस्तफर बलिय जिले के एक स्वाधीनता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्वक यातना दी थी। वे चाहते थे कि मुस्तफा रो पड़ें लेकिन मजबूत इरादे वाले मुस्तफा कभी नहीं रोए। आजादी के बाद उन्हें पाकिस्तान से डी. सी. पी. के पद की पेशकश की गई। किंतु उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान नही छोड़ेगें।

चंद्रशेखर ने उनका परिचय जे. पी. से कराया। तुरंत जे. पी. तत्कालीन रेलमंत्री लालबहादुर शास्त्री के नाम एक व्यक्तिगत पत्र लिखा कि मुस्तफा को कोई नौकरी दी जाए। कुछ समय बाद जे. पी. की भेंट चंद्रशेखर से आजमगढ़ में हुई और उन्होंने चंद्रशेखर से मुस्तफा के बारे में पूछा। इस पर जब चंद्रशेखर ने उन्हें बताया कि मुस्तफा को अभी तक कोई नौकरी नही मिलीं है तो उन्होंने एक अन्य केंन्द्रीय मंत्री रफी अहमद किदवई को खत लिखा अगर मुस्तफा जैसे नौजवान को आजाद भारत में नौकरी नहीं मिलती है तो आजादी निरर्थक है। यदि आप नहीं कर सकते है। तो मैं भाई साहब जवाहरलाल नेहरू से बात करूंगा। तब देवबंद चीनी मिल मे 150रू0 प्रति माह पर उन्हें नियुक्त किया गया।

उनके दिल में इनती करूणा थी किसी को पीड़ा देखकर वे द्रवित हो जाते थे। एक बार वे केदारनाथ गये। सर्वोदयी नेता और समन्वय आश्रम बोधगया के संस्थापाक श्री द्वारकों सुंदरानी भी उनके साथ थे। सुदरानी जीने मुझे बताया कि वहां चारों ओर बर्फ बिछी हुई थी। एक दिन सवेरे एक जमादार नंगे पांव पाखाना साफ करने उनके कमरे मे गया। जमादार को उस स्थिति में काम करते देखकर उनकी आंखें छलछला आई, और वे बोले, देखिए आजादी के इतने दिनों बाद भी इन लोगों की यही स्थिति है। मैंने भी अमेरिका में ऐसे काम किए थें लेकिन मैं बूटऔर गर्म कपड़े पहनकर काम करता था। पत्नी प्रभावती के निधन के लगभग एक वर्ष बाद तक वे उन्हें याद करके रो देते थे।

शिष्टाचार की तो वे प्रतिमूर्ति थे अपने घर आने वालो का दिल खोलकर स्वागत करते। कई बार ऐसा होता था कि उन्हें गाड़ी पकड़नी होती और निकलते वक्त कोई आ जाता फिर भी वे उसे जाने को नहीं कहते थे और उससे बातें करने लगते थे। इससे कई बार गाड़ी छूट भी जाती थी। युसुफ मेहरअली ने बड़े प्यार से उनके बारे में लिखा है कि– जे. पी. के दो दुर्गुण हैं जो मैं ढूंढ़ पाता हूं। पहला खूबसूरत शेविंग सेट का उनके पास होना। एक मंद–मंद मुस्कान के

साथ वे आपसे कहेंगे कि यह शहर में बेहतरीन है। जब किसी का चेहरा जयप्रकाश के जैसा सुदर हो तो इसे माफ किया जा सकता है।

मैं नहीं जानता कि दूसरे का वर्णन मैं कैसे करूं जब तक इसे मैं समय–बोध की कमी न कहूं क्योंकि इसे सीधा सयम का पाबंद नहीं होना कहना सपाटा होगा। सच्चाई यह है कि जयप्रकाश अच्छी बहस बहुत पसंद करते हैं विशेषकर एक तेजस्वी विरोधी के साथ और ऐसा करने में वे आधादर्जन महत्वपूर्ण मुलाकातें भी भूल जाएंगे। लेकिन उस समय जब वे देर से आते है, तब उनके चेहरे पर ऐसी सच्ची विवशता होती है कि देर से आने के कारण ज्यादा प्यारे लगते हैं।

उन्हें हरसमय यह चिंता रहती थी कि किसी को उनसे कोइ दुख न हो। इसके साथ ही वे यह प्रयास भी करते थे कि कोई उनके समक्ष अपने को छोटा महसूस न करें। जब उनके सचिव या अन्य कोइ व्यक्ति उन्हें कुछ लिखकर देते थे ओर जे. पी. उसमें कोई अशुि(पाते थे तो वे यह नहीं कहते थे कि यह गलत है बलिक कहते थे कियहां पर मुझे थोड़ा संदेह है इसलिए डिक्शनरी देख लीजिए।

वयोवृ(सामजवादी नेता श्री देपंद्र प्रसाद सिंह ने एक घटना के बारे में बताया। सन् 1960 के आस–पास की बात हैं जे. पी. कलकत्ता गए हुए थे। वहां उनसे कुछसर्वोदयी नेतामिलने गए। देवेंद्र बाबू भी अशोक मेहता के साथ उनसे मिलने पहुंचे। जे. पी. ने उन सर्वोदयी नेताओं का परिचय उन दोनों से कराया लेकिन अशोक मेहता ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही आधे घंटे की बातचीत में उनकी ओर कभी देखा। जे. पी. को श्री मेहता का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उनके जाने के बाद उन्होंने कहा अशोक को यह क्या हो जाता है ? उसने इन लोगें को कोई महत्व ही नहीं दिया। व्यवहार और नियम के भी वे पक्के थे। उनके सामने यदि कोई व्यक्ति चाय भी आवाज करके पीता तो उनका चेहरा मलिन हो जाता।

सादगी इस हद तक थी कि कभी उन्होंने कार नहीं रखी। आराम से रिक्शे–टमटम से इधर–उधर चले जाते थे। रेल यात्रा में इंटर क्लास से ऊपर शायद ही चलते थे।

रूसो की तरह जे. पी. की भी मनुष्य की आधरभूत अच्छाइयों में गहरी आस्था थी। वे आवश्वस्त थे कि हर व्यक्ति मूलतः अच्छा ही होता है। चंबल के डकैतों के आत्मसमर्पण से यह प्रमाणित भी होता है। उनके इस विश्वास और भावुकता का बहुत सारे लोगों ने गलत फायदा भी उठाया। इस कारण कई व्यक्तियों की धारणा है कि जे. पी. में आदमी की परख नहीं थी। ऐसा मानने वालों में उनके कई निकट के सहयोगी और मित्र भी हैं एक बार नवम्बर 1988 में एस. एम. जोशी ने पुणे में बातचीत के क्रम में कहा जे. पी. को तो आदमी की बिलकुल ही पहचान नहीं थी। सारे गलत लोग उनसे फायदा उठाते रहे। यही बात जब मैंने मोहन धारिया से पूछी तो उनका जवाब था जो स्वयं अच्छा है उसे दूसरा भी अच्छा नजर आएगा। सर्वोदय के उनके दूसरे सहयोगी आचार्य राममूर्ति ने लेखक के साथ बातचीत में इसका बलपूर्वक खंडन किया कि जे. पी. को व्यक्ति की पहचान नहीं थी आप यह कैसे कह सकते हैं? जयप्रकाश आंदोलन गाँधी के किसी भी आंदोलन से ज्यादा शांतिपूर्ण था। केवल सारण जिले के मैरवा में सिपाही छात्रों द्वारा मारा गया जिसके लिए जे. पी. ने बहुत क्षमायाचना की और मृतक के परिवार को 5,000 रू0 दिए। इसके अलावा किसी को भी एक जन–आंदोलन में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता हैं। 1974 मे जब वे इलाज के लिए वेल्लोर गये तो उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व चार लोगों के ऊपरछोड़ था। इन चार में किसका चरित्र खराब था ? यह सही है कि गाँधी जे. पी. से बहुत अधिक चतुर थे परंतु किसी व्यक्ति की ऊंचाई उसके अनुयायियों के चरित्र से नहीं मापी जा सकती हे। देवेंद्र प्रसाद सिंह ने बातया कि उन्होंने जे. पी. से कहा था कि कई समाज विरोधी तत्व भी आंदोलन से जुड़ गए हैं। इस पर जे. पी. ने कहा कि उन्हें पता है लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते हें क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नही था।

दरासल जे. पी. दोस्ती का निर्वाह बखूबी करते थे। कुछ ही मुलाकातों में लोगों कीउनसे आत्मीयता हो जाती थी। चूंकि उनके मन में मित्रता के लिए सम्मान था इसलिए स्वार्थी लोग इस संबंध का लाभ उठाने से नही चूकते थे।

उनके सहयोगियों के अनुसार उनका चित्त इतना विशाल था कि वे दुनियादारी सीख नही पाए। उनके कपड़े उनके सहयोगी और मित्र आराम से पहनते थे। अपने लिए कपड़े खरीदते और साथ में यदि कोई उसकी प्रशंसा कर देता तो उसके लिए भी वैसे ही कपड़े खरीद देते। अपने सामान की तो कभी चिंता ही नहीं करते थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य श्री एस. एच. रजी ने जे. पी. से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया कि वे सन् 1934 के शुरू मे रमावृक्ष बेनीपुरी के साथ एक साहित्य–सम्मेलन में पटना से इलाहाबाद जा रहे थे। जे. पी. भीसाथ जाने वाले थे। लेकिन वे लोग गाड़ी पर चढ़ गए और जे. पी. नही आए। दानापुर स्टेशन पर उन लोगों की नजर जे. पी. पर पड़ी। दरअसल स्टेशन देर से पहुंचने की उनकी आदत थी और वे चलती गाड़ी में चढ़ गए थे। मुगलसराय में गाड़ी ज्यादा देर रूकी तो जयप्रकाश उन लोगों के जाकर बातचीत करने लगे। बेनीपुरी जी ने रजीसाहब का परिचय उनसे कराया। फिर कुछ देर के बाद वे वापस अपने डिब्बे में चले गए। सुबह जब सब इलाहाबाद जंक्शन पर उतरे तो उन लोगों ने देखा कि जे. पी. के पास कोई सामान नही था। उनके पूछने पर जे. पी. ने बड़े निर्विकार भाव से बताया कि जब वे मुगलसराय में उन लोगों से बात कर रहे थे तो किसी ने उनका सामान उतार लिया। इस तरह की घटनायें लोगों को प्रेरित करती है, कि वे अपना नुकसान करके भी लोगों की मदद करते थे।

*****

डॉ अम्बेडकर की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा– एक अवलोकन

संजय कुमार त्रिपाठी*

भारत में समय–समय पर ऐसे महात्मा एवं समाज सुधारकों का जन्म हुआ जो सामाजिक क्षेत्र में समाज सेवा के प्रेरणा स्रोत रहे, उनमें राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी इत्यादि ने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां जैसे–अस्पृश्यता, अंधविश्वास, बाल–विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध के विरूद्ध संघर्ष किए, उन्हीं महापुरूषों में से डॉ0 अम्बेडकर का नाम भी बड़े ही श्रद्धा से लिया जाता है। वे जीवनपर्यन्त समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए संघर्ष करते रहे।

बबा साहब के नाम से प्रख्यात भारत रत्न डॉ0 अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को माहू छावनी (महाराष्ट्र) एक निर्धन, किन्तु शिक्षित परिवार में हुआ था।[1] डॉ0 अम्बेडकर युग के वर्ष (1891) अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे।[2]

डॉ0 अम्बेडकर का जन्म ऐसे समाज में हुआ जो सामाजिक आर्थिक रूप से बेहद कमजोर आर्थिक दृष्टि से गुलाम और राजनीतिक तौर पर बंधुआ मजदूर थे। ये लोग शिक्षा सार्वजनिक कुओं औ तलाबों से पानी नहीं पी सकते थे। इनकी महिलाएं अच्छे वस्त्र, आभूषण नहीं पहने सकती थी और वे किसी तरह का व्यापार नहीं कर सकती थे। भारत की कुल आबादी का पांचवा हिस्सा अछूत घोषित था। वे पूर्णरूप से मानवीय अधिकार से वंचित थे तथा सरकारी नौकरियों पुलिस फौज में भर्ती पूर्णरूप से इनके लिए निषेध था। सही मायने में धार्मिक व्यवस्था का चलन मानवता के खिलाफ ने रूकने वाला जंग था, जो युगों से चला आ रहा था। जातिवादी धर्म शासन ने प्राकृतिक न्याय को रौंदकर करोंड़ों लोगों को मोहताज बना रखा था। जातिवादी धर्म सिंहासन ने जिस संस्कृति को जन्म दिया था वह समाज स्वतन्त्रता और भाई चारा विरोधी था।

अम्बेडकर युग का अर्थ भारतीय इतिहास का वह काल हैं जब से समता, स्वतन्त्रता और भाईचारा पर आधारित संस्कृति की स्थापना के लिए जंग–ए–आजादी का सिलसिला शुरू होता है। वे कहते थे कि ये तीनों शिक्षाएं समता, स्वतन्त्रता, भाईचारा मैंने भगवान बुद्ध से प्राप्त की है।

नवम्बर, 1917 में अछूत समाज की दो कान्फ्रेंस हुई जिनमें कांग्रेस–लीग समझौता किया। डॉ0 अम्बेडकर इसके विरोधी थे। वे अछूत समाज की किसी ऐसी संस्था के पक्ष में नहीं थे, जिसकी नेतृत्व की बागडोर किसी गैर अछूत के हाथ में हो। अछूत समाज के सामाजिक उत्थाने के लिए उन्होंने 9 मार्च, 1924 को अछूत समाज की एक बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया कि एक अछूत मंच का गठन किया जाए। 20 जुलाई, 1924 को उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की सभा की स्थापना की।[3]

डॉ0 अम्बेडकर से पहले कोई भी व्यक्ति या संस्था बड़ी सी बड़ी बात करती रही, लेकिन अछूत समाज को एक थी, मानवीय अधिकार नहीं दिला सकी। उन्होंने करोंड़ो लोगों की मद्द और अपनी मद्द खुद करें में अन्तर बताया। उन्होंने अपने क्रान्तिकारी उद्घोष में कहा–'एक दास को दास कहो, वह विद्रोह कर देगा।' बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने अछूत समाज के उत्थान के लिए अपनी सहायता करो, आत्मोन्नति, आत्मावलम्बन और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया।

डॉ0 अम्बेडकर का इतिहास पर गम्भीर अध्ययन था इसलिए वे न केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता बल्कि वे सभी प्रकार की स्वतन्त्रता के पक्षधर थे। उनका आन्दोलन बहुमुखी था, इसलिए वे पहले उन करोड़ों लोगों को सभी मानवीय अधिकार दिलाना चाहते थे, जो सदियों से उपेक्षित थे।

डॉ0 अम्बेडकर को दलित परिवार में जन्म लेने के कारण यह अनुभव हुआ कि भारत में प्रचलित ब्राम्हण वादी वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा दलितों की उन्नति में सदैव बाधक रही है। उनकी मान्यता थी कि सामाजिक विषमता का शिकार बहुसंख्यक या दलित समाज ही है। हिन्दू धर्म में व्याप्त असमानता, अमानवीय आचारण, अस्पृश्यता, अन्याय, उत्पीड़ने और बर्बर अत्याचार तो सदियों से दलित रहने के कारण है, इसलिए दलितों की दुर्दशा से बहुत चिन्तित थे।
उन्हें भारत में विषमताओं से हित ऐसे समाज की स्थापना चाहते थे जो स्वतन्त्रता, समानता तथा बन्धुत्व पर आधारित समता मूलक समाज हो जिससे देश के छोटे और बड़े नागरिक को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सके और उनके विकास में धर्म एवं जाति बाधक न बने।

---

* शोधार्थी, डॉ0 रा0 म0 लो0 अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उ0 प्र0

जतिवाद के खिलाफ क्रान्ति के स्वर डॉ0 अम्बेडकर ने बुलन्दे किए जिस धर्म व्यवस्था में करोड़ों अछूतों से मानवीय अधिकार छीनें थे, उनके खिलाफ क्रान्ति का बिगुल बजाया, छुआ–दूत का प्रचलन जो देश की छाती पर अपना करतब दिखा रहा था। उसको नेस्तनाबूद करने का करिश्मा दिखाया। 19–20 मार्च, 1927 को जब महाड में अम्बेडकर युग के रूप में आज सम्मान का सूरज उगा तब जीवन पर मडराने वाले धर्म आतंक के बादल छटने लगे।[4]

डॉ0 अम्बेडकर ने अपने करोड़ों दलितों शोषितों और वंचित लोगों की मुक्ति के लिए कठोर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उन्होंने दलित समाज के जागरण के लिए सम्पूर्ण भारत की यात्रा तथा उन के उद्धार के लिए हक सामाजिक आन्दोलन की स्थापना की। इस आन्दोलन की सफलता के लिए अनेंको लेख, पत्र–पत्रिकाएं व पुस्तकें प्रकाशित कराई तथा उनके स्थानों पर सभा एवं सम्मेलन आयोजित कराके उन्होंने दलितों को स्वाभिमान से जीने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए मरने की प्रेरणा दी।

डॉ0 अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार की भी सामाजिक विषमताओं के निवारण तथा दलितों के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु कई सुझाव दिए और उन्हें लागू कराया। दलितों की शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाओं, स्कूल, कालेजों और छात्रावासो की स्थापना कराई।

हिन्दू धर्म की विषमता पूर्ण व्यवस्था के कारण दलितों को सार्वननिक कुएं और तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था, मठ–मन्दिरों में देवी–देवताओं को को दर्शनार्थ दलितों के प्रवेश वर्जित था। इन अमानवीय व्यवस्थाओं की ओर मानवतावादी सभ्य समाज का ध्यान आकर्षित करने तथा प्रचार–प्रसार हेतु डॉ0 अम्बेडकर के नेतृत्व में महाड के चोबदार तालाब से पानी पीने के अधिकार को लेकर 19 मार्च, 1927 को पहला सत्याग्रह आयोजित किया था। इसी क्रम में स्थिति कालाराम मन्दिर में प्रवेश के अधिकार को लेकर दलितों का दूसरा सत्याग्रह इन्हीं के नेतृत्व में 3 मार्च, 1930 को आयोजित किया गया। उमें शान्तिमय सत्याग्रह पर प्राणा घातक हमले किये गये। प्रशासन के हस्तक्षेप से दोनों मामले न्यायालय में प्रस्तुत हुए। डॉ0 अम्बेडकर विद्धतापूर्ण वकालत में दोनों मामले दलितों के पक्ष में निर्णय हुए। इस निर्णय से दलितों में सामाजिक चेतना का त्वरित विकास हुआ।

इस निर्णय पर धनन्जय कीर ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि महाड के उच्च वर्ग के हिन्दुओं को अन्यायपूर्ण, लज्जाजनक व आमानवीय व्यवहार के विरूद्ध विरोध की लहर पूरे भारत को ढकती रही।[5]

डॉ0 अम्बेडकर मूलतः एक विधिवेत्ता थे और कारण की महत्ता पर उनका अटल विश्वास था। वे लोकतन्त्र के प्रबल समर्थक थे। वे संवैधानिक ढाचें के माध्यम से ही लोकतन्त्र को सही दिशा दिलाने के पक्षधर थे। उनकी मान्यता थी कि लोकतान्त्रिक व्यववस्था का सही संचालन केवल समानता के आधार पर ही हो सकता है। भारत जैसे देश में जहां दलितों को अछूत की संज्ञा दी जाती है वहां लोकतन्त्र निरर्थक हो जाता है, इसलिए उन्होंने अनुभव किया कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले ही कुछ समस्याओं का निराकरण कर लिया जाए।

वायसराय के निमन्त्रण पर 1930 और 1931 की प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज कान्फ्रेंस में डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया तथा अपने विद्धतापूर्ण तथ्यों एवं तर्क से परिपूर्ण भाषण के माध्यम से भारत में व्याप्त सामाजिक विषमताओं और दलितों के दिशाहीन तथा अमानवीय दशा के बारे में विवरण प्रस्तुत किया। दलितों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक अधिकारों की मांग की। इसके साथ–साथ घोषणा की थी कि भारत में अछूत वर्ग में भी वर्तमान ब्रिटिश शासन को बदलने में गहरी आस्था है। वे ऐसे सरकार की स्थापना करना चाहते थे जो जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी हुई हो। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के प्रति अपनाये गए भेद–भाव और अन्यायपूर्ण व्यवहार की निन्दा करते हुए भारत की आजादी की मांग की।

डॉ0 अम्बेडकर हिन्दू धर्म की विषमताओं की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए समाचार पत्रों में लेख लिखे तथा संवाददाताओं को साक्षात्कार प्रदान कर भारतीय समाज की जानकारी उपलब्ध कराकर दलितों के पक्ष में वातावरण बनाने में सफल रहे। अन्ततः 20 अगस्त, 1932 को साम्प्रदायिक निर्णय में घोषित दलितों के अधिकार को स्वीकार नहीं कर सके और अपने विरोध स्वरूप यर्वदा जेल में आमरण अनशन प्रारम्भ कर डॉ0 अम्बेडकर और दलितों को गम्भीर संकट में डाल दिया। गांधी जी के समर्थक नेताओं द्वारा इन पर भी गांधी जी के प्राणों की रक्षा हेतु घेराव कर दबाव डाला जाने लगा। भयंकर दबाव एवं तनाव की गम्भीर परिस्थितियों में इन्होंने दलितों के भविष्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर कुछ खोने तथा कुछ पाने की लालसा में गांधी जी और अन्य नेताओं के साथ दिनांक 24 सितम्बर, 1932 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट हस्ताक्षर के पूर्व इन्होंने ने कहा था, 'इस प्रकरण में खलनायक होना मेरे भाग्य में है लेकिन इसे मे। परमकर्तव्य मानता हूं। उससे चिलित नहीं होऊगां। मैं अपने लोगों को न्यायोचित हितों के प्रति विश्वासघात नहीं करूंगा, फिल भले आज मुझे नजदीक के खम्भों पर फांसी दे दो।'

अततः इस समझौते के अनुसार पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई गयी। समझौते के कुछ ही दिनों बाद 'हिन्दू नेताओं द्वारा समझौते की शर्तो को भुला दी गयी और व्यवहार में दलितों के प्रति कुछ बदलाव नहीं आया और सामाजिक व्यवस्थायें यथावत रही तथा सामाजिक विषमताओं में कोई परिवर्तन नहीं आया।

डॉ0 अम्बेडकर को अनुसूचित–जनजातियों की आर्थिक स्थित का पूरी तरह से अनुभव था। भारतीय अर्थव्यवस्था में उसे कोई अर्थ सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा पूरी तरह अर्थव्यवस्था एवं जाति

प्रथा पर आधारित धर्म एवं सामाजिक व्यवस्था से न केवल प्रभावित था बल्कि आर्थिक मशीनीकरण पूर्णतः धर्म एवं जाति प्रथा द्वारा गतिमान होता था। दलितों का दर्जा इस व्यवस्था में शूद्र अतिशुद्ध एवं अछूत का था। समाज के सारे तुक्ष्य कार्य करने के बाद भी उन्हें धन संचय का कोइ्र अधिकार नहीं था।

डॉ0 अम्बेडकर भारतीय अर्थ व्यवस्था के बारे में भारत के मुद्रा व्यवस्था के विषय में हिल्टन यंग आयोग के सामने जो विचार प्रकट किए वे भी भारत के मुद्रा समस्या के विषय में महत्वपूर्ण योगदान थे। उन्होंने अपने विचार जिन तत्कालीन भारतीय समस्याओं के सन्दर्भ में व्यक्त किये थे वे इस प्रकार है : 'भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान खेती प्रथा, सामूहिक खेती भू–राजस्व एवं जमीदारी उन्मूलन यह उनके 40 वर्षो के दौरान 1916–1956 तक प्रकट किए गए विचारों की कहानी है। उन्होंने सभी राजनैतिक एवं आर्थिक समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। उनकी मान्यता थी कि भारतीय अर्थ व्यववस्था के पिछड़ेपन का मूल कारण भूमि की व्यवस्था में देरी है, क्योंकि उच्च जातियां ही सामान्यतः भूमि के मालिक रहे, जो जमीदारों के नामों से जानी जाती है। मध्यम जातियां परम्परागत रूप से खेतों और निम्न जातियां भूमिहीन श्रमिक हैं। इसी कारण ये बड़े भू–स्वामियों के हाथों में सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने का एक बड़ा उदाहरण है। गरीब श्रमिकों एवं भूमिहीन श्रमिकों का एक बड़ा भाग कृषि दासों जैसा जीवन जीने के लिए बाद्धय है। परम्परागत कार्य व्यवस्था का मूल कारण है जो कि कृषि पर निर्भर है।'

डॉ0 अम्बेडकर ने कृषि में सुधार के लिए कृषि को राज्य उद्योग के रूप में संगठित करने का सुझाव दिया। वर्ष 1918 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'स्माल होल्डिंग्स इन इण्डिया एण्ड देयर रेमेडिज' उन्होंने लिखा है कि भारत में कृषि सुधार के लिए यह बहुत आवश्यक है। कृषि की पुनर्रचना हो, भारत में छोटी एवं अनार्थिक जोतों से भारतीय कृषि बड़ी मात्रा में पीड़ित है। उनके विचारों में कृषि का उद्योगीकरण के लिए उपयुक्त क्षेत्र है।

डॉ0 अम्बेडकर ने अनुभव किया कि भूमिहीन श्रमिकों का सहाकारी खेती में कोई उचित स्थान नहीं है। इनका विचार था कि भूमि को ग्रामीणों को बिना जातिगत भेदभाव के बांट दिया जाए, जिसमें नक कोई भूमि स्वामी होगा और न ही बटाईदार और न ही भूमिहीन श्रमिक। सरकारी फार्मो में सामूहिक कृषि के रूप में कृषि की जाए। खेतों की जुताई सरकारी कानूनों के दिशा–निर्देश में हो। काश्तकार खेतों में हुए व्यय का भुगतान आपस में हिस्सा बांट लें। सामूहिक खेती हेतु शर्तो के साथ सामूहिक खेती के पानी की पूर्ति, पशुपालन, खाद, बीज आदि हेतु वित्त शासन उपलब्ध कराये और इस पर राज्य एक निश्चित धनराशि ले सकता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् डॉ0 अम्बेडकर द्वारा किए गए सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विचाराधारा के फलस्वरूप आज कल सामाजिक बल्कि कृषि के मामलों में भी वे धीरे–धीरे आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। सरकार द्वारा दलितों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने से उनमें भी आर्थिक, शैक्षिक परिवर्तन हो रहे हैं। दलितों में राजनीतिक चेतना के विकास के फलस्वरूप राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केन्द्र सरकार भी इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। वर्तमान राजनीति में सत्ता का केन्द्र के इर्दगिर्द घूम रही है। ऐसे में सत्ता के खेल में इनकी भूमिका भी निर्णायक होती चली जा रही है।

भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की विद्वता और दूरदर्शिता से भारत का मान सम्मान विश्व में बढ़ा है और भारत में सामाजिक विषमताओं में पहले से कमी आई है तथा समता मूलक समाज की स्थापना में सफलता मिली है आज वे हमारे बीच नहीं है, किन्तु उनका दर्शन, देश और मानवहित के लिए उनके कार्य हमारे मार्गदर्शन हेतु सदैव सहायक रहेंगे।

सन्दर्भ

1. द लिगोसी ऑफ अम्बेडकर डी0 सी0 अहीर, पृष्ठ 02।
2. द लिगोसी ऑफ अम्बेडकर डी0 सी0 अहीर, पृष्ठ 02।
3. आधुनिक भारत, एस0 के0 पाण्डेय प्रयाग एकेडमी, इलाहाबाद, पृष्ठ 211।
4. द लिगोसी ऑफ अम्बेडकर साइफ एण्ड अहीर, वी0 आर0 पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 13।
5. धनन्जय कीर, डॉ0 अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन, 1987, पृष्ठ 75।

*****

21वीं शताब्दी में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन

सुधीर सिंह*

दूसरे विश्वयुद्ध के समाप्ति के साथ जो नई व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दृश्य–पटल पर उभरी, उसमें कई बातें बड़ी आश्चर्य चकित कर देने वाली थीं। प्रथम जिन महाशक्तियों ने पिछले 300 सौ वर्षो से यूरोप और समस्त विश्व को अपनी ताकत से दबा रखा था वे खंडित हो गई। जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश अपनी ही आन्तरिक समस्याओं को सुलझाने में स्वयं को असमर्थ पाने लगे। दूसरा क्रान्तिकारी परिवर्तन महाशक्तियों के रूप में दो देशों अमेरिका व सोवियत संघ का उभर कर आना था। तीसरे, यूरोपीय महाशक्तियों के प्रभाव के साथ विश्व में औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के विरूद्ध जन संग्राम की सुगठित शक्तिशाली लहर सामने आई, जिसने पांच वर्ष के अल्प समय में ही अनेक स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली देशों के अभ्युदय को सम्भव बनाया। चौथा मत उपरोक्त तीनों का परिणाम था, विश्व के दो गुटों में विभाजित होने की प्रक्रिया के रूप में सामने आई जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया।[1]

गुट–निरपेक्ष आन्दोलन शीत युद्ध एवं द्विध्रुवीय विश्व प्रणाली के विरूद्ध नव स्वतन्त्र देशों का एक ऐसा अभियान था जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सद्भावना एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ उनके राष्ट्रीय हितों एवं महत्त्वकांक्षाओं का अद्भुत सामंजस्य विद्यमान था। गुट–निरपेक्ष आन्दोलन के प्रमुख जनक नवोदित देशों के स्वाधीनता संग्राम के नेता रहे है। वे उपनिवेशवाद, रंगभेद, आर्थिक असमानता एवं प्रसारवाद के विरूद्ध वैचारिक पुट देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन छेड़ना चाहते थे। गुट–निरपेक्ष आन्दोलन के जनक के रूप में भारत की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के कुछ मूलभूत सिद्धान्त इस आन्दोलन की सैद्धान्तिक विचार धारा बन गये। इसमें मुख्य रूप से स्वतन्त्रता, सह–अस्तित्व, अहिंसा एवं विश्व–बन्धुत्व के सिद्धान्त हैं। पंचशील गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सैद्धान्तिक व्याख्या माना गया, जिसमें गुटों से अलग रहते हुए विश्व शान्ति के लिए सक्रिय कार्य करना एवं गुटबन्दी की प्रक्रिया को रोकना भी आन्दोलन के उद्देश्यों से जुड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर इस आन्दोलन का जन्म एवं विश्व शान्ति के लिए किये गये इसके प्रयत्न इतने अधिक प्रशंसित हुए कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में एक अभीष्ट स्थान दिया जाने लगा।[2]

गुट–निरपेक्षता का अर्थ न तो 'स्थाई तटस्थीकरण' है और न 'तटस्थता'। जैसा कि पं0 जवाहर लाल नेहरू ने एक बार अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में कहा था कि ''जहाँ स्वतन्त्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहाँ आक्रमण होता हो, वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे।'' कम्पुचिया के नरेश नोरोदय सिहांनुक ने बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में कहा था कि–''गुट–निरपेक्षता में अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का एक गतिशील स्वरूप परिलक्षित होता है, वह अस्वार्थ और निष्क्रिय अन्तर्मुखी प्रवृत्ति नहीं हैं।'' यह सोचना शान्तिपूर्ण है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र विश्व राजनीति की ज्वलन्त समस्याओं से अलग–थलग या उनके प्रति मौन दर्शक बने रहते है। जार्ज लिस्का ने सही कहा है– ''किसी विवाद के सन्दर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, किन्तु असंलग्नता या गुट–निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में भेद कर सदैव सही नीति का समर्थन करना।[3]

गुट–निरपेक्ष नीति एवं भारत में विशेष सम्बन्ध रहा है। गुट–निरपेक्ष आन्दोलन के प्रमुख जनक पं0 नेहरू, नासिर, टीटो थे। भारत की ओर से गुट–निरपेक्ष आन्दोलन को दिशा देने में नेहरू जी का विशेष योगदान रहा है। गुट–निरपेक्षता नीति का अर्थ विश्व के किसी भी गुट के साथ द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर सैनिक समझौतों में भाग न लेना है। इस नीति का पालन करने वाले राष्ट्र जहाँ एक ओर गुटबाजी में विश्व राजनीति से अलग रहते है, वही इसकी ओर से विश्व–शान्ति और सुरक्षा के प्रगति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को भरपूर मदद देते है। यह नीति गुट–निरपेक्ष देशों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने वाली दैनंदिन की ज्वलन्त समस्याओं पर उनके गुणानुसार अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने योग्य बनाती है।

विकासशील देशों में सहयोग एवं एकता स्थापित करने का प्रारम्भिक एवं सबसे ठोस कार्य 1946 में दिल्ली में इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता के लिए बुलाए गए एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन और 1955 में बांडुगं में हुए अफ्रीका–एशियाई देशों के शिखर सम्मेलन द्वारा किया गया। इसके बाद गुटनिरपेक्ष देशों ने इस दिशा में अनेक कदम उठायें।[4]

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अपनी यात्रा के लगभग पचास वर्ष पूरा कर चुका है इससे आन्दोलन की उपयोगिता और सार्थकता अवश्य स्पष्ट होती है। मात्र 25 सदस्य देशों से प्रारम्भ हुए आन्दोलन में आज 120 देश है इन वर्षों में गुट–निरपेक्ष आन्दोलन सफलता एवं असफलता, प्रशंसा व आलोचना दोनों का ही साक्षी रहा है।

*शोध छात्र, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उ0प्र0

गुटनिरपेक्षता आन्दोलन ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सैनिक गुटों में सम्मिलित न होकर सैनिक गठबंधनों को अस्वीकार कर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध कर आन्दोलन ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया। युद्ध की रोकथाम को वरीयता देते हुए आन्दोलन ने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया तथा संयुक्त राष्ट्र में प्रवर्तन कार्यवाहियों के न्यूनतम प्रयोग पर बल दिया। सदस्य राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर शांति स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के हाथ मजबूत किये।[5]

शांति के उद्देश्यों के अन्तर्गत गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने महाशक्तियों के बीच तनाव शैथिल्य को भी प्रोत्साहन दिया। शीतयुद्ध काल में किसी भी एक गुट में सम्मिलित न होकर दोनों गुटों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखते हुए आन्दोलन में सदस्यों ने न केवल विश्व में पूर्ण ध्रुवीकरण को रोका, बल्कि महाशक्तियों के बीच तनाव को कम करने तथा शीतयुद्ध के अन्त में अनुकूल वातावरण भी तैयार किया।

गत वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हुए परिवर्तनों जैसे शीतयुद्ध का अंत, जर्मनी का एकीकरण, सोवियत संघ का विघटन, नये राष्ट्रों का उदय आदि के पश्चात् इसकी प्रासंगिकता को लेकर विवाद उठा, कुछ विद्वानों ने तो इसे मृत ही घोषित कर दिया। गुटनिरपेक्षता की नीति और आन्दोलन दोनों ही शीतयुद्ध के वातावरण में विकसित हुए किन्तु यह कहना कि गुट–निरपेक्षता शीतयुद्ध की प्रतिक्रिया मात्र थी, गलत है। शीतयुद्धोन्तर विश्व व्यवस्थाओं में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सार्थकता बढ़ी है। पहले हम इस मंच से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद, जातिभेद आदि जैसे मुद्दों पर विचार करते थे लेकिन अब हम इस मंच से हिंसा, आतंकवाद, आर्थिक असमानताएं मानव अधिकार, मानव–परिवेश नशीले पदार्थों की समस्या, महिलाओं का शोषण, निर्धनता, बीमारी और पर्यावरण सम्बन्धी प्रश्नों और समस्याओं पर ध्यान देते हैं।[6]

वर्तमान विश्व संक्रमण काल से गुजर रहा है, जिसमें पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त नहीं हुयी है और नयी व्यवस्था पूर्णतः आयी नहीं है। शीतयुद्ध की समाप्ति के साथ केवल विश्व का द्विध्रुवीकरण समाप्त हुआ है, बड़ी शक्तियों का वर्चस्व नहीं। समकालीन विश्व को एकध्रुवीय अल्पतंत्र की संज्ञा दी गयी है। जिसमें अमेरिका अपने साथी राज्यों (जी–8) के साथ मिल कर विश्व की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर निरंतर हावी होता जा रहा है। ये राज्य अपनी वरीयता की विचारधारा विश्व पर थोप कर अन्य राज्यों के चयन की स्वतंत्रता को सीमित कर रहे है। आज दो प्रकार के नियम प्रचलन में है। भेदभाव की नीति सर्वव्याप्त है, मामला चाहे निःशस्त्रीकरण का हो या मानव अधिकारों का, व्यापार का अथवा वाणिज्य का। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में विरोध का स्वर गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के मंच से ही उठ सकता है।

संयुक्त राष्ट्र जो अब तक छोटे राज्यों की आस्था और विश्वास का प्रतीक रहा है, आज अमेरिका और साथी राज्यों द्वारा अपहृत हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र एक ध्रुवीय अल्पतंत्र के निर्णयों पर मोहर लगाने वाली तथा उसके कार्यों को वैधानिकता प्रदान करने वाली संस्था बन कर रह गया है। लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बहाली के नाम पर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से छोटे राज्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ऐसे में इन राज्यों की संप्रभुता की रक्षा का प्रश्न उठता है, जिसे गुटनिरपेक्ष आन्दोलन संबोधित कर सकता है।[7]

इसके अतिरिक्त शांति और विकास के जिन मुद्दों को आन्दोलन ने विगत वर्षों में उठाया था वे अभी अधूरे पड़े है। शीतयुद्ध के अन्त का अर्थ विश्व शांति का प्रादुर्भाव नहीं है। यदि शांति स्थापित हुयी है तो सीमित रूप से शीतयुद्ध विरोधियों और प्रतिद्वंद्वियों के बीच अभी सर्वव्यापी स्थायी शांति का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। विश्व शांति को आज सबसे बड़ा खतरा राज्यों के भीतर होने वाले संघर्षों से है। ये संघर्ष मुख्यतः गरीब पिछड़े और कमजोर देशों में हुये है जैसे सोमालिया, बॉजनिया, रवांडा, सूडान आदि। चूँकि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ऐसे ही राज्यों का आन्दोलन है, अतः इन संघर्षों के समाधान की दृष्टि से आन्दोलन निःसंदेह प्रासंगिक है।[8]

वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के युग में पिछड़े राज्यों के विकास की समस्या ने और अधिक गंभीर रूप ले लिया है। आर्थिक दृष्टि से आन्दोलन जितना सार्थक आज है उतना संभवतः पहले कभी नहीं था। वास्तव में कुछ अपवादों को छोड़कर जैसे आसियान राज्य, तेल निर्यातक राज्य तथा स्थिर सरकारों वाले राज्य, तीसरे विश्व के अधिकांश राज्यों का आर्थिक भविष्य अंधकारमय है। उनके विकास की समस्या को स्वर देने के लिये गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से श्रेष्ठ कोई और मंच नहीं हो सकता है।

नयी विश्व व्यवस्था की उभरती चुनौतियाँ, गुटनिरपेक्ष नीति और आन्दोलन दोनों के औचित्य को सिद्ध करती है। आन्दोलन निम्न क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रांसगिक है।

- छोटे राज्यों की संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा।
- विश्व समस्याओं और समाधानों के संदर्भ में वैकल्पिक व्यवस्था का निरूपण।
- निःशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण।
- आतंकवाद का सामना।
- नयी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना।
- उत्तर–दक्षिण तथा दक्षिण–दक्षिण देशों के संवाद को प्रोत्साहन।

- संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन और लोकतंत्रीकरण।
- पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दे।
- मानवाधिकार से जुड़े विषय।
- नशीले पदार्थों की समस्यायें।
- महिलाओं और बच्चों का शोषण आदि जैसे मुद्दे।

सन्दर्भ

(1) एम0एस0 राजन, गुटनिरपेक्षता : भारत और भविष्य, नई दिल्ली 1975.

(2) डॉ0 पुष्पेशपंत, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध : मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।

(3) डॉ0 बी0एन0 खन्ना, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति : एम0बी0बी0डी0 पब्लिशिंग हाउस, आगरा।

(4) डॉ0 बी0एल0 फड़िया, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति : सिद्धान्त एवं समकालीन मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

(5) डॉ0 एन0के0 तिवारी, भारतीय विदेश नीति : साहित्य भवन, आगरा।

(6) मानिक लाल गुप्त, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध : अटलांटिक प्रकाशन, दिल्ली।

(7) वी0एन0 खन्ना – लिपाक्षी आरोड़ा, भारत की विदेश नीति : विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

(8) शशि शुक्ला, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति : भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।

*****

नागार्जुन के काव्य में लोक–चेतना

इन्द्रसेन*
डॉ0 दमयन्ती तिवारी**

नागार्जुन 'आधुनिक हिन्दी कविता' के प्रगतिशील कवियों में सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील कवि हैं, उन्होंने अपने काव्य–कृतियों में अपने विस्तृत लोकानुभव को शब्दबद्ध करके कविता को नवीन सन्दर्भ से जोड़ा। उनकी कविता में सामान्य–जन के प्रति सहानुभूति और शोशकों के प्रति तीव्र विद्रोह का स्वर है, 'लोक' की जीवंत उपस्थिति है। कवि नागार्जुन का काव्य संघर्ष, विद्रोह से ओत–प्रोत सामान्य जनता को केन्द्र में रखकर लिखा गया उदात्त–काव्य है।कवि नागार्जुन की कविता अपने समाज के प्रति प्रतिबद्ध जागरुक कवि की कविता वे अपनी कविता शीर्ष–'प्रतिबद्ध हूँ' में इस बात की पुष्टि करते हैं :–

"आबद्ध हूँ, जी हाँ, आबद्ध हूँ–
स्वजन–परिजन के प्यार की डोर में........
प्रियजन के पलकों की कोर में..........
सपनीली रातों के भोर में
बहुरूपा कल्पना रानी के आलिंगन–पाष में..........
तीसरी–चौथी पीढ़ियों के दंतुरित शिशु सुलभ हास में.....
लाख–लाख मुखड़ों के तरुण हुलास में....... ।"

यह कविता कवि नागार्जुन के पूरे कवि–व्यक्तित्त्व का मूलमंत्र है। उनकी प्रतिबद्धता, सम्बद्धता और आबद्धता थी समता, समाजवाद और क्रान्ति से, मामूली लोगों के दुःख–दर्द और संघर्ष से।

नागार्जुन का काव्य आम–आदमी की पीड़ा को रचनात्मक अभिव्यक्ति देने वाला काव्य है। समाज के उपेक्षित, पीड़ित और शोषित व्यक्ति के प्रति नागार्जुन के मन में अपार वेदना थी। यही कारण है कि कवि ने अपनी अनेक कविताओं में समाज के इस वर्ग के लोगों का जीवंत चित्र अंकित किया है। 'नई पौध' कविता में कवि द्वारा अंकित ये नग्न चित्र द्रष्टव्य है :–

"बढ़ा है आगे को बेतरह पेट/धँसी–धँसी आँखें
फूले–फूले गाल/टाँगें हैं कि तीलियाँ, अटपटी चाल
दो छोटी, एक बड़ी/लगी हैं थिगलियाँ पीछे की ओर
मवाद, मिट्टी, पसीना और रक्त–
चार–चार दुश्मनों की खाए हुए मार।"

इसी तरह उन्होने अपनी कविता– 'प्रेत का बयान' में भूख से मरने वाले प्राइमरी स्कूल–मास्टर का नग्न चित्र इस प्रकार अंकित किया है :–

"निकल गया भाफ आवेश का
तदंतर शांत सिमित स्वर में प्रेत बोला–
जहाँ तक मेरा अपना सम्बन्ध है
सुनिए महाराज/तनिक भी पीर नहीं
दुःख नहीं, दुविधा नहीं। सरलतापूर्वक निकले थे प्राण
सह न सकी आँत जब पेचिश का हमला।"

नागार्जुन की इन कविताओं को आधार बनाकर डॉ0 नामवर सिंह ने लिखा हैः– "उनकी कविता का संसार वस्तुतः वह लोक सामान्य जीवन ही है, जिसे अति सामान्य समझकर अन्य कवि आँखें मूँद लेते हैं। यदि आज की कविता में 'दंतरित मुस्कान', 'सिंदूर तिलकित भाल' और एक बस के ड्राइवर के सामने उसकी बच्ची द्वारा गुलाबी चूड़ियाँ' देखनी हों तो नागार्जुन की कविता की दुनिया में ही जाना होगा।"

नागार्जुन के काव्य में लोक–वेदना के अनेक स्तर विद्यमान हैं। उनकी रचनात्मक पीड़ा निर्धन, नर–नारी सभी के लिए समान रूप से अभिव्यक्त हुई है। समाज और लोक की पीड़ा, मानवीय करुणा की संवेदनाओं में घुल–मिलकर कविता में अभिव्यक्त हुई हैं। नागार्जुन ने अर्थाभाव की पैशाचिकता को आजीवन सहन किया था। इस बात की पुष्टि उनकी निम्न काव्य–पंक्तियाँ करती हैं :–

* शोध छात्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद , उ0प्र0
* * वरिष्ठ प्रवक्ता, हिन्दी, लाल बहादुर शाश्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोण्डा, उ0 प्र0

पैदा हुआ था मैं–
दीन–हीन–अपठित किसी कृशक–कुल में
आ रहा हूँ पीता अभाव का आसव ठेठ बचपन से।"

कविता में 'लोक–चेतना' का प्रमुख पक्ष है, ग्रामीण–जीवन जिसकी सर्वप्रथम सार्थक अभिव्यक्त नागार्जुन के काव्य में दृश्टिगोचर होती है। इनके पूर्व 'निराला' ने कुछ हद तक इसकी सार्थक अभिव्यक्ति की थी। नागार्जुन की कविता में चित्रित गाँव अन्य कवियों के समान आँखों देखा या कानों सुना गाँव न होकर, कवि के जीवंत अनुभवों का प्रमाणित दस्तावेज है। कवि गाँव के लोगों को उनके यथार्थ–जीवन के साथ अंकित करता है। प्रमाण स्वरूप देखिए निम्न काव्य–पंक्तियाँ :–

"गठरी बना गई
माघ की ठिठुरन
अद्‌भुत यह सर्वांग–आसन।"

ग्रामीण जनजीवन की सार्थक अभिव्यक्त के साथ ही वे वहाँ की प्राकृतिक छटा को भी अंकित करते हैं। प्रस्तुत काव्य–पंक्तियों में उनके द्वारा वर्णित ग्रामीण प्राकृतिक दृश्य दर्शनीय है :–

"दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली
परत लगी चढ़ने झींगुर की शहनाई पर
वृद्ध वनस्पतियों की ठूँठी शाखाओं में
पोर–पोर टहनी–टहनी का लगा दहकने
टूसे निकले, मुकुलों के गुच्छे गदराए
अलसी के नीचे फूलों पर नभ मुस्काया।"

इसी तरह– 'बहुत दिनों के बाद' शीर्षक कविता में कवि ने अपने ग्रामीण प्रेम की अभिव्यक्त इस प्रकार की है:–

"बहुत दिनों के बाद
अब की मैंने जी–भर तालमखाना खाया
गन्ने चूसे जी–भर
बहुत दिनों के बाद।"

नागार्जुन की कविता में लोक–वेदना का एक प्रमुख पहलू है उनका नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण। नारी जीवन के प्रति नागार्जुन के मन में अपार श्रद्धा एवं प्रेम की भावना थी। यही कारण है कि कवि अपनी कविता में नारी जीवन के अनेक जीवंत, सार्थक चित्र अंकित करता है। इस सन्दर्भ में उनकी कविता– 'भिक्षुणी' की निम्न पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं :–

"बैठ गई भिक्षुणी टेककर घुटने
तीन बार उसने
सादर प्रणाम किया
झुक–झुक अमिताभ को
फिर उठ खड़ी हुई, चारों ओर देखा
हतप्रभ–सी, मानो षिषिर–शशिलेखा।"

मैनेजर पाण्डेय इनके नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं :– "जिस पुराने भारतीय समाज को कुछ लोग भारतीय समाज और संस्कृति के इतिहास का स्वर्णयुग समझते हैं, उसमें भी स्त्री की पराधीन और विवश स्थिति की वास्तविकता को नागार्जुन ने पहचाना है तथा उसकी अभिव्यक्ति 'रत्नगर्भा' नामक संग्रह की 'चन्दना', 'भिक्षुणी' और 'पाषाणी' जैसी कविताओं में की है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है 'तालाब की मछलियाँ'। यह कविता एक प्रकार से भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति का रूपक भी है, जिसके अनुसार सामान्ती समाज के तालाब में स्त्रियाँ मछलियों की तरह हैं। इस कविता में नागार्जुन स्त्री की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं चाहे वह जिस प्रक्रिया से और जिस कीमत से प्राप्त हो। उन्होंने एक ओर 'तालाब की मछलियाँ' में सामन्ती व्यवस्था के भीतर स्त्री की गुलामी का चित्रण किया है तो दूसरी ओर 'सौन्दर्य प्रतियोगिता' नाम की कविता में आधुनिक समाज में स्त्री की विडम्बना का।"

नागार्जुन नारी के दीन–हीन रूप को ही अपनी लेखनी का विषय नहीं बनाते, बल्कि उसके सौन्दर्यमय रूप को भी वर्णित करते हैं। इस सन्दर्भ में उनके द्वारा लिखित कविता 'तन गई रीढ़' और 'यह तुम थीं' देखी जा सकती हैं द्रष्टव्य है :–

"कौंधी कहीं चितवन
रँग गए कहीं किसी के होठ
निगाहों के जरिए जादू घुमा अन्दर
तन गई रीढ़।"

दूसरा उदाहरण देखिए :–

"कर गई चाक

तिमिर का सीना
जोत की फाँक
यह तुम थीं।"

डॉ0 नामवर सिंह ने लिखा है :– "प्रकृति की तरह ही नारी–सौन्दर्य को भी नागार्जुन उसी खुली दृष्टि से देखते हैं और वैसे ही अकुंठ भाव से उसका वर्णन भी करते हैं।"

नागार्जुन के काव्य में राजनीतिक चेतना का भी अभाव नहीं है। उन्होंने अपने काल की सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं पर व्यंग्य–शैली में कविताएँ रची हैं। इस सन्दर्भ में अजय तिवादी का कथन है:– "ऐसी कौन–सी चीज है जो आधुनिक हिन्दी कविता में नागार्जुन की विशिष्ट पहचान है ? वह है राजनीतिक–व्यंग्य।"

नागार्जुन के काव्य की राजनीतिक चेतना उतनी ही प्रबल है जितनी वह उस युग में लोकजीवन में प्रसार पा सकी है। जनता के नेता बने रहने के लिए अपनी स्वार्थ सिद्धि के वश जो कभी–कभी लोगों के समक्ष मत प्राप्ति हेतु हाथ फैलाते हैं, वे सत्ता मिलने पर जनता से किये गये वादे भूल जाते हैं। ऐसे नेताओं के लिए नागार्जुन के पास व्यंग्य के सिवा कुछ नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू से संबंधित यह कविता स्वतन्त्र भारत के राजनेताओं का चरित्र स्पष्ट करती है :–

"मिश्रित निवास, मिश्रित लिवास, मिश्रित भोजन, मिश्रित विहार
मिश्रित भाषा, मिश्रित षैली, मिश्रित चिन्तन, मिश्रित विचार
हम सरल–तरल, हम द्रवणषील, निर्लिप्त–निरंजन–निराकार
मिश्रित होते हम षत–प्रतिषत, कृत्रिमता के परमावतार।"

नागार्जुन की कविता में प्रस्तुत राजनीतिक सन्दर्भ के सम्बन्ध में अरविन्द त्रिपाठी ने लिखा है कि:– "उस दौर की षायद ही कोई राजनीतिक घटना और शासन के अत्याचार की कोई वारदात हो जिसे नागार्जुन ने अपनी कलम की नोक न बनाया हो। स्वतंत्रता आन्दोलन हो, या आजादी से मोहभंग, भारत पर चीनी आक्रमण, नक्सलबाड़ी आन्दोलन, सन् 1967 के बाद गैर कांग्रेसी सरकारों का राज्यों में गठन, भारत–पाक युद्ध, बिहार आन्दोलन, आपातकाल इंदिरा गाँधी की बढ़ती तानाशाही, सम्पूर्ण क्रान्ति की विफलता, जनता पार्टी का विघटन, संजय गाँधी का मनमानापन, राजीव गाँधी की बोफोर्स दलाली, भाजपा का राज्यारोहण, शिवशेना का उग्र हिन्दूवाद, बालठाकरे का हिन्दू राष्ट्र ऐलान आदि राजनीतिक घटनाएँ सबसे पहले नागार्जुन का काव्य–विषय बनीं।" इसी सन्दर्भ में रामधारी सिंह दिवाकर ने लिखा है:– "सत्ता केन्द्रित राजनीतिक विचारधारा का नागार्जुन ने हमेशा परिहासमूलक प्रत्याख्यान किया। आरम्भिक काव्य–संग्रह 'युगधारा' से लेकर अन्तिम प्रकाशित काव्य–संग्रह 'अपने खेत में' तक दरअसल एक ही नागार्जुन हैं।"

अभाव और गरीबी में जीवन जीने वाले नागार्जुन सर्वहारा–वर्ग के दुःखों के यथार्थ अनुभवकर्त्ता थे। सर्वहारा–वर्ग का शोषण कर रही सत्तावर्गीय व्यवस्था से वे सदैव असंतुष्ट रहे, और अपनी व्यंग्यात्मक कविता के माध्यम से सत्ता–वर्ग का मूल्यांकन करते रहे। देश की जनता को पेशेवर राजनेताओं की 'छद्मलीला' और 'पाखण्ड' के प्रति सचेत करते रहे। प्रमाण के रूप में द्रष्टव्य हैं ये काव्य–पंक्तियाँ :–

"बोफोर्स की दलाली
गुपचुप हज़म करोगे
नित राजघाट जाकर
बापू–भजन करोगे।"

इतना ही नहीं, बल्कि जब कांग्रेस–दल के नेता दिल्ली से चुनावी टिकट लेकर प्रसन्नचित्त वापस लौटते हैं, तब वे अपनी व्यंग्य–शैली में लिखते हैं :–

"स्वेत–स्याम–रतनार, अंखियाँ निहार के
सिंडीकेटी प्रभुओं की पग–धूर झार के
लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के
खिले हैं दाँत ज्यों दाने अनार के।"

कवि की ऐसी कविताओं को आधार मानकर डॉ0 नामवर सिंह ने लिखा है कि :– व्यंग्य की इस विदग्धता ने ही नागार्जुन की अनेक तात्कालिक कविताओं को कालजयी बना दिया है, जिसके कारण वे कभी बासी नहीं हुईं और अब भी तात्कालिक बनी हुई हैं। अन्य कवियों की तात्कालिक कविताओं से नागार्जुन की तथाकथित तात्कालिक कविताओं की यही विशेषता है। इसलिए यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिन्दी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। नागार्जुन के काव्य में व्यक्तियों के इतनी व्यंग्य चित्र हैं कि उनका एक विशाल अलबम तैयार किया जा सकता है।"

जनजीवन से जो उनका लगाव और प्रेम था, उसके कारण उनकी कविताओं में सांस्कृतिक गरिमा का समावेश दिखाई देता है। उनका सचेत और अचेत भावबोध जनता के साथ अभिन्न रूप से सम्बद्ध था, तभी तो वे जनता के जीवन को कष्टमय और कलहपूर्ण बनाने वाली प्रत्येक वस्तु को घृणा की दृष्टि से देखते हैं :–

"बताऊँ? / कैसे लगते हैं– / दरिद्र देश के धनिक?

कोढ़ी–कुढ़व तन पर मणिमय आभूषण।"

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि कवि नागार्जुन का सम्पूर्ण जीवन संघर्ष उनकी कविता के माध्यम से साधारण जनता को सचेतन बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से गुजरता है। वास्तव में यह लोक कल्याणकारी भावना का ही परिणाम है। जैसा कि डॉ0 भगवान तिवारी ने लिखा है :– "शोषण की कहानी बहुत पुरानी है। शोषण की दृष्टि से सारा विष्व चिरकाल से दो वर्गों में बँटा हुआ है– पहला वर्ग है–साधन सम्पन्न, दूसरा है– साधन विहीन। पहले वर्ग में जहाँ पशुता है वहीं दूसरे वर्ग में इंसानियत है, श्रम है, और अपना रक्त जलाने की विवषता है। साधन विहीन वर्ग के पास न तो जमीन है, न रूपया है। अगर कुछ है तो कवल श्रम, जिसे बेचकर वह अपनी जीविका चलाता है। नागार्जुन की दृष्टि में सम्पन्न वर्ग शोषक वर्ग है और विपन्न वर्ग शोषित। काल परिवर्तन के साथ शोषित वर्ग में नयी चेतना आती है। परिणामतः अपने न्यायोचित हक के लिए शोषित–वर्ग को संघर्ष का मार्ग अपनाना पड़ता है।"

सन्दर्भ

- शोभाकांत सम्पादित, नागार्जुन रचनावली (खण्ड–दो), राजकमल प्रकाशन, नई–दिल्ली, 2003, पृष्ठ–131।
- डॉ0 नामवर सिंह सम्पादित, नागार्जुन प्रतिनिधि कविताएँ, राजकमल प्रकाशन, नई–दिल्ली, 2000, पृष्ठ–7।
- रामनिहाल गुंजन सम्पादित, नागार्जुन रचना प्रसंग और दृष्टि, नीलाभ प्रकाशन इलाहाबाद, 2002, पृष्ठ–46।
- डॉ0 भगवान तिवारी सम्पादित, नागार्जुन का काव्य : एक पड़ताल, भारत प्रकाशन–लखनऊ, 2000, पृष्ठ–1, 2।
- अजय तिवारी सम्पादित, नागार्जुन की कविता, वाणी प्रकाशन, नई–दिल्ली, 2005, पृष्ठ–50।
- रामधारी सिंह दिवाकर सम्पादित, शोध और आलोचना–त्रैमासिक, नागार्जुन विशेषांक, दिसम्बर, 1999, पृष्ठ–125–26।

*****

डॉ0 राधाकृष्णन एवम् डॉ0 कलाम के शिक्षा के उद्देश्य एवं उसकी प्रासंगिकता

नन्हे सिंह*

सुविचारों से श्रेष्ठतम् महामानवों एवम् मनीषियों की यह धरा अतीत एवम् वर्तमान 'काल द्वारा' महापुरूषों से उर्वरा है। सम्पूर्ण जगत मुक्त कंठ से जिनका यशोगान कर रहा है, उनमें बीसवीं शताब्दी के महापुरूष सर्वपल्ली राधाकृष्णन् एवम् इक्कीसवीं शताब्दी के महामानव डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम है। इस वसुंधरा की अद्भुत उपज डॉ0 राधाकृष्णन एवम् डॉ0 कलाम साधारण परिवार के असाधारण महामानव है। महापुरूष द्वय ने सतह से शीर्ष तक यात्रा करके स्व क्षेत्रों में अग्रगण्य बने हैं। अन्ततोगत्वा राष्ट्र के सर्वोच्च 'राष्ट्रपति' पद को सुशोभित करने में 'रायसीना हिल' का आनन्दोपभोग किया। अपने त्याग समर्पण व राष्ट्रीय हित चिन्तन से ऐसे भारत का सपना संजोया है, जो राष्ट्र को नव दिशा दें और जन–जन का कल्याण कर सकें। डॉ0 राधाकृष्णन ने चिराकालीन सुखी, सम्पन्न समृद्धिमय शान्ति, विषमतामुक्त भारत का सपना देखा। वही डॉ0 कलाम ने सुखमय भारत विकसित तथा अस्पृश्यतामुक्त भारत का सपना संजोया। डॉ0 राधाकृष्णन कहते हैं ''वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में शिक्षित कहला सकता है, जो सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों और पूर्व धारणाओं से मुक्त हो और जो सबको अपना बंधु मानता हो।''[1] डॉ0 राधाकृष्णन ने ऐसी शिक्षा परिकल्पित की जो जातिवाद धार्मिक भावना स्वभाषागत श्रेष्ठता, क्षेत्रीयतावाद जैसी संकीर्ण भावनाओं से पृथक करती हैं तथा पूर्ण मानव का सृजन करती हैं। शिक्षा को दूसरा जन्म माना गया है, अर्थात् अपने वर्तमान स्वरूप से भिन्न दूसरा स्वरूप प्राप्त करना ऐसा स्वरूप जो पहले विद्यमान न हो। वे कहते हैं ''शिक्षा वह साधन है, जिसके द्वारा युवकों को उग्र सामाजिक एवम् आर्थिक परिवर्तनों के निमित्त कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।''[2]

डॉ0 कलाम का शिक्षा सम्बन्धी विचार शिक्षा ज्ञान और बुद्धि के रास्ते से गुजरने वाली एक अनन्त यात्रा है। ऐसी यात्रा से मानवता के विकास के नये दरवाजे खुलने लगते हैं। जहाँ संकीर्णता, ईर्ष्या, कलह, घृणा और शत्रुता को कोई स्थान नहीं। इससे मानव का व्यक्तित्व सम्पूर्ण विनम्र और संसार के लिए उपयोगी बनता है।[3] मानव व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास शिक्षा पराश्रित है क्योंकि अपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्णता शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। इसलिए डॉ0 कलाम ने शिक्षा पर गहन दृष्टि डालने का प्रयास किया, उनकी चिन्तन पंक्तियाँ हैं कि ''शिक्षा कल्पना को जन्म देती है, कल्पना विचारों को और विचारों द्वारा व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, शिक्षा और कर्म के संगम से ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है।'[4] डॉ0 कलाम विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी से जुडे रहने के बावजूद शैक्षिक विश्व की उद्भूत समस्याओं के समाधान का मार्ग शिक्षा के उद्देश्यों में आभासित हुआ अतः उन्होंने उल्लेख किया है कि, 'हम जैसा समाज बनाना चाहते हैं हमें वैसी ही शिक्षा देनी चाहिए।''[5] भावी समाज की सफलता एवम् देश की प्रगति शैक्षिक उद्देश्यों पर पूर्णरूपेण आश्रित है। शिक्षा का उद्देश्य समयानुरूप परिवर्तित होता रहता है। इस सन्दर्भ में डॉ0 कलाम का कहना है कि ''एक समाज तभी उभरकर सामने आएगा जब शिक्षा व्यवस्था अपने वर्षों पुराने सांस्कृतिक एवं सामाजिक ढाँचे से मुक्त हो बदलाव की प्रक्रिया से गुजरेगी। एक व्यक्ति में मौजूदा प्रतिभा को सामने लाने में व्यक्ति के साथ सहयोग करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह सिर्फ कहने तक सीमित नहीं होना चाहिए।''[6] डॉ0 कलाम ने शैक्षिक उद्देश्यों से उज्ज्वल भविष्यमय चेहरे के मुस्कान की परिकल्पना के साथ ही व्यावसायिक दक्षता की आकांक्षा की है यह तभी सार्थक होगी, जब अध्ययन कालावधि से लेकर जीविकोपार्जन तक सम्पूर्ण अवधि के दौरान चेहरा मुस्कानमय बना रहे, इस सन्दर्भ में डॉ0 कलाम का दृष्टिकोण है कि ''प्राइमरी स्कूल के स्तर पर किताबी पढ़ाई के बोझ को कम करके शिक्षा प्रणाली में सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सेकेण्डरी स्कूल के स्तर पर बच्चों की सृजनशीलता में निखार लाया जा सकता है।" अंततः उच्च शिक्षा प्राप्त कर छात्र स्वावलम्बी बनें। जिससे वे उद्यमशील हो और रोजगार खोजने के बजाय खुद रोजगार प्रदान करें।''[7] इस प्रकार कलाम ने शिक्षा के उद्देश्य को जीविका से सम्बद्ध कर सामाजिक समस्या के समाधान पर प्रयास किया है वे कहते हैं कि ''शिक्षा का उद्देश्य है सत्य की खोज। इस खोज का केन्द्र अध्यापक होता है जो अपने विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से जीवन और व्यवहार में सच्चाई की शिक्षा देता है। छात्रों को जो भी कठिनाई होती है जो भी जिज्ञासा होती है, जो वे जानना चाहते हैं। उन सबके लिए वे अध्यापक पर ही निर्भर करते हैं। उनके लिए उनका अध्यापक एक तरह से एन्साइक्लोपीडिया है, जिसके पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं।[8]

डॉ0 राधाकृष्णन के स्वदृष्टि का 'ध्रुव बिन्दु' शिक्षा है और वे शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते है कि ''शिक्षा एक अर्थ में सत्य की खोज है, दूसरे अर्थ में सामाजिक भलाई की खोज।''[9] डॉ0 राधाकृष्णन ने शिक्षा की सच्चाई की खोज तथा सामाजिक भलाई से जोड़कर शिक्षा को जनसरोकारों में आबद्ध कर दिया और शैक्षिक उद्देश्यों पर गहन दृष्टि डालते हुए उल्लेख किया है। शिक्षा केवल उदरपूर्ति में सक्षम बनाने का नाम नहीं बल्कि आत्म जगत की भी

*** शोध छात्र, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उ0प्र0**

जानकारी देना है। उनका मानना है कि ''शिक्षा का लक्ष्य केवल जीविकोपार्जन तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मिक जीवन में दीक्षित कर देना भी है। प्रज्ञा और ज्ञान का विकास एक साथ ही होना चाहिए।''[10] शिक्षा की देश समाज व परिवार के सम्यक विकास हेतु आवश्यक आवश्यकता में गणना करते हुए पुनर्जन्म माना है और उल्लेख किया है कि जो सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों और पूर्व धारणाओं से मुक्त हो और जो सबको अपना बन्धु मानता हो, वास्तव में शिक्षा युक्त है।[11] शिक्षा से हमें न केवल सामान्य ज्ञान के तत्व या प्रौद्योगिकी कुशलता ही प्राप्त होनी चाहिए, वरन् उससे हमें वह मनोवृत्ति वह बौद्धिक ज्ञान, लोकतंत्र की वह भावना भी प्राप्त होनी चाहिए, जिससे हम देश के उत्तरदायी नागरिक बन सके।''[12] स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना जिम्मेदार नागरिकों से ही साकार होती है, इसलिए डॉ0 राधाकृष्णन ने शिक्षा ऐसे तत्वों से समाविष्ट आकांक्षित किया है, जो देश के लिए आदर्श नागरिक सृजित कर सके क्योंकि स्वस्थ नागरिकों से 'स्वस्थ राष्ट्र' की परिकल्पना की जा सकती है। सुशिक्षित, चिंतनशील, स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र को नई दिशा दे सकेंगे। डॉ0 राधाकृष्णन ने उल्लेख किया है कि ''छात्रों को ऐसी शिक्षा देना जिससे वे आत्म संस्कार कर सके।''[13] शिक्षा संस्कारित करने की प्रक्रिया का नाम है, इससे मानव मस्तिष्क के कलुषपूर्ण चिंतन का प्रक्षालन हो जाता है। जिससे सुसंस्कारित मानव निःसृत होता है। इस पर डॉ0 राधाकृष्णन की चिन्तन दृष्टि अवलोकनीय हो जाती है। वे कहते है कि "शिक्षा का उद्देश्य दिमागी ताकत के साथ–साथ नैतिक आचरण को उत्पन्न करना है। स्वस्थ विचारधारा के साथ स्वभाव माधुर्य को जन्म देना है।''[14] शिक्षा सन्तुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है। कल्पना शक्ति का प्रादुर्भाव करती है जिससे मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त होने के साथ ही मनोभावों में निर्मलता आ जाती है। इस सन्दर्भ में डॉ0 राधाकृष्णन के विचार पथ का अनुगमन आवश्यक हो जाता है कि ''यदि हम अपनी शिक्षा को सहिष्णुता की आध्यात्मिक दिशा नहीं देते तो यह अपने प्रयोजन में असफल रहती है।''[15] डॉ0 राधाकृष्णन का चिन्तन क्षितिज यह स्वीकार करतर है कि सत्य की ओर बढ़ने में हमारी सहायता करना वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य हैं[16] तथा ''शिक्षा का उद्देश्य तकनीकी कौशल प्राप्त करना ही नहीं बल्कि ऐसी दृष्टि प्राप्त करना भी है जो जानकारी और तकनीकी कौशल के आगे भी देख सके।''[17] ''शिक्षा का लक्ष्य तकनीकी दक्षता और जानकारी की अधिकता में सीमित नहीं प्रत्युत ऐसी दृष्टि प्राप्ति से है जिससे मानसिक कलुषिता दूर हो सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की सार्थकता ज्ञान के अर्जन में नहीं, वैज्ञानिक स्वभाव के सृजन में होती है। विद्यार्थी को मत और सिद्धान्त वास्तविक एवम् कल्पना के अन्तर का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। उसमें प्राप्त सामग्री की छान–बीन करके सत्य खोज लेने की क्षमता होनी चाहिए तथा होनी चाहिए वह शक्ति जिसके द्वारा वह विरोधियों के मत की न्यायपूर्वक समीक्षा कर सकें।[18] डॉ0 राधाकृष्णन ने उल्लेख किया है कि ''मनुष्य के विकास को यांत्रिक कौशल या बौद्धिक क्षमता की प्राप्ति के साथ जोड़ने का भ्रम नहीं होना चाहिए। मनुष्य की आत्मा का विकास ही मनुष्य का विकास है।''[19]

चिन्तकद्वय का मानना है कि बौद्धिक दक्षता एवं तकनीकी कुशलता ही सब कुछ नहीं, आत्मशक्ति में सबलता सर्वथा आवश्यक है। अतः आत्मशक्ति में समर्थ होना भी आज के समय में प्रासंगिक है। डॉ0 राधाकृष्णन ने ''जीविका के लिए तैयार करना प्रकारान्तर से जीवन के लिए तैयार करना'' का उल्लेख करके समय की नब्ज को भाप लिया है, वही डॉ0 कलाम ने स्वावलम्बी बनने, रोजगार खोजने के बजाय रोजगार पैदा करने की बात कहकर जनसंख्यानुरूप अद्यतन भारत की समस्या के समाधान हेतु स्तुत्य प्रयास किया है। डॉ0 कलाम का यह दृष्टिकोण केवल वर्तमान युग के लिए ही नहीं बल्कि सदा–सदा के लिए सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्वीकार करने योग्य है।

चिंतकद्वय के चिंतन का शैक्षिक उद्देश्य मानव संतान को मानवीय गुणों से सम्पन्न करना है। मौजूदा भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिक हिंसा, आतंकवाद, गम्भीर व्यसन से ग्रस्त राष्ट्र में मानवीय गुणों से समृद्ध नागरिकों का होना इक्कीसवीं सदी के लिए नितान्त प्रासंगिक है। सत्यान्वेषण दोनों चिंतकों के शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुखतम विषयों में है। शिक्षा के द्वारा तकनीकी दक्षता प्राप्त करना भूमण्डलीकरण एवम् वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में जबकि सारी दुनिया 'विश्व ग्राम' के रूप में एक छतरी के नीचे आ रही है, ऐसे में तकनीकी दक्षता उद्देश्य की प्रासंगिकता स्वयंमेव स्पष्ट है।

चिन्तकद्वय के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य दिमागी ताकत के साथ नैतिक आचरण उत्पन्न करना भी है क्योंकि सुशिक्षा, सुसंस्कार एवं सदाचार का उद्भव आधुनिक युग की आवश्यक आवश्यकता होने के कारण अति प्रासंगिक है। डॉ0 राधाकृष्णन ने शिक्षा की सार्थकता छात्रों में ''संकल्प, संकल्प, संकल्प'' की प्रतिबद्धता को स्वीकारते हुए उल्लेख किया कि कर्मरत हों, कर्मरत हों।[20] डॉ0 कलाम ने छात्रों के जीवन में "स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न" में आबद्ध होने के प्रगतिशील चिन्तन को आधुनिक युग के लिए हितकारी माना।

चिंतकद्वय के उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आशा, इच्छा एवम् विश्वासमय समृद्धि सम्पन्न शक्तिशाली तथा सुपर पावर भारत का सपना साकार करने हेतु डॉ0 राधाकृष्णन ने शैक्षिक उद्देश्यों में शाश्वत मानवीय मूल्यों पर ज्यादा जोर व डॉ0 कलाम ने शैक्षिक उद्देश्यों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास पर सर्वाधिक जोर देकर समय की आवश्यकताओं, चुनौतियों और सम्भावनाओं के अनुरूप शिक्षा सम्बन्धी तत्वों को वरीयता देकर शैक्षिक उद्देश्यों की प्रासंगिकता सिद्ध कर दी है।

सन्दर्भ

1. डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन 'रचनात्मक जीवन', हिन्दी पाकेट बुक्स प्रा0लि0 दिल्ली, वर्ष–1995, पृष्ठ–21.
2. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 'नवयुवकों से', सन्मार्ग प्रकाशन–16, यू0बी0 बैंग्लो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली, 110007, संस्करण–1987, पृष्ठ–12.
3. ए पी जे अब्दुल कलाम, 'अदम्य साहस', राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006, संस्करण–2006, अनुवादक – श्री ओ0पी0 झा, पृष्ठ–59.
4. ए पी जे अब्दुल कलाम : प्रेरणात्मक विचार, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006, संस्करण–2008, पृष्ठ–33.
5. ए पी जे अब्दुल कलाम : अदम्य साहस, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006, संस्करण–2006, पृष्ठ–52.
6. ए पी जे अब्दुल कलाम : 'विजयी भव' प्रभात पेपर बैंक्स, 4/19, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002, संस्करण–2008, अनुवाद रु श्री अखिलेश, पृष्ठ–101.
7. ए पी जे अब्दुल कलाम : 'अदम्य साहस', राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006, संस्करण–2006, अनुवादक – श्री ओ0पी0 झा, पृष्ठ–45.
8. ए पी जे अब्दुल कलाम : 'अदम्य साहस', राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006, संस्करण–2006, अनुवादक – श्री ओ0पी0 झा, पृष्ठ–40.
9. डॉ0 राधाकृष्णन 'सत्य की खोज', सरस्वती विहार, दरियागंज, नई दिल्ली, संस्करण–1978, पृष्ठ–72.
10. डॉ0 राधाकृष्णन 'रचनात्मक जीवन' हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, जी0टी0 रोड, दिलशाद गार्डन (शाहदरा), दिल्ली, संस्करण–1995, अनुवाद – विजय कुमार मल्होत्रा, पृष्ठ–12.
11. डॉ0 राधाकृष्णन 'रचनात्मक जीवन' हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, जी0टी0 रोड, दिलशाद गार्डन (शाहदरा), दिल्ली, संस्करण–1995, अनुवाद – विजय कुमार मल्होत्रा, पृष्ठ–21.
12. सर्वपल्ली डॉ0 राधाकृष्णन 'नवयुवकों से' सन्मार्ग प्रकाशन, 16 यू0वी0 बैंग्लो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली–110007, संस्करण–1997, पृष्ठ–145.
13. सर्वपल्ली डॉ0 राधाकृष्णन 'नवयुवकों से' सन्मार्ग प्रकाशन, 16 यू0वी0 बैंग्लो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली–110007, संस्करण–1987, पृष्ठ–26.
14. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 'स्वतन्त्रता एवम् संस्कृति', अपर इण्डिया पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ, अनुवादक – विशम्भर नाथ त्रिपाठी, पृष्ठ–52.
15. सर्वपल्ली डॉ0 राधाकृष्णन 'नवयुवकों से' सन्मार्ग प्रकाशन, 16 यू0वी0 बैंग्लो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली–110007, संस्करण–1997, पृष्ठ–170.
16. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 'स्वतन्त्रता एवम् संस्कृति', अपर इण्डिया पब्लिशिंग हाउस, लिमिटेड, अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ – अनुवादक – विशम्भर नाथ त्रिपाठी, पृष्ठ–177.
17. डॉ0 राधाकृष्णन 'रचनात्मक जीवन' हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, जी0टी0 रोड, दिलशाद गार्डन (शाहदरा), दिल्ली, संस्करण–1995, अनुवाद – विजय कुमार मल्होत्रा, पृष्ठ–21.
18. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 'स्वतन्त्रता एवम् संस्कृति', अपर इण्डिया पब्लिशिंग हाउस, लिमिटेड, अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ – अनुवादक – विशम्भर नाथ त्रिपाठी, पृष्ठ–20, 21.
19. डॉ0 राधाकृष्णन 'रचनात्मक जीवन' हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, जी0टी0 रोड, दिलशाद गार्डन (शाहदरा), दिल्ली, संस्करण–1995, अनुवाद – विजय कुमार मल्होत्रा, पृष्ठ–36.
20. सर्वपल्ली डॉ0 राधाकृष्णन 'नवयुवकों से' सन्मार्ग प्रकाशन, 16 यू0वी0 बैंग्लो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली–110007, संस्करण–1997, पृष्ठ–159, 160.

*****

कबीर की भक्ति का लोकोपयोग

माला*

कबीर स्वभावतः फकीर थे। उनका शरीर कंचनकुम्भ था। परमसत्ता ने उनमें प्रेम सामृत आकृष्ठ भर दिया था। भक्ति की स्वर्णमुद्रा उनको अपने परमगुरू रामानन्द से प्राप्त हुई थी। वे भीतर से बाहर तक उदारता की प्रतिमूर्ति बन गये। प्रेम की प्रेरणा से उनकी वाणी कस्तूरी गन्ध मिश्रित हो गयी। लोकहित की बात उनके बात–बात में निकलकर चारों ओर फैलने लगी। मित्र ही नहीं शुत्र भी उनके सम्मुख मंत्र मुग्ध हो गये। आज इतने वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी कबीर की भक्ति सलिला निरन्तर प्रवाहित हो जन–जन को सरोबार कर रही है।

कबीर ने भारतीय दर्शन के अद्धैतवाद, सूफियों के प्रेमतत्व और वैष्णवों की अहिंसा एवं प्रपत्ति का सारतत्व ग्रहण कर जिस साधना पद्धति के स्वरूप को ग्रहण किया उसने उनके हृदय सदन को पर्वत से ऊंचा, आकाश से भी सर्वव्यापी बनाया। उसमें तीनो लोक समाहित हो गया, फिर मानवलोक की बात ही क्या कही जाये ? तभी तो उनके मुख से सर्वव्यापिनी सांखी फूट पड़ी –

हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध।
हद–बेहद दोऊ तजे, ताकर मता अगाध।।

जो सदाचार पूर्वक परिवार का पालन–पोषण करे, वह मानव है, जो समाज हित में लग जाय वह साधु है जो इन दोनों से ऊपर उठकर परमसत्ता तक पहुँच जाय, उसके मत को याहना सम्भव नहीं है। जब वे बेहद में पहुँच गये, तब सभी उनके और वे सभी के हो गये। वे हरि नाम का उच्चरण करते–करते हरि ही हो गये –

तूँ–तूँ करता तू भया, मुझ में रहीन हूँ।
बारी फेरी बलि गयी, जित देखौं तित तू।।

हरि हो जाने पर समस्त सृष्टि की कुशलक्षेम पूछना उनका स्वाभाविक दायित्व हो गया। न उनकी अपनी, पीड़ा रह गयी, न उनका अपना कोई सुख रह गया। वे लोक हित के लिए छटपटाने लगे। लोक की पीड़ा स्वयं स्वयं उनकी पीड़ा हो गयी और लोकसुख ही उनका सुख बन गया। जो साधक अपने को लोक के लिए इस प्रकार समर्पित कर देता है उसकी साधना कालजयी हो जाती है। युगो–युगो तक वह भक्त भगवान सम पूज्य बन जाता है।

सभी धर्मो के सार को लेकर कबीर ने जिस निर्गुण भक्ति को स्वीकार किया वह सर्वोपयोगी और सर्वसुखदा साधना है। इस भक्ति को कबीर ने 'भाव भगति' के नाम से अभिहित किया। इस प्रकार की भक्ति के लिए कबीर ने मनोसाधना की उपयोगिता को महत्व दिया है। मनोसाधना भक्त को निर्मल करती है। मनोसाधना के अतिरिक्त कबीर ने भक्ति के जिन आवश्यक तत्वों को स्वीकार किया है उनमें सद्गुरू, सत्संग, इन्द्रियजन्य प्रेम, निराभिमानिता, ज्ञान और सहज विश्वास प्रमुख है।

गुरू मार्गदर्शक, संसोधक और अनुशासक है ऐसे व्यक्ति के अभाव में जहां भक्त भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता वहीं लोक में भी अनियंत्रित होकर विघटित हो सकता है। अतएव गुरू में विश्वास एवं उसकी आज्ञा की स्वीकार्यता लोकोपयोगी है। हाँ, गुरू रामानन्द जैसा खरा एवं उदार अवश्य होना चाहिए।

असत्संग से लोक हानि होती है। उनके घृणित एवं लोक हानि क्रिया–व्यापारो का क्रम चल पड़ता है।लोक में दो तरह के व्यक्ति होते हैं – भक्त और अभक्त। अभक्त में वाक् संयम और इन्द्रिय–निग्रह का अभाव होता है। वे लोक–पीड़क और कदाचार के प्रचारक होते हैं। अतः अपना और लोक का भला चाहने वालो को इससे बचना ही उचित है।

इन्द्रिय–लोलुप व्यक्ति भक्ति साधना नहीं कर सकता। वह तो रामरस त्याग कर कामरस में ही डूब जायेगा। वह स्वयं बिगड़ेगा लोक को भी बिगाड़ेगा। अतः कबीर चेतावनी देते हैं –

खरी कसौटी राम की, खोटा टिफै न कोय।
राम कसौटी सा टिकै, जो जीवित मिरतक होय।।

प्रेम तत्व भक्ति साधना का प्राण और लोकसुख का विधायक है। प्रेम से ही राम रीझते हैं, प्रेम से ही लोक में शील, सदाचार और सद् व्यवहार का प्रसार होता है। प्रेम आत्म–विसर्जन एवं आत्म–समर्पण में अभिव्यक्ति पाता है। जहाँ प्रेम होगा, वहाँ निराभिमानिता भी होगी। निराभिमानिता से लोक में विनम्रता, पर दुखकातरता और समर्पणशीलता की शीतल बयार बहेगी। कलह और परपीड़न की प्रवाह धीरे–धीरे शामिल हो जायेगी। समता का साम्राज्य

*** शोध छात्रा, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उ0प्र0**

छा जायेगा, लोक सुखी होगा। अतः कबीर ने साधना में जिस प्रेम तत्व पर बल दिया है वह लोक दृष्टिकोण से भी हटकर है।

ज्ञान में सब में आत्मतत्व प्रभासित होगा। मिथ्याचार समाप्त होगा। अन्धविश्वास का अन्धकार विदीर्ण हो जायेगा। इसलिए कबीर ने कहा –

हस्ती चढ़िये ज्ञान की, सहज दुलीचा डारि।
स्वानरूप संसार में, भूँकन दे झक मारि।।

सहज विश्वास से सबमें परमात्मा का दर्शन करके व्यक्ति घात–अघात से बचेगा। कोई किसी से छदमजाल नहीं रचेगा। भक्त को भगवान मिलेगा, लोक में व्यक्ति का मन व्यक्ति से मिलेगा। फिर छीना–झपटी और पाप–परायणता से लोक मुक्त हो जायेगा।

अतः समझा जा सकता है कि लोक में समता, सामंजस्य और सोहार्द स्थापित करने में कबीर की भक्ति लोकोपयोगी है। यदि कबीर के भक्ति तत्वों को लोक ग्रहण करेगा तो निश्चय ही दैन्य–दुरित से लोक सुरक्षित रहेगा। राक्षसी वृत्ति के स्थान पर देवी वृत्ति पुनः प्रतिष्ठित होगी। यही कबीर भक्ति की लोकोपयोगिता है।

सन्दर्भ

- कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी.
- कबीर ग्रन्थावली, पारसनाथ तिवारी.

*****

गाँधीजी और ग्रामीण विकास

नम्रता शर्मा*

भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अधिकांश आबादी आज भी गांवों में रहती है। कहा जा सकता है कि असली भारत गांवों में बसता है। खेती और किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि एवं पशुपालन है, एतदर्थ अर्थतन्त्र की मजबूती कृषि एवं उसके विकास से सम्बन्धित सभी आयामों की जानकारी अति आवश्यक है। क्रेसी का यह कथन है कि 'किसी भी देश में इतने अधिक व्यक्ति वर्षा पर निर्भर नहीं करते जितने की भारत में करते हैं, क्योंकि सामयिक वर्षा में थोड़ा भी परिवर्तन होने पर सारे देश की समृद्धि रुक जाती है।'[1]

आजकल हमारा जोर औद्योगीकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी पर है, लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का गौरवपूर्ण स्थान बना हुआ है। कृषि क्षेत्र देश का सबसे बड़ा उद्योग तो है ही, साथ ही हमारी आबादी का लगभग 70 फीसदी हिस्सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से ही रोजगार पाता है। इस सबके बावजूद ग्रामीण भारत की तस्वीर बेहद निराशाजनक है। हमारे गांव आज गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता और आधारभूत सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इन सबका मिला जुला प्रभाव यह है कि भारतीय ग्रामीण निर्धनता के दौर से गुजर रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि अधिकतर ग्रामीण युवक बेकार घूम रहे हैं, वे काम करना चाहते हैं लेकिन उनके करने के लिए कोई काम ही नहीं है। सारतः कहा जा सकता है कि भारतीय गांव विकास की दौड़ में आज काफी पीछे हैं जिस कारण ग्रामीण भारत, निर्धनता का अभिशाप जीने को मजबूर है।

ग्रामीण भारत की गरीबी मापने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन लगभग सभी तरीकों का आधार है कि यदि ग्रामीण व्यक्ति को दिनभर में 2250 कैलोरी के बराबर भोजन मिलता है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है, अन्यथा वह गरीबी रेखा के नीचे है। लगभग सभी अर्थशास्त्री और संस्थाएं मानती हैं कि भारतीय गांवों में निर्धनता लगातार बढ़ती जा रही है। अपवाद के रूप में बस बी. एस. मिन्हास का नाम लिया जा सकता है जिनका मानना है कि सन् 1956–57 और 1967–68 के बीच ग्रामीण निर्धनता का स्तर कुछ घटा है। गरीबी का वास्तविक तात्पर्य न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर से ही है। यदि हम न्यूनतम जीवन स्तर पर हैं तो कहा जायेगा कि हम गरीब हैं।निर्धनता की सभी परिभाषाओं में प्रयास किया जाता है कि वे समाज के औसत जीवन स्तर के करीब हों और इसी कारण से परिभाषाएं समाज में व्याप्त असमानताओं को प्रदर्शित करती हैं। यह असमानताएं उस सीमा का भी बोध कराती है जिस सीमा तक कोई समाज उन्हें सहन करने को तैयार होता है। भारत में व्याप्त निर्धनता का प्रमुख लक्षण यह है कि बहुसंख्यक निर्धन, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और इनके दो मुख्य वर्ग हैं – छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर। ग्रामीण निर्धनों में से लगभग आधे निर्धन ऐसे हैं जो या तो सीमान्त किसान है या फिर छोटे किसान। यहां एक और तथ्य उल्लेखनीय है कि ग्रामीण–भारत में निर्बल वर्गों की मुख्य आर्थिक समस्या खुली बेरोजगारी न होकर निम्न–उत्पादिता रोजगार है।[2]

ग्रामीण विकास होने पर इनका विकास सम्भव है। विकास के अनेक क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार के नये अवसर, शिक्षा, महिला साक्षरता तथा समाज में बराबर की सहभागिता, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, जनसंख्या नियंत्रण, शिशु कल्याण, अपंग तथा वृद्धजनों का कल्याण, स्वच्छ पीने का पानी और संचार आदि।

बापू ने सपना देखा था कि भारत में जब प्रजातंत्र आयेगा तो ग्रामीण जीवन के सबसे गरीब व्यक्ति को भी बराबर की सहभागिता मिलेगी। इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए गांधी जी ने पंचायतीराज की कल्पना की थी। ''अपना हाथ जगन्नाथ'', इस ओर इंगित करता हैं कि अपना विकास अपने द्वारा ही संभव है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पंचायती राज को कानूनी जामा तो पहनाया गया, किन्तु सामाजिक जामा नहीं पहनाया जा सका। पंचायतों में सहभागिता के लिए गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को स्थान दिया गया, किन्तु शिक्षा के अभाव में उन्हें वास्तविक लाभ नहीं मिला।[3]

अतः अभी से हमें सतर्क और सावधान हो जाने की आवश्यकता है। गांव के पलायन को रोकना है, वहीं नागरिक सुविधायें गांवों में भी मुहैया कराना है तथा शिक्षा का प्रसार करना है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने जिस कल्याणकारी अर्थशास्त्र की आधारशिला रखी है, उसमें भी विकास की इन्हीं दो प्राथमिकताओं– शिक्षा और स्वास्थ्य को ही रेखांकित किया गया है। शिक्षा से विवेक और स्वास्थ्य से कुशलता में अभिवृद्धि होती है। ये दोनों हथियार गरीबी से लड़ने के सशक्त माध्यम है। यदि इन पर जोर दिया गया तो गांवो का विकास संभव है और यही देश की खुशहाली की वास्तविक कुंजी है, जिससे पंचायती राज के वास्तविक द्वार खुल सकेंगे तथा पंचपरमेश्वर की भावना का विकास होगा, केवल तभी गांव स्वर्ग की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे।[4]

*** शोध छात्रा, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उ0प्र0**

अतः यदि भारत को सम्पन्न और प्रगतिशील बनाना है तो सर्वप्रथम गांवों की उन्नति करनी होगी। गांधी जी की भी कल्पना थी कि गांव शासन की एक इकाई हो, अपने आप में आत्मनिर्भर हो। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, प्रत्येक ग्रामीण को अनिवार्य प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध हो। ग्राम जीवन के सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाए। प्रत्येक गांव में पूरी सत्ता और ताकत हो उनका अपना स्वराज्य हो। गांधी जी मात्र भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के सूत्रधार ही नहीं थे, वरन् उसका सारा जीवन सामाजिक अन्याय, आर्थिक विषमता, शोषण, गरीबी, ऊँच–नीच के विरोध में समर्पित रहा। गाँधी जी के लिए आजादी अपने आप में साध्य नहीं थी, वरन् भारत की दलित शोषित जनता की मुक्ति का साधन थी। गाँधी जी अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी जमीन, अपनी परम्पराओं को उनकी मस्त कमजोरियों के बावजूद प्यार करते थे।[5]

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को काफी नजदीकी से देखा, समझा और परखा था। वे कहते थे कि ''उस आदमी का कोई मूल्य नहीं है, जिसमें सबसे पीड़ित और सबसे कमजोर को मुक्ति न मिले और वह यह महसूस करे कि वह उसका देश है।'' इसी आशय का एक पत्र 1945 में नेहरू जी ने भी लिखा था कि ''मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि अगर भारत को सच्ची आजादी प्राप्त करनी है और भारत के जरिये संसार का भी, तो आगे–पीछे हमें यह समझ लेना होगा कि भारत की जनता को गांवों में रहना है, शहरों में नहीं, झोपड़ियों में ही रहना है, महलों में नहीं।'' आवश्यकता से अधिक धन संचय को भी चोरी मानने वाले गाँधी जी का कहना था कि वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय सम्पत्ति, बढ़ाने के प्रयास में राष्ट्र का आम आदमी दिनोंदिन गरीब होता जा रहा है, और सत्ता प्राप्त वर्ग की प्रभुता बढ़ती जा रही है। जनता की आर्थिक गुलामी दिनों दिन बढ़ रही है।

ग्रामीणों की समस्याओं को उन्होंने गहराई से समझा और उसके समाधान भी ढूंढ़े। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बढ़ते हुये निजीकरण और निर्धनता से छुटकारे के लिए विकेन्द्रित अर्थनीति की बात कही, एक ऐसी व्यवस्था जो एक सम्पूर्ण इकाई बने जो मनुष्य को मशीन का दास न बनाये। मशीनें मनुष्य की सहायक हों स्वामिनी नहीं। गाँधी जी कहते थे कि ''मशीनों से काम लेना उस अवस्था में अच्छा होता है, जब किसी निर्धारित काम को करने के लिए आदमी बहुत कम हों, पर यह हिन्दुस्तान में है ही नहीं यहां काम के लिए जितने आदमी चाहिए उससे अधिक तो बेकार पड़े हुये हैं।

बेकारी घटाने के लिए गाँधी जी कुटीर लघु उद्योग पर बल देते थे। गाँधी जी बड़े उद्योगों के विरोधी नहीं थे पर देश में कृषि की स्थिति व पूंजी की कमी के कारण खेती व कुटीर उद्योगों पर ही बल दिया। गाँधी जी के इस यर्थाथवादी दृष्टिकोण को चीन, क्यूबा, वियतनाम जैसे देशों ने अपनाया। गुनार मिर्डल जैसे पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों ने घनी आबादी वाले पूर्वी एशियाई देशों के विकास का एक मात्र साधन बताया पर भारत पश्चिम के अंधानुकरण की राह पर चलने लगा।

गांवों को सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने कुछ सूत्र खोजे थे :–

- ग्रामीण शिक्षण, गांव के जीवन और विकास से सम्बन्धित होगा तथा इसमें शिक्षक, अभिभावक व छात्रों का पूर्ण योगदान होगा।
- ग्राम पंचायत गांव के लोगों द्वारा ही चुनी जायेगी, जहां मुक्त न्याय व्यवस्था होगी।
- न्याय व्यवस्था में कानूनी निर्णय से अधिक बल आपसी समझौते और समाधान पर होगा।
- पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होगी, लोग अपने घरों को साथ रखेंगे, मवेशियों की समुचित व्यवस्था होगी।
- गांव पूर्णरूपेण अपने पर आश्रित व स्वावलम्बी होंगे। अपने ग्राम सैनिक रखेंगे। ये ग्राम सैनिक गांव के ही कुछ बेरोजगार युवक होंगे जो गांव की चौकसी करेंगे।
- गांव प्रत्येक कार्य के लिए सरकार पर दृष्टि न लगाये, स्वयं पर निर्भर होना सीखे, अपनी जरूरत की वस्तुएं स्वयं पैदा करे।
- यदि आवश्यक हो तो बड़ी पूंजी की योजनायें भी बनाई जायें, लेकिन उनका निर्माण और संचालन स्थायी साधनों से हो, इससे गांव स्वावलम्बी होंगे। गांवों के आस–पास जंगलों का विकास हो, जैविक खाद बनायें, नहरें खोदें। छोटी–छोटी योजनाओं से ऊर्जा पैदा की जाये।

राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक जीवन में गाँधी जी के विचारों का अनुसरण करते हुए ही गांवों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है और गाँधी जी के ग्राम विकास के स्वप्न को साकार किया जा सकता है।

सन्दर्भ :

1- Gessy, C.B., Asia's Lands and Peoples, 1963, p.396
2. त्रिपाठी डॉ. रेणु : ''ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन'', ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली
3. बघेल डॉ. डी.एस. : पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास
4. मिश्रा डॉ. ऊषा : ग्रामीण विकास और गांधी दर्शन शोध–पत्र
5. सिंह डॉ. सुमन्त व सिंह पुष्पेन्द्र : ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका, शीर्षक लेख

*****

लोकतन्त्र में महिला सशक्तिकरण

गीता रानी यादव*

हमारे देश में अतीत से ही नारी का सर्वोपरि स्थान रहा है। राधा का अस्तित्व स्वीकारना और सीता की सामान्यता को राम के साथ जोड़कर विशिष्टता देना इसके प्रमाण है। भारतीय धर्मशास्त्र नारियों के करूणा, ममता, महत्ता तथा वीरता से भरा पड़ा है नारी को यह सम्मान मिलने के पीछे सदियों से इनके तप, त्याग, सेवा साधाना, तपश्चर्या, बलिदान, निस्वार्थ प्यार तथा श्रद्धा, करूणा, आत्मीयता, ममता, स्नेह एवं संवेदना का एक स्वर्णिम इतिहास है। प्रकृति ने भी नारी को अपार करूणा और प्रेम से विभूषित करके धरा पर भेजा है। इसलिए वह माँ है। माँ! जिसके ममत्व की अजस्र धरा का प्रत्येक कण महान है। अगर वह जननी न होती तो सृष्टि का सम्पादन कैसे होता और कैसे सम्भव होता समाज का सृजन? नारी ही सृष्टि का मूलाधार है। जिस समाज में मातृ शक्ति की अवहेलना होती है, वह प्रगति के मार्ग से विचलित हो जाता है। जिस परिवार में नारी को उचित स्थान सम्मान नहीं दिया जाता, वह परिवार विखर जाता है, क्योंकि नारी परिवार एवं देश को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वह बेटी हो, बहू हो, बहन हो, पत्नी हो या माँ हो।

भारत में आदि शक्ति की धारणा रही है अभी भी नवरात्र के अवसर पर 'देवी' की पूजा करते हुए यह श्लोक पढ़ा जाता है–

''या देवी सर्वभूतेषु, शक्तिरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः।''

इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय विशेष रूप से हिन्दू स्त्री को ''देवी शक्ति' के रूप में देखा करते थे।

मनुस्मृति भी रूढ़िवादियों का बहुत प्रभावशाली हथियार रहा है यद्यपि फिर भी मनु ने कहा है कि–

''यत्र नार्यस्तु पूज्यते, तत्र रमन्ते देवता।''

हमारे देश भारतवर्ष में कुल जनसंख्या का 49 प्रतिशत महिलाएं है। जिनमें से लगभग 78 प्रशित महिलाएं आज भी निरक्षर है। आज भी हमारे देश में महिलाओं को केवल बच्चों को जन्म देने का साधन समझा जाता है और इसी के साथ परिवार व समुदाय में उनकी भूमिका तय की जाती है। महिला को पत्नी के रूप में पति की मोल ली हुयी दासी के समान दिन–रात उनकी सेवा करनी पड़ती है। महिला को घर के चूल्हा–चौका तक ही सीमित रखा जाता है। लड़कियों की शिक्षा के बारे में उनकी धारणा यह रहती है कि अगर लड़कियाँ अधिक उच्च शिक्षा प्रप्त कर लेंगी तो उनकी शादी–ब्याह में अधिक रकम–खर्च करनी पड़ेगी। लड़की से अधिक पढ़ लिखा वर खोजना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ तो समाज क्या कहेगा। ऐसी मानसिकता इसलिए हो गयी है कि हम आज शिक्षा को रोजगार से जोड़कर देखते हैं जबकि शिक्षा को समाजोत्थान जनकल्याण तथा स्वरोजगार से सम्बद्ध करना हो समीचीन होगा। महिलाएं सामाजिक, शिक्षण, व्यवसाय एवं राजनीतिक क्षेत्रों में क्षमतावान होते हुए भी पिछड़ी हुई है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतन्त्र की स्थापना हुई और सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु अनेकों कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन कियाह गया। महिलाओं को शिक्षा का समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न कराकर उन्हें आर्थिक, सामाजिक, दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वालम्बन को और अग्रसारित करने जैसे अहम उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु पिछले कुछ वर्षों में विशेष प्रयास किये गये।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–11 के अनुसार–भारतवर्ष के समस्त नागरिक (महिलाओं सहित) कानून की दृष्टि से समान है तथा उन्हें कानून से सम्मान संरक्षण पाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद–14 के अनुसार–भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को 'विधि के समक्ष समता' प्रदान किया गया है। अनुच्छेद–15 में राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों के लिए विशेष विधि बना सके। अनुच्छेद–16 में दी गई व्यवस्थाओं के आधार पर लोक–सेवाओं में स्त्री एवं पुरूष को बिना भेदभाव किये अवसर की समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद–19 में महिलाओं को समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। अनेच्छेद–39 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि महिला तथा पुरूषों को एक समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गयी है।

** शोध छात्रा, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उ0प्र0

अनुच्छेद–40 में 73वें एवं 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायतों में 80 लाख महिलाओं को जन प्रतिनिधि के रूप में राजनीति और विकास प्रशासन में भाग लेने के अवसर प्राप्त हुए है। ससंद और विधान मण्डलों में उन्हें एक तिहाई आरक्षण आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु 84 वें संविधान संशोधन को भी पारित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अनुच्छेद 42 में महिलाओं को प्रसूति सहायता की व्यवस्था की गई है।

लोकतन्त्र में महिलाओं को सशक्ति बनाने के लिए कुछ विशेष अधिनियम भी बनाये गये है–

कारखाना अधिनियम–1948 में महिलाओं को हानिकारक एवं खतरनाक क्रियाओं में लगाने तथा रात्रि सात बजे तक सेवायोजित करने का निषेध किया गया है। बाल–विवाह अधिनियम–1976, जिसमें कम उम्र की बालिकाओं के विवाह पर रोक लगाना। समान पारिश्रमिक अधिनियम–1976 के अन्तर्गत महिलाइओं को पुरूषों के समान पारिश्रमिक देने का प्रावधान किया गया । दहेज निषेध अधिनिमय–1961 (संशोधित) 1986 दहेज की कुप्रथा को रोकने हेतु इस अधिनियम का निर्माण किया गया।

लोकतन्त्र में महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई गई है–

महिला समाख्या योजना–1989 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। किशोर–बालिका योजना–1992 के अन्तर्गत गरीब परिवारों की बालिकाआं को समुचित स्वास्थ्य एवं पोषण और शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला समृद्धि योजना 1993 लागू की गई। महिला स्वशक्ति योजना 1998 के अन्तर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करना। इंदिरा महिला योजना 1995 के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी गंदी बस्तियों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बन प्रदान करने का प्रावधान बनाया गया है। स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना 2000 के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार हेतु संघर्ष करने वाली महिलाओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कर प्रोत्साहन देने का प्रावधान बनाया गया है। लोकतन्त्र में वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया गया है।

लोकतन्त्र में महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक वह है कि सम्पूर्ण महिला जाति को रानी लक्ष्मीबाई, एनीबेसेंट, इन्दिरा गांधी, महादेवी वर्मा, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, कल्पना, चावला, किरण बेदी, तसलीमा नसरीन, मायावती आदि महिलाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें अपने 'मानसिक जड़त्व' कर स्थिति से बाहर आना होगा और प्रस्थिति के अनुसार कभी दुर्गा कभी चण्डी–कली तो कभी सीता बनना होगा।

लोकतन्त्र में महिला सशक्तिकरण पर अन्त में मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि समाज में बराबरी का दर्जा भागीदारी महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कारण है और आज सम्पूर्ण समाज महिला सशक्तिकरण के उदाहरणों से भरा पड़ता है। नई सोच के साथ घर व समाज में स्वयं को स्थापित करना,शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से स्वयं प्रत्येक चुनौती के लिए तैयार रखना व इसका डटकर मुकाबला हो सशक्तिकरण की धारणा को सार्थक कर देती है।

सन्दर्भ

- मनुस्मृति–मनोज पाकेट बुक्स 761, मेनरोड पुराड़ी दिल्ली।
- इण्डिया टुडे।
- जनसंख्या नगरीकरण इलाहाबाद पब्लिशर्स इलाहाबाद।
- कुरूक्षेत्र।
- हिन्दुस्तान एवं सहारा समय पत्र।
- महिला सशक्तिकरण चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ 7 न्यू अपरग्राडण्ड फ्लोर राधे–कृष्णा काम्पलेक्स एम0पी0 नगर–11 भोपाल।

*****

Dr. Rishikesh Singh
Editor in Chief

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

Publisher
Flash Publication
Janaki Nagar (Basant Bihar), Bahraich Road, Gonda (U.P.)
Mob. 9415458974